त्रयोदश माला, खंड 26, अंक 8

FOR REFERNCE ONLY.

बुधवार, 24 जुलाई, 2002

2 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा वाद - विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दसवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

(खण्ड 26 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा. (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

पी. सी. चौधरी
प्रधान मुख्य सम्पादक

शारदा प्रसाद
मुख्य सम्पादक

डा. राम नरेश सिंह
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।

विषय सूची

त्रयोदश माला, खंड 26, दसवां सत्र, 2002/1924 (शक)

अंक 8, बुधवार, 24 जुलाई, 2002/2 श्रावण, 1924 (शक)

विषय		कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख		**1-2**
प्रश्नों के लिखित उत्तर		
तारांकित प्रश्न संख्या	141 से 160	**2-47**
अतारांकित प्रश्न संख्या	1399 से 1591	**47-370**

लोक सभा

बुधवार, 24 जुलाई, 2002/2 श्रावण, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर दो मिनट पर समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

[अनुवाद]

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे बड़े दुख के साथ सभा को अपने आदरणीय सहयोगी श्री आत्माराम भाई पटेल के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री आत्माराम भाई पटेल लोक सभा के वर्तमान सदस्य थे और उन्होंने गुजरात के मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले वे 1995 से 1998 तक गुजरात विधान सभा के सदस्य भी रहे। एक कुशल प्रशासक श्री पटेल, 1996–97 के दौरान पंचायत मंत्रालय में कैबिनेट मंत्री तथा 1997–98 के दौरान राजस्व मंत्री रहे।

श्री पटेल 1999–2000 के दौरान वाणिज्य संबंधी संसदीय समिति के सदस्य रहे तथा वर्ष 2000 से भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य थे।

एक सक्रिय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री पटेल ने सहकारिता आंदोलन में भाग लिया और निम्न स्तर से लेकर राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक इसका मार्ग प्रशस्त किया। वे 25 वर्ष तक मेहसाना जिला केन्द्रीय सहकारिता बैंक लि. तथा 10 वर्ष तक गुजरात सहकारी बैंक संघ लि. के चेयरमैन रहे। वे गुजरात राज्य सहकारी विपणन संघ लि. अहमदाबाद तथा गुजरात सहकारी बैंक संघ लि. अहमदाबाद के निदेशक भी रहे। उन्होंने अन्य सहकारी संगठनों में विभिन्न पदों पर कार्य किया। चार दशकों से भी अधिक समय तक सहकारी आंदोलन में उनके योगदान के लिए उन्हें 1985 में इफको पुरस्कार मिला था।

श्री आत्माराम भाई पटेल का निधन थोड़े समय बीमार रहने के बाद 84 वर्ष की आयु में 23 जुलाई, 2002 को गुजरात में वापी के नजदीक हुआ। वे तेरहवीं लोक सभा के सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे।

आज नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अध्यक्षपीठ द्वारा किए गए इस उल्लेख को सभी पार्टियों और ग्रुपों के नेताओं तथा सम्पूर्ण सभा की ओर से भी माना जाए। मैं अपनी ओर से और सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार को हार्दिक संवेदना प्रेषित करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लघु उद्योग उत्पादों की सूची से उत्पादों का निकाला जाना

*141. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में लघु उद्योग उत्पादों की सूची से कुछ उत्पादों को निकाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार उक्त सूची से कुछ और उत्पादों के निकालने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) केवल लघु क्षेत्र में ही विनिर्माण किए जाने के लिए आरक्षित मदों की सूची में से सरकार ने मई, 2002 में 51 मदों को अनारक्षित कर दिया है। अनारक्षित की गई मदों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इन मदों को प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण के अपेक्षाकृत अधिक अवसर दिए जाने, निर्यातों का संवर्धन किए जाने तथा आर्थिक मानदंड प्राप्त करने के कारण अनारक्षित किया गया है।

(ग) और (घ) केवल लघु क्षेत्र में ही विनिर्माण किए जाने के लिए आरक्षित/अनारक्षित मदों के मामले की जांच, सरकार द्वारा निरंतर आधार पर की जाती है और यह उद्योग विकास एवं विनियम अधिनियम, 1951 के अंतर्गत गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, लघु उद्योग मंत्रालय सूची में विभिन्न प्रविष्टियों के बारे में स्टेकहोल्डर्स से भी परामर्श करता है। इस प्रकार की समीक्षाओं तथा परामर्शों के आधार पर मदों के अनारक्षण पर विचार किया जाता है।

विवरण

क्र.सं.	गजट अधिसूचना के अनुसार क्र.सं.	उत्पाद कोड सं.	उत्पाद का नाम
1	2	3	4
	अधिसूचना सं. 533(ई) दि. 20.5.02		
1.	233	310630	अन्य सिटरेट्स
2.	240(ई)	310673	मिथाइल एवं सेलिसाएलेट (सेलिसाएलिक एसिड की खरीद पर आधारित)
3.	245	313131	ग्लिसरो फॉसफेट
4.	307ए	313134	8–हाइड्रॉक्सी–क्विनोलाइंस के विनिर्माण हेतु एकीकृत योजनाओं के अतिरिक्त 8–हाइड्रॉक्सी क्विनोलाइंस से शुरू होकर हैलोजेनेटेड हाइड्रॉक्सी–क्विनोलाइंस
5.	310	314401	टूथपेस्ट
6.	434	343502	परसियन वील्स
7.	450	343522	सीड ट्रीटर्स
8.	453	343531	सीड बिन्स
9.	454	343532	वॉटर लिफ्टर्स
10.	500	350102	5–एचपी मोटिव पावर तक विननोवर्स
11.	509	350803	कृषि मशीनों, कास्ट आयरन/माइल्ड स्टील के बने थ्रेशर्स में प्रयोग हेतु लो स्पीड गियर–नॉन हीटेड ट्रीटेड

1	2	3	4
12.	512	353201	ऑयल क्रशर्स
13.	513	353202	ऑयल क्रशर्स पार्ट्स
14.	513बी	353805	टी कटिंग नाइव्स
15.	513सी	354803	तीन नाइव्स ट्रिमर्स एवं एनवलेव कटर्स
16.	628	374714	बल्ब हार्न्स
17.	637	37474902	ऑटोमोबाइल्स रेडियेटर्स–मेरिट पर विद्यमान इकाई के विस्तार, नई सुधरी हुई प्रौद्योगिकी पर आधारित नई इकाइयों के आगमन के अतिरिक्त और एल्यूमिनियम रेडियेटर्स को छोड़कर
18.	652	374874	एग्जॉस्ट मफलर–डबल कॉयल एग्जॉस्ट मफलर के अतिरिक्त ऑटो
19.	732	380302	एलिडेडेस
20.	733	380304	चेन लाइन बेस मेजरिंग एपारट्स।
21.	734	380305	क्रास स्टाफ
22.	735	380306	कंपास/प्रिसमेटिक
23.	736	380307	डिवाइडर्स
24.	737	380308	ड्राइंग बोर्ड्स
25.	738	380309	डम्पी लेवेल्स
26.	739	380310	ड्राइंग उपकरण–अभियांत्रिकी
27.	740	380311	डायांगनेल स्केल्स
28.	741	380312	इंजीनियर लेवेल
29.	742	380313	इंजीनियर स्केल्स
30.	743	380314	फ्रेंच कारनर्स
31.	744	380315	घाट एंड रीड ट्रेसर्स
32.	745	380317	मेजरिंग चेन्स
33.	746	380318	ऑपटिकल स्क्वायर्स
34.	747	380319	प्रोटेक्टर्स
35.	748	380320	प्लेन मीटर्स

1	2	3	4
36.	749	380321	प्लेन टेबल उपकरण
37.	750	380322	रेगिंग रॉड
38.	751	380323	फ्लैट रूल
39.	752	380325	सेट स्क्वायर्स
40.	753	380326	स्लाइड रूल
41.	754	380328	सेक्सटैन्ट
42.	755	380329	ट्रायन्गुलर स्केल्स
43.	756	380331	टी
44.	757	380332	टी–स्क्वायर्स
45.	758	380333	कैलिफर्स
46.	759	380335	डिजाइनिंग और ड्राइंग ऑफिसेस हेतु ड्राफ्टिंग मशीन
47.	760	380399	अन्य ड्राइंग मैथेमेटिकल और सर्वेक्षण उपकरण जिसमें थियोडोलाइट्स शामिल नहीं हैं।
48.	781	38210101	घड़ियां, दीवार घड़ियां, दोनों मैकेनिकल मूवमेंट सहित पेंडुलम के प्रकार की, लिवर के प्रकार की घड़ियों को छोड़कर ट्रांजिजटोराइज्ड मूवमेंट
49.	783	38280201	घड़ियों के डायल, उच्च मूल्य वाले आभूषणीय डायलों के अतिरिक्त साधारण डायल
50.	783ए	38280301	कास्ट ब्रास वाच केसेस पौलिस्ड ओर प्लेटेड
51.	32ए(10)	260315	सिन्थेटिक निटेड गैस मैनटल फैबरिक।

[अनुवाद]

'स्पीड पोस्ट' सेवा

***142. श्री रमाकांत यादव** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 'स्पीड पोस्ट' सेवा की तुलना में निजी कुरियर सेवाएं अधिक तत्परता से सेवाएं प्रदान कर रही हैं जिसके परिणामस्वरूप डाक एवं तार विभाग को घाटा हो रहा है;

(ख) क्या सरकार ने देश में 'स्पीड पोस्ट' सेवा के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 'स्पीड पोस्ट' सेवा के कार्यकरण में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (घ) स्पीड पोस्ट सेवा विभाग द्वारा 1986 में शुरू की गई थी ताकि समय की दृष्टि

से संवेदनशील डाक का त्वरित और समयबद्ध वितरण हो सके। स्पीड पोस्ट का लगातार विकास हो रहा है और पिछले तीन वर्षों में स्पीड पोस्ट से अर्जित राजस्व निम्नानुसार है–

1999–00	126.17 करोड़ रुपए
2000–01	151.44 करोड़ रुपए
2001–02	196.53 करोड़ रुपए

कुरियर उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धात्मक है। अतः विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा की नियमित समीक्षा की जा रही है और इसके परिणामस्वरूप, निजी कुरियरों की चुनौती का सामना करने के लिए स्पीड पोस्ट सेवा को सशक्त बनाने हेतु अनेक कदम उठाए गए हैं। स्पीड पोस्ट केन्द्रों का विस्तार राष्ट्रीय स्तर पर 120 शहरों तक और राज्यों में 722 स्टेशनों तक किया गया है। बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए स्पीड पोस्ट का शुल्क भी वाणिज्यिक आधार पर पुनर्निर्धारित किया गया है। ग्राहकों की संतुष्टि बढ़ाने के उद्देश्य से वितरण प्रणाली को भी पुनर्गठित किया गया है। इसके अंतर्गत पूरी तरह समर्पित वितरण कर्मचारियों के साथ नोडल कार्यालय बनाए गए हैं तथा बाजार के चलन के अनुसार थोक ग्राहकों को शुल्क में विशेष रियायत दी गई है। सभी 120 राष्ट्रीय स्पीड पोस्ट केंद्रों का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। स्पीड पोस्ट से भेजी सामग्री की वितरण स्थिति की जानकारी ग्राहकों को इंटरनेट से मुहैया कराने के उद्देश्य से ऑन लाइन ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की गई है। विभागीय स्टाफ अथवा अधिकृत व्यक्तियों के माध्यम से ग्राहकों के परिसरों से निशुल्क पिक–अप सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। मेट्रो शहरों में चुनिंदा डाक काउंटरों के माध्यम से चौबीसों घंटे बुकिंग सुविधा उपलब्ध है।

भारत-आस्ट्रेलिया संबंध

***143. श्री आनंदराव विठोबा अडसुल :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आस्ट्रेलिया ने शिक्षा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और खनन जैसे परम्परागत क्षेत्रों आदि के क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों के विस्तार किए जाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में भारत का दौरा करने वाले आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने भारतीय खनन में रुचि दिखाई है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। भारत और आस्ट्रेलिया दोनों शिक्षा, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और खनन जैसे परंपरागत क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार करने के लिए उत्सुक हैं।

(ख) यह बात दोनों देशों के बीच हाल के उच्च स्तरीय दौरों तथा उन वार्ताओं से प्रमाणित होती है जो इन यात्राओं के दौरान संपन्न हुई हैं जिनमें शामिल हैं : आस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री (जुलाई, 2000), आस्ट्रेलिया के विदेशी मंत्री (मार्च 2000 और अप्रैल 2002), भारत के विदेश मंत्री (जून 2001 और मार्च 2002) तथा अन्य मंत्री स्तरीय शिष्टमंडलों की यात्राएं।

अनेक ऐसे संस्थागत तंत्र भी विकसित किए गए हैं जिनके फलस्वरूप चर्चा तथा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा के लिए रूपरेखा प्राप्त होती है, जैसे भारत–आस्ट्रेलिया मंत्रिस्तरीय रूपरेखा संवाद, संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग, सुरक्षा संवाद, ऊर्जा और खनिजों से संबद्ध संयुक्त कार्य दल इत्यादि। एस एंड टी, वायु परिवहन, पर्यटन, कृषि, संस्कृति तथा आई टी जैसे क्षेत्रों में सहयोग से संबद्ध करार भी संपन्न किए गए हैं।

(ग) जी, हां। दूसरे भारत–आस्ट्रेलिया मंत्रिस्तरीय रूपरेखा संवाद के लिए अप्रैल, 2002 में भारत की अपनी यात्रा के दौरान, आस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने खनन सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में गहरी रुचि दिखाई।

(घ) और (ङ) तथापि, खनन के क्षेत्र में कोई करार संपन्न नहीं किया गया है, ऊर्जा और खनिज पदार्थों से संबद्ध एक संयुक्त कार्य दल है जिसकी इस क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा करने के लिए नियमित रूप से बैठकें होती हैं।

बड़े पत्तनों के लिए रणनीति

***144. श्री सुबोध मोहिते :** क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बड़े पत्तनों को स्वतंत्र रूप से

लाभ अर्जित करने वाले केन्द्रों की तरह चलाने के लिए कोई रणनीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में उद्योग मंडलों और पत्तनों का उपयोग करने वालों से सुझाव आमंत्रित किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश गोयल) : (क) से (ङ) महापत्तनों के कार्यचालन में सुधार लाने एवं वाणिज्य परिवेश में उनको तत्काल निर्णय लेने के लिए सुविधा देने हेतु सतत प्रयास किए जाते हैं। सरकार ने महापत्तनों को चरणबद्ध रूप से निगमित करने का निर्णय लिया है। इस समय महापत्तन न्यासों को आय तथा व्यय का वार्षिक विवरण तैयार करना होता है जिसमें केवल परिचालन अधिशेष ही दर्शाए जाते हैं तथा वे वाणिज्य आधार पर लेखे नहीं रखते हैं, न ही वे लाभ तथा हानि लेखे रखते हैं। महापत्तनों को निगमित होने पर अनिवार्य रूप से लाभ तथा हानि विवरण तैयार करने पड़ेंगे एवं वाणिज्यिक लेखा पद्धतियां संस्थापित करनी होंगी, लाभ के केन्द्रों का सृजन करना पड़ेगा और तुलन पत्र तैयार करने होंगे।

महापत्तन न्यास (संशोधन) विधेयक, 2001 लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है जिसका उद्देश्य महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 में संशोधन करना है ताकि सरकार महापत्तनों को निगमित कर सके। उक्त विधेयक को विभाग से संबंधित परिवहन तथा पर्यटन पर संसदीय स्थायी समिति को जांच तथा रिपोर्ट देने के लिए भेजा गया है।

उद्योग मंडलों, पत्तन प्रयोक्ताओं, पत्तन प्रचालकों आदि से परामर्श करना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अतिरिक्त पत्तन प्रयोक्ताओं और उद्योग मंडलों के प्रतिनिधि निरपवाद रूप से न्यासी बोर्ड के सदस्य होते हैं तथा इस प्रकार पत्तन न्यासों की निर्णय लेने की प्रक्रिया का एक भाग होते हैं।

[हिन्दी]

'रैबिज' रोधी टीका

***145. श्री दानवे रावसाहेब पाटील :**
श्री भीम दाहाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार रैबिज से मरने वाले लोगों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या देश के एक प्रमुख संस्थान ने हाल में एक नया 'रैबिज' रोधी टीका विकसित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) से (ग) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो से उपलब्ध सूचना के अनुसार देश में रैबीज के कारण सूचित मौतों की संख्या 1999 में 483, 2000 में 412 और 2001 में 407 है।

भारतीय पाश्च्यूर संस्थान, कूनूर ने हाल ही में टिशु कल्चर रैबीज वैक्सीन (टी सी ए आर वी) विकसित की है। इस वैक्सीन को भारत के औषध महानियंत्रक ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, लेकिन इसका पूरा वाणिज्यिक उत्पादन अभी होना है। इस समय कुल क्षमता केवल 50,000 खुराक है और पिछले वर्ष कुल 12,000 खुराकों की आपूर्ति की गई थी। वर्ष 2002-03 के दौरान संस्थान में टिशु कल्चर एंटी-रैबीज वैक्सीन का उत्पादन अधिक करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

डाक और दूरसंचार क्षेत्रों में भर्ती पर प्रतिबंध

***146. श्री एन. एन. कृष्णदास** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के डाक और दूरसंचार क्षेत्रों में भर्ती पर कोई प्रतिबंध लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश के डाक और दूरसंचार क्षेत्रों में कर्मचारियों की कोई कमी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन क्षेत्रों में कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) :

डाक विभाग

(क) और (ख) डाक विभाग में भर्ती पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तथापि, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की दिनांक 16.5.2001 की हिदायतों के अनुसार सिविल पदों पर सीधी भर्ती वर्ष में सीधी भर्ती के लिए उपलब्ध रिक्त पदों के एक-तिहाई तक सीमित रखी जानी है और ऐसी भर्ती विभाग की कुल स्वीकृत संख्या के एक प्रतिशत से अधिक न हो। ग्रामीण डाक नेटवर्क का संचालन करने वाले ग्रामीण डाक सेवकों (जीडीएस) के रिक्त पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) से (ङ) सामान्यतः स्टाफ की कमी नहीं है। हालांकि, पदधारकों की पदोन्नति, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु आदि के कारण सर्किलों में पद रिक्त होते हैं, तथापि काम को परियात के पैटर्न में परिवर्तन के अनुरूप कर्मचारियों की पुनः तैनाती द्वारा संचालित किया जा रहा है। डाक प्रचालन कार्यों में प्रौद्योगिकी की शुरूआत तथा उत्पादकता मानकों में अनुवर्ती परिवर्तन की जरूरत पुनःसमायोजन की प्रक्रिया के कारक हैं। तथापि, प्रचालनात्मक महत्व के चुनिंदा कार्यात्मक क्षेत्रों में कर्मचारियों की आवश्यकता की पूति कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की हिदायतों के अनुसार भर्ती द्वारा की जा रही है।

दूरसंचार विभाग

(क) और (ख) कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी/कनिष्ठ लेखा अधिकारी संवर्ग को छोड़कर 1984 से कोई भर्ती नहीं की गई है। वर्ष 1990 में, दूरसंचार विभाग में विभिन्न मौजूदा संवर्गों के पुनर्गठन की स्कीम शुरू की गई थी। यह निर्णय लिया गया था कि दूरसंचार विभाग में कनिष्ठ दूरसंचार अधिकारी के संवर्ग को छोड़कर किसी भी मौजूदा अथवा ग्रुप-ग और घ के पुनर्गठित संवर्गों में ओपन मार्केट से भर्ती न करने की नीति जारी रहेगी। सीधी भर्ती न करने के अन्य महत्वपूर्ण कारण दूरसंचार क्षेत्र में कार्यकुशलता में वृद्धि करना तथा स्टाफ-टेलीफोन अनुपात को अर्थात् प्रत्येक 1000 लाइनों के लिए लगाए गए स्टाफ को कम करके अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना था।

(ग) से (ङ) स्वीकृत स्टाफ संख्या के आधार पर इस समय 16 प्रतिशत की कमी है। तथापि, प्रौद्योगिकीय विकास के परिणामस्वरूप, स्टाफ संबंधी मानदंडों को संशोधित किया जा रहा है तथा इसका उद्देश्य स्टाफ-टेलीफोन अनुपात को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाना है। कुछ पात्र मामलों में जहां सर्किल कर्मचारियों की भारी कमी का सामना कर रहे हैं, वहां महत्वपूर्ण तकनीकी/प्रचालन संवर्गों में मेरिट पर आधारित सीमित भर्ती की जा रही है।

चिकित्सकों का प्रतिभा-पलायन

***147. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनांक 1 जुलाई, 2002 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित समाचार के अनुसार ब्रिटेन, अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक 'मल्टी बिलियन पाउंड' योजना के लिए भारत सहित कई विकासशील देशों में जोर-शोर से भर्ती अभियान चला रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रतिभा-पलायन को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या भारत ने ब्रिटिश सरकार से चिकित्सकों को प्रलोभन देकर प्रतिभा-पलायन कराए जाने के बारे में शिकायत की है; और

(ङ) यदि हां, तो ब्रिटिश सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) से (ङ) भारत से स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायियों की ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा में भर्ती के बारे में जुलाई, 2002 को नई दिल्ली में ब्रिटिश उच्चायोग के माध्यम से ब्रिटेन में स्वास्थ्य विभाग से समझौता ज्ञापन का एक प्रारूप प्राप्त हुआ है। ब्रिटेन ने भारत से स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायियों की भर्ती के लिए एक प्रायोगिक भर्ती परियोजना शुरू करने का प्रस्ताव किया है। इस प्रस्ताव के प्रारूप की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

मंत्रालय में जांच की जा रही है। यह प्रारूप जनशक्ति की आवश्यकता और उसके लिए शर्तों को नहीं दर्शाता है। इनका विदेश मंत्रालय के माध्यम से ब्रिटिश सरकार से पता लगाया जा रहा है। कोई अंतिम निर्णय लेने से पहले देश में स्वास्थ्य परिचर्या जनशक्ति की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

विभागेतर डाक कर्मचारी

*148. **प्रो. रासा सिंह रावत :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कुल कितने विभागेतर कर्मचारी हैं और उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए इन विभागेतर डाक कर्मचारियों से कोई अभ्गवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने तलवार समिति की रिपोर्ट की सिफारिशें लागू कर दी हैं;

(ङ) यदि हां, तो अभी तक लागू की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(च) शेष सिफारिशें लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (छ) 31.3.2001 को विभाग में 3,10,269 अतिरिक्त विभागीय (ई डी) कर्मचारी (जिन्हें अब ग्रामीण डाक सेवक कहा जाता है) थे। उन्हें प्रदान की गई सुविधाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

ग्रामीण डाक सेवकों से समय–समय पर अपनी रोजगार की शर्तों में सुधार करने, विशेषकर अपनी रोजगार की शर्तों, वेतन ढांचे आदि के बारे में डाक विभाग में अतिरिक्त विभागीय एजेंसी प्रणाली की जांच करने के लिए गठित न्यायमूर्ति तलवार समिति (जे टी सी) की सभी सकारात्मक सिफारिशों को लागू करने से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त होते हैं। जे टी सी की सिफारिशों की जांच की गई थी तथा जे टी सी की सिफारिशों तथा सभी संबंधी लंबित मामलों के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में 17.12.98 को आदेश जारी किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप ग्रामीण डाक सेवकों को दिए गए लाभों में 69 प्रतिशत वृद्धि हुई। लागू की गई सिफारिशों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

नामावली में परिवर्तन तथा पेंशन देने से संबंधित मांगें भी डाक महासंघ द्वारा नवंबर, 2000 में दिए गए मांग पत्र का भाग थीं। इनमें से, जहां तक अतिरिक्त विभागीय एजेंटों की नामावली में परिवर्तन करने की मांग का संबंध है, उन्हें ग्रामीण डाक सेवक (जी डी एस) के बतौर पदनामित कर उसे कार्यान्वित किया गया था। जहां तक पेंशन संबंधी मांग का संबंध है, सरकार द्वारा प्रायोजित कोई भी सामाजिक सुरक्षा स्कीम व्यवहार्य नहीं पाई गई थी विशेषकर जबकि रोजगारोत्तर लाभ के रूप में सेवा–विच्छेद राशि के भुगतान की व्यवस्था पहले से है।

न्यायमूर्ति तलवार समिति की जो सिफारिशें लागू नहीं की गईं उनमें कम से कम अगले 10 वर्षों तक ग्रामीण डाक सेवक श्रेणी में डाकघरों के खोलने पर रोक, आगे से ग्रामीण डाक सेवकों के पदों के सृजन पर रोक, पदों के भरने पर पूर्ण प्रतिबंध तथा ग्रामीण डाक सेवकों के सभी खाली पदों को समाप्त करना, अधिकतम आयु सीमा को घटाकर 60 वर्ष करना, भर्ती के लिए योग्यता को बढ़ाना आदि शामिल हैं। चूंकि, 17.12.98 को जारी किए गए आदेश न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशों और अन्य संबंधित मामलों के पूर्ण और अंतिम निपटान के रूप में थे, इसलिए इस संबंध में आगे और कार्रवाई करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

विवरण-I

ग्रामीण डाक सेवकों को प्रदान की जा रही सुविधाओं का अद्यतन ब्यौरा

(i) समय संबद्ध निरंतरता भत्ता (टी आर सी ए)।

(ii) महंगाई भत्ता : यथानुपात आधार पर उसी प्रकार से, जिस प्रकार से नियमित विभागीय कर्मचारियों पर लागू होता है।

(iii) अनुग्रह उपदान–18000/– रुपए तक।

(iv) प्रत्येक आधे वर्ष के लिए 10 दिन की दर से सवेतन छुट्टी जिसे आगे ले जाने अथवा उसके नकदीकरण का प्रावधान नहीं किया गया है।

(v) सेवा विच्छेद की राशि 20,000/– रुपए अथवा 30,000/– रुपए जो 65 वर्ष की आयु होने पर नौकरी से कार्यमुक्त होने, अथवा मृत्यु हो जाने अथवा किसी विभागीय पद पर लिए जाने पर, री की अवधि को ध्यान में रखकर दी जाएगी।

(vi) ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टरों/सब पोस्टमास्टरों को 50/– रुपए प्रतिमाह की दर से कार्यालय रख–रखाव भत्ता।

(vii) जिन ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टरों/सब पोस्टमास्टरों को डाक की ढुलाई अथवा वितरण करने का अतिरिकत कार्य सौंपा गया है उन्हें 75/– रुपए प्रतिमाह की दर से वितरण/वाहन भत्ता देय होता है।

(viii) 30/– रुपए प्रतिमाह की दर से साइकिल भत्ता (यह इस शर्त के अधीन है कि तय की गई दूरी 10 कि.मी. अथवा अधिक होनी चाहिए)।

(ix) ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टरों/सब पोस्टमास्टरों को 5/– रुपए प्रतिमाह की दर से और ग्रामीण डाक सेवक डाक वितरकों को 2/– रुपए प्रतिमाह की दर से नियत लेखन सामग्री प्रभारों का भुगतान किया जाता है।

(x) जो ग्रामीण डाक सेवक डाक वितरक अपने सामान्य कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण डाक सेवक शाखा पोस्टमास्टर के कार्यों का निष्पादन भी करते हैं उन्हें 50/– रुपए प्रतिमाह की दर से संयुक्त कार्य भत्ते का भुगतान किया जाता है।

(xi) जो ग्रामीण डाक–सेवक शाखा पोस्टमास्टर लेखा कार्यालय में नकदी ले जाने का कार्य करते हैं उन्हें नकदी प्रेषण भत्ते के बतौर 10/– रुपए तथा वास्तविक बस–किराए का भुगतान भी किया जाता है।

(xii) ग्रामीण डाक सेवक सब पोस्टमास्टरों/शाखा पोस्टमास्टरों को पी सी ओ के प्रचालन (रिटेनरशिप) भत्ते के बतौर 20/– रुपए और फोन पर प्रेषित प्रत्येक आवक और जावक तार के लिए 40 पैसे का भुगतान किया जाता है।

(xiii) ग्रामीण डाक सेवकों को यथानुपात आधार पर नियमित केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की भांति बोनस का भुगतान भी किया जाता है।

(xiv) ग्रामीण डाक सेवक समूह बीमा योजना, 1992 के अंतर्गत कवर होते हैं और बीमा कवर के रूप में उनकी 10,000/– रुपए की पात्रता है। इसके अतिरिकत, इस योजना के अंतर्गत उन्हें बचत निधि की सुविधा भी उपलब्ध है।

(xv) कल्याण निधि से वित्तीय सहायता : जिन ग्रामीण डाक सेवकों का सेवाकाल में निधन हो जाता है, उनके आश्रितों को 7000/– रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

(xvi) सरकारी ड्यूटी पर तैनाती के समय ग्रामीण डाक सेवक, जो आतंकवादी हमले/दंगे की स्थिति में डाकुओं/लुटेरों द्वारा हमले में मारे जाते हैं, को कल्याण निधि से 50,000/– रुपए की धनराशि प्रदान की जाती है।

(xvii) अन्त्येष्टि संबंधी व्यय : ड्यूटी पर तैनाती के समय ग्रामीण डाक सेवक की मृत्यु होने पर और अन्त्येष्टि संबंधी व्यय स्वेच्छा से वहन करने हेतु संबंधियों या मित्रों के उपलब्ध न होने पर कल्याण निधि से 250/– रुपए की राशि प्रदान की जाती है।

(xviii) बाढ़ अग्रिम : बाढ़ अग्रिम के बतौर ग्रामीण डाक सेवक को 200/– रुपए की राशि अनुमेय है।

(xix) बीमारी (टी.बी.) में वित्तीय सहायता : टी.बी. से ग्रस्त ग्रामीण डाक सेवक को पौष्टिक आहार के लिए 200 रुपए प्रतिमाह की वित्तीय सहायता और ओ पी डी इलाज के मामले में अस्पताल में उनके डिस्चार्ज हो जाने पर 100/– रुपए की दर से अदायगी की जाती है।

(xx) अनुकम्पा पर नियुक्ति : ऐसे ग्रामीण डाक सेवक जिनका निधन अपने कार्यकाल में हो जाता है और अपने परिवार को दीन–हीन परिस्थितियों में छोड़ जाते हैं, के परिवार के एक सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नौकरी देने का भी प्रावधान है।

विवरण-II

न्यायमूर्ति तलवार समिति की सिफारिशें, जिन्हें कार्यान्वित किया गया

(i) ग्रामीण डाक सेवकों के भत्ते में 1.1.96 से 28.2.98 की अवधि के लिए 3.5 गुणा वृद्धि।

(ii) केवल कार्यभार से संबंधित मासिक भत्ते के स्थान पर ग्रामीण डाक सेवकों के लिए समय सापेक्ष निरंतरता भत्ते (टी टार सी ए) की अवधारणा की शुरूआत।

(iii) ग्रामीण डाक सेवकों को देय अनुग्रह उपदान की राशि को 6,000/– रु. से बढ़ाकर 18,000/– रु. करना।

(iv) ग्रामीण डाक सेवकों के लिए प्रत्येक छह महीने में दस दिन की वेतन सहित छुट्टी की अवधारणा की शुरूआत करना जिन्हें आगे ले जाने अथवा उनके नकदीकरण का प्रावधान नहीं है।

(v) ग्रामीण डाक सेवक सब पोस्टमास्टर और शाखा पोस्टमास्टर को देय कार्यालय रखरखाव भत्ते को प्रतिमाह 25/– रु. से बढ़ाकर 50/– रु. कर दुगना करना।

(vi) ग्रामीण डाक सेवकों को 65 वर्ष की आयु होने पर रोजगार से कार्यमुक्त करने अथवा ग्रामीण डाक सेवक की मृत्यु होने अथवा विभागीय पद पर खपाए जाने की स्थिति में रोजगारोत्तर लाभ के रूप में रोजगार की अवधि के आधार पर 20,000/– रु. अथवा 30,000/– रु. की एकमुश्त सेवा विच्छेद राशि प्रदान करना।

इसके अलावा, ई डी एजेंटों की नामावली को ग्रामीण डाक सेवक में बदलने की सिफारिश का भी अनुमोदन किया गया था तथा डाक विभाग ई डी एजेंट (आचरण और सेवा) नियमावली, 1964 नामक मौजूदा नियमावली को डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक (आचरण और रोजगार) नियमावली 2001 नामक नियमों द्वारा बदला गया है। यह नियमावली 24.4.2001 से प्रभावी हुई है।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के मेडिकल स्टोरों को भुगतान

*149. **श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) के लाभार्थियों को काफी समय से अधिकृत मेडिकल स्टोरों से दवाइयां मिलने में कठिनाई हो रही है, क्योंकि सरकार द्वारा इन मेडिकल स्टोरों की बकाया राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना चिकित्सा भंडार संगठन से अपनी दवाएं प्राप्त करती है। ऐसी दवाएं जो चिकित्सा भंडार संगठन द्वारा आपूर्ति नहीं की जाती हैं और जो औषधालयों में उपलब्ध नहीं होती हैं वे संबंधित औषधालय द्वारा व्यक्तिगत नुस्खे पर प्राधिकृत स्थानीय केमिस्ट से खरीदी जाती हैं। लाभार्थी को वितरित करने के पहले औषधालय के संबंधित प्राधिकारी इन दवाओं की जांच–पड़ताल करते हैं।

आपात स्थिति में कठिनाई से बचने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को सीधे ही प्राधिकृत/पंजीकृत केमिस्ट की दुकानों से दवाएं खरीदने की अनुमति दे दी जाती है। नौकरी कर रहे कार्डधारकों के मामले में उनके प्रशासनिक विभाग और पेंशनभोगियों के मामले में संबंधित शहर के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना प्रमुख ऐसी स्थिति में खरीदी गई दवाओं की प्रतिपूर्ति की मात्रा के बारे में निर्णय करने के लिए अधिकृत हैं और वे खर्च की प्रतिपूर्ति करते हैं।

(ग) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में एक कदम 14.2.2002 को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए औषधों की एक व्यापक नई सूची जारी करना है जिसको दवाओं के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों के दल ने तैयार किया है। विभिन्न केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य योजना शहरों के इन्डेन्टों को संकलित किया गया है और आपूर्ति के लिए इसको चिकित्सा भंडार संगठन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

आरक्षण संबंधी ज्ञापन

***150. श्री रामदास आठवले :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आरक्षण संबंधी उन कार्यालय–ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है जिनके संबंध में संसद में आज तक विधेयक लाकर संशोधन किए गए हैं;

(ख) क्या विभिन्न मंत्रालयों/विभागों ने संशोधनों के अनुपालन में क्रियान्वयन शुरू कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उन मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों के नाम क्या हैं जिन्होंने संशोधित कार्यालय–ज्ञापनों का क्रियान्वयन शुरू नहीं किया है और इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री : (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) तीन कार्यालय–ज्ञापनों की आरक्षण से संबंधित विषय–वस्तु के बारे में संविधान में संशोधन कर दिए गए हैं। इन संशोधनों का विवरण नीचे दर्शाया जा रहा है–

(i) दिनांक 29.8.1997 का कार्यालय–ज्ञापन निष्प्रभावी कर देने की दृष्टि से संविधान में इक्यासीवां संशोधन किया गया। उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञापन में यह निर्धारित किया गया था कि अधिकतम 50% तक के आरक्षण की सीमा बकाया चली आ रहीं रिक्तियों पर भी लागू होगी।

(ii) दिनांक 22.7.1997 का कार्यालय–ज्ञापन निष्प्रभावी कर देने की दृष्टि से संविधान में बयासीवां संशोधन किया गया। उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञापन में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को पदोन्नति के मामले में अर्हक अंकों और मूल्यांकन के स्तर में ढील दिया जाना समाप्त कर दिया गया था।

(iii) दिनांक 30.1.1997 का कार्यालय–ज्ञापन निष्प्रभावी कर देने के क्रम में संविधान में पचासीवां संशोधन किया गया। उपर्युक्त कार्यालय–ज्ञापन में यह व्यवस्था की गई थी कि आरक्षण के आधार पर पहले अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवार पदोन्नत किए जाने पर और बाद में उनसे वरिष्ठ, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार पदोन्नत किए जाने पर, सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार, आरक्षण के आधार पर, अपने से पहले पदोन्नत किए गए, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों से फिर से वरिष्ठ हो जाएंगे।

(ख) और (ग) दिनांक 20.7.2000, 3.10.2000 और 20.1.2002 के कार्यालय–ज्ञापनों के माध्यम से सभी मंत्रालयों/विभागों को उपयुक्त अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग, संगत मामलों में इन अनुदेशों का अनुपालन करते हैं।

(घ) संशोधित कार्यालय–ज्ञापनों को कार्यान्वित नहीं किए जाने के बारे में कोई भी रिपोर्ट विशेष प्राप्त नहीं हुई है।

[अनुवाद]

सेल फोनों पर सेवा प्रभार

***151. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति :** क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सेल फोन कम्पनियां 'प्रीपेड कार्डों' पर अयुक्तिसंगत सेवा प्रभार वसूल कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इन 'प्रीपेड कार्डों' के उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (ग) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) अधिनियम 1997 के अनुसार दूरसंचार सेवाओं के टैरिफ के निर्धारण के लिए भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण जिम्मेवार है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण सेल्यूलर आपरेटरों को ऐसी प्रीपेड टैरिफ योजनाओं को क्रियान्वित करने से रोकता है जिनमें प्री–पेड कार्डों में प्रयोग के मिनट युक्तिसंगत नहीं होते। इसके अतिरिक्त, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने हाल ही में प्री–पेड कार्डों से संबंधित विभिन्न निबंधन एवं शर्तों के बारे में उपभोक्ताओं को स्पष्ट रूप से बताने और सूचित करने के लिए सेल्यूलर आपरेटरों को निर्देश जारी किए हैं।

तपेदिक के लिए विदेशी सहायता

***152. श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में तपेदिक को नियंत्रित करने हेतु विदेशों से वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विदेशों से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है;

(ग) इस धनराशि में से राज्यों को राज्य–वार और वर्ष–वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(घ) क्या राज्यों द्वारा इस धनराशि का उपयोग किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) से (ङ) जी, हां। 85 प्रतिशत नए स्पूटम पाजिटिव रोगियों की स्वस्थता–दर प्राप्त करने के उद्देश्य से और कम से कम ऐसे 70 प्रतिशत रोगियों का पता लगाने के लिए संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को चरणवार ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है जिसके लिए निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय अभिकरण इस प्रकार सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गए हैं–

(i) विश्व बैंक (1997 से 2004 तक) — 604.00 करोड़ रुपए

(ii) डेनिश अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण उड़ीसा में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को सहायता देता है (1997 से 2003) — : 31.95 करोड़ रुपए

(iii) अन्तर्राष्ट्रीय विकास विभाग आंध्र प्रदेश में संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम को सहायता देता है (1997 से 2003 तक) — : 109.93 करोड़ रुपए

प्रतिपूर्ति दावे को प्रस्तुत करने के आधार पर संबंधित अभिकरण से वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है। प्रथम व्यय भारत सरकार के धन से व्यय किया जाना होता है और इसके बाद दाता अभिकरणों से उसकी प्रतिपूर्ति करवाई जानी होती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान उपर्युक्त तीन अभिकरणों से प्रतिपूर्ति की गई धनराशि का ब्यौरा इस प्रकार है –

(करोड़ रुपए में)

अभिकरण	1999–2000	2000–2001	2001–2002
विश्व बैंक	5.50	85.28	50.52
डी एफ आई डी	–	–	0.9058
डानिडा	–	–	1.1726

दाता अभिकरणों द्वारा सहायता दी जाने वाली परियोजनाओं के लिए भारत सरकार के धन में से बाह्य रूप से सहायता–प्राप्त संघटक के अंतर्गत बजट प्रावधान प्रदान किया जाता है और उसे राज्य/जिला क्षय रोग सोसाइटियों को जारी किया जाता है। इन सोसाइटियों से प्राप्त व्यय विवरण के आधार पर दाता अभिकरणों से प्रतिपूर्ति का दावा किया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को जारी किए गए धन और व्यय का वर्षवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

चूंकि संशोधित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम एक नया कार्यकलाप था जिसमें परियोजना में प्रारंभिक वर्षों में बहुत बड़ी संख्या में प्रारंभिक कार्यकलापों की आवश्यकता होती है, इसलिए व्यय कम था। तथापि, राज्यों द्वारा धन के समुपयोजन ने वर्षानुवर्ष बढ़ती हुई प्रवृति दर्शाई है क्योंकि अधिक से अधिक प्रारंभिक जिले संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का कार्यान्वयन शुरू कर रहे हैं।

विवरण

राज्य–वार और वर्ष–वार जारी किए गए धन के ब्यौरे और राज्य तथा जिला सोसाइटियों के स्तर पर व्यय को दर्शाने वाला विवरण (सामग्रीगत सहायता को छोड़कर)

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	1997-98		1998–99		1999–00		2000–01		2001–02	
		जारी धन	व्यय	जारी धन	व्यय	जारी धन	व्यय	जारी धन	व्यय	जारी धन	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	–	–	9.92	0.00	–	–	–	–	–	–
2.	आंध्र प्रदेश	32.45	14.34	42.5	12.94	23.59	26.26	405.61	82.59	175.50	32.45
3.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	9.92	3.42	–	3.50	45.97	1.74.	62.28	58.83
4.	असम	20.87	2.19	19.69	3.46	14.37	4.35	8.09	32.65	35.05	14.78
5.	बिहार	43.44	2.55	164.97	11.33	32.92	19.82	17.98	72.36	88.75	53.98
6.	चंडीगढ़	–	–	–	–	–	–	18.05	–	8.39	14.16
7.	छत्तीसगढ़	–	–	–	–	–	–	–	–	36.22	–
8.	दिल्ली	184.60	15.53	68.38	108.95	194.04	197.23	111.06	170.40	100.00	165.77
9.	गोवा	–	–	1.26	0.00	–	–	–	–	7.82	0.17
10.	गुजरात	156.58	3.95	454.86	58.53	205.91	186.11	270.93	272.90	285.67	247.06
11.	हरियाणा	–	–	1.26	0.00	86.78	6.97	14.05	38.74	56.84	42.63
12.	हिमाचल प्रदेश	53.99	12.47	97.66	26.76	53.07	81.48	233.29	126.03	113.50	122.19
13.	जम्मू व कश्मीर	–	–	1.26	0.00	–	–	54.37	1.16	25.30	4.08
14.	झारखंड	–	–	118.18	0.00	22.90	3.11	5.10	61.98	54.65	22.05
15.	कर्नाटक	69.08	7.99	214.69	27.44	33.80	78.32	173.68	163.38	234.78	130.17
16.	केरल	142.32	14.82	291.91	27.58	74.49	105.30	83.02	112.86	324.00	136.98
17.	मध्य प्रदेश	41.54	5.28	41.99	20.9	43.38	54.79	89.30	52.42	202.60	76.26
18.	महाराष्ट्र	64.27	0.97	221.37	32.35	189.72	143.31	765.97	42.28	919.51	622.46
19.	मणिपुर	15.21	9.54	24.52	9.53	13.10	14.18	125.85	38.27	81.90	141.89
20.	मेघालय	–	–	1.26	0.00	–	–	–	–	7.82	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	मिजोरम	–	–	9.92	0.00	–	–	–	–	9.60	2.30
22.	नागालैंड	–	–	9.92	0.00	–	–	49.9	6.94	90.39	70.85
23.	उड़ीसा	–	–	9.92	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00
24.	पांडिचेरी	–	–	9.92	0.02	0.50	1.28	0.00	0.13	2.40	0.00
25.	पंजाब			1.26	0.00	0.00	0.00	38.74	12.54	145.34	22.36
26.	राजस्थान	46.70	9.54	90.21	25.02	370.79	55.24	627.64	324.64	478.47	637.76
27.	सिक्किम			9.92	0.00	0.00	4.47	46.61	6.52	28.94	59.09
28.	तमिलनाडु	66.38	4.34	218.45	12.87	324.44	162.22	617.24	313.61	324.77	509.34
29.	त्रिपुरा	–		1.26	0.00	–	–	–	–	12.47	5.06
30.	उत्तर प्रदेश	71.73	15.98	139.77	36.07	211.03	84.11	156.37	183.01	393.89	182.77
31.	उत्तरांचल	–		–	–	–	–	–	–	15.42	0.00
32.	पश्चिम बंगाल	269.79	34.94	340.55	88.22	480.24	172.33	330.78	299.96	428.41	566.48
	कुल	1278.95	154.43	2636.63	505.39	2375.57	1404.38	4289.69	2800.11	4995.68	3941.91

शिशु मृत्यु दर

*153. **श्री टी. टी. वी. दिनाकरन :**
श्री सुनील खां :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में शिशु मृत्यु–दर का लिंग–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और असम में शिशु मृत्यु–दर राष्ट्रीय दर की तुलना में अधिक है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) सरकार द्वारा देश में, विशेषकर इन राज्यों में, मृत्यु–दर कम करने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) देश में प्रत्येक विकसित देश की तुलना में वर्तमान मृत्यु–दर कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) से (ङ) नमूना पंजीयन पद्धति के अनुसार, 1999, नवीनतम वर्ष जिसके लिए लिंग–वार शिशु मृत्यु–दर उपलब्ध है, में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 70 है। उस वर्ष में बालकों और बालिकाओं के लिए शिशु मृत्यु दर क्रमशः 69.8 और 70.8 थी।

वर्ष 2000 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार जीवित जन्मों पर 68 होने का अनुमान लगाया गया। उस वर्ष में उड़ीसा, झारखंड और असम में शिशु मृत्यु दर क्रमशः 96, 70 और 75 दर्ज की गई। उसी वर्ष में आंध्र प्रदेश और बिहार में शिशु मृत्यु दर क्रमशः 65 और 62 दर्ज की गई।

प्रजनन और बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम प्रतिरक्षण के एक भाग के रूप में तीव्र श्वसनी संक्रमणों से होने वाली मौतों और अतिसार के कारण पानी की कमी और आवश्यकता नवजात परिचर्या के लिए सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। नवजातों और बच्चों की पोषणिक स्थिति को सुधारने के लिए केवल स्तनपान और उपयुक्त अनुपूरक खाद्य पद्धतियां अपनाई जा रही हैं।

विटामिन 'ए' की कमी और लौह अल्पता रक्ताल्पता के विरुद्ध रोग निरोधन के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयनाधीन हैं। इन सेवाओं की आउटरीच को सुधारने के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य आउटरीच स्कीमों, दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम सहित कइ स्कीमें कार्यान्वयनाधीन हैं। यू.एन.एफ.पी.ए. पब्लिकेशन, दी स्टेट ऑफ दी वर्ल्ड पोपुलेशन, 2001 के अनुसार, विश्व के अन्य क्षेत्रों और देश की शिशु मृत्यु दर की तुलना संलग्न विवरण पर दी गई है।

विवरण

शिशु मृत्यु दर की तुलना

	शिशु मृत्यु दर
विश्व	55
भारत	65
अधिक विकसित क्षेत्र	8
कम विकसित क्षेत्र	59
बहुत कम विकसित क्षेत्र	92

(अधिक विकसित क्षेत्र : उत्तरी अमेरिका, जापान, यूरोप, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड);

(कम विकसित क्षेत्र : अफ्रीका, लातिन अमेरिका और कैरीबिया; एशिया (जापान को छोड़कर) और मेलेनेशिया, माइक्रोनिशिया और पोलीनिशिया)

(बहुत कम विकसित देश : मानक संयुक्त राष्ट्र पदनाम के अनुसार)

(स्रोत : दी स्टेट ऑफ वर्ल्ड पोपुलेशन 2001 यू.एन.एफ.पी.ए.)

[हिन्दी]

गैर-मान्यता प्राप्त मेडिकल/ डेंटल कालेज

*154. **डा. सुशील कुमार इन्दौरा :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक डेंटल और मेडिकल कालेज आवश्यक सरकारी मान्यता के बिना ही चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान छात्रों द्वारा प्रवेश लेने के पश्चात् सत्रावधि के मध्य और अंत में सरकारी मान्यता प्राप्त करने वाले कालेजों के नाम क्या हैं; और

(ग) ऐसे कालेजों के नाम क्या हैं, जिन्हें मार्च 2002 तक मान्यता प्रदान नहीं की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) से (ग) डेंटल/मेडिकल कालेजों की स्थापना के लिए दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993 और भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 तथा उसके अंतर्गत बने विनियमों के विशेष संदर्भ में पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले आवेदकों का उपर्युक्त विनियमों में निर्धारित फारमेट में आवेदन करना होगा। सभी प्रकार से पूरे पाए गए आवेदनों को मूल्यांकन और सिफारिशों के लिए भारतीय दंत चिकित्सक परिषद/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को भेजा जाता है। आवेदकों को भारतीय दंत/आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों पर एक नया डेंटल/मेडिकल कालेज शुरू करने हेतु केन्द्र सरकार की अनुमति प्रदान की जाती है। यह अनुमति केवल एक वर्ष के लिए और उस शैक्षिक सत्र के दौरान जिसके लिए अनुमति प्रदान की जाती है, छात्रों के केवल एक बैच को प्रवेश देने के लिए वैद्य होती है। अनुमति का नवीनीकरण भारतीय दंत/आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा वार्षिक लक्ष्यों की उपलब्धि का सत्यापन करने तथा डेंटल/मेडिकल कालेज प्राधिकारियों द्वारा भेजी गई कार्य निष्पादन बैंक गारंटी का पुनर्वैधीकरण करने के बाद वार्षिक आधार पर किया जाता है। अनुमति के नवीनीकरण की यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि डेंटल/मेडिकल कालेज की स्थापना और अस्पताल सुविधाओं के विस्तार का कार्य पूरा नहीं हो जाता।

कोई भी डेंटल/मेडिकल कालेज केन्द्र सरकार की औपचारिक अनुमति अथवा उसके नवीकरण के बिना बी.डी.एस./एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश नहीं दे सकता है। अनुमति/अनुमति के नवीकरण के बिना दिए गए दाखिले को अनियमित समझा जाता है और इसके लिए दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम, 1993/भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (संशोधन) अधिनियम, 1993 की धारा 10–ख के उपबंधों के अंतर्गत कार्रवाई की जाती है जिसके अधीन, अनियिमित रूप से दाखिल किए गए ऐसे छात्र को प्रदान की गई कोई भी डेंटल/चिकित्सीय अर्हता अधिनियम के अधीन मान्यताप्राप्त डेंटल/चिकित्सीय अर्हता नहीं होगी।

जब तक कालेज ऊपर बताए गए अनुसार विकास की विभिन्न अवस्थाओं के लिए अपेक्षाओं को भारतीय दंत चिकित्सक/आयुर्विज्ञान परिषद की संतुष्टि के अनुसार पूरा नहीं करते हैं, तब तक कालेजों में आगे दिए जाने वाले दाखिलों को बंद किया जा सकता है।

संबंधित दंत/चिकित्सा कालेज के संबंध में बी.डी.एस./एम. बी.बी.एस. पाठ्यक्रम को भारतीय दंत/आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों के आधार पर मान्यता दी जाती है जो ऐसा संबंधित डेंटल/मेडिकल कालेज के छात्रों की प्रथम वर्ष बी. डी.एस./एम.बी.बी.एस. परीक्षा का मूल्यांकन करने के बाद करते हैं।

ऐसे डेंटल/मेडिकल कालेजों जिन्हें 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान मान्यता दी गई थी; की सूची विवरण–I पर दी गई है और उसी अवधि के दौरान जिन्हें केन्द्र सरकार की अनुमति दी गई, उनकी सूची विवरण–II में दी गई है।

जिन डेंटल/मेडिकल कालेजों को शैक्षिक सत्र 2002–2003 के दौरान प्रवेश देने की मान्यता नहीं दी गई, उनकी सूची 22.7.2002 की स्थिति अनुसार, विवरण–III पर है।

विवरण-I

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान दंत चिकित्सक अधिनियम 1948 (1948 का 16) की धारा 10 (2) के अन्तर्गत मान्यता प्रदत्त कालेजों की सूची

क्र.सं.	दंत चिकित्सा कालेजों के नाम
1	2
	वर्ष 1999-2000 के दौरान
1.	बी.आर.एस. इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज, पंचकुला, हरियाणा
2.	श्री रामचन्द्रा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिजए चेन्नई, तमिलनाडु
3.	गुरु रामदास इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज एंड रिसर्च, अमृतसर, पंजाब
	वर्ष 2000-2001 के दौरान
4.	डा. बी.आर. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज एंड हास्पीटल, पटना, बिहार
5.	हिमाचल डेंटल कालेज, सुन्दर नगर, हिमाचल प्रदेश
6.	डा. श्यामला रेड्डी, डेंटल कालेज, बंगलौर, कर्नाटक
7.	एच.पी. गवर्नमेंट डेंटल कालेज एंड हास्पीटल, शिमला, हिमाचल प्रदेश
	वर्ष 2001-2002 के दौरान
8.	सरदार पटेल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल एंड मेडिकल साइंसिज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
9.	संतोष डेंटल कालेज, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
10.	दशमेश इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड डेंटल साइंसिज, फरीदकोट, पंजाब
11.	सिद्धार्थ डेंटल कालेज, टुमकुर, कर्नाटक
12.	सरावती डेंटल कालेज, शिमोगा, कर्नाटक
13.	गुरुनानक देव डेंटल कालेज, सुनाम, पंजाब
14.	श्री राजीव गांधी कालेज ऑफ डेंटल साइंसिज, बंगलौर, कर्नाटक

वर्ष 1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1956 की धारा 11(2) के अंतर्गत मान्यता प्रदत्त मेडिकल कालेजों की सूची

क्र.सं.	मेडिकल कालेजों के नाम
1	2
	वर्ष 1999-2000 के दौरान
1.	जवाहर मेडिकल फाउंडेशन्स ए सी पी एम मेडिकल कालेज, धुले, महाराष्ट्र
2.	पाटिलीपुत्र मेडिकल कालेज, धनबाद

1	2
3.	श्री रामचन्द्रा मेडिकल कालेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, चेन्नई
	वर्ष 2000-2001 के दौरान
4.	सिल्चर मेडिकल कालेज, सिल्चर, असम
	वर्ष 2001-2002 के दौरान
5.	भारती विद्यापीठ मेडिकल कालेज, धनकवाडी, पुणे, महाराष्ट्र
6.	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, भावनगर, गुजरात
7.	कटिहार मेडिकल कालेज, कटिहार, बिहार
8.	शेर–ए–कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर
9.	हिमालया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, देहरादून, उत्तरांचल
10.	संतोष मेडिकल कालेज, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश
11.	विनायका मिशन्स किरूपनन्द वरीयार मेडिकल कालेज, सालेम तमिलनाडु
12.	डा. डी. वाई. पाटिल मेडिकल कालेज फार वूमन, पिम्परी, महाराष्ट्र

विवरण-II

वर्ष 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 के दौरान दंत चिकित्सक (संशोधन) अधिनियम 1993 की धारा क के अन्तर्गत अनुमति प्रदत्त दंत चिकित्सा कालेजों की सूची

क्र.सं.	दंत चिकित्सा कालेजों के नाम
1	2
	वर्ष 1999-2000 के दौरान
1.	कुर्ग इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज, विराजपेट, कर्नाटक
2.	के.एम. शाह डेंटल कालेज, बड़ोदा, गुजरात
3.	भोजिया डेंटल कालेज, नालागढ़ (हिमाचल प्रदेश)
4.	वाई एम टी डेंटल कालेज, नवी मुम्बई
5.	कोठीवाल डेंटल कालेज, मुरादाबाद
6.	एच.पी. गवर्नमेंट डेंटल कालेज, शिमला, हिमाचल प्रदेश
7.	श्री मुकमबिका इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज, खुलाशेखर, कन्याकुमारी, तमिलनाडु
8.	डी.जे. डेंटल कालेज, मोदीनगर
	वर्ष 2000-2001 के दौरान
9.	सी वी एस कृष्णामूर्ति तेजा डेंटल कालेज इंस्टीट्यूट, तिरूपति (आंध्र प्रदेश)
10.	मोर्डन डेंटल कालेज, इंदौर
11.	वजदी एजुकेशनल सोसाइटीज डेंटल कालेज, इंदौर
12.	देशभगत डेंटल कालेज, मुक्तसर
13.	दर्शन डेंटल कालेज, उदयपुर, राजस्थान
14.	ए.एम.यू. डेंटल कालेज, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश
15.	अवध इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश
16.	मानु भाई डेंटल कालेज, बड़ौदा, गुजरात
17.	डा. डी.वाई. पाटिल डेंटल कालेज एंड हास्पीटल, पिम्परी, महाराष्ट्र
18.	नेशनल डेंटल कालेज, डेरा बस्सी, पंजाब
19.	यू.पी. डेंटल कालेज, लखनऊ, यू.पी.
20.	आई.टी. सेंटर फार डेंटल स्टडीज एंड रिसर्च, मुरादनगर, यू.पी.
21.	जयपुर डेंटल कालेज, जयपुर
22.	पैसिफिक डेंटल कालेज, उदयपुर
23.	श्री रामकृष्ण डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, कोयम्बटूर, तमिलनाडु

1	2

24. एम.एम. कालेज ऑफ डेंटल साइंसिज एंड रिसर्च, मुलाना, हरियाणा

वर्ष 2001-2002 के दौरान

25. आर्मी कालेज ऑफ डेंटल साइंसिज, सिकन्दराबाद, ए. पी.
26. सीबर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज, गुंटूर, ए.पी.
27. हरिसरनदास डेंटल कालेज, गाजियाबाद, यू.पी.
28. लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट आफ डेंटल साइंसिज एंड हास्पिटल, पटियाला, पंजाब
29. कैरियर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज एंड हास्पिटल, लखनऊ, यू.पी.
30. श्री साईं कालेज ऑफ डेंटल सर्जरी, विकाराबाद, ए.पी.
31. नारायण डेंटल कालेज, नेलूर, ए.पी.
32. एम.ए. रंगूनवाला कालेज ऑफ डेंटल साइंसिज एंड रिसर्च, पुणे, महाराष्ट्र
33. एम.एम.बी.टी. डेंटल कालेज, घुलेवादी, संगमनेर, महाराष्ट्र
34. पं. दीनदयाल उपाध्याय डेंटल कालेज, सोलापुर, महाराष्ट्र
35. गीतम डेंटल कालेज, विशाखापत्तनम, ए.पी.
36. छत्तीसगढ़ डेंटल कालेज एंड रिसर्च सेंटर, रायपुर, छत्तीसगढ़
37. कामीनेनी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज, नालगोंडा, आंध्र प्रदेश
38. ममता डेंटल कालेज, खम्माम, आंध्र प्रदेश
39. कांति देवी डेंटल कालेज, मथुरा, यू.पी.
40. इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलोजी, काद्राबाद, मोदीनगर, यू.पी.

उन डेंटल कालेजों की सूची जिन्हें वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान अनुमति प्रदान की गई

वर्ष 1999-2000

1. कामीनेनी मेडिकल कालेज, नारकेट पल्ली, नालगोंडा
2. येनपोया मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, चित्रदुर्ग
3. फादर मूलर्स मेडिकल कालेज, मंगलौर
4. के.एस. हेगडे मेडिकल अकादमी, मंगलौर
5. एस.वी.एस. मेडिकल कालेज, महबूब नगर
6. नारायण मेडिकल कालेज नेल्लौर
7. डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज, टांडा, एच.पी.

वर्ष 2000-2001

1. सी.यू. शाह मेडिकल कालेज, सुरेन्द्र नगर
2. इरा लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ
3. सुभ्रती मेडिकल कालेज, मेरठ
4. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, अनन्तपुर
5. को–आपरेटिव मेडिकल कालेज, कोच्ची
6. अरूपादई बीदू मेडिकल कालेज, पांडिचेरी
7. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, टूथूकुडी
8. सूरत म्यूनिसिपल कोरपोरेशन मेडिकल कालेज, सूरत
9. अलूरी सीताराम राजू मेडिकल कालेज, अलूरू
10. ख्वाजा बंदा नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, गुलबर्गा

वर्ष 2001-2002

1. बसवेस्वरा मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल, चित्रदुर्ग
2. महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, जयपुर
3. सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी मेडिकल कालेज, गंगटोक
4. छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, विलासपुर

5. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कोल्हापुर

6. एम.वी.जी मेडिकल कालेज, बंगलौर

7. वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली

8. महात्मा गांधी मेडिकल कालेज, पांडिचेरी

9. एम.एन.आर. मेडिकल कालेज, संगरेड्डी, मेडक जिला, आंध्र प्रदेश

विवरण-III

22.7.2002 की स्थिति के अनुसार उन डेंटल कालेजों की सूची, जिन्हें शैक्षिक सत्र 2002–2003 के दौरान प्रवेश देने की अनुमति प्रदान नहीं की गई है

क्र.सं.	डेंटल कालेज का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	सीवीएस कृणा मूर्ति तेजा इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज एंड रिसर्च, 14/182, पदमावती पुरम, तिरूपति–517501
2.	आर्मी कालेज ऑफ डेंटल साइंसिज, सिकन्दराबाद
3.	साइबर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज, टक्कुकेलापड्डू, पेड्डाककानी एम.एल., जिला गुंटूर
4.	श्री साईं कालेज ऑफ डेंटल सर्जरी, विकाराबाद, रंगारेड्डी, आंध्र प्रदेश
5.	गिटाम डेंटल कालेज, विशाखापट्टनम
6.	कामिनेनी इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज, नारकेटपाली, नालगोंडा जिला
7.	ममता डेंटल कालेज, खम्माम
8.	एनटीआर यूएचस डेंटल काले, आंध्र प्रदेश, विजयवाड़ा–520008
	बिहार
9.	पटना डेंटल कालेज एंड हास्पिटल, अशोक राज पथ, पी.ओ. बांकीपुर, पटना–800004 (बिहार)
10.	बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज, पत्रकारनगर, कांकडबाग, पटना–800020 (बिहार)
11.	सरजुग डेंटल कालेज, हास्पिटल रोड, लहेरिया सराय, दरभंगा (बिहार)
12.	डा. बी.आर. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज एंड हास्पिटल, न्यू बेली रोड, पटना–80150
13.	डा. एस.एम. नकवी इमाम डेंटल कालेज एवं अस्पताल, बेहेरा–847201 (बिहार)
14.	दरभंगा डेंटल कालेज, खान दैओरही, फैजुल्लाह खान, दरभंगा (बिहार)
15.	मिथिला माइनारिटी डेंटल कालेज एवं अस्पताल, समस्तीपुर रोड, मनसुख नगर (एकमिघाट), लोहेरीसराय, दरभंगा (बिहार)
	छत्तीसगढ़
16.	छत्तीसगढ़ डेंटल कालेज, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़
	हिमाचल प्रदेश
17.	भोजीए डेंटल कालेज, नालागढ़, हि.प्र.
	हरियाणा
18.	श्री बाबा मस्तनाथ डेंटल कालेज एवं अस्पताल, अस्थल बोहर, रोहतक–124021 (हरियाणा)
19.	महर्षि मार्कान्डेशवर कालेज ऑफ डेंटल साइंसिज एंड रिसर्च, मुलाना, अम्बाला
	कर्नाटक
20.	एच.के.ई. सोसायटीज डेंटल कालेज, गुलबर्ग–585105 (कर्नाटक)
21.	श्री हसनाम्बा डेंटल कालेज, दिदया नगर, हसन–573201 (कर्नाटक)
22.	के.जी.एफ. कालेज ऑफ डेंटल साइंसिज, कोलार गोल्ड फील्डस, कर्नाटक
23.	के.एल.ई. सोसायटीज डेंटल कालेज, बंगलौर, कर्नाटक

1	2
24.	मराठा मंडल डेंटल कालेज, बेलगांव, कर्नाटक
25.	ए.एम.ई. डेंअल कालेज, रायचुर, कर्नाटक
	महाराष्ट्र
26.	येरला मेडिकल डेंटल कालेज, नवी मुम्बई
27.	डा. डी.वाई. पाटिल डेंटल कालेज एंड अस्पताल, पिमपारी
28.	एम.एम.बी.टी. डेंटल कालेज, घुलेवाडी (अमरूतनगर)
29.	पंडित दीनदयाल उपाध्याय डेंटल कालेज, सोलापुर, महाराष्ट्र
30.	जमनालाल गोयनका डेंटल कालेज, अकोला, महाराष्ट्र
	मध्य प्रदेश
31.	स्कूल ऑफ डेंटल साइंसिज एंड अस्पताल, 10/11, वाई. एन. रोड, इंदौर (म.प्र.)
32.	मार्डन डेंटल कालेज एंड रिसर्च सेंटर, नईनोद, गांधी नगर, एयरपोर्ट रोड, इंदौर–453112
	उड़ीसा
33.	वी.एम. लार्ड जगन्नाथ इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज एंड रिसर्च, तोशाली प्लाजा, ब्लाक नं. ए–1 एंड बी–1, सत्या नगर, भुवनेश्वर–751007
	पंजाब
34.	बाबा जसवन्त सिंह डेंटल कालेज, अस्पताल एवं रिसर्च इंस्टीट्यूट, सैक्टर 40, अर्बन स्टेट, चंडीगढ़ रोड, लुधियाना
35.	खालसा डेंटल कालेज एंड अस्पताल, गा. व डा.खा. नंगल कलां, जिला मानसा
36.	देश भगत डेंटल कालेज, जालाबाद रोड, मुक्तसर–152026
37.	लक्ष्मीबाई इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज एंड अस्पताल, 24–बी, राम बाग, पटियाला
	राजस्थान
38.	दर्शन डेंटल कालेज, उदयपुर (राजस्थान)
39.	पैसेफिक डेंटल कालेज, उदयपुर
40.	जयपुर डेंटल कालेज, जयपुर
	तमिलनाडु
41.	थाइ मूगम्बीगाई डेंटल कालेज एंड अस्पताल, थिरूमाथी कन्नाम्माल ट्रस्ट, 121, जी.एन. चेट्टी रोड, टी. नगर, चेन्नई–600017
42.	एस.आर.एम. डेंटल कालेज, भारती सालाई, रामापुरम, मद्रास–800089
43.	श्री रामकृष्ण डेंटल कालेज एंड अस्पताल, कोयम्बटूर
	उत्तर प्रदेश
44.	वी.एम.एस. इंटरनेशनल डेंटल कालेज, माऊ, अटारिया, आर्य नगर, जिला सीतापुर–261001 (यू.पी.)
45.	डी.जे. कालेज ऑफ डेंटल साइंसिज एंड रिसर्च, अजीत महल, नीवारी रोड, मोदी नगर (यू.पी.)
46.	अवध इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसिज, लखनऊ
47.	डेंटल कालेज, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़
48.	यू.पी. डेंटल कालेज एंड रिसर्च सेंटर, लखनऊ
49.	हर्षशरण दास डेंटल कालेज, गाजियाबाद
50.	कुन्ती देवी डेंटल कालेज, मथुरा
51.	इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल स्टडीज एंड टेक्नोलोजिज, कादराबाद, मोदीनगर
52.	रामा डेंटल कालेज, अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर, कानपुर, यू.पी.
53.	सरस्वती डेंटल कालेज, लखनऊ, यू.पी.

उन नये मेडिकल कालेजों के नाम जिनके लिए 2002–03 हेतु अनुमति का नवीकरण अभी तक नहीं किया गया है

1. विनायक मिशन्स मेडिकल कालेज, करायेकल, पांडिचेरी
2. डा. राजेन्द्र प्रसाद मेडिकल कालेज, टांडा, हिमाचल प्रदेश

3. खाजा बांदा नवाज मेडिकल कालेज, गुलबर्ग, कर्नाटक
4. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, टूथूकुडी, तमिलनाडु
5. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश
6. को–ऑपरेटिव मेडिकल कालेज, कोची, केरल
7. इलूरू सीतारामा मेडिकल कालेज, इलूरू, आंध्र प्रदेश
8. सुभारति मेडिकल कालेज, मेरठ
9. आर.डी. गार्डी मेडिकल कालेज, उज्जैन
10. इरा लखनऊ मेडिकल कालेज, लखनऊ
11. अरूपडई विडू मेडिकल कालेज, पांडिचेरी
12. महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, जयपुर
13. सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी मेडिकल कालेज, गंगटोक
14. छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसिज, बिलासपुर, छत्तीसगढ़
15. गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कोल्हापुर, महाराष्ट्र
16. एम.वी.जे. मेडिकल कालेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल, बंगलौर
17. महात्मा गांधी मेडिकल कालेज, पांडिचेरी
18. एम.एन.आर. मेडिकल कालेज, मेडक, आंध्र प्रदेश
19. वर्धमान महावीर मेडिकल कालेज, सफदरजंग हॉस्पिटल, नई दिल्ली
20. एस.वी.एस. महबूबनगर, आंध्र प्रदेश
21. सी.यू. शाह मेडिकल कालेज, सुरेन्द्रनगर, गुजरात
22. म्यूनिसिपल कोपरेशन मेडिकल कालेज, सूरत
23. के.एस. हेगड़े मेडिकल अकेडमी, मंगलौर
24. येनेपोया मेडिकल कालेज, मंगलौर
25. बसावेस्वारा मेडिकल कालेज, चित्रदुर्ग, कर्नाटक
26. एमएएमईआर मेडिकल कालेज, पुणे
27. केएपी विश्वनाथन गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, त्रिची

स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

***155. डा. अशोक पटेल :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने 'कैंसर' के नियंत्रण और उसके उन्मूलन में लगे स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान प्रदान करने हेतु नए नियम बनाए हैं;

(ख) क्या इन नियमों के अंतर्गत उन्हें केवल एक ही बार अनुदान प्रदान करने संबंधी प्रतिबंध को हटाने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस प्रकार के कितने ऐसे स्वैच्छिक संगठन हैं जिन्हें उक्त प्रतिबंध को हटाए जाने के बाद दूसरी बार अनुदान दिए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत, निम्नलिखित योजनाओं के तहत स्वैच्छिक एजेंसियों को सहायता अनुदान दिया जाता है :

(i) **जागरूकता पैदा करने एवं शीघ्र पता लगाने संबंधी कार्यकलाप चलाने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान :** स्थायी समिति के अनुमोदन पर स्वैच्छिक संगठनों को 2 किश्तों में अधिकतम 5.00 लाख रुपए दिए जाते हैं। आवेदन को राज्य सरकार की विशेष सिफारिश के साथ स्वैच्छिक संगठन द्वारा भेजा जाना होता है। इस अनुदान के लिए एकबारगी भुगतान का कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ii) **कोबाल्ट अनुदान योजना :** कोबाल्ट मशीन के प्रापण के लिए गैर–सरकारी संगठनों को 1.00 करोड़ रुपए का सहायता अनुदान दिया जाता है। यह सहायता अनुदान राज्य सरकार की विशिष्ट सिफारिश तथा स्थायी समिति के अनुमोदन पर ही जारी किया जाता है। यह एकबारगी अनुदान होता है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, गैर–सरकारी संगठनों, जिनके पास कार्यात्मक कोबाल्ट यूनिट हैं, को राज्य सरकार की विशेष

सिफारिश पर मैमोग्राफी एकक की खरीद के लिए 30.00 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। यह भी एकबारगी अनुदान है।

इस समय, कोबाल्ट थिरेपी एकक की स्थापना करने एवं मैमोग्राफी एकक के प्रापण के उद्देश्य से गैर–सरकारी संगठनों को दूसरे अनुदान के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान द्वारा नशीली दवाओं से प्राप्त धनराशि का आतंकवाद के लिए उपयोग

***158. श्री वाई. वी. राव : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 4 जून, 2002 के 'इकोनामिक टाइम्स' में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है कि पाकिस्तानी सेना नशीली दवाओं से प्राप्त धनराशि का उपयोग जम्मू और कश्मीर में अशांति फैलाने के लिए कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष इस संबंध में पाकिस्तान की विश्वसनीयता की पोल खोलने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सहित भारत में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान की लिप्तता प्रमाणित हो चुकी है। ये भी खबरें हैं कि ऐसी गतिविधियों को धन देने के लिए अवैध स्वापक औषधों के व्यापार से धन एकत्र किया जा रहा है।

(ग) सरकार सीमापार आतंकवाद के संकट को समाप्त करने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक उपाय करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है।

(घ) सरकार उचित और प्रभावकारी ढंग से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सीमापार आतंकवाद की ओर आकृष्ट कर रही है।

[हिन्दी]

उपग्रहों का छोड़ा जाना

***157. श्री चन्द्रकांत खैरे :**
श्री वीरेन्द्र कुमार :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का शिक्षा के प्रसार हेतु 'ई.डी.यू.एस.ए.टी' नामक उपग्रह विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह परियोजना कब तक पूरी हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या संचार प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने हेतु कुछ अन्य उपग्रह छोड़ने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) 'एडुसैट' (ई.डी.यू.एस.ए.टी.) नामक एक समर्पित उपग्रह विकसित करने की योजना बना रहा है।

(ख) एडुसैट अंतरिक्षयान को तैयार करने में अनुमोदन की तिथि से लगभग 18 माह लगने की संभावना है।

(ग) से (ङ) संचार प्रणाली को और सुदृढ़ बनाने हेतु इन्सैट–3ए और 3ई उपग्रहों तथा इन्सैट–4 शृंखला के उपग्रहों को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रमोचित करने की योजना है।

भारत संचार निगम लिमिटेड द्वारा डब्ल्यू.एल.एल. सेवा शुरू करना

***158. श्री सुबोध राय** : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन.एल.)

द्वारा दूरसंचार के उद्देश्य से ग्राम पंचायतों को प्रदान की जा रही 'डब्ल्यू.एल.एल.' सेवा संतोषजनक ढंग से कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन सेवाओं में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए या उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या सरकार का विचार डब्ल्यू.एल.एल. सेवा को बंद करके एक नई प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में नया ग्रामीण दूरसंचार नेटवर्क स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : (क) से (घ) शुरू की गई नयी डब्ल्यूएलएल प्रणालियों के संतोषजनक ढंग से कार्य न करने का कोई मामला ध्यान में नहीं आया है। इसके विपरीत, यह प्रौद्योगिकी गांवों में टेलीफोन सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करते हुए बहुत संतोषजनक ढंग से कार्य कर रही है। अतः डब्ल्यूएलएल के स्थान पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

पोलियो के रोगी

***159. श्री जयभान सिंह पवैया :**
श्री विजय कुमार खंडेलवाल :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार देश में पोलियो रोगियों की अनुमानित संख्या कितनी है;

(ख) देश में पोलियो रोगियों की संख्या में वृद्धि के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा पोलियो रोगियों की संख्या में वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-सी योजनाएं शुरू करने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (श्री शत्रुघ्न सिन्हा) : (क) से (घ) केन्द्रीय स्वास्थ्य आसूचना ब्यूरो/राष्ट्रीय पोलियो निगरानी परियोजना से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, 1992 से सूचित किए गए पोलियो रोगियों की संख्या 33957 है।

वर्ष 2005 तक देश में पोलियो उन्मूलन का लक्ष्य हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। पोलियो रोगियों की संख्या 1998 में 1934 से घटकर 1999 में 1126, 2000 में 265, 2001 में 268 तथा 2002 (आज की तिथि तक) में 111 रह गई है। यद्यपि, वर्ष 2001 में पोलियो रोगियों की संख्या लगभग उतनी ही रही जितनी कि 2000 में, तथापि देश के पोलियो की स्थानिकमारी वाले जिलों की संख्या 1998 में 314 से घटकर 1999 में 192, 2000 में 89, 2001 में 63 तथा 2002 (आज की तिथि तक) में 42 रह गई है। वर्ष 2001 के दौरान 24 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पोलियो मुक्त थे। वर्ष 2002 के दौरान, अब तक 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने पोलियो के किसी भी रोगी की सूचना नहीं दी है।

सरकार वर्ष 2005 तक देश से पोलियो का उन्मूलन करने तथा पोलियो-मुक्त प्रमाणन प्राप्त करने के उद्देश्य से पल्स पोलियो कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो ड्राप्स देने के लिए 4-8 सप्ताहों के अंतराल पर शीतकाल के दौरान देश भर में दो राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस आयोजित किए जाते हैं। स्थानिकमारी वाले राज्यों में अतिरिक्त उप-राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस भी अयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2002-03 के कार्यक्रम के दौरान, जनवरी/फरवरी, 2003 में राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस आयोजित करने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार, सितम्बर तथा नवम्बर, 2002 में उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा तथा दिल्ली राज्यों में उप-राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस आयोजित करने का प्रस्ताव है। पोलियो प्रतिरक्षण, नेमी व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम, जिसे प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना तथा प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य आऊटरीज योजना के माध्यम से, निम्न कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों/जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए, देश भर में कार्यान्वित किया जा रहा है, का भी एक महत्वपूर्ण घटक है।

[अनुवाद]

पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी-कैम्प

***160. श्री अधीर चौधरी :**
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाक–अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी–कैम्प अभी भी सक्रिय हैं, जैसा कि 6 जून, 2002 को 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित समाचार के तथ्य क्या हैं; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) पाकिस्तान ने जम्मू और कश्मीर तथा भारत के अन्य भागों में सीमा–पार आतंकवाद प्रायोजित करने की अपनी नीति के समर्थन में अपने क्षेत्रों और अपने नियंत्रण के क्षेत्रों में आतंकवादियों की भर्ती, उनको शिक्षित और प्रशिक्षित करने के लिए व्यापक आधारभूत ढांचे की स्थापना की है।

राष्ट्रपति मुशर्रफ द्वारा स्थायी आधार पर सीमा–पार आतंकवाद समाप्त करने, विश्व में कहीं भी आतंकवाद के लिए अपने क्षेत्र का दुरुपयोग न होने देने तथा कश्मीर के नाम पर पाकिस्तान के किसी संगठन को आतंकवाद में शामिल होने की अनुमति नहीं देने की वचनबद्धता के बावजूद लांचिंग स्टेशनों, संचार केन्द्रों और प्रशिक्षण केन्द्रों सहित सीमा–पार आतंकवाद को समर्थन और पोषित करने वाले बुनियादी ढांचे को तहस–नहस करने के लिए ठोस प्रयास किए जाने के कोई साक्ष्य नहीं हैं।

(ग) सरकार पाकिस्तान प्रायाजित सीमा–पार आतंकवाद को समाप्त करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाते रहने के लिए वचनबद्ध है।

[हिन्दी]

लघु उद्योग स्थापित करना

1399. श्री सुरेश चन्देल : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी राशि खर्च की गई है; और

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना में इस शीर्ष के अंतर्गत राज्य के लिए कितनी राशि का प्रस्ताव किया गया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) लघु उद्योगों की स्थापना करना वैयक्तिक उद्यमी का कार्य है। तथापि, सरकार संरचनात्मक विकास हेतु अनुदान उद्यमिता और टैक्नो–मैनेजीरियल मानव संसाधन विकास के लिए प्रशिक्षण, सामान्य सुविधाएं, गुणवत्ता परीक्षण सुविधाएं और विस्तार सेवाएं, राजकोषीय सहायता, ऋण सुविधाएं, प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण हेतु प्रोत्साहन, विपणन एवं निर्यात संबंधी सूचना एवं परामर्श प्रदान करके तथा लघु उद्योग इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रेरित करके लघु उद्योगों का विकास एवं संवर्धन की सुविधा प्रदान करती है। हालांकि, लघु उद्योगों का विकास मुख्यतः संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों का कार्य है, केन्द्र सरकार पूरे देश में एक समान ढंग से कार्यान्वित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता और अनुपूरण प्रदान करती है, जिसके लिए निधियों का आवंटन राज्य–वार न होकर योजना/कार्यक्रम–वार किया जाता है। 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सहित देश में लघु उद्योगों के विकास के लिए विभिन्न प्लान स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अनुमानतः 3662.68 करोड़ रु. की राशि व्यय की गई। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि उनके द्वारा इसी. उद्देश्य के लिए 221.02 करोड़ रु. की राशि व्यय की गई।

(ख) 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए हिमाचल प्रदेश सहित देश में लघु उद्योगों के विकास के लिए प्लान स्कीमों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए 2200.00 करोड़ रु. का परिव्यय किया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार की सूचना के अनुसार उन्होंने भी इस उद्देश्य के लिए 204.60 करोड़ रु. का परिव्यय किया है।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में प्रश्न पत्रों का लीक होना

1400. श्री टी. गोविन्दन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुई अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान

संस्थान की स्नातकोत्तर मेडिकल प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र कथित रूप से लीक होने के मामले में सी.बी.आई. जांच का आदेश दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की एकल बें॰ ने 6.6.2002 को सिविल रिट याचिका संख्या 1535/2002 की सुनवाई करते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान द्वारा शिक्षा सत्र 2002 में ली गई एम डी/एम. एस प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्रों के लीक हो जाने से संबंधित आरोपों पर निर्णय दिया। माननीय न्यायालय ने निदेश दिया है कि केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा प्रश्न पत्रों के संदिग्ध रूप से लीक होने के सारे मुद्दे को ब्यूरो के कम से कम संयुक्त निदेशक स्तर के व्यक्ति की सीधी देख-रेख में देखा जाए। माननीय न्यायालय ने विचारार्थ विषयों का ब्यौरा निर्धारित करते हुए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को 6.6.2002 से 3 माह के अन्दर माननीय न्यायालय के समक्ष स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निदेश दिया।

[हिन्दी]

युवाओं के लिए रोजगार के अवसर

1401. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों के माध्यम से शिक्षित और अशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए कुछ योजनाएं सरकार के विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

मनोरोग चिकित्सालय

1402. श्री मोइनुल हसन :
श्री अबुल हसनत खां :
डा. राम चन्द्र डोम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में राज्य-वार कितने मनोरोग चिकित्सालय हैं;

(ख) देश में राज्य-वार कुल कितने मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्ति हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान मानसिक रूप से रुग्ण व्यक्तियों की वृद्धि दर कितनी है; और

(घ) सरकार द्वारा चिकित्सालयों में इन रोगियों को सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) सरकार द्वारा चलाए जा रहे मानसिक अस्पतालों की राज्यवार संख्या इस प्रकार है-आंध्र प्रदेश (2) असम (1) दिल्ली (1) गोवा (1) गुजरात (4) जम्मू और कश्मीर (2) झारखंड (1) कर्नाटक (1) केरल (3) महाराष्ट्र (4) मध्य प्रदेश (2) नागालैंड (1) पंजाब (1) राजस्थान (1) तमिलनाडु (1) उत्तर प्रदेश (3) और पश्चिमी बंगाल (6)। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार की दो संस्थाएं हैं-झारखंड में केन्द्रीय मनश्चिकित्सा संस्थान और कर्नाटक में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान।

(ख) मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। जानपदिक रोग विज्ञान संबंधी अध्ययनों से पता चलता है कि 1 से 2 प्रतिशत लोग बड़े मानसिक विकारों से और 5 से 10 प्रतिशत छोटी-मोटी मानसिक बीमारियों से पीड़ित हैं।

(ग) मानसिक रूप से पीड़ित व्यक्तियों (जिनमें मानसिक बिमारियों और मानसिक मन्दता वाले व्यक्ति शामिल हैं) व्यक्तियों

की संख्या जनांकिकी स्थिति जैसे जनसंख्या में वृद्धि और विश्वभर में अवसाद की दर में समग्र वृद्धि होने के कारण बढ़ रही है।

(घ) सरकार ने देश के चुने हुए जिलों में मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों को परिचर्या प्रदान करने के लिए पहले ही एक प्रायोगिक परियोजना आरंभ की है। जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम इस समय 22 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के 27 जिलों में चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न मानसिक बीमारियों और मिरगी से पीड़ित व्यक्तियों का पता लगाना और उनका प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्रों और जिला स्तर पर प्रशिक्षित डाक्टरों तथा रोगियों के परिवारों तथा उनके समुदायों के सक्रिय सहयोग से इलाज करना है। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का अन्य बातों के साथ–साथ मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थाओं की संरचनात्मक सुविधाओं को उन्नत करने तथा सरकारी क्षेत्र के मेडिकल कालेजों के मनश्चिकित्सा विंगों में सुविधाओं में सुधार लाने का भी प्रस्ताव है।

मोबाइल फोन पर एम.एम.एस. सेवा

1403. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोबाइल फोन पर संदेशों का ग्राफिक मोड्स सहित पारेषण करने के लिए मल्टी मीडिया मेसेज सर्विस (एम. एम.एस.) प्रारंभ करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा के लिए प्रदान किए गए लाइसेंस की शर्तों और निबंधन के अनुसार लाइसेंसधारकों के लिए मल्टी मीडिया मेसेज सर्विस प्रदान करने पर कोई रोक नहीं है। यह उनके व्यापारिक निर्णय पर निर्भर करेगा। सरकार लाइसेंसधारकों द्वारा प्रदान की जाने वाली अतिरिक्त विशेषताओं और सुविधाओं का रिकार्ड नहीं रखती।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए योजनाएं

1404. श्री एम. के. सुब्बा : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ऐसे पिछड़े क्षेत्रों, जिन्हें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रमुख योजनाओं से सीधे लाभ नहीं मिलता, के लिए 15 करोड़ रुपए की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो असम तथा अन्य पूर्वोत्तर राज्यों में इस योजना द्वारा किन क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा; और

(ग) इन क्षेत्रों में योजना के अंतर्गत किए जाने वाले विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) चालू वर्ष में एक नई पहल जिसे विकास और सुधार सुविधा (राष्ट्रीय सम विकास योजना) का नाम दिया गया है, शुरू की जा रही है। स्कीम को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

परमाणु ऊर्जा का उत्पादन

1405. श्री जे. एस. बराड़ : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय परमाणु ऊर्जा का कितना उत्पादन हो रहा है और विभिन्न स्रोतों से उत्पादित कुल ऊर्जा में इसका हिस्सा कितना है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी मात्रा में आण्विक औषधियों का उत्पादन किया गया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) वर्तमान में परमाणु विद्युत का अंश, देश में विभिन्न स्रोतों से उत्पादित कुल बिजली का लगभग 3 प्रतिशत है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान सप्लाई किए गए प्रमुख विकिरणभेषजों की मात्रा नीचे दी गई है जिससे यह पता चलेगा कि इन उत्पादों को काम में लाकर नाभिकीय चिकित्सा पद्धतियों को किस सीमा तक क्रियान्वित किया जा रहा है।

उत्पाद	*1999	*2000	*2001
1	2	3	4
चिकित्सीय उपयोग के लिए आयोडीन–131 उत्पाद	301 क्यूरी	304 क्यूरी	367 क्यूरी
नैदानिक अध्ययनों (जीवे) के लिए टैक्नीशियम–99एम किट उत्पाद	32,622 किट वायल	31,242 किट वायल	38,064 किट वायल
नैदानिक अध्ययनों (जीवे) हेतु टैक्नीशियम–99एम उत्पाद तैयार करने के लिए मालिब्डिनम–99	500 क्यूरी	473 क्यूरी	409 क्यूरी
पात्रे विश्लेषण (प्रतिरक्षा आमापन) के लिए उत्पाद	8306	7906	7738

*कैलेण्डर वर्ष

यह अनुमान लगाया गया है कि प्रति वर्ष, 2.5 लाख से 3 लाख तक नैदानिक चित्रण अध्ययन ठेठ रूप से किए जाते हैं, और प्रति वर्ष, रेडियो आयोडीन का उपयोग करके (थायराइड संबंधी दोषों के लिए) कुछ हजार रोगियों का उपचार किया जाता है। प्रतिरक्षा आमापन किटों को काम में लाकर जिन रोगियों के नमूनों की जांच की जाती है उनकी संख्या प्रति वर्ष लगभग पांच लाख बैठती है।

भारतीय पोत परिवहन निगम के अधिकारियों पर सी.बी.आई. के छापे

* **1406. श्री रामजी मांझी** : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सी.बी.आई. ने भारतीय पोत परिवहन निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी, जिन्होंने सरकारी क्षेत्र के उपक्रम को 1.30 करोड़ रुपए से अधिक की हानि पहुंचाई है, पर मई, 2002 में मुम्बई में छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो छापों के दौरान जब्त दस्तावेजों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश गोयल) : (क) भारतीय नौवहन निगम (एससीआई) के किसी भी अधिकारी पर मई, 2002 में छापे नहीं मारे गए।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में डाकघरों का खोला जाना

1407. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का वर्ष 2002–2003 के दौरान आंध्र प्रदेश और उत्तरांचल में डाकघर खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अभी तक किस सीमा तक लक्ष्य प्राप्त किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वर्ष 2002–2003 के लिए आंध्र प्रदेश सर्किल में 2 डाकघर तथा उत्तरांचल सर्किल में 8 डाकघर खोलने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। आशा है कि 31.3.2003 तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया जाएगा। तथापि, नए डाकघरों का खोला जाना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने तथा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

दसवीं योजना परिव्यय

1408. श्री समीक लाहिड़ी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना परिव्यय का राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को प्रदान की गई अतिरिक्त सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) दसवीं योजना के दौरान अनुमानित आवंटित की जाने वाली अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता सहित अनुमानित दसवीं योजना परिव्यय को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

(रुपए करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य	दसवीं योजना का अनुमानित परिव्यय	अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता		कुल एसीए
			ईएपी के लिए एसीए	अन्य	
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	46614.00	12065.73	4412.04	16477.77
2.	अरुणाचल प्रदेश	3888.32	55.00	880.88	935.88
3.	असम	8315.22	947.71	2518.07	3465.78
4.	बिहार	21000.00	267.84	3890.28	4158.12
5.	छत्तीसगढ़	11000.00	806.91	1496.23	2303.14
6.	गोवा	3200.00	0.00	312.90	312.90
7.	गुजरात	40007.00	6525.56	4375.04	10900.60
8.	हरियाणा	10285.00	1082.37	867.80	1950.17
9.	हिमाचल प्रदेश	10300.00	592.47	1950.31	2542.78
10.	जम्मू और कश्मीर	14500.00	424.60	5457.65	5882.25
11.	झारखंड	14632.74	413.91	1444.09	1858.00
12.	कर्नाटक	43558.22	10770.06	4007.93	14777.99
13.	केरल	24000.00	4635.45	882.68	5518.13
14.	मध्य प्रदेश	24642.47	2758.47	3166.85	5925.32
15.	महाराष्ट्र	66632.00	924.51	4358.59	5283.10
16.	मणिपुर	2804.00	360.01	994.32	1354.33
17.	मेघालय	2299.44	137.50	680.13	817.63
18.	मिजोरम	2052.51	137.50	527.29	664.79

1	2	3	4	5	6
19.	नागालैंड	2227.65	50.88	700.50	760.38
20.	उड़ीसा	19000.00	5470.00	4932.07	10402.07
21.	पंजाब	18657.00	793.35	1800.26	2593.61
22.	राजस्थान	27318.00	3856.49	2810.40	6666.89
23.	सिक्किम	1655.74	27.50	362.89	390.39
24.	तमिलनाडु	40000.00	7819.26	2699.27	10518.53
25.	त्रिपुरा	4500.00	500.00	953.70	1453.70
26.	उत्तर प्रदेश	59708.00	14889.32	7840.18	22729.50
27.	उत्तरांचल	7630.00	1500.78	2033.00	3533.78
28.	पश्चिम बंगाल	28641.00	5748.50	2760.45	8508.95
	कुल	559068.31	83561.68	69124.8	152686.48

ग्रामसैट सैटेलाइट

1409. श्री सुरेश रामराव जाधव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ग्राम स्तर पर मिट्टी के अलग-अलग नमूने लेने, फसल अध्ययन, जलस्तर निगरानी इत्यादि को सुविधाजनक बनाने के लिए 'ग्रामसैट सैटेलाइट' विकसित करने और प्रक्षेपित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी प्रक्षेपण लागत कितनी होगी; और

(ग) इसे कब तक प्रक्षेपित किए जाने की संभावना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) ग्रामसैट उपग्रह की संकल्पना विचाराधीन है। इसके लिए समय, ढांचे, संरूपण और अन्य बातों का अध्ययन किया जा रहा है। प्रस्तावित 'ग्रामसैट' कार्यक्रम में विकासात्मक संचार और ग्रामीण आधारित प्रशिक्षण के लिए उपग्रह आधारित संचार नेटवर्क होगा। आई. आर.एस. शृंखला के उपग्रहों का उपयोग करते हुए ग्राम स्तर पर मृदा के वर्गीकरण, फसल अध्ययन, जल स्तर पर निगरानी इत्यादि कार्य किए जाते हैं।

पारादीप में कार्गो गोदी

1410. श्री त्रिलोचन कानूनगो : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं योजना अवधि के दौरान निर्मित पारादीप पत्तन में कितनी कार्गो गोदी और कितनी स्वच्छ कार्गो गोदी हैं;

(ख) उन स्वच्छ कार्गो पोतों, जो गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पारादीप पत्तन पर आए हैं, की संख्या कितनी है;

(ग) नौवीं योजना अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान पारादीप पत्तन कितने पोत आने का लक्ष्य था और कितने वास्तव में आए और प्रत्येक मामले में कितना समय लगा; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश के सभी प्रमुख पोतों की लाभ/हानि की स्थिति क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश गोयल) : (क) पारादीप पत्तन में 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पांच बहुउद्देशीय कार्गो बर्थ निर्मित की गई थीं। इस अवधि के दौरान कोई परिष्कृत कार्गो बर्थ निर्मित नहीं की गई थी।

(ख) पिछले 2 वर्षों के दौरान कोई परिष्कृत कार्गो पोत इस पत्तन पर नहीं आया है।

(ग) प्रत्येक पत्तन के लिए विभिन्न आकलनों के आधार पर पत्तन पर आने वाले पोतों की संख्या की बजाय ढुलाई किए जाने वाले कार्गो का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान औसत आवागमन समय के साथ पत्तन पर संचालित जलयानों की संख्या नीचे दर्शाई गई है–

विवरण	1997–98	1998–99	1999–00	2000–01	2001–02
दिनों में आवागमन समय	5.12	4.11	3.89	4.15	3.99
पोतों की संख्या	676	692	741	915	928

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में सभी महापत्तनों के संबंध में निवल अधिशेष का विवरण नीचे दर्शाया गया है–

(करोड़ रुपए)

पत्तनों का नाम	1999–2000	2000–01	2001–02
1	2	3	4
कोलकाता/हल्दिया	43.64	–7.53	120.37
पारादीप	46.70	72.88	32.85
विशाखापत्तनम	29.01	19.46	43.48
चेन्नै	145.25	37.60	235.93
तूतीकोरिन	36.89	37.38	40.49
कोचीन	2.71	–33.76	–35.02
न्यू मंगलूर	55.72	42.89	49.69
मुरगांव	23.44	22.20	7.72
मुम्बई	34.76	–474.26	–234.95
जवाहर लाल नेहरू	133.05	101.21	112.97
कांडला	214.92	170.45	192.40
इन्नौर*	–	–	27.60

*इन्नौर पत्तन लि. (ई पी एल) ने जून, 2001 के दौरान अपना वाणिज्यिक प्रचालन शुरू किया।

परा चिकित्सा संस्थान स्थापित करना

1411. श्री खगेन दास : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य सरकार ने अगरतला में एक राज्य स्तरीय परा चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के लिए एक परियोजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उन पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) योजना आयोग ने सूचित किया है कि उन्हें त्रिपुरा सरकार के 22 दिसम्बर, 2001 के तहत अगरतला में 4 करोड़ रुपए की लागत से एक राज्य स्तरीय परा चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान (नान–लेप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज के अंतर्गत) खोलने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। योजना आयोग ने इस प्रस्ताव की जांच की है और उनकी टिप्पणियां अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए 18.2.2002 को त्रिपुरा सरकार को भेजी गई हैं। इस बारे में राज्य सरकार को 14.5.2002 और 19.7.2002 को स्मरण पत्र भी भेजे गए हैं।

[हिन्दी]

पंचायतों में डाक एवं तार सेवाएं

1412. श्री शिवाजी माने :
श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र तथा गुजरात में जिला–वार कितनी ग्राम पंचायतों में डाक एवं तार सेवाएं नहीं हैं;

(ख) महाराष्ट्र तथा गुजरात में गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान जिला–वार कितने पंचायत संचार सेवाएं तथा तारघर स्थापित किए गए हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) महाराष्ट्र और गुजरात के सभी गांवों में डाक–टिकटों और डाक लेखन सामग्री की बिक्री, डाक के संग्रहण तथा वितरण की मूलभूत सुविधा उपलब्ध है। महाराष्ट्र और गुजरात की जिन ग्राम पंचायतों में तार की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उनका जिलेवार ब्यौरा विवरण–I और विवरण–II में दिया गया है।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र और गुजरात में जिलेवार खोले गए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों का ब्यौरा विवरण–III और IV में दिया गया है। महाराष्ट्र और गुजरात में पिछले दो वर्षों के दौरान कोई तारघर नहीं खोला गया है।

(ग) वर्ष 2002–2003 के दौरान महाराष्ट्र में 40 डाकघर और 150 पंचायत संचार सेवा केन्द्र तथा गुजरात में 16 डाकघर और 60 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है। डाकघर और पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन राज्यों में तार सेवाएं उपलब्ध कराने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

विवरण-I

महाराष्ट्र में तार सेवा रहित ग्राम पंचायतों की जिला–वार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	तार सुविधा रहित ग्राम पंचायतें
1	2	3
1.	अहमदनगर	12
2.	अकोला	23
3.	अमरावती	13
4.	औरंगाबाद	7
5.	बीड	6
6.	भंडारा	13
7.	बुलदाना	8
8.	चन्द्रपुर	17
9.	धूले	34
10.	गढ़चिरोली	चन्द्रपुर में शामिल
11.	गोंडिया	भंडारा में शामिल
12.	हिंगोली	15
13.	जलगांव	15
14.	जालना	4
15.	कोल्हापुर	9
16.	लातूर	3
17.	मुंबई	–
18.	नागपुर	8
19.	नांदेड़	16
20.	नन्दरबार	धूले में शामिल
21.	नासिक	38
22.	उस्मानाबाद	69
23.	परभनी	हिंगोली में शामिल
24.	पुणे	54
25.	रायगढ़	9
26.	रत्नागिरि	7
27.	सांगली	15
28.	सतारा	8

1	2	3
29.	सिंधूदुर्ग	3
30.	सोलापुर	13
31.	ठाणे	–
32.	वर्धा	9
33.	वासिम	अकोला में शामिल
34.	यवतमाल	7
35.	कल्याण	38
	कुल	473

विवरण-II

गुजरात में तार सेवा रहित ग्राम पंचायतों की जिला–वार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	तार सुविधा रहित ग्राम पंचायतें
1	2	3
1.	अहमदाबाद	499
2.	बनासकण्ठा	372
3.	गांधीनगर	160
4.	महसाणा	584
5.	पाटन	398
6.	साबरकण्ठा	528
7.	अमरेली	584
8.	भावनगर	672
9.	जामनगर	601
10.	जूनागढ़	729
11.	कच्छ	452
12.	पोरबंदर	118
13.	राजकोट	826
14.	सुरेन्द्रनगर	632
15.	आनंद	269
16.	भड़ूच	490
17.	दाहोड़	504
18.	डांग	–
19.	खेड़ा	509
20.	नर्मदा	168
21.	नवसारी	282
22.	पंचमहल	491
23.	सूरत	499
24.	वड़ोदा	585
25.	वल्साड	317

विवरण-III

पिछले दो वर्षों के दौरान महाराष्ट्र में खोले गए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की ज़िला–वार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4
1.	अहमदनगर	12	12
2.	अकोला	4	7
3.	अमरावती	5	6
4.	औरंगाबाद	5	5
5.	बीड	2	4
6.	भंडारा	5	1
7.	बुलदाना	5	5
8.	चन्द्रपुर	6	3
9.	धूले	1	5

1	2	3	4
10.	गढ़चिरोली	8	2
11.	गोंडिया	3	1
12.	हिंगोली	–	–
13.	जलगांव	11	6
14.	जालना	3	2
15.	कोल्हापुर	10	1
16.	लातूर	4	3
17.	मुंबई	–	–
18.	नागपुर	5	5
19.	नांदेड़	4	7
20.	नन्दरबार	4	2
21.	नासिक	10	12
22.	उस्मानाबाद	5	8
23.	परभनी	4	–
24.	पुणे	10	4
25.	रायगढ़	12	3
26.	रत्नागिरि	15	2
27.	सांगली	–	7
28.	सतारा	10	10
29.	सिंधूदुर्ग	5	1
30.	सोलापुर	17	9
31.	ठाणे	9	3
32.	वर्धा	3	4
33.	वासिम	3	3
34.	यवतमाल	7	1
	कुल	204	148

विवरण-IV

पिछले 2 वर्षों के दौरान गुजरात में खोले गए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की जिला–वार संख्या

क्र.सं.	जिले का नाम	2000–2001	2001–2002
1	2	3	4
1.	अहमदाबाद	–	–
2.	बनासकण्ठा	4	4
3.	गांधीनगर	3	2
4.	महसाणा	3	1
5.	पाटन	3	3
6.	साबरकण्ठा	10	7
7.	अमरेली	–	–
8.	भावनगर	1	–
9.	जामनगर	1	–
10.	जूनागढ़	2	–
11.	कच्छ	3	2
12.	पोरबंदर	8	2
13.	राजकोट	1	–
14.	सुरेन्द्रनगर	1	–
15.	आनंद	–	2
16.	भड़ूच	4	4
17.	दाहोड़	6	4
18.	डांग	–	–
19.	खेड़ा	3	1
20.	नर्मदा	–	–
21.	नवसारी	1	–
22.	पंचमहल	3	2

1	2	3	4
23.	सूरत	5	9
24.	वड़ोदा	6	4
25.	वल्साड	–	3
	कुल	68	50

गुजरात में टेलीफोन कनेक्शन

1413. श्री हरिभाई चौधरी :
श्री मानसिंह पटेल :
श्री मनसुखभाई डी. वसावा :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में 30 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन प्रान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) गुजरात में 30 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में 75894 व्यक्ति थे। उन्हें सामग्री उपलब्ध रहने पर मार्च 2003 तक टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है। प्रतीक्षा सूची का जिले–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

गुजरात में 30 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में जिले–वार व्यक्तियों की संख्या

क्र.सं.	एसएसए	कवर किए गए राजस्व जिले	लंबित ओबी सहित प्रतीक्षा सूची
क	ख	ग	घ
1.	अहमदाबाद	अहमदाबाद	7718
		गांधीनगर	0
2.	अमरेली	अमरेली	1055
3.	भड़ूच	भड़ूच	306
		नर्मदा	0
4.	भावनगर	भावनगर	3372
5.	भुज	कच्छ	5223
6.	गोधरा	पंचमहल	2345
		दाहोड	967
7.	हिम्मतनगर	साबरकांठा	6824
8.	जामनगर	जामनगर	3774
9.	जूनागढ़	जूनागढ़	1733
		पोरबंदर	1110
		दीव (यूटी)	4
10.	नाडियाड	खेड़ा (एनएडी)	938
		आनंद	715
11.	मेहसाना	मेहसाना	9499
		पाटन	0
12.	पालनपुर	बनासकांठा	9021
13.	राजकोट	राजकोट	7677
14.	सूरत	सूरत	6372
15.	सुरेन्द्रनगर	सुरेन्द्रनगर	1526
16.	वडोदरा	वडोदरा	4079
17.	वलसाड	वलसाड	414
		नावसरी	865
		डांग	55
		दादर नगर हवेली	270
		दमण (यूटी)	32
		जोड़	75894

बिहार को विश्व बैंक की सहायता

1414. डा. मदन प्रसाद जायसवाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक बिहार में अस्पताल तथा औषधालय स्थापित करने के लिए राशि प्रदान कर रहा है;

(ख) क्या विश्व बैंक द्वारा बिहार सरकार को अस्पतालों और औषधालयों की स्थापना हेतु कोई अनुदान अथवा सहायता प्रदान की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ अमानवीय व्यवहार

1415. योगी आदित्यनाथ :
श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान तथा अन्य इस्लामी देशों में भारतीय मूल के व्यक्तियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सरकार को इस्लामी देशों में भारतीय मूल के लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किए जाने की किसी घटना की जानकारी नहीं है। जहां तक पाकिस्तान का प्रश्न है अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव पाकिस्तान राज्य की संरचना में ही निहित है। इसके उदाहरण अल्पसंख्यकों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान और पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों को सताने के लिए धर्म–निंदा विरोधी कानून हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इससे पूर्णतः अवगत है और वह पाकिस्तान में धार्मिक उग्रवाद और रूढ़िवाद तथा राज्य की अल्पसंख्यक विरोधी प्रथाओं और नीतियों को अस्वीकार करता है।

[अनुवाद]

कर्नाटक को वित्तीय सहायता

1416. श्री सी. के. जाफर शरीफ : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कर्नाटक राज्य से वर्तमान क्षयरोग केन्द्रों को सुदृढ़ बनाने और राज्य के पांच नए जिलों में आर. एन.टी.सी.पी. का विस्तार करने के लिए वित्तीय सहायता के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के संबंध में व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) जी, हां। कर्नाटक में 27 जिलों में से 10 को पहले ही संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया जा चुका है। संशोधित नीति को अपनाकर 12 जिलों को कवर करने के लिए आरंभिक कार्यवाही चल रही है, जिसके लिए निधियां विमुक्त की जानी हैं। शेष पांच जिलों के लिए राज्य सरकार ने आरंभिक तैयारियां आरंभ कर दी हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक राज्य को राष्ट्रीय क्षयरोग कार्यक्रम के अंतर्गत विमुक्त निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है–

वर्ष	व्यय (लाख रुपए में)
1999–2000	78.32
2000–2001	163.38
2001–2002	130.17

युवाओं को पुरस्कार

1417. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार युवाओं को सामाजिक सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए पुरस्कार देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य युवा वार्षिक पुरस्कार के लिए एक उम्मीदवार को प्रायोजित कर सकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या राज्यों को ऐसे नामों को प्रायोजित करने के लिए किसी विशिष्ट मानदंड का अनुपालन करना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) सरकार पहले से ही युवाओं को उनके द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किए गए कार्य के लिए सन् 1985 से 'राष्ट्रीय युवा पुरस्कार' प्रदान कर रही है।

(ख) राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 1985 में स्थापित किया गया था और तब से प्रतिवर्ष यह पुरस्कार युवा व्यक्तियों तथा स्वैच्छिक संगठनों को राष्ट्रीय विकास तथा स्माज सेवा के लिए उनके द्वारा किए जाने वाले उत्कृष्ट कार्य को मान्यता देते हुए प्रदान किया जाता है। वर्तमान में, 12 से 16 जनवरी तक आयोजित राष्ट्रीय युवा महोत्सव के दौरान, प्रतिवर्ष 12 जनवरी को ये पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं।

(ग) राष्ट्रीय युवा पुरस्कारों के लिए नामांकनों का चयन करने हेतु प्रक्रिया की नवीनतम संहिता के अनुसार, प्रत्येक राज्य सरकार 10 नामों तथा प्रत्येक संघ शासित क्षेत्र 5 नामों की सिफारिश कर सकता है। इसी प्रकार राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के लिए राज्य सरकारें, स्वैच्छिक संगठनों के दो नामों तथा संघ शासित क्षेत्र, स्वैच्छिक संगठनों के एक नाम की सिफारिश कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) नवीनतम प्रक्रिया के अनुसार, विश्वविद्यालय/कालेज, स्थानीय सरकारी विभाग, स्वैच्छिक एजेंसियां, निजी निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, नेहरू युवा केन्द्र, राष्ट्रीय सेवा योजना आदि अपनी सिफारिशें प्रतिवर्ष 10 जून तक, संबंधित जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर को, जो जिला स्तरीय समिति का अध्यक्ष होगा, भेजेंगे। जिला स्तरीय समिति प्रतिवर्ष 10 जुलाई तक राज्य सरकारों को सिफारिशें भेजेगी। जिला स्तरीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर राज्य के युवा विभाग के सचिव/आयुक्त की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समिति द्वारा विचार किया जाएगा। राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र प्रशासन, सिफारिशों को आगे केन्द्र सरकार, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को भेजेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर, एक केन्द्रीय चयन समिति, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की सिफारिशों की जांच-पड़ताल करेगी तथा युवा पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का अंतिम रूप से चयन करेगी। केन्द्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री, केन्द्रीय चयन समिति की अध्यक्षा हैं।

विश्व आयुर्वेद कांग्रेस

1418. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व आयुर्वेद कांग्रेस की अगली बैठक भारत में होगी;

(ख) यदि हां, तो इस कांग्रेस में किन-किन देशों के भाग लेने की संभावना है; और

(ग) सरकार का विचार आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करने के लिए कदम उठाने का है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) स्वदेशी विज्ञान आंदोलन, कोच्चि, केरल ने 1 नवंबर से 4 नवंबर, 2002 तक कोच्चि केरल में विश्व आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन करने का प्रस्ताव किया है।

(ख) आयोजकों ने सूचित किया है कि 50 देशों के परंपरागत चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा इस कांग्रेस में भाग लेने की आशा है।

(ग) सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में भारत की भूमिका को उजागर करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। विभाग ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, विशेषज्ञों का आदान-प्रदान किया है, प्रस्तुतीकरण, प्रदर्शनी, मेले आदि का आयोजन किया है।

[हिन्दी]

महिलाओं और बच्चों में आयरन की कमी

1419. डा. जसवंत सिंह यादव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विशेषकर राजस्थान, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में आयरन की कमी से कितने गरीब बच्चे और महिलाएं प्रभावित हुई हैं; और

(ख) सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–2 (1998–99) के अनुसार (6–35 माह) और रक्ताल्पता वाली सूचित महिलाओं की राज्यवार प्रतिशतता विवरण में दी गई है।

(ख) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत रोगनिरोधन और आयरन की कमी से होने वाली रक्ताल्पता का उपचार किया जाता है। प्रत्येक गर्भवती महिला को आयरन और फालिक एसिड की 100 गोलियां (बड़ी) दी जाती हैं। रक्ताल्पता वाली गर्भवती महिलाओं को यह संख्या दुगुनी दी जाती है। रक्ताल्पता से पीड़ित 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को आयरन और फालिक एसिड की 100 गोलियां (छोटी) दी जाती हैं। ये औषधियां डग किट ए में उपकेन्द्रों को दी जाती हैं। प्रत्येक उपकेन्द्र के प्रतिवर्ष आयरन और फालिक एसिड की 30,000 बड़ी गोलियां और 26,000 छोटी गोलियां दी जाती हैं।

विवरण

रक्ताल्पता से पीड़ित बच्चों (6–35 माह) तथा महिलाओं की प्रतिशतता

क्र.सं.	भारत	बच्चे	महिलाएं
1	2	3	4
1.	भारत	74.3	51.8
2.	उत्तर		
	दिल्ली	69	40.5
	हरियाणा	83.9	47.0
	हिमाचल प्रदेश	69.9	40.5
	जम्मू और कश्मीर	71.1	58.7
	पंजाब	80	41.4
	राजस्थान	82.3	48.5
3.	मध्य		
	मध्य प्रदेश	75	54.3
	उत्तर प्रदेश	73.9	48.7
4.	पूर्व		
	बिहार	81.3	63.4
	उड़ीसा	72.3	63.0
	पश्चिम बंगाल	78.3	62.7
5.	उत्तर पूर्व		
	अरुणाचल प्रदेश	84.2	62.5
	असम	63.2	69.7
	मणिपुर	44.1	28.9
	मेघालय	64.1	63.3
	मिजोरम	53.9	48.0
	नागालैंड	41.4	38.4
	सिक्किम	76.5	61.1
6.	पश्चिम		
	गोवा	53.4	36.4
	गुजरात	74.5	46.3
	महाराष्ट्र	76	48.5
7.	दक्षिण		
	आंध्र प्रदेश	72.3	49.8
	कर्नाटक	70.6	42.24

1	2	3	4
	केरल	43.9	22.7
	तमिलनाडु	69	56.5

स्रोत : राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण–2, 1998-99

[अनुवाद]

नाभिकीय ऊर्जा निगम का विलय

1420. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नाभिकीय ऊर्जा निगम का सरकारी क्षेत्र की कुछ अन्य इकाइयों में विलय करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि इसको अलग प्रतिष्ठान बनाए रखने में प्रशासनिक लागत और द्विरावृत्ति के कारण बर्बादी हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो आणविक और नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में लगे विभिन्न निकायों के प्रशासनिक व्यय शीर्षों में कटौती करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) ऊपर (क) के मद्दे नजर लागू नहीं।

(ग) जी, नहीं। परमाणु विद्युत संयंत्रों की स्थापना और उनके परिचालन के लिए न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ही देश का अकेला सरकारी क्षेत्र का उद्यम है और इस जैसा और कोई उद्यम नहीं है।

(घ) ऊपर (ग) के मद्दे नजर लागू नहीं।

जनसंख्या नीति संबंधी समिति का गठन

1421. श्री सी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हाल में राज्य संबंधी विशेष जनसंख्या नीतियों को तैयार करने में सहायता प्रदान करने हेतु सात सदस्यीय समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति की संरचना क्या है;

(ग) अब तक किन राज्यों ने कोई जनसंख्या नीति तैयार नहीं की है;

(घ) क्या जनसंख्या संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे राज्यों को समिति में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 की सामान्य भावना को ध्यान में रखते हुए राज्य विशिष्ट कार्यनीतियों वाली जनसंख्या नीतियों को तैयार करने में राज्यों की सहायता के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की संसाधन समिति गठित की है। यह समिति राज्य सरकारों को राज्य की जनसंख्या नीतियां तैयार करने में तकनीकी सहायता प्रदान करेगी और राज्य सरकार के अधिकारियों, विशेषज्ञों और अन्य नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के साथ राज्य जनसंख्या नीतियां तैयार करने में परामर्शी कार्यशालाएं तैयार करेगी। इस समिति में सात सदस्य हैं। समिति का गठन इस प्रकार है–

(i) डा. विमला रामचन्द्रन, हेल्थ वाच

(ii) डा. लीला विशारिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

(iii) डा. अल्मस अली, परामर्शदाता, यू एन एफ पीए/स्वा. प. क. मंत्रालय

(iv) डा. मोहन राव, प्रोफेसर, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय

(v) डा. (सुश्री) मीरा शिवा, वालंटरी हैल्थ एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नई दिल्ली

(vi) श्री डिएगो पालसियस, यू एन एफ पी ए के प्रतिनिधि

(vii) श्री एस. सी. श्रीवास्तव, निदेशक (नीति) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय–संयोजक

(ग) राज्य विशिष्ट लक्ष्यों और कार्यनीतियों वाली राज्य जनसंख्या नीतियां आंध्र प्रदेश (1997), राजस्थान (दिसम्बर 1999), मध्य प्रदेश (जनवरी 2000), उत्तर प्रदेश (जुलाई 2000) और गुजरात (मार्च 2002) द्वारा तैयार कर ली गई हैं। उड़ीसा और उत्तरांचल जैसे अन्य राज्य अपने राज्यों के लिए जनसंख्या नीति तैयार करने की प्रक्रिया में हैं।

(घ) से (च) समिति में शिक्षाविद्, जनसंख्या विशेषज्ञ, जनांकिकीविद्, गैर सरकारी संगठन, स्वैच्छिक संगठन और नीति निर्माता शामिल हैं। समिति राज्य सरकारों के साथ उनकी जनसंख्या नीतियां तैयार करने के लिए समुचित स्तरों पर संपर्क बनाए रखेगी।

विदेश संचार निगम लिमिटेड

1422. श्री अधीर चौधरी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्रीमती कान्ति सिंह :
श्री भान सिंह भौरा :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री रामजीवन सिंह :
श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्री राम प्रसाद सिंह :
श्री सुबोध राय :
श्री समीक लाहिड़ी :
श्री अम्बरीश :
श्री सी. श्रीनिवासन :
श्री पी. डी. एलानगोवन :
डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :
श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री बसुदेव आचार्य :
प्रो. ए. के. प्रेमाजम :
श्री अबुल हसनत खां :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत संचार निगम लिमिटेड को टाटा टेली सर्विसेस में 1200 करोड़ रुपए के निवेश के निर्णय की समीक्षा करने के लिए कहा है जैसा कि 1 जून, 2002 के 'दि पायनियर' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत संचार निगम लिमिटेड के बोर्ड में सरकार के नामिती ने टाटा टेली सर्विसेज का विरोध किया था;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में आगे कोई कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) सरकार ने यह इच्छा व्यक्त की है कि अंतिम निर्णय लेने से पहले, वीएसएनएल द्वारा लक्षित कंपनी में इस प्रकार के निवेश के संबंध में बोर्ड द्वारा प्रस्तावित उप–समिति द्वारा अध्ययन–प्रक्रिया के जरिए सावधानीपूर्वक विश्लेषण तथा विचार–विमर्श किया जाए तथा ऐसे निवेश की वांछनीयता निर्धारित की जाए।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) बोर्ड द्वारा प्रस्तावित उप–समिति को 15 अगस्त, 2002 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है। इस उपसमिति में सरकार का एक निदेशक है।

[हिन्दी]

टेलीकॉम मैकेनिकों की भर्ती

1423. श्री रामरती बिन्द : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत संचार निगम लिमिटेड, एन.टी.आर. और महाप्रबंधक, सी.टी.ओ. नई दिल्ली के अंतर्गत 1 जनवरी, 1999 से 30 जून, 2002 के बीच कितने कर्मचारियों ने टेलीकॉम मैकेनिक की परीक्षा पास की है और प्रशिक्षण प्राप्त किया है लेकिन उन्हें अब तक नियुक्ति नहीं दी गई है;

(ख) फोन मैकेनिकों की लिखित परीक्षा और प्रशिक्षण कराने के क्या कारण हैं जबकि फोन मैकेनिक के पद खाली नहीं थे;

(ग) सरकार द्वारा उनकी नियुक्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) इन लोगों को एन.टी.आर. के विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) एमटीएनएल द्वारा दूरसंचार मैकेनिक के रिक्त पदों के लिए एक अर्हता परीक्षा आयोजित की गई थी। यह परीक्षा इस आशय से आयोजित की गई थी कि एमटीएनएल में अर्हता प्राप्त पर्याप्त उम्मीदवार नहीं होंगे और उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र, बीएसएनएल तथा केन्द्रीय टेलीग्राफ कार्यालय, बीएसएनएल में कुछ उम्मीदवार ऐसे हो सकते हैं जो अर्हता प्राप्त कर लें तथा एमटीएनएल में आमेलन के इच्छुक हों। अतः दूरसंचार विभाग ने एमटीएनएल को इन दो संगठनों के उम्मीदवारों को भी शामिल करने का निर्देश दिया।

एनटीआर और सीटीओ, नई दिल्ली के 199 कर्मचारियों ने उक्त परीक्षा में अर्हता प्राप्त की और उन्हें प्रशिक्षण दिया गया है। तथापि, एमटीएनएल में सभी रिक्त पद एमटीएनएल में पहले से आमेलित उम्मीदवारों द्वारा भरे गए, इसलिए एनटीआर और सीटीओ, नई दिल्ली के जिन कर्मचारियों ने अर्हता प्राप्त की थी उन्हें एमटीएनएल में स्थान नहीं मिल सका। इसके अतिरिक्त 17 कर्मचारियों ने दिल्ली से बाहर के सर्किलों में आमेलन का विकल्प दिया था। नियमों में उपयुक्त उपबंधों के अंतर्गत ऐसे कर्मचारियों को अन्य सर्किलों में ज्वाइन करने की अनुमति दी गई। अभी भी 182 प्रशिक्षित कर्मचारी आमेलन की प्रतीक्षा में हैं और उत्तरी दूरसंचार क्षेत्र सर्किल में रिक्तियां होते ही इन कर्मचारियों को आमेलित कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

परियोजनाओं के समय और लागत में वृद्धि

1424. श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री सुरेश रामराव जाधव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 220 परियोजनाओं से अधिक परियोजनाएं जिनमें 79,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यय संलिप्त है, समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं की लागत में किस सीमा तक वृद्धि हुई है; और

(घ) इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) से (ग) 1.4.2002 की स्थिति के अनुसार 20 करोड़ और उससे अधिक निवेश वाली 455 परियोजनाएं हैं। इनमें से 159 परियोजनाएं समय वृद्धि से प्रभावित हुई हैं और 221 परियोजनाओं में उनकी मूल अनुमोदित लागत से 69.4 प्रतिशत की लागत वृद्धि हुई है। लागत वृद्धि और समय वृद्धि के साथ-साथ किए गए व्यय का क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) इन परियोजनाओं की समय पर समाप्ति सुनिश्चित किए जाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए--

(1) सरकार द्वारा परियोजनाओं की मासिक तथा त्रैमासिक समीक्षा;

(2) परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहन आलोचनात्मक समीक्षा तथा राज्य सरकारों (भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास संबंधी मामले, तीव्र गति से वन निकासी, अधिसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे पानी, विद्युत, कार्य स्थलों पर कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करना इत्यादि के लिए), परामर्शदाताओं और विलंब को कम करने के लिए अन्य अभिकरणों के साथ अनुवर्तन;

(3) समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय में एक शक्ति प्रदत्त समिति की स्थापना करना;

(4) अंतर-मंत्रालयी प्रकृति की समस्याओं के समाधान के लिए अंतर-मंत्रालयी समन्वय;

(5) कार्यान्वयन की उन्नत अवस्था वाली परियोजनाओं को संशोधित समय-सीमा में पूरा करने के लिए अद्यतन लागत के अनुसार वार्षिक आधार पर उपयुक्त निधियां उपलब्ध कराना; तथा

(6) प्रभारी मंत्री, प्रधान मंत्री कार्यालय और मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा समीक्षा।

विवरण

1.4.2002 तक परियोजना में उनकी मूल समय सीमा की तुलना में हुई समय/लागत वृद्धि

क्र.सं.	क्षेत्र	कुल लागत (करोड़ रु. में)					लागत वृद्धि वाली परि.				समय वृद्धि वाली परि.			
		परियोजना की संख्या	मूल लागत	प्रत्याशित लागत	लागत वृद्धि (%)	तिमाही के अंत तक का	संख्या	मूल लागत	प्रत्याशित लागत	वृद्धि का (%)	संख्या	मूल लागत	प्रत्याशित लागत	माह का स्तर (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	परमाणु ऊर्जा	7	21043.3	24356.3	15.7	3028.91	1	3447.1	6760	96.1	3	184.1	184.1	21–81
2.	नागर विमानन	11	432.4	487.4	12.7	174.99	5	149.8	212.2	41.6	6	261.2	266	9–27
3.	कोयला	54	10035.8	10647.2	6.1	6537.14	7	2597.5	3735.5	43.8	18	4841.6	5722.9	12–225
4.	उर्वरक	3	473.4	632.8	33.7	284.99	1	350	509.4	45.5	1	350	509.4	17–17
5.	सूचना एवं प्रसारण	4	168.4	215.8	28.2	126.47	1	34.2	81.6	138.9	4	168.4	215.8	36–165
6.	खान	3	2598.8	2598.8	0	1434.25	0	0	0	0	2	2118.8	2118.8	6–30
7.	इस्पात	7	813.2	852	4.8	496.05	4	582.6	621.3	6.7	5	681.2	712.3	5–58
8.	पैट्रोलियम	44	35262.4	36915.3	4.7	4995.94	6	10592.4	12621	19.1	12	3710.5	3349.4	1–20
9.	विद्युत	38	36251.7	54480.7	50.3	25356.5	13	20883.4	39122	87.3	15	12170.7	29868.8	4–157
10.	स्वास्थ्य एवं परि. कल्याण	3	159.9	780.9	388.2	133.32	3	159.9	780.9	388.2	2	140.9	691.8	48–72
11.	रेलवे	205	2874.3	43674.8	51.9	13738.2	148	21363.7	36434	70.5	50	8716.2	13516.7	2–156
12.	भूतल परिवहन	62	36369.9	38876.1	6.9	9993.15	26	3250.6	5986.7	84.2	32	3490.9	5633.2	1–132
13.	दूरसंचार	6	259.9	259.9	0	119	0	0	0	0	3	122.2	122.2	12–72
14.	शहरी विकास	8	5186.8	9296.6	79.2	2243.81	6	5130.1	9240	80.1	6	5076.8	9083.2	6–67
	शेष	455	177798.7	224074.5	26	68662.6	221	68541.2	116104	69.4	159	42033.4	71994.6	

[हिन्दी]

जहाजों का डूबना

1425. श्री मानसिंह पटेल : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तटवर्ती क्षेत्रों के समुद्रों में कई जहाज डूब गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन जहाजों के अवशेषों को निकाल लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश गोयल) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

डूब गए जहाजों की संख्या और अवशेषों को हटाने की स्थिति का ब्यौरा

क्र.सं.	पत्तन का नाम	डूब गए जहाजों की संख्या	स्थिति		
			हटा लिए गए	बचा लिए गए	कारण
1	2	3	4	5	6
1.	मुंबई पत्तन न्यास	51	12	शून्य	39 अवशेष (26 पत्तन सीमा के भीतर और 13 पत्तन सीमा से बाहर)। चूंकि ये अवशेष सुरक्षित नौचालन में बाधा नहीं डालते हैं, इसलिए उन्हें हटाना आवश्यक नहीं समझा गया है। इसके अतिरिक्त ऐसा करना किफायती नहीं होगा।
2.	कलकत्ता पत्तन न्यास	10	शून्य	1	ऐसे जहाजों के मालिकों को अवशेष हटाने के लिए कहने के तमाम प्रयासों के बावजूद इस संबंध में विशेषतः विदेशी मालिकों के साथ कोई सफलता प्राप्त नहीं की जा सकी।
3.	मुरगांव पत्तन न्यास	4 पोत+19 बोया	शून्य	शून्य	दो अवशेषों को हटाने का मुद्दा न्यायालय में लंबित है। तीसरे अवशेष का मालिक लापता है। चौथे अवशेष को हटाने का निर्णय गोवा सरकार द्वारा लिया जाना है। तथापि, इन सभी अवशेषों को पत्तन नौचालनात्मक चार्ट में अवशेषों के रूप में चिन्हित किया गया है।
4.	कोचीन पत्तन न्यास	2 ड्रेजर	शून्य	1	एक अवशेष नौचालनातमक चैनल के बाहर पड़ा है। इसलिए इसे हटाना आवश्यक नहीं समझा गया है। इसके अतिरिक्त ऐसा करना किफायती नहीं होगा।
5.	पारादीप पत्तन न्यास	2 ड्रेजर	2	शून्य	–
6.	चेन्नै पत्तन न्यास	1	शून्य	शून्य	अवशेष हटाने की लागत काफी अधिक थी और इसको हटाना भी उचित नहीं समझा गया।

1	2	3	4	5	6
7.	नवमंगलूर पत्तन न्यास	1	शून्य	शून्य	यह अवशेष नौचालन में कोई बाधा नहीं डाल रहा है। इसके अतिरिक्त इसको हटाने की लागत अवशेष के बचाव मूल्य से अधिक पाई गई है।
8.	तूतीकोरिन पत्तन न्यास	1	1	शून्य	–
9.	कांडला पत्तन न्यास	शून्य	शून्य	शून्य	–
10.	इन्नौर पत्तन न्यास	शून्य	शून्य	शून्य	–
11.	विशाखापत्तनम पत्तन न्यास	शून्य	शून्य	शून्य	–

[अनुवाद]

दो बच्चों संबंधी प्रतिमान

1426. डा. एम. वी. वी. एस. मूर्ति :
श्री राम मोहन गाड्डे :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने परिवार कल्याण कार्यक्रम में दो बच्चों संबंधी प्रतिमान के प्रचार–प्रसार हेतु नई नीति के संबंध में एक अनौपचारिक नोट परिचालित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कदाचार

1427. श्री जी. गंगा रेड्डी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्लोबल एंटी–क्रप्शन आर्गनाइजेशन ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल ने अपनी हाल की रिपोर्ट में कहा है कि अमेरिकी तथा अन्य जी.–7 देशों से संबंधित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों सहित कई बहुराष्ट्रीय कम्पनियां भारत में घूस और भ्रष्टाचार में संलिप्त थीं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त रिपोर्ट को नोट किया है और भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा कदाचार को रोकने के लिए कदम उठाए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) इस बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पाकिस्तान को अमरीकी सहायता

1428. श्री सुशील कुमार शिंदे :
श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका को पाकिस्तान को सैनिक सहायता सहित अन्य सहायता देना बंद करने के लिए कहा है ताकि उस पर आतंकवादियों की लगातार घुसपैठ और संबद्ध मामलों के मुद्दों पर भारत के साथ विवाद के समाधान के लिए दबाव डाला जा सके;

(ख) यदि हां, तो इस पर अमरीकी सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) अमरीका द्वारा पाकिस्तान को किस प्रकार के और कितने हथियार और अन्य सहायता दी गई है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) और (ख) सरकार ने अमरीका सहित अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान निरंतर रूप से भारत में सीमा–पार के आतंकवाद को रोकने की पाकिस्तान की भूमिका तथा उत्तरदायित्व की ओर आकर्षित कराया है। अमरीका ने सरकार को सीमापार से घुसपैठ को तत्काल, प्रत्यक्ष और स्थायी तौर पर समाप्त करने के राष्ट्रपति मुशर्रफ के वचन तथा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी शिविरों को ध्वस्त करने के उनके आश्वासन से अवगत कराया है।

यह अमरीकी सरकार का उत्तरदायित्व है कि वह राष्ट्रपति मुशर्रफ द्वारा अमरीका को दिए गए वचनों को पूरा करने का सुनिश्चय करने के उपयों तथा सार्वभौम रूप से आतंकवाद से लड़ने के लिए अन्य देशों के साथ मिलकर अमरीका के लक्ष्य को कार्यान्वित करने की जांच करे।

(ग) सरकार का यह मानना है कि अमरीका ने अफगानिस्तान में आजादी कायम करने की कार्रवाई में पाकिस्तान की भूमिका के संदर्भ में सीधी बजटीय सहायता, व्यापार में रियायतें और विकास सहायता तथा सीमित सैन्य सहायता के माध्यम से पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की है।

[हिन्दी]

रुग्ण लघु उद्योग

1429. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह :
श्री रामपाल सिंह :
श्री रामटहल चौधरी :

क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों में बढ़ती रुग्णता के मद्देनजर रुग्ण लघु उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए मार्ग निर्देशों की समीक्षा का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में केन्द्र सरकार द्वारा इन रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों को कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) लघु उद्योग क्षेत्र हेतु 30 अगस्त, 2000 को प्रधान मंत्री द्वारा घोषित व्यापक नीति पैकेज में संभाव्य जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास हेतु संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार करना शामिल है। इसके अनुवर्तन में, भारतीय रिजर्व बैंक ने भारतीय बैंक संघ के तत्कालीन अध्यक्ष श्री एस.एस. कोहली, की अध्यक्षता में एक कार्यकारी दल गठित किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने, कार्यकारी दल की सिफारिशों के आधार पर, रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन, उनकी जीवनक्षमता का निर्णय करने हेतु मानदंड आदि शामिल हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने, 16 जनवरी, 2002 को सभी बैंकों को ये संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्त कार्यान्वयन हेतु परिचालित कर दिए हैं।

(ग) संघ सरकार, रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों के पुनर्वास हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं करती है। देश में लघु उद्योगों को रुग्ण लघु उद्योगों के पुनर्वास सहित वित्तीय सहायता प्राथमिक उधारदाता संस्थानों, जिसमें वाणिज्यिक बैंक शामिल हैं, प्रदान की जाती है। तथापि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की प्राथमिक उधारदाता संस्थानों के लिए, उनके द्वारा लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास हेतु बढ़ाई गई वित्तीय सहायता के संबंध में, एक पुनर्वित्त योजना है।

पोलियो उन्मूलन के लिए जापानी सहायता

1430. श्री रामपाल सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार ने देश में पोलियो उन्मूलन के लिए सहायता देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सहायता को कब तक प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) जापान सरकार 3 जून, 2002 को अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के उत्तर पूर्वी राज्यों तथा बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों को कवर करने के लिए भारत में पोलियो उन्मूलन परियोजना हेतु 750 मिलियन येन (लगभग 29 करोड़ रुपए के बराबर) की सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हुई है। इस अनुदान से ओरल पोलियो वैक्सीन की आपूर्ति में सहायता के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के प्रचालन व्यय भी शामिल होंगे। यूनीसेफ द्वारा आपूर्तियों और उपस्करों का प्रापण किया जाएगा और उन्हें इस अभियान के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

(ग) यह सहायता वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्राप्त होने की संभावना है।

[अनुवाद]

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) में जनशक्ति में कमी

1431. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसंबर, 1998 की तिथि के अनुसार 'सेल' में कुल कितनी जनशक्ति थी;

(ख) 30 जून, 2002 की तिथि के अनुसार सेल की वर्तमान जनशक्ति कितनी है;

(ग) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण ने 2003 तक अपनी जनशक्ति में 50 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) 31 दिसंबर, 1998 की स्थिति के अनुसार सेल की कुल जनशक्ति 1,75,261 थी।

(ख) 30 जून, 2002 की स्थिति के अनुसार सेल की वर्तमान जनशक्ति 1,45,953 है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, कोलकाता

1432. श्री महबूब जहेदी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तरल और गैसीय रूप में श्रेणी ए हेलियम का मुख्यतः अमरीका से आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स ने हेलियम की 99.995 प्रतिशत सांद्रता प्राप्त कर ली है;

(ग) क्या इस सफलता का तात्पर्य यह है कि भारत को हेलियम का आयात नहीं करना पड़ेगा;

(घ) क्या हेलियम को तरलीकृत करने की इस प्रौद्योगिकी से स्वास्थ्य देखरेख, राकेट इंजिन और न्यूक्लियर रिएक्टरों में लगने वाली क्रायोटेक्नोलोजी को बढ़ावा मिलेगा;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार 'सिनप' के वैज्ञानिकों की उनके द्वारा विकसित प्रक्रिया के लिए पेटेंट प्राप्त करने में सहायता करेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) साहा नाभिकीय भौतिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने हीलियम की 99.995 प्रतिशत सांद्रता हासिल कर ली है।

(ग) चूंकि तापीय झरनों से, अपरिष्कृत गैस युक्त हीलियम का उपलब्ध स्रोत सीमित है, इसलिए हीलियम का आयात किया जाता है;

(घ) जिस मौजूदा प्रौद्योगिकी का जिक्र किया गया है, वह हीलियम गैस को 99.995 प्रतिशत तक शुद्ध करने

के लिए है, हीलियम को द्रव्य रूप में परिवर्तित करने के लिए नहीं।

(ङ) और (च) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

भ्रष्टाचार को रोकने में लगे स्वतंत्र निकायों का पुनर्गठन

1433. श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार को रोकने में लगे सभी स्वतंत्र निकायों का पुनर्गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) भ्रष्टाचार रोकने में लगा केन्द्रीय सतर्कता–आयोग एक स्वायत्त संगठन है। केन्द्रीय सतर्कता–आयोग को सांविधिक दरजा दिए जाने की दृष्टि से, संसदीय संयुक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट में यथा संस्तुत, 'केन्द्रीय सतर्कता–आयोग–विधेयक, 1999' के नाम से एक विधेयक, लोक–सभा में विचार किए जाने तथा पारित किए जाने हेतु लंबित चल रहा है।

देश में शीर्षस्थ भ्रष्टाचार–निरोधी संगठन होने के नाते, केन्द्रीय सतर्कता–आयोग अपनी सलाह के लिए भेजे जाने वाले भ्रष्टाचार से संबद्ध मामलों में, भ्रष्टाचार में संलिप्त लोक–सेवकों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई किए जाने की सलाह देता आ रहा है और उसने भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दृष्टि से कुछ अनुदेश/मार्गदर्शी सिद्धान्त भी जारी किए हैं।

भ्रष्टाचार रोकना

1434. डा. एस. वेणुगोपाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सतर्कता–आयुक्त ने प्रत्येक विभाग एवं संस्थान में भ्रष्टाचार को रोकने हेतु एक सशक्त तंत्र की आवश्यकता के संबंध में सुझाव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) प्रत्येक सरकारी विभाग और संस्थान में, भ्रष्टाचार रोकने की दृष्टि से अपेक्षित क्रियाविधि और तंत्र पहले से ही मौजूद है। उपर्युक्त तंत्र और क्रियाविधि को सशक्त करने और बेहतर बनाने की दृष्टि से केन्द्रीय सतर्कता–आयोग द्वारा समय–समय पर दिए गए सुझाव ध्यान में रखे जाते हैं। मुख्य सतर्कता–अधिकारी की सहायता से, सतर्कता से सम्बद्ध काम–काज देख रहे प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के सचिव अपने–अपने मंत्रालय/विभाग में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी सुनिश्चित करने के बुनियादी रूप से जिम्मेदार होते हैं।

[हिन्दी]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की बकाया राशि

1435. कुंवर अखिलेश सिंह : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज तक की स्थिति के अनुसार दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की उपभोक्ताओं पर कितनी धनराशि बकाया है और किस–किस श्रेणी के चूककर्ता हैं; और

(ख) सरकार द्वारा बकाया धनराशि की वसूली करने हेतु क्या कार्रवाई करने पर विचार किया जा रहा है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) उपभोक्ताओं को 31.12.01 तक जारी किए गए टेलीफोन बिलों के आधार पर 31.3.02 की स्थिति के अनुसार कुल 516.04 करोड़ रु. की राशि बकाया थी। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) चूककर्ता उपभोक्ताओं से बकाया धनराशि की वसूली के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

(i) यदि चूककर्ता उपभोक्ताओं का कोई भी अन्य टेलीफोन नंबर चालू हो तो उन्हें बकाया धनराशि

का भुगतान करने के लिए टेलीफोन के जरिए कहा जाता है।

(ii) ऐसे उपभोक्ताओं को बकाया धनराशि का निपटान करने के लिए पंजीकृत डाक से नोटिस भेजा जाता है।

(iii) बकाया धनराशि के निपटान हेतु चूककर्ता उपभोक्ताओं से संपर्क करने के लिए टेलीफोन राजस्व इंस्पेक्टरों को प्रतिनियुक्त किया जाता है।

(iv) बकाया धनराशि की वसूली के लिए दबाव बनाने के लिए यदि चुककर्ता उपभोक्ताओं का कोई टेलीफोन चालू हो तो उसे बंद करने की कार्रवाई की जाती है।

(v) इस संबंध में पुलिस और राजस्व प्राधिकारियों की भी सहायता ली जाती है।

(vi) एमटीएनएल, दिल्ली में उप–महाप्रबंधक (डीजीएम) के अधीन मुख्यालय में एक पूर्णतः सक्षम बकाया वसूली प्रकोष्ठ (ओपीसी) कार्य कर रहा है। बकाया धनराशि की वसूली के लिए क्षेत्रीय स्तर पर टास्क फोर्स यूनिटों का भी गठन किया गया है।

(vii) यदि उपर्युक्त प्रयासों से कोई लाभदायक परिणाम नहीं निकलता है, तो जहां संभव हो, अदालत में वसूली के लिए मुकदमे चलाए जाते हैं।

विवरण

31.12.2001 तक की गई बिलिंग के संबंध में 31.3.2002 की स्थिति के अनुसार एमटीएनएल, दिल्ली की बकाया धनराशि

क्र.सं.	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मामलों की संख्या	बकाया धनराशि (हजार में)
1	2	3	4
1.	राज्य सरकार	7661	10994
2.	केन्द्र सरकार	70300	112827
3.	रक्षा मंत्रालय	11603	30147
4.	दूतावास	23249	59523
5.	सांविधिक निकाय	18853	21337
6.	निजी पार्टियां	4695214	4925636
	जोड़	4826880	5160464

[अनुवाद]

आईएलडीएस हेतु निजी पार्टियों को लाइसेंस जारी करना

1436. डा. वी. सरोजा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सेवा (आईएलडीएस) आरंभ करने के लिए कितनी निजी पार्टियों को लाइसेंस जारी किए गए हैं;

(ख) क्या लाइसेंस जारी करने के संबंध में कोई दिशा निर्देश तैयार किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने आईएलडीएस के संबंध में शुल्क दरें निर्धारित की हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) 31 मार्च, 2002 की स्थिति के अनुसार लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लिए लाइसेंसधारी निजी कंपनियों की संख्या चार है।

(ख) और (ग) जी, हां। ब्यौरा संलग्न विवरण–I में है।

(घ) और (ङ) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सेवा (आईएलडीएस) के लिए उच्चतम टैरिफ दरें निर्धारित करता है जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण–II में है।

विवरण-I

अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी सेवा के लाइसेंस जारी करने के लिए दिशानिर्देशों का ब्यौरा

- आईएलडीएस 1.4.2002 से निजी क्षेत्र के लिए खोल दी गई थी।
- इसके लिए 25 करोड़ रु. का नेटवर्थ रखने वाली सभी भारतीय पंजीकृत कंपनियां आवेदन कर सकती हैं।
- आवेदक कंपनी की विदेशी इक्विटी 49 प्रतिशत के सेक्टोरल कैप से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक कंपनी के लिए आवेदन के साथ प्रक्रियागत शुल्क के रूप में 50,000/– रु. का भुगतान करना अपेक्षित है।
- प्रवेश शुल्क 25 करोड़ रु. है जिसे लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर करने से पूर्व 25 करोड़ रु. की बैंक गारंटी के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।
- ऑपरेटरों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
- लाइसेंस की वैधता लाइसेंस करार पर हस्ताक्षर की तारीख से 20 वर्षों की अवधि तक होगी।

विवरण-II

आईएसडी कॉलों के लिए उच्चतम टैरिफ हेतु पल्स दर

शुल्क लगाने के उद्देश्य से विभिन्न देशों की श्रेणी	1 अप्रैल, 2002 से (सेकंडों में)
सार्क देश और अन्य पड़ोसी देश	3.3
अफ्रीका, यूरोप, खाड़ी एशिया के देश और ओसीनिया	2.3
अमेरिका महाद्वीप के देश और पश्चिमी गोलार्ध के अन्य देश	1.8

प्राइवेट अस्पताल

1437. श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत उन प्राइवेट अस्पतालों जिन्हें सरकार द्वारा रियायती दरों पर दिल्ली में भूमि आवंटित की गई थी, के मामले में मिलने वाली सुविधाएं सेवानिवृत्त कार्मिकों सहित सरकारी कर्मचारियों को भी दी जाती हैं;

(ख) यदि नहीं, तो उन अस्पतालों का ब्यौरा क्या है जो उक्त सुविधाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं;

(ग) क्या उक्त सुविधाएं अपोलो इन्द्रप्रस्थ अस्पताल एवं जी.एम. मोदी अस्पताल, नई दिल्ली में उपलब्ध कराई जाती हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 15.3.2002, 6.5.2002 और 14.5.2002 के कार्यालय ज्ञापन के साथ पठित 7.9.2001 के कार्यालय ज्ञापन के तहत प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता प्रदान की गई है। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अंतर्गत प्राइवेट अस्पतालों को मान्यता प्रदान करने का काम इस प्रयोजन के लिए परिचालित निविदा दस्तावेज के अनुसार किया गया है। उपर्युक्त निविदा दस्तावेज में ऐसी कोई शर्त नहीं थी कि जिन प्राइवेट अस्पतालों को सरकार द्वारा रियायती दरों पर दिल्ली में भूमि आवंटित की गई उनको अनिवार्य रूप से निविदा दस्तावेज खरीदना है और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत मान्यता लेने के लिए आवेदन करना है।

(ग) और (घ) इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल, नई दिल्ली ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त करने के लिए तब आवेदन किया था, जब केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा नवम्बर, 2000 में निविदाएं जारी की गई थीं। तथापि, इसने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की इच्छा व्यक्त नहीं की जबकि यह एक ऐसी कानूनी अपेक्षा है जिसे केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता चाहने वाले सभी प्राइवेट अस्पतालों द्वारा पूरा करना होता है। इसलिए इस अस्पताल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत मान्यता प्रदान नहीं की गई है। जहां तक जी. एम. मोदी अस्पताल, नई दिल्ली का संबंध है इसने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना,

दिल्ली के अंतर्गत मान्यता के लिए नवम्बर, 2000 में आवेदन नहीं किया और इस कारण इसको के. स. स्वा. योजना के अंतर्गत मान्यता प्रदान नहीं की गई है।

[हिन्दी]

विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के चिकित्सक

1438. श्री राम सिंह कस्वां :
श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विदेशों में कार्यरत भारतीय मूल के चिकित्सकों को वापस लाने के लिए विशेष सुविधाएं देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश के चिकित्सा सेवा क्षेत्र में किस सीमा तक सुधार आने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं। देश में सार्वजनिक स्वास्थ्य परिचर्या संस्थानों के लिए पर्याप्त संख्या में डाक्टर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

ब्रिटिश विदेश मंत्री का दौरा

1439. श्रीमती प्रभा राय : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 2002 में भारत का दौरा करने वाले **ब्रिटिश** विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति द्वारा सीमापार आतंकवाद को रोकने के संबंध में किए गए वायदों का लगातार उल्लंघन किए जाने के संबंध में भारतीय नेता के साथ वार्ता की थी; और

(ख) यदि हां, तो उनकी यात्रा का सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में क्या प्रभाव पड़ा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) ब्रिटेन के विदेश तथा राष्ट्रमंडल मामलों के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट श्री जैक स्ट्राव ने 29 मई, 2002 को अपनी भारत यात्रा के दौरान पूर्व विदेश मंत्री और प्रधान मंत्री से मुलाकात की तथा सीमा–पार से लगातर घुसपैठ के संबंध में भारत की चिंता से अवगत हुए।

(ख) स्थायी आधर पर सीमा–पार से घुसपैठ को समाप्त करने के बारे में जनरल मुशर्रफ द्वारा अमरीकी तथा ब्रिटिश नेताओं को दी गई वचनबद्धता के बाद घुसपैठ में कुछ कमी आई है। तथापि, यह जारी है और बड़े पैमाने पर है। पाकिस्तान द्वारा राकेट छोड़ने वाले केन्द्रों, संचार केन्द्रों, प्रशिक्षण शिविरों और आतंकवाद के समर्थन की अन्य अवसंरचनाओं को ढाने के संबंध में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

चिकित्सा अनुदान आयोग

1440. श्री रामजीलाल सुमन :
श्री नवल किशोर राय :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चिकित्सा शिक्षा में सुधार लाने और इस संबंध में अधिकतम सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु देश के चिकित्सा महाविद्यालयों को वित्तीय सहायता संस्वीकृत करने हेतु चिकित्सा अनुदान आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन किस तिथि को किया गया है;

(ग) उक्त आयोग के सदस्य कौन–कौन हैं; और

(घ) यह किस तिथि से कार्य करना आरंभ करेगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं। तथापि, वित्तीय वर्ष 2002–03 के दौरान चिकित्सा अनुदान आयोग के लिए योजना शीर्ष के अंतर्गत 5 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया गया है। इस बारे में इस समय स्कीम तैयार की जा रही है।

(ख) से (घ) उक्त (क) को देखते हुए ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

स्पीड-पोस्ट सेवा

1441. श्री जी. जे. जावीया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय गुजरात में स्पीड पोस्ट सुविधाओं वाले डाकघरों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार बढ़ती मांग से निपटने के लिए और अधिक स्पीड पोस्ट केन्द्र खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके कब तक खोले जाने की संभावना है;

(घ) क्या इस उद्देश्य हेतु कोई धनराशि आवंटित की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) गुजरात में स्पीड पोस्ट सुविधा के साथ काम कर रहे डाकघरों की जिलावार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (ङ) स्पीड पोस्ट एक प्रीमियम उत्पाद है जिसे वाणिज्यिक आधार पर चलाया जाता है। इस नेटवर्क का विस्तार एक अनवरत प्रक्रिया है जो बाजार की स्थिति, मांग के निर्धारण, अनुमानित राजस्व तथा परिवहन नेटवर्क पर निर्भर करती है।

विवरण

जिले का नाम	स्पीड पोस्ट सुविधा युक्त डाकघरों की संख्या
1	2
अहमदाबाद	25
गांधीनगर	5
साबरकण्ठा	1
मेहसाणा	5
बनासकण्ठा	3
पाटन	2
बड़ोदरा	18
आनंद	4
खेड़ा	1
दाहोड़	1
पंचमहल	2
सूरत	15
भड़ूच	5
नर्मदानगर	शून्य
नवसारी	1
वल्साड	5
डांग	शून्य
राजकोट	6
अमरेली	1
भावनगर	1
कच्छ	5
जामनगर	1
जूनागढ़	3
पोरबंदर	1
सुरेन्द्रनगर	1

पीसीओ धारकों द्वारा सिक्का संग्रहण बक्सों को हटाया जाना

1442. डा. बलिराम : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में कई पीसीओ धारकों ने सिक्का संग्रहण बक्सों को हटा दिया है और उपभोक्ताओं से प्रति कॉल मनमाने ढंग से प्रभार ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संबंधित पीसीओ धारकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) सरकार द्वारा विभागीय नियमों के अनुसार सिक्का संग्रहण बक्से लगाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) ऐसे कुछ मामलों की रिपोर्ट मिली है जिनमें पी.सी.ओ. धारकों द्वारा सिक्का संग्रहण बक्से हटाए गए थे। ऐसे चार मामलों का पता उत्तर प्रदेश में और 9 मामलों का पता दिल्ली में चला। उत्तर प्रदेश में इन चारों पीसीओ को काट दिया गया था। दिल्ली में 3 पीसीओ काटे गए और शेष 6 के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

(घ) सभी पात्र आवेदकों को सिक्का संग्रहण बक्से युक्त पीसीओ उदारतापूर्वक दिए जाते हैं।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य संबंधी खतरे

1443. श्री जार्ज ईडन : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्डोसल्फान के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में कोई वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव किया गया है;

(घ) क्या इस संबंध में किसी संगठन ने सर्वेक्षण किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान ने इण्डोसलफान के उपयोग से स्वास्थ्य को होने वाले खतरे के बारे में प्रारंभिक अध्ययन किए हैं और अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों पर इण्डोसलफान के अवशिष्टों का अनुमान लगाने के लिए समय-समय पर सर्वेक्षण किए हैं। खाद्य सामग्रियों में इण्डोसलफान के अवशिष्ट अधिकतम सह्य सीमा के अन्दर पाए गए हैं जैसा कि खाद्य अपमिश्रण निवारण नियमावली, 1955 के अंतर्गत निर्धारित है।

एम्बुलेंसों की उपलब्धता

1444. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध एम्बुलेंसों की वर्तमान संख्या की जानकारी के बारे में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और मांगों को पूरा करने में एम्बुलेंसों की कितनी कमी है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कोई नीति अथवा दिशानिर्देश तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जहां तक दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात् डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों का संबंध है, उपलब्ध एम्बुलेंसों की संख्या इस प्रकार है:-

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल	10
सफदरजंग अस्पताल	19
लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पताल	8

इन एम्बुलेंसों का चौबीसों घंटे उपयोग किया जा रहा है और मांग को पूरा करने के लिए किसी कमी की सूचना नहीं दी गई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

डाक एवं दूरसंचार परियोजनाएं

1445. श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में विशेषकर जनजातीय/दूरस्थ क्षेत्रों में डाक और दूरसंचार परियोजनाओं में हुई प्रगति की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों के दौरान निर्धारित किए गए एवं प्राप्त किए गए लक्ष्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इन राज्यों की डाक एवं दूरसंचार प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और उसका विकास करने हेतु कोई कार्य योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) :

डाक क्षेत्र

(क) और (ख) जी, हां। सरकार ने कर्नाटक और महाराष्ट्र में डाक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। कर्नाटक और महाराष्ट्र राज्यों में विशेषकर जनजाति क्षेत्रों में पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई प्रगति का ब्यौरा संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने इन राज्यों में डाक प्रणाली के विकास और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। वर्ष 2002–2003 के लिए लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

दूरसंचार क्षेत्र

(क) और (ख) जी, हां। सरकार जनजाति और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार परियोजनाओं की समीक्षा कर रही है तथा जनजाति उपयोजना के अधीन पहले से मॉनीटरिंग की जा रही है। कर्नाटक और महाराष्ट्र के जनजाति क्षेत्रों में भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण–III में दिया गया है।

(ग) और (घ) जी, हां। सरकार ने इन राज्यों में दूरसंचार प्रणाली के विकास और उसे सुदृढ़ बनाने के लिए कार्य योजना तैयार की है। वर्ष 2002–2003 के लिए लक्ष्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण–IV में दिया गया है।

विवरण-I

कर्नाटक और महाराष्ट्र सर्किलों में योजना प्रोजेक्ट्स के लक्ष्य और उपलब्धि

क्र.सं.	परियोजना		महाराष्ट्र						कर्नाटक					
			1999–00		2000–01		2001–02		1999–00		2000–01		2001–02	
			सर्किल	जन–जाति	सर्किल	जन–जाति	सर्किल	जन–जाति	सर्किल	जन–जाति	सर्किल	जन–जाति	सर्किल	जन–जाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	डाकघर खोलना	लक्ष्य	52	7	67	13	74	22	24	5	23	7	22	5
		उपलब्धि	53	7	67	13	75	22	24	5	23	7	15	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2.	पंचायत संचार सेवा केंद्र	लक्ष्य	60		195		150		30		35		15	
	खोलना	उपलब्धि	62	5	150	24	150	18	14		20		18	
3.	डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण	लक्ष्य	9		7		7		7		6		10	
		उपलब्धि	9		7		7	1	7		6		10	
									उपर्युक्त जनजाति क्षेत्रों में दो डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण किया गया।					
4.	डाकघरों का आधुनिकीकरण	लक्ष्य	8		7		5		3		7		6	
		उपलब्धि	8		7		5	1	3		7		6	
5.	डाक कार्यालयों का	लक्ष्य	12						7					
	आधुनिकीकरण	उपलब्धि	12						7					
6.	हेड रिकॉर्ड कार्यालयों का	लक्ष्य	1						1					
	कम्प्यूटरीकरण	उपलब्धि	1						1					
7.	ट्रांजिट मेल कार्यालयों का	लक्ष्य	1						2					
	कम्प्यूटरीकरण	उपलब्धि	1						2					
8.	भवन निर्माण	लष्य	7						1		3		5	
		उपलब्धि	7						1		3		5	

विवरण-II

2002–03 में कर्नाटक और महाराष्ट्र सर्किलों के लिए लक्ष्य

क्र.सं.	परियोजना	महाराष्ट्र		कर्नाटक	
		सर्किल	जनजाति	सर्किल	जनजाति
1.	विभागीय उप–डाकघर खोलना	5	1	1	
2.	अति. विभागीय शाखा डाकघर खोलना	30	5	9	4
3.	पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलना	150		10	
4.	डाकघरों का कम्प्यूटरीकरण	16 डाकघर		10 डाकघर	

टिप्पणी : (1) नये डाकघरों और पंचायत संचार सेवा केंद्रों का खोला जाना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(2) कम्प्यूटरीकरण और आधुनिकीकरण के अन्य प्रस्तावों की जांच की जा रही है।

विवरण-III

पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक और महाराष्ट्र के जनजाति क्षेत्र के लक्ष्य और उपलब्धि

क्र.सं	मापदंड	यूनिट	1999–2000				2000–2001				2001-2002			
			कर्नाटक		महाराष्ट्र		कर्नाटक		महाराष्ट्र		कर्नाटक		महाराष्ट्र	
			लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1.	टेलीफोन एक्सचेंज	संख्या	10	13	3	35	17	7	14	42	10	13	0	28
2.	स्विचन क्षमता	लाइनें	75730	70056	1320	25684	38692	57850	2500	29932	40500	37238	16000	34524
3.	सीधी एक्सचेंज लाइनें	लाइनें	54080	39449	700	17230	52072	48574	1500	20548	34000	41246	4000	25641
4.	सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन	संख्या	181	108	0	4	80	67	0	2	0	0	0	0
5.	माइक्रोवेव	आरकेएम	82	34.15	14	58.4	50	85.19	30	0	0	0	0	0
6.	ऑप्टिकल फाइबर केबिल	आरकेएम	0	569.88	0	163.7	150	527.87	200	172.4	100	642	1450	442

टिप्पणी : महाराष्ट्र के लक्ष्य और उपलब्धि में गोवा शामिल है।

विवरण-IV

2002–2003 में कर्नाटक और महाराष्ट्र के लिए लक्ष्य (जनजाति उप–योजना के अधीन)

क्र.सं.	मापदंड	यूनिट	कर्नाटक लक्ष्य	महाराष्ट्र लक्ष्य
1.	टेलीफोन एक्सचेंज	संख्या	3	0
2.	स्विचन क्षमता	लाइनें	29920	18350
3.	सीधी एक्सचेंज लाइनें	लाइनें	21790	4160
4.	सार्वजनिक ग्रामीण टेलीफोन	संख्या	शून्य	शून्य
5.	माइक्रोवेव	आरकेएम	0	0
6.	ऑप्टिकल फाइबर केबिल	आरकेएम	200	240

टिप्पणी : महाराष्ट्र के लक्ष्य में गोवा शामिल है।

वैक्सीन इंस्टीट्यूट, बेलगाम का विकास

1446. श्री के. एच. मुनियप्पा : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत टिश्यू कल्चर एंटी रैबिज वैक्सीन (टीसीएआरवी) का उत्पादन करने वाले वैक्सीन इंस्टीट्यूटों की स्थानवार–उत्पादनवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या वैक्सीन इंस्टीट्यूट बेलगाम, (कर्नाटक) में विकसित न्यूरल टिश्यू कल्चर एंटी रैबिज वैक्सीन (एनटीएआरवी) पर विश्व स्वास्थ्य संगठन और उच्चतम न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर प्रतिबंध लगाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन के उत्पादन हेतु वैक्सीन इंस्टीट्यूट, बेलगाम का उन्नयन करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) देश में तीन वैक्सीन संस्थान टिश्यू कल्चर अलर्क रोधी वैक्सीन का उत्पादन कर रहे हैं। ये संस्थान हैं–सार्वजनिक क्षेत्र में फाश्च्यूर इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, कुनूर और मानव जैव–पदार्थ संस्थान, उधगमंडलम जिनकी संस्थापित उत्पादन क्षमता क्रमशः 10 लाख खुराकें और 17.5 लाख खुराकें हैं। निजी क्षेत्र में चिरोन बहरिंग वैक्सीन लिमिटेड, अंकलेश्वर, गुजरात की संस्थापित उत्पादन क्षमता 75 लाख खुराकें हैं।

(ख) से (ङ) भारत के उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को इस मुद्दे पर कि क्या न्यूरोजेनिक शीप एंटी रैबिज वैक्सीन मनुष्यों के लिए हानिकारक हैं, की जांच–पड़ताल करने और इस मामले में उपयुक्त निर्णय लेने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त, यह बताया जाता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किसी वैक्सीन पर रोक नहीं लगाता है। जहां तक न्यूरल टिश्यू एंटी रैबिज का संबंध है, विश्व स्वास्थ्य संगठन सुझाव देता है कि सुरक्षित टिश्यू कल्चर वैक्सीन उपलब्ध हैं और इनको वरीयता दी जाएगी।

वैक्सीन इंस्टीट्यूट, बेलगांव राज्य सरकार का वैक्सीन संस्थान है और राज्य सरकार इसके उन्नयन के लिए निर्णय लेने हेतु उपयुक्त प्राधिकारी है।

अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल

1447. श्री सुकदेव पासवान : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिनांक 28 जून, 2002 के 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित समाचार के अनुसार राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आने वाले बहुत से रोगी अस्पताल में रोगियों की संख्या अधिक होने के कारण बिना परीक्षण करवाए ही लौट जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा निजी अस्पतालों में महंगा उपचार करा पाने में असमर्थ लोगों की समुचित स्वास्थ्य देखभाल को सुनिश्चित करने हेतु क्या कार्रवाई करने का विचार है;

(घ) क्या अधिक संख्या में रोगियों को देखने के लिए ओपीडी में और चिकित्सकों को तैनात करने और चिकित्सकों की नियमितता और समयबद्धता सुनिश्चित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) जी, नहीं। जहां तक डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल का संबंध है प्रातः 9.00 बजे से 11.00 बजे तक पंजीकरण समय के दौरान बहिरंग रोगी विभाग में आए सभी रोगियों को उसी दिन देखा जाता है और पंजीकरण समय में जांच के लिए मांगपत्र वाले रोगियों की विभिन्न जांचें भी उसी दिन की जाती हैं। तथापि, पिछले वर्षों में बहिरंग रोगी विभाग और अंतरंग रोगी विभाग में रोगियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। रोगियों की संख्या बढ़ने के बावजूद जनशक्ति, उपकरण, औषधियों के रूप में स्वास्थ्य परिचर्याएं उपलब्ध हैं और अस्पताल अपने उपलब्ध वित्तीय संसाधनों एवं आधारभूत संरचना के दायरे में रोगियों को स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध करवा रहा है। निर्धन रोगियों को महंगे इलाज के लिए राष्ट्रीय रोगी सहायता निधि में से सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

(घ) और (ङ) प्रतीक्षा समय में कमी आने के क्रम में दोपहर में भी विशेष क्लीनिक चलाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

धन का उपयोग

1448. श्रीमती जसकौर मीणा :
योगी आदित्यनाथ :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राज्य सरकारों को विकास योजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए उन्हें धन आवंटित करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा यह देखने के लिए कोई निगरानी समिति गठित की गई है कि आवंटित धन का उपयोग समुचित रूप से विकास योजनाओं के कार्यान्वयन पर हो रहा है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) :

(क) विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को, योजना आयोग के माध्यम से और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय के माध्यम से नियमित रूप से धन आवंटन करती है।

(ख) निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इन विकास योजनाओं का संबंधित मंत्रालयों/अभिकरणों द्वारा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा भी समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर प्रबोधन किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

टेलीफोन एक्सचेंज

1449. श्री तूफानी सरोज : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1999-2000, 2000-2002 एवं 2001-2002 के दौरान राज्य-वार देश में टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कितने टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या निर्धारित किए गए लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा केवल छोटे और मध्यम आकार के एक्सचेंजों के लिए ही लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं न कि बड़े एक्सचेंजों के लिए। छोटे और मध्यम आकार के एक्सचेंजों के लिए निर्धारित लक्ष्यों के ब्यौरे संलगन विवरण-I में दिए गए हैं। भारत संचार निगम लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा 1999-2000, 2000-2001 और 2001-2002 के दौरान देश में सर्किल/राज्यवार स्थापित किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल सं. संलग्न विवरण-II में दी गई है। उपर्युक्त अवधि के दौरान निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण-I

छोटे और मध्यम आकार के टेलीफोन एक्सचेंजों का लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य/सर्किल	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	6	5	3
2.	आंध्र प्रदेश	300	300	160
3.	असम	50	60	30
4.	बिहार			
5.	झारखंड	56	250	200
6.	गुजरात	100	400	127
7.	हरियाणा	60	30	30
8.	हिमाचल प्रदेश	50	75	60
9.	जम्मू व कश्मीर	59	30	20
10.	कर्नाटक	105	140	125
11.	केरल	36	30	40
12.	मध्य प्रदेश	20	100	65
13.	छत्तीसगढ़			
14.	महाराष्ट्र	335	800	200
15.	उत्तर पूर्व-I			
16.	उत्तर पूर्व-II	36	40	20
17.	उड़ीसा	20	75	50
18.	पंजाब	100	75	128
19.	राजस्थान	100	150	100
20.	तमिलनाडु	40	50	35
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	327	340	225

1	2	3	4	5
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)			
23.	उत्तरांचल	100	50	45
24.	पश्चिम बंगाल	100	200	160
25.	कोलकाता	0	0	0
26.	चेन्नई	0	0	0
	कुल	2000	3200	1823

विवरण-II

देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए कुल टेलीफोन एक्सचेंज

क्र.सं.	राज्य/सर्किल	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4	5
1.	अंडमान एवं निकोबार	7	6	5
2.	आंध्र प्रदेश	231	357	244
3.	असम	49	59	32
4.	बिहार			
5.	झारखंड	98	270	139
6.	गुजरात	620	631	432
7.	हरियाणा	12	37	60
8.	हिमाचल प्रदेश	64	67	119
9.	जम्मू व कश्मीर	21	13	48
10.	कर्नाटक	115	144	132
11.	केरल	74	64	100
12.	मध्य प्रदेश			
13.	छत्तीसगढ़	138	152	260
14.	महाराष्ट्र	607	971	359
15.	उत्तर पूर्व-I			
16.	उत्तर पूर्व-II	32	39	41
17.	उड़ीसा	68	128	73
18.	पंजाब	84	92	145
19.	राजस्थान	181	103	159
20.	तमिलनाडु	91	180	182
21.	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	198	352	131
22.	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)			
23.	उत्तरांचल	110	134	113
24.	पश्चिम बंगाल	104	184	132
25.	कोलकाता	9	29	99
26.	चेन्नई	8	22	25
27.	दिल्ली	15	8	33
	कुल	3036	4042	3063

पाकिस्तान पर दबाव

1450. श्री माणिकराव होडल्या गावित : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमावर्ती क्षेत्रों में आतंकवादी गतिविधियां रोकने के लिए किन–किन देशों ने पाकिस्तान पर दबाव डाला है; और

(ख) इसका क्या परिणाम हुआ है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) 13 दिसम्बर, 14 मई और 13 जुलाई के आतंकवादी हमलों के परिणामस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत के विरुद्ध आतंकवाद में पाकिस्तान के शामिल होने की बात को स्वीकार किया है और पाकिस्तान से स्थायी आधार पर सीमापार घुसपैठ और आतंकवाद को समाप्त करने की अपनी वचनबद्धता को पूर्ण रूप से कार्यान्वित करने को कहा है।

(ख) घुसपैठ में कुछ कमी आई है हालांकि, घुसपैठ और पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादी हिंसा पर्याप्त रूप से जारी है। लांचिंग केन्द्रों, संचार केन्द्रों और प्रशिक्षण शिविरों सहित सीमा पार आतंकवाद का समर्थन और पोषण करने वाले ढांचों के विघटन हेतु किए गए किसी ठोस प्रयास का कोई सबूत नहीं है।

[अनुवाद]

सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा

1451. डा. जयंत रंगपी :
श्री अनन्त नायक :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा को देश के सभी नगरों में उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो यह सुविधा अभी तक किन-किन शहरों में उपलब्ध है;

(ग) सभी शहरों में सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा (सीएमओएस) के लिए प्रदान किए गए लाइसेंसों की शर्तों और निबंधन के अनुसार प्रथम वर्ष में महानगरों के सेवा क्षेत्र का 90 प्रतिशत भाग और दूरसंचार सर्किल में न्यूनतम 10 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को कवर करना होगा। लाइसेंस की प्रभावी तिथि के तीन वर्ष के भीतर 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को कवर करना होगा। लाइसेंसधारकों को जिला मुख्यालय के बदले जिले के किसी अन्य शहर/कस्बे को कवर करने की भी अनुमति है। किस जिला मुख्यालय को कवर करना है और 50 प्रतिशत जिला मुख्यालयों को कवर करने के बाद और कितना विस्तार करना है, इस संबंध में निर्णय लेने का अधिकार लाइसेंसधारक के उसके व्यावसायिक निर्णय के आधार पर छोड़ दिया जाता है।

अब तक सीएमटीएस सुविधा से कवर किए गए जिला मुख्यालयों/शहरों की सूची एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन करके आए लोगों के लिए स्व-रोजगार योजनाएं

1452. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों से पलायन करके आए हुए लोगों के लिए स्व-रोजगार योजनाएं शुरू करने का विचार है-जैसा कि 30 जून, 2002 के 'द हिन्दु' का समाचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक शुरू किया जाएगा?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) से (ग) जी, नहीं। जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती इलाकों से पलायन करके आए हुए लोगों के लिए कोई विशेष स्वरोजगार योजनाएं शुरू करने का प्रस्ताव सरकार के विचारार्थ नहीं है।

मलेरिया-रोधी कार्यक्रम

1453. श्री विनय कुमार सोराके :
श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मलेरिया-रोधी कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली सहायता को चालू वर्ष में कर्नाटक के लिए काफी कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि या तो राज्य द्वारा गैर-वैतनिक अंश पर व्यय की गई धनराशि के 50% की उसे क्षतिपूर्ति की जाए या इतनी ही राशि के चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति की जाए; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का आवंटन तकनीकी अपेक्षाओं, वित्तीय वर्ष के अंत में राज्य सरकारों के पास सामग्री के उपलब्ध भंडार और बजटीय परिव्यय के अनुसार निधियों की उपलब्धता को ध्यान में रखकर किया जाता है। राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत कर्नाटक को अनुमोदित सहायता पैटर्न के अनुसार सामग्रीगत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

[हिन्दी]

रक्त का अत्यधिक मूल्य वसूलना

1454. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी :
श्री सी. के. जाफर शरीफ :
श्री जय प्रकाश :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश के निजी रक्त–बैंकों द्वारा रक्त का अत्यधिक मूल्य वसूला जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में सरकार को शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे निजी रक्त–बैंकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इस प्रथा को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) रक्त की बिक्री प्रतिबंधित है और इसलिए रक्त के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। तथापि दान में दिए गए रक्त के परीक्षण एवं प्रोसेसिंग के लिए कुछ सेवा शुल्क वसूल किए जाते हैं।

(ख) इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केरल में नये मेडिकल कालेज

1455. श्री रमेश चेन्नितला : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसी राज्य में मेडिकल कालेज की मंजूरी देने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ख) केरल में नये मेडिकल कालेज खोलने के लिए कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) कितने संस्थानों को केन्द्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) नए मेडिकल कालेज की स्वीकृति के संबंध में विस्तृत मानदंड भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के 'मेडिकल कालेज स्थापना विनियमन, 1999' में निर्धारित किए गए हैं।

(ख) मेडिकल कालेज खोलने की अनुमति के लिए केरल से अगस्त, 2001 में 26 आवेदन प्राप्त हुए थे। उनमें से केवल 5 आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण पाए गए थे और निरीक्षण के लिए उनको भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में भेजा गया था। शेष अपूर्ण पाए गए 21 आवेदन आवेदकों को वापस भेज दिए गए थे।

(ग) अभी तक केन्द्रीय सरकार ने एलाममक्कारा कोच्चि में अमृता आयुर्विज्ञान संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र खोलने के लिए अनुमति प्रदान की है। इनके अतिरिक्त सी एस आई साउथ केरल मेडिकल मिशन, कराकोनम द्वारा कराकोनम में और पुष्पागिरि मेडिकल सोसाइटी द्वारा तिरुवल्ला में नए मेडिकल कालेज खोलने के बारे में आशय पत्र जारी किए गए हैं। मलनकारा आथोडॉक्स सिरिएन चर्च मेडिकल मिशन अस्पताल द्वारा कोलेनचेरी में नए मेडिकल कालेज खोलने के चौथे मामले में आशय पत्र जारी किए जाने के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की अनुशंसाएं प्राप्त हो गई हैं। पांचवें मामले में इमाम राजी मुस्लिम एडूकेशनल चेरिटेबल ट्रस्ट, पलक्काड के माला, त्रिसूर में मेडिकल कालेज में आधारभूत सुविधाओं एवं अन्य सुविधाओं को प्रमाणित करने हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने निरीक्षण के लिए निरीक्षक नियुक्त किए हैं।

प्राइवेट नर्सिंग-होम

1456. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल :
श्री अजय सिंह चौटाला :
श्री पी. एस. गढ़वी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में तेजी से पनप रहे प्राइवेट नर्सिंग–होमों की समस्या से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्यवार कितने पंजीकृत और गैर–पंजीकृत प्राइवेट नर्सिंग–होम हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सभी नर्सिंग–होम की जांच करने का है ताकि निदेशालय, स्वास्थ्य सेवाएं और के.स.स्वा. योजना की अनुमोदित दरों को इनके यहां लागू कर इनको वैधता दी जा सके; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) भारत के संविधान के अंतर्गत स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इस प्रकार की कोई सूचना नहीं रखी जाती है। तथापि, केन्द्र सरकार अस्पतालों, उपचर्या गृहों और अन्य क्लीनिकल प्रतिष्ठानों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करने हेतु एक ऐसा माडल विधान लाने का विचार बना रही है जिसे सभी राज्य सरकारों द्वारा अपनाया जा सके।

वर्धमान मेडिकल कालेज

1457. श्री नरेश पुगलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) ने सफदरजंग अस्पताल में नवस्थापित वर्धमान मेडिकल कालेज को मान्यता हेतु अनुशंसित करने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) वर्धमान मेडिकल कालेज के प्रथम बैच के लगभग 100 विद्यार्थियों और नवीन बैच के विद्यार्थियों का भविष्य क्या होगा?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) उपलब्ध सुविधाओं से संतुष्ट होने के बाद केन्द्रीय सरकार ने सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में वर्धमान मेडिकल कालेज खोलने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया था। कालेज को मान्यता प्रदान करने का प्रश्न तब उठेगा जब कालेज में दाखिला लिए छात्र बैच की प्रथम अंतिम परीक्षा में बैठेंगे।

[हिन्दी]

आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति का संवर्धन

1458. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी :
योगी आदित्यनाथ :
श्री पी. डी. एलानगोवन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा–पद्धति के संवर्धन हेतु विगम तीन वर्षों के दौरान सरकार ने कोई कदम उठाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में आयुर्वेदिक चिकित्सा–पद्धति के संवर्धन और विकास से संबंधित कोई नवीन प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान इस चिकित्सा पद्धति का संवर्धन और प्रचार–प्रसार के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों को भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के पृथक् निदेशालय स्थापित करने की सलाह दी गई है। भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग ने स्नातकपूर्व/

स्नातकोत्तर संस्थानों के उन्नयन, औषधियों के मानकीकरण, आंतरिक और बाह्य अनुसंधान को प्रोत्साहन देने तथा सूचना, शिक्षा और संप्रेषण के माध्यम से सूचना के प्रसारण एवं जागरूकता उत्पन्न करने जैसी विभिन्न योजनाओं को कार्यान्वित किया है। विभाग ने आयुर्वेद भेषजसंहिता को भी विकसित किया है।

(ग) और (घ) विभाग में जिला अस्पतालों में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के स्कंधों को खोलने, विशेषज्ञता क्लीनिक खोलने, विशेष उपचार सुविधा आदि विभिन्न योजनाओं को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

(ङ) भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी विभाग के अधीन आयुर्वेदिक संस्थानों को गत तीन वर्षों के दौरान मंजूर की गई निधियां निम्नानुसार हैं–

(रुपए लाखों में)

वर्ष	योजना	योजनेत्तर	योग
1999–2000	1209	2700	3909
2000–2001	1320	2749	4069
2001–2002	1296	2805	4101

इसके अलावा, आयुर्वेदिक पद्धति और आयुर्वेदिक संस्थानों को भी 10 केन्द्रीय और केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजनाओं के तहत निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

[अनुवाद]

के.स.स्वा. योजना के लाभार्थियों के लिए विकल्प

1459. श्री चाडा सुरेश रेड्डी : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी. एच.एस.) के लाभार्थियों को सी.जी.एच.एस. औषधालयों में जहां कि अक्सर आवश्यक दवाइयां उपलब्ध नहीं रहतीं और डाक्टर अपनी सीट पर नहीं रहते–में जाने की बजाय, सीधे स्थानीय प्रतिष्ठित चिकित्सकों को दिखाने और दवाएं खरीदने का विकल्प दिया जाए; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभभोगियों को के.स.स्वा योजना के औषधालयों में जाने के बजाय सीधे ही स्थानीय प्रतिष्ठित डाक्टरों से परामर्श करने और दवाइयां खरीदने के विकल्प देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

इस्पात उद्योग पर मंदी का प्रभाव

1460. श्री राजो सिंह :
श्री बीर सिंह महतो :

क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी और निजी क्षेत्र की इस्पात इकाइयां काफी समय से अर्थव्यवस्था में चल रही मंदी का शिकार हैं और वर्ष 2001–2002 के दौरान निर्मित उत्पादों के काफी मात्रा में जमा हो जाने की वजह से, इस्पात उद्योग की वित्तीय स्थिति में गिरावट आई है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) जी, हां। आमतौर पर सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों में अर्थव्यवस्था में इस्पात उद्योग मंदी से प्रभावित हुआ है। अवसंरचना सहित अंतिम प्रयोक्ता क्षेत्रों द्वारा कम मांग का होना उन अनेक घटकों में से एक है जिनसे इस्पात उद्योग का वित्तीय निष्पादन प्रभावित हुआ है। हाल के महीनों में इस उद्योग में कुछ सुधार दिखाई दिया है।

(ख) और (ग) सरकार इस्पात उद्योग की मौजूदा स्थिति पर नजर रख रही है और स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं–

(i) कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क में कमी के जरिए आयात की लागत में कमी करना।

(ii) आयात शुल्क और न्यूनतम मूल्य के जरिए घरेलू उद्योग को उपयुक्त संरक्षण प्रदान करना।

(iii) देश में तथा विदेशों में बाजार बढ़ाने के लिए इस उद्योग के प्रयासों में सहयोग करना।

(iv) बाजारों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के जरिए इस्पात की खपत को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अभियान समिति का गठन।

(v) अन्न भंडारण प्रणालियों, राजमार्गों और एक्सप्रेस मार्गों में क्रैश बैरियरों जैसे उपयोग के नए क्षेत्रों में इस्पात के उपयोग को प्रोत्साहित करना।

(vi) लोहा और इस्पात क्षेत्र में अनुसंधान और विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाना।

[अनुवाद]

ग्रामीण आय

1461. डा. राजेश्वरम्मा वुक्कला : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों में ग्रामीण आयगत असमानताएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या निवारक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) से (ग) राज्य सरकारों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, राज्य की आय के अनुमान को संकलित करने हेतु उत्तरदायी हैं। ग्रामीण क्षेत्रों हेतु अलग से आय सूचना संकलित नहीं की जाती।

इलेक्ट्रॉनिकी शिक्षा को प्रोत्साहन

1462. श्री वी. वेत्रिसेलयन :
श्री अशोक ना. मोहोल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा देश भर में इलेक्ट्रॉनिकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों/योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विगत दो वर्षों के दौरान इस लक्ष्य की कितनी प्राप्ति हुई;

(घ) क्या सरकार ने इलेक्ट्रॉनिकी शिक्षा के लिए प्रत्येक राज्य में वैश्विक शिक्षा नेटवर्क आरंभ किया है;

(ङ) यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने इसमें रुचि दिखाई है; और

(च) इलेक्ट्रॉनिकी शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को कितनी सहायता उपलब्ध कराई गई है/कराई जा रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय गुणवत्तापूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति के सृजन के लिए भारत सरकार के कार्यों की पूर्ति करने के लिए एक संभावित कार्य-प्रणाली के रूप में ई-अधिगम को बढ़ावा दे रहा है।

(ख) और (ग) सहायता प्राप्त परियोजनाएं ई-अधिगम से संबंधित पाठ्यसामग्री निर्माण, पाठ्यसामग्री विकास, अनुदेशात्मक डिजाइन, सूचना सामग्री, सृजन आदि के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास पर ध्यान केन्द्रित करती है। विभिन्न संस्थानों में इस समय चल रही परियोजनाएं नीचे दी गई हैं :

1. एनसीएसटी, मुम्बई में ऑनलाइन अधिगम के लिए राष्ट्रीय स्रोत केन्द्र।
2. आईजीएनओयू की आभासी परिसर पहल-- आईजीएनओयू, नई दिल्ली में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा।
3. सूचना प्रौद्योगिकी में सुदूर और सतत शिक्षा के लिए वेब आधारित अंकीयकृत संचयन का विकास करना-इंटरनेट पर आधारित ऑनलाइन अंतरसक्रिय पाठ्यसामग्री पर एक निदर्शनात्मक परियोजना, आईआईटी-दिल्ली।

4. बिट्स, पिलानी में आभासी विश्वविद्यालय के लिए इंटरनेट समर्थित मल्टीमीडिया पर आधारित पाठ्यक्रम का डिजाइन तथा विकास।

5. आईआईटी--कानपुर में एक संकर इंटरनेट तथा प्रसारण अंकीय टीवी नेटवर्क पर अंतर सक्रिय मल्टीमीडिया सूचना सेवा का विकास।

6. आईआईटी, दिल्ली में वेब आधारित बुद्धिपरक अंतर सक्रिय शिक्षण।

7. सी–डैक, हैदराबाद में ई–अधिगम साधनों के लिए संघटक–पुर्जा पर आधारित कार्य का डिजाइन तथा विकास।

8. शिक्षा प्रौद्योगिकी स्कूल, जादवपुर विश्वविद्यालय, कोलकाता में सूचना प्रौद्योगिकी तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिए बहु–मॉडल अंकीय सुदूर शिक्षण।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) ये प्रश्न नहीं उठते।

खेलों को प्रोत्साहित करने की राष्ट्रीय योजना

1463. श्री मोहन रावले : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खेलों के निम्न स्तर को देखते हुए सरकार का प्रतिभावान बालक–बालिकाओं को जिला स्तर से ही प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, नहीं। जिला स्तर पर खेलों में प्रतिभावान बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार करने संबंधी कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है। तथापि, स्कूल स्तर पर खेलों के स्तर को बढ़ाने और स्कूलों में खेलकूद के संवर्धन की योजना के अंतर्गत, अंतर–स्कूल प्रतिस्पर्धाओं में सहभागिता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, सरकार राज्य/संघ शासित सरकारों को जिला स्तरों पर अंतर–स्कूल खेल टूर्नामेंटों के आयोजन के लिए 50,000/– रुपए प्रति जिले की दर से अनुदान देती है।

एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केन्द्र

1464. श्री पी. आर. किन्डिया : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नागालैंड में दो एकीकृत अवसंरचनात्मक विकास केन्द्र (आई.आई.डी.सी.) खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन केन्द्रों के स्थापनार्थ स्थानों की पहचान कर ली गई है;

(ग) क्या इन केन्द्रों की स्थापना के कार्य के समय पर होने के लिए कोई समय–सारणी बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) एकीकृत आधारभूत संरचना विकास योजना के प्रावधानों के अंतर्गत, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के लिए, एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आई आई डी) केन्द्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त स्थलों का चुनाव करना, प्रस्ताव तैयार करना, परियोजना रिपोर्टें बनाना और इन्हें तकनीकी–आर्थिक मूल्यांकन हेतु भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) को सौंपे जाना अपेक्षित है। सिडबी की मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर केन्द्र सरकार आईआईडी केन्द्रों को स्थापना की स्वीकृति देती है। अब तक केन्द्र सरकार के विचारार्थ नागालैंड सरकार से सिडबी के माध्यम से आईआईडी केन्द्र की स्थापना हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राष्ट्रीय औसत आय

1465. डा. डी. वी. जी. शंकर राव : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके शहरी इलाकों

के व्यक्तियों की आय वर्ष 2002 के दौरान पिछले एक दशक की तुलना में राष्ट्रीय औसत आय से कम रही;

(ख) इस गिरावट के लिए किन-किन कारणों की पहचान की गई है; और

(ग) इस बारे में सरकार ने कौन से निवारक उपाय किए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा यथा अनुमानित राष्ट्रीय आय से संबंधित उपलब्ध आंकड़े शहरी क्षेत्रों के लिए चालू मूल्यों पर समय के तीन बिन्दुओं अर्थात् वर्ष 1970-71, 1980-81 और 1993-94 के लिए राष्ट्रीय आय के संबंध में सूचना मुहैया करवाते हैं। वर्ष 1993-94 से बाद की अवधि के लिए कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

राज्य सरकारों के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय राज्य की आय और प्रति व्यक्ति आय के अनुमान संकलित करने के लिए जिम्मेदार हैं। ये अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन में एक समेकित आंकड़ा आधार में रखे जाते हैं। राज्यों द्वारा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से आय सूचना संकलित नहीं की जाती है। इस प्रकार, राष्ट्रीय औसत आय के संदर्भ में राज्य-स्तरीय शहरी आय की कोई तुलना नहीं की जा सकती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

भारत के खिलाफ दुष्प्रचार

1466. श्री बी. वी. एन. रेड्डी :
श्री गुनीपाटी रामैया :

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार के विरुद्ध मानस तैयार करने हेतु प्रचार-प्रसार और विज्ञापनों पर विगत दो वर्षों के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस प्रयोजनार्थ निर्दिष्ट बजट राशि का उपयोग वर्ष 2000-2001 के दौरान कर लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) भारत के खिलाफ दुष्प्रचार के प्रत्युत्तर के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) केवल 2000-2001 के आंकड़े उपलब्ध हैं। खर्च की गई राशि 30.23 करोड़ रुपए थी।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 2000-2001 के दौरान सचिवालय को विज्ञापन और प्रचार के लिए आवंटित अंतिम बजट पूरी तरह उपयोग किया गया था। तथापि, विदेशों में स्थिति दूतावासों को विज्ञापन और प्रचार के लिए आवंटित बजट पूरी तरह उपयोग नहीं किया जा सका। आवंटित धन को खर्च न किए जाने के प्रत्येक दूतावास के भिन्न-भिन्न कारण हैं। इनमें कुछ देशों में नियमित प्रचार-कार्य में प्रतिकूल परिस्थिति बाधक होना, अन्य में अतिविशिष्ट व्यक्तियों के दौरों का पुनर्निर्धारण करना, अपरिहार्य कारणों के लिए विशेष समाचार अनुपूरक जारी न करना; और कुछ परियोजनाओं, सेमिनारों, फिल्मों और सांस्कृतिक समारोहों को स्थानीय आकस्मिकताओं और परिस्थितियों के कारण विलंब या रद्द करना शामिल है।

(घ) सरकार भारत विरोधी दुष्प्रचार का सामना करने के लिए विश्व स्तर पर ठोस और सुविचारित कार्य-योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। अन्य बातों के साथ-साथ इन गतिविधियों में फिल्मों का निर्माण, विदेशी भाषाओं में प्रकाशन, मीडिया के प्रसिद्ध लोगों द्वारा भारत की यात्राएं, अत्यंत प्रासंगिक विषयों पर संगोष्ठियों और सम्मेलनों का आयोजन, हमारे प्रचार प्रयासों में अनिवासी भारतीयों और भारतीय मूल के लोगों को शामिल करना, समाचार पत्रों के संपादक मंडलों के साथ और प्रमुख टेलीविजन कार्यक्रमों में वरिष्ठ भारतीय राजनयिकों के साथ चर्चाएं तथा हमारी सरकार के विचारों को रखने के लिए इंटरनेट का उपयोग करना शामिल है।

[हिन्दी]

लघु उद्योग हेतु ब्याज दर में कमी

1467. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग संबंधी इकाइयों हेतु ब्याज दर को क्रम करने का है ताकि वे बड़े

उद्योगों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) लघु उद्योग इकाइयों के लिए ब्याज दरें, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर ब्याज दरों के संबंध में जारी किए गए निर्देशों द्वारा शासित होती हैं। ब्याज दर व्यवस्था का अविनियम किए जाने के पश्चात् समय बीतने के साथ-साथ लेंडिंग दरें निम्न स्तर पर आ गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के वर्तमान निर्देशों के अनुसार 2 लाख रु. तक के ऋणों के लिए लेंडिंग दर वैयक्तिक बैंकों द्वारा निर्धारित की गई प्राइम लेंडिंग दर (पी.एल.आर.) से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा 2 लाख रु. से अधिक के ऋणों के लिए यह पी.एल.आर. तथा अधिकतम बैण्ड्स की शर्त के अधीन बैंकों के विवेक पर निर्भर करती है। इसके अतिरिक्त, पी.एल.आर., जो कि 2 लाख रु. से अधिक के ऋणों के लिए फ्लोर दर है, की आवश्यकता में छूट दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, बैंक निर्यातकों अथवा अन्य क्रेडिट योग्य उधारकर्ताओं को पी.एल.आर. दरों से भी निम्न दरों पर ऋण ऑफर करेंगे। क्रेडिट अथवा अन्य समर्थन प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपायों का उद्देश्य घरेलू एवं वैश्विक, दोनों स्तरों पर लघु क्षेत्र की प्रतियोगिता में वृद्धि करना है।

शहरी बुनियादी ढांचा संबंधी सुविधाएं

1468. श्री थावरचन्द गेहलोत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (अर्बन इम्प्रूवमेंट इन्सेन्टिव फंड) से राज्यों को जारी की गई धनराशि से संबंधित नियमों में परिवर्तन करने हेतु कोई प्रावधान किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाओं हेतु कोई समिति गठित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे से संबंधित सुविधाओं में वृद्धि करने हेतु निजी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) 500 करोड़ रु. के शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (यूआरआईएफ) के अंतर्गत राज्यों को जारी की गई राशि राज्यों द्वारा शहरी क्षेत्र सुधार संबंधी समझौता ज्ञापन के अनुपालन पर निर्भर करेगी।

(ग) और (घ) शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष के कार्यान्वयन हेतु दिशानिर्देश और रीतिविधान विकसित करने के लिए सचिव, शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

(ङ) हाल ही में, सरकार ने आवास एवं भवन निर्माण सामग्री सहित एकीकृत नगर-क्षेत्र के विकास के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को स्वीकृत दे दी है।

[अनुवाद]

भारत और पाकिस्तान के बीच विमान सेवा संपर्क पुनः शुरू किया जाना

1469. श्रीमती श्यामा सिंह : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में पाकिस्तान को भारत की वायु सीमा से पुनः उड़ानें ले जाने की अनुमति देने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो किस आधार पर ऐसे निर्णय की घोषणा की गई;

(ग) क्या पाकिस्तान ने अपनी वायु सीमा का भारतीय विमानों को उपयोग करने की अनुमति देने से इंकार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (घ) पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ ने 27 मई और 6 जून को स्थाई आधार पर सीमा पार से घुसपैठ समाप्त करने का वायदा किया था। इस वचनबद्धता को देखते हुए 10 जून को भारत सरकार ने हमारी संसद पर हुए हमले के बाद जनवरी, 2002 से पाकिस्तानी वायुयानों पर हमारी सीमा में उड़ान भरने के लिए लगे प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की। तत्पश्चात पाकिस्तान ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है।

[हिन्दी]

पीलिया के रोगी

1470. श्री शिवराज सिंह चौहान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पीलिया के रोगियों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की सहायता से पीलिया रोग के बारे में कोई अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा पीलिया के रोगियों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) पीलिया आमतौर पर हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी, ई एवं जी विषाणुओं के संक्रमण से उत्पन्न वायरल हेपेटाइटिस से होता है। वायरल हेपेटाइटिस के बारे में आंकड़े निम्नलिखित हैं–

वर्ष	रोगी	मृत्यु
1998	1,13,257	1055
1999	1,30,153	1313
2000	1,52,713	1035
2001	1,21,618	880

(ग) और (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की सहायता से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने तीन अध्ययन किए हैं। अध्ययन से वायरल हेपेटाइटिस एन्टीजेन्स और वायरल मार्कर के बारे में महत्वपूर्ण आंकड़े मिले और स्कूली बच्चों में हेपेटाइटिस ए विषाणु के सेरो जानपदिक रोग विज्ञान के संबंध में भी सूचना मिली है।

(ङ) सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं–

- राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान, दिल्ली पीलिया/वायरल हेपेटाइटिस के बारे में जांच–पड़ताल के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
- संचारी रोगों के लिए राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रम 101 जिलों में शुरू किया गया है जो वायरल हेपेटाइटिस को भी कवर करता है।
- हेपेटाइटिस बी एवं हेपेटाइटिस सी के लिए रक्त बैंक में रक्त की अनिवार्य जांच की जाती है।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत सुरक्षित यौन व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यकलाप।
- प्रत्येक इंजेक्शन के लिए अलग विसंक्रमित सिरिंज एवं सुई के प्रयोग के लिए स्वास्थ्य प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए।
- केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में उच्च खतरे वाले कार्मिकों को टीका लगाया जाता है। राज्य सरकारों को भी ऐसे ही कदम उठाने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

भारतीय मूल के लोगों को पासपोर्ट

1471. डा. नीतिश सेनगुप्ता : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों में भारतीय मूल के लोगों को भारतीय पासपोर्ट जारी करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे देश को किस प्रकार फायदा होगा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) प्रचलित विधिक प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिए भारतीय पासपोर्ट जारी नहीं किया जा सकता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

तीन बीघा भूमि विवाद

1472. श्री बीर सिंह महतो : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांग्लादेश के साथ तीन बीघा भूमि विवाद को सुलझाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी मौजूदा स्थिति क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

वस्तुओं का परिवहन

1473. श्री मनसुखभाई डी. वसावा : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पोतों के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन में लगातार कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित और प्राप्त किए गए;

(ग) कमी के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा भारतीय पोतों के माध्यम से वस्तुओं के परिवहन में वृद्धि हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश गोयल) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत के विदेशी व्यापार के कुल हिस्से में कमी नहीं आ रही है। तथापि, 1999–2000 के दौरान भारत के विदेशी व्यापार में भारतीय पोतों द्वारा ढोए गए कार्गो के हिस्से का प्रतिशत विशेषतः सामान्य कार्गो के क्षेत्र में 1998–99 के आंकड़े की तुलना में कम हो गया है। सरकार द्वारा कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि ढुलाई किसी भी पोत पर की जा सकती है। पिछले तीन वर्षों में ढोई गई मात्रा और भारतीय हिस्से का प्रतिशत इस प्रकार है–

(मिलियन टन)

वर्ष	सामान्य कार्गो	शुष्क बल्क कार्गो	पीओएल और उत्पाद	कुल (भारतीय कंपनियां)	कुल (भारतीय और विदेशी कंपनियां)
1997–1998	6.52 (12.4%)	10.98 (14.4%)	46.03 (62.3%)	63.53 (31.4%)	202.44
1998–1999	6.99 (14.3%)	11.18 (15.2%)	44.44 (55.1%)	62.61 (30.8%)	203.67
1999–2000	2.94 (7.3%)	11.95 (14.4%)	55.96 (55%)	70.85 (31.5%)	224.62

(ग) और (घ) उपर्युक्त का प्रमुख कारण नौवीं योजना अवधि के दौरान भारतीय बेड़े की संवृद्धि में आई स्थिरता है। सरकार ने भारतीय बेड़े की संवृद्धि को सुकर बनाने और भारतीय पोतों द्वारा ढोए गए कार्गो के हिस्से को बढ़ाने में सहायता करने के लिए नौवीं योजना अवधि के दौरान निम्नलिखित उपाय किए हैं–

- पृथक आरक्षित खाते में जलयान अधिग्रहण के लिए नियत राशि पर 50% से 100% कर राहत देकर आय कर अधिनियम की धारा 33 ए सी को पुनः लागू करना।
- मूल्यह्रास दर को 20% से बढ़ाकर 25% करना।
- पुराने जलयानों के अधिग्रहण को पूंजी माल के रूप में वर्गीकृत करने की विसंगति को सुधारने के लिए एग्जिम नीति में आवश्यक संशोधन करना क्योंकि इसके लिए विशेष आयात लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता होती थी।
- नौवहन क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना।
- टनभार के अधिग्रहण के लिए अधिक निधियां नियत करने हेतु भारतीय पोतमालिकों को प्रोत्साहित करने के लिए धारा 33 ए सी के कार्यक्षेत्र में विस्तार करना। इसके अतिरिक्त भारतीय पोत मालिकों के लिए इस धारा को और अधिक आकर्षक बनाने हेतु सरकार ने न्यूनतम वैकल्पिक कर के प्रयोजन के लिए बही लाभों का परिकलन करते समय धारा 33 ए सी के तहत अंतरित की गई निधियों को घटाने की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

राष्ट्रीय डाक नीति

1474. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय डाक नीति को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) से (ग) राष्ट्रीय डाक–नीति तैयार की जा रही है तथा इसको जल्दी ही अंतिम रूप दिया जाएगा।

[अनुवाद]

कर्नाटक में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लक्ष्य में गिरावट

1475. श्री आर. एल. जालप्पा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 के दौरान कर्नाटक में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितने नये टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए गए;

(ख) क्या प्रदान किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा कम है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) 2001–2002 के दौरान कर्नाटक में 3.35 लाख निवल सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान की गईं जबकि लक्ष्य 5 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनों का था।

(ख) से (घ) 2001–2002 के दौरान कुल 5.52 लाख सीधी एक्सचेंज लाइनें प्रदान करने के बावजूद बड़े पैमाने पर 2.17 लाख टेलीफोन काटे जाने के कारण केवल 3.35 लाख लाइनों का ही लक्ष्य प्राप्त किया जा सका। लक्ष्य प्राप्ति में कमी का एक कारण यह भी था कि शहरी क्षेत्रों में मांग पर टेलीफोन दिए जाने के कारण वहां टेलीफोन एक्सचेंजों की क्षमता लगभग पूरी हो चुकी थी। अब यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है कि निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार टेलीफोन प्रदान करने के लिए समय पर सामग्री की व्यवस्था कर दी जाए।

गैर-सरकारी संगठनों को अनुदान

1476. मोहम्मद शहाबुद्दीन :
श्रीमती कान्ति सिंह :
डा. रघुवंश प्रसाद सिंह :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन मदों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए उनके मंत्रालय द्वारा गैर–सरकारी संगठनों को अनुदान दिए जाते हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष बिहार में किन–किन गैर–सरकारी संगठनों को ऐसे अनुदान प्रदान किए गए हैं;

(ग) क्या मंत्रालय को इस संबंध में गैर–सरकारी संगठनों से कोई नया प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लघु उद्योगों हेतु व्यापक विधान

1477. अशोक ना. मोहोल :
श्री ए. वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :
श्री बी. वेंकटेस्वरलु :

क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों हेतु एक व्यापक विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में एक विधेयक संसद में कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार लघु उद्योग की अखिल भारतीय गणना भी शुरू करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सरकार को भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (ए.एस.सी.आई.), हैदराबाद से लघु उद्यम विकास विधेयक का प्रारूप प्राप्त हुआ है। प्रारूप का उद्देश्य लघु उद्योग (एस.एस.आई.) सेक्टर से संबंधित क्रेडिट, मार्किटिंग, ट्रेड सुरक्षा, लेबर से संबद्ध निरीक्षण इत्यादि चिंताओं को दूर करना है। ए.एस.सी.आई. हैदराबाद द्वारा बनाया गया प्रारूप विधेयक को राज्यों/संघ शासित सरकारों सहित लघु उद्योग बोर्ड के सदस्यों से फीड बैक के लिए 4 जुलाई, 2002 को हुई लघु उद्योग बोर्ड की 47वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया है।

(घ) और (ङ) सरकार ने लघु उद्योग यूनिटों की तीसरी गणना शुरू करने की घोषणा कर दी है। गणना की विधि संबंधी पहलुओं को अंतिम रूप दे दिया गया है तथा राज्य–संघ शासित सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे गणना संबंधी योजना बनाएं तथा फील्ड प्रचालन को कार्यरूप दें।

भारतीय जड़ी-बूटी संबंधी अनुसंधान

1478. श्री पी. एस. गढ़वी :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ यूरोपीय देश भारतीय जड़ी–बूटियों पर बड़े पैमाने पर अनुसंधान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जड़ी–बूटी उद्योग विश्व स्वास्थ्य संगठन से कतिपय औषधियों के निर्माण हेतु निर्णय का इंतजार कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन से ऐसी अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) यह एक ज्ञात तथ्य है कि यूरोपीय देश भूमि आमलकी (फाइलेंथस एमेरस), निम्ब (अज़ादिराछटा इंडिका) एवं हरिद्रा (करकूमा लौंग) आदि सहित भारतीय जड़ी–बूटियों पर अनुसंधान कर रहे हैं।

(ग) से (ङ) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सदस्य देशों के लिए पारंपरिक औषधियों पर अनुसंधान और मूल्यांकन के लिए कार्यप्रणाली तथा पारंपरिक औषधियों संबंधी कार्यनीति पर सामान्य दिशा निर्देश जारी किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन आज्ञापक निकाय नहीं है। कोई अनुसंधान करने के लिए उनकी अनुमति लेना आवश्यक नहीं है।

नेत्र दान

1479. श्री भर्तृहरि महताब : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नेत्र बैंक अस्पतालों के गहन चिकित्सा कक्षों के साथ–साथ शवदाह गृहों से मृतकों अथवा मृत्यु शय्या पर पड़े व्यक्तियों के संबंधियों को नेत्रहीनों हेतु कार्निया के दान के लिए प्रेरित करने हेतु संपर्क कर रहे हैं;

(ख) क्या नेत्र दान को अभी भी जागरूकता के अभाव के कारण लोकप्रिय बनाना शेष है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) देश में राज्य–वार और संघ राज्य क्षेत्र–वार ऐसे कौन–कौन से नेत्र बैंक हैं जो आंखों को सुरक्षित रखने और प्रत्यारोपित करने में पूरी तरह सुसज्जित हैं;

(ङ) क्या स्वैच्छिक नेत्र दाताओं का इंतजार करने के बजाय शवदाह गृहों से नेत्र दान स्वीकार करने हेतु एक विधान बनाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां। नेत्रबैंक हास्पिटल कोर्निया रिट्राइवल कार्यक्रम के अंतर्गत नेत्रदान के लिए अस्पतालों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। 'ग्रीफ काउन्सलर' के रूप में कहे जाने वाले नेत्रबैंक के स्टाफ नाजुक स्थिति वाले रोगियों के परिवार के सदस्य से संपर्क करते हैं और रोगियों के मरने पर उनको नेत्रदान के लिए प्रेरित करते हैं। तथापि, यह रिश्तेदारों से संवेदनशील अनुरोध है और यह रिश्तेदारों पर निर्भर करता है कि वे नेत्रदान करें अथवा इस अनुरोध को ठुकरा दें।

(ख) और (ग) नेत्रदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं–

(i) प्रतिवर्ष 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक नेत्रदान पर राष्ट्रीय पखवाड़े का आयोजन करना,

(ii) दूरदर्शन, रेडियो पर संदेशों का प्रसारण, प्रैस, मुद्रित सामग्री, पोस्टर, पेंटिंग्स, नाखा लेखन प्रतियोगिता इत्यादि के माध्यम से जन जागरूकता बढ़ाना,

(iii) स्थाई रूप से बीमार रोगियों के रिश्तेदारों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने के लिए 'ग्रीफ काउंसलिंग' पर अस्पताल के स्टाफ को प्रशिक्षित करना,

(iv) सरकारी और स्वैच्छिक क्षेत्र में नेत्र बैंकों को वित्तीय सहयता प्रदान करना,

(v) नेत्रदान की प्रतिज्ञा के बजाय नेत्रों के वास्तविक संग्रहण पर ध्यान केन्द्रित करके 'हास्पिटल कोर्निया रिट्राइवल कार्यक्रम' चलाना।

(घ) देश में बहुत ही थोड़े नेत्रबैंक हैं जो कोर्निया का भंडार करने और उनके प्रत्यारोपण के लिए पूरी तरह से सज्जित हैं। ऐसे प्रमुख नेत्र बैंकों की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) और (च) यह सक्रिय रूप से विचाराधीन है और कुछ राज्य सरकारों के विचार प्राप्त करने के लिए एक विधेयक के प्रारूप को परिचालित किया गया है।

विवरण

प्रमुख उपकरणों से सज्जित नेत्र बैंकों की सूची

1. राष्ट्रीय नेत्र बैंक, डा. राजेन्द्र प्रसाद नेत्र विज्ञान केन्द्र, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

2. गुरु नानक नेत्र केन्द्र, महाराजा रणजीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली

3. रोटरी केन्द्रीय नेत्रबैंक, सर गंगा राम अस्पताल, नई दिल्ली

4. इद. मौमिनी नेत्र बैंक, वेणु नेत्र संस्थान, नई दिल्ली

5. स्नाकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़

6. सामरिया इंटरनेशनल रेड क्रास नेत्र बैंक, अहमदाबाद

7. रामयम्मा इंटरनेशनल नेत्र बैंक, हैदराबाद

8. आई बैंक एसोसिएशन, लिटिल फ्लावर अस्पताल, अन्गामल्ली

9. ओजानाम नेत्र केन्द्र, क्विलोन, केरल

10. क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, तिरुवनन्तपुरम

11. अर्पण नेत्र बैंक, घाटकोपर, मुम्बई

12. श्री गणपति नेत्रालय, जालना

13. श्री विवेकानन्द नेत्र बैंक, लातूर

14. सशस्त्र सेना मेडिकल कालेज, पुणे

15. आई बैंक को–आर्डिनेशन और रिसर्च सेंटर, मुम्बई

16. लायन आई बैंक ट्रस्ट और क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान, इग्मोर, चेन्नै

17. अरविन्द नेत्र अस्पताल, मदुराई

18. श्री कांची कामकोटि मेडिकल ट्रस्ट, कोयम्बतूर

19. सी. यू. शाह नेत्र बैंक, चेन्नै

20. नीमच नेत्र बैंक, मध्य प्रदेश

21. सेवा सदन नेत्र अस्पताल, भोपाल

22. चोइतराम अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर

23. जिपमेर, पांडिचेरी

24. जोसेफ नेत्र अस्पताल, तिरुच्चि

25. शेल नेत्र केन्द्र, वेल्लूर

26. ओ.ई.यू. नेत्र विज्ञान संस्थान, मणिपाल, कर्नाटक

27. मिण्टो नेत्र अस्पताल, बैंगलोर

28. बेंगलोर वेस्ट लायन नेत्र अस्पताल और अनुसंधान केन्द्र, बैंगलोर

29. क्षेत्रीय नेत्रविज्ञान संस्थान एवं मेडिकल कालेज, कोलकाता।

टीसीआईएल

1480. श्री प्रकाश वी. पाटील : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टेलीकाम कंसलटेंट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) ने घाना टेलीकाम की एक परियोजना को शुरू किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परियोजना निर्धारित समय–सीमा के अन्दर पूरी हो गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या टेलीकाम कंसलटेन्ट्स इंडिया लिमिटेड (टीसीआईएल) को परियोजना का पूरा भुगतान प्राप्त हो गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो भुगतान संबंधी धनराशि की वसूली हेतु क्या कार्रवाई की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। ब्यौरे संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) पहले दो ठेकों का कार्य निर्धारित समय से पूर्व पूरा कर लिया गया था। तीसरी परियोजना की निर्धारित सीमा अभी समाप्त नहीं हुई है।

(घ) पहली परियोजनाओं का पूरा भुगतान प्राप्त हो गया है। तीसरी परियोजना का लगभग 120.32 करोड़ रुपया लंबित पड़ा हुआ है।

(ङ) बकाया धनराशि की वसूली के लिए टीसीआईएल

द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

ग्लोबल टेंडरों के आधार पर घाना दूरसंचार द्वारा टीसीआईएल को दिए गए ठेकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

(i) 1993 में घाना के विभिन्न भागों में कस्टमर एक्सेस नेटवर्क संस्थापित करने के लिए 22 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 93.4 करोड़ रु.) की परियोजना का काम दिया गया था। इस परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था जापान की ओवरसीज इकानामिक कोआपरेशन फंडिंग द्वारा की गई थी।

(ii) 1997 में घाना की राजधानी एक्करा में एक बड़ी नई हाउसिंग कालोनी डन्सोमन में कस्टमर एक्सेस नेटवर्क की संस्थापना के लिए 12 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 57.8 करोड़ रु.) की परियोजना का काम दिया गया था। इस परियोजना के लिए घाना दूरसंचार द्वारा अपने आंतरिक संसाधनों द्वारा वित्त व्यवस्था की गई थी।

(iii) 1998 में घाना के विभिन्न भागों में कस्टमर एक्सेस नेटवर्क की संस्थापना के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर मूल्य की एक बड़ी परियोजना के एक भाग का काम करने के लिए 50 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 235 करोड़ रु.) का ठेका दिया गया था। टीसीआईएल तथा सैमसंग और जीएएमएएल (घाना और मलेशिया का एक संयुक्त उद्यम) नामक दो अन्य ठेकेदारों को 50–50 मिलियन अमरीकी डालर का ठेका दिया गया। ठेके की जो बाकी धनराशि रह गई थी, उसे बाद में बढ़िया काम करने वाले ठेकेदार को दिया जाना था।

विवरण-II

बकाया धनराशि की वसूली के लिए टीसीआईएल ने जो कार्रवाई की, उसमें निम्नलिखित उपाय शामिल हैं :

(i) घाना स्थित परियोजना कार्यालय द्वारा नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई करने के अलावा टीसीआईएल मुख्यालय के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशकों और कार्यकारी निदेशकों द्वारा बकाया धनराशि देने के लिए घाना दूरसंचार पर दबाव डालने के साथ–साथ टीसीआईएल को जल्दी से जल्दी भुगतान करने के लिए घाना के संचार मंत्री और उप–संचार मंत्री से भी कहलाया गया।

(ii) अप्रैल, 2001 के बाद कोई और काम नहीं किया गया।

(iii) हालांकि ठेके में विलंबित भुगतान के विकल्प के साथ–साथ नकद भुगतान के विकल्प की भी व्यवस्था थी, फिर भी घाना दूरसंचार ने नकद भुगतान का विकल्प चुना था जिसके तहत इतनी बकाया धनराशि संचित हुई। टीसीआईएल द्वारा घाना दूरसंचार और घाना सरकार को इस बात के लिए राजी करने के प्रयास किए गए कि वह पुनः भुगतान की किस्तों के साथ ब्याज सहित विलम्बित भुगतान के आधार पर बकाया धनराशि को विनियमित करें।

(iv) टीसीआईएल के अनुरोध पर घाना में भारत के उच्चायुक्त और विदेश मंत्रालय तथा संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारियों ने भी घाना सरकार पर टीसीआईएल को से जल्दी से जल्दी भुगतान करने के लिए दबाव डाला।

(v) 30 जून, 2002 तक बिल की कुल धनराशि 45 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 220 करोड़ रु.) थी जबकि आज की तारीख को बकाया पड़ी धनराशि 25.6 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 120.32 करोड़ रु.) है। दिसम्बर, 2001 से अब तक घाना दूरसंचार से लगभग 7 मिलियन अमरीकी डालर (लगभग 34 करोड़ रु.) की बकाया धनराशि वसूल की गई है। घाना के संचार मंत्री ने मई, 2002 में टीसीआईएल को लिखे एक पत्र में इस बात की पुष्टि की है कि 1 मिलियन अमरीकी डालर या इसके समकक्ष धनराशि प्रत्येक माह अदा की जाएगी और इस प्रकार वर्द्धित वसूली की शुरूआत हुई है।

सरकारी अस्पतालों में बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कमी

1481. श्री वाई. वी. राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त बुनियादी ढांचे और सुविधाओं की कमी है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि गरीब रोगी लंबी कतारों और इंतजार की लंबी घड़ियों के कारण कठिनाई का सामना कर रहे हैं; और

(ग) स्वास्थ्य परिदृश्य में सुधार हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) जहां तक केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों अर्थात् डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं संबद्ध अस्पतालों का संबंध है, बुनियादी ढांचे संबंधी अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रतीक्षा के समय में कमी लाने के लिए भीड़–भाड़ के समय अधिक पंजीकरण पटल खोले जाते हैं। लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज में पंजीकरण पटलों की संख्या बढ़ाकर 4 से 6 तक तथा सफदरजंग अस्पताल में 6 से 14 कर दी गई है। इसके अतिरिक्त डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल, सफदरजंग अस्पताल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कालेज एवं सम्बद्ध अस्पतालों में दोहपर बाद 14 से 18 विशेष क्लीनिक चलाए जाते हैं। जहां तक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का संबंध है, अस्पताल ऐसे सभी रोगियों को पर्याप्त चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने के लिए उपयुक्त रूप से सज्जित है जो स्थान और धन की कठिनाइयों के अंतर्गत उपचार के लिए वहां आते हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान में लघु उद्योगों को सहायता

1482. श्री कैलाश मेघवाल : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक द्वारा लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना हेतु कितना ऋण/वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और कितनी इकाइयां स्थापित की गईं तथा खर्च की गई धनराशि का श्रेणी–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या 'सिडबी' राजस्थान में अपनी गतिविधियों के विस्तार हेतु किसी योजना पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) वर्ष 1999–2000, 2000–2001 तथा 2001–2002 के दौरान भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा लघु उद्योग यूनिटों की संख्या जिन्हें सहायता दी गई, के सहित प्रदान की गई कुल वित्तीय सहायता की राशि निम्नोकत है–

वर्ष	यूनिटों की सं.	प्रदान की गई सहायता (करोड़ रु. में)	
		स्वीकृतियां	संवितरण
1999–2000	69813	10264.74	6963.50
2000–2001	52204	10820.60	6441.41
2001–2002	21607	9025.52	5919.33

सिडबी द्वारा प्रदान की गई उपर्युक्त सहायता के संबंध में कैटेगरी–वार ब्यौरा संलग्न विवरण पर प्रस्तुत है।

(ख) से (घ) सिडबी राजस्थान में लघु उद्योग सेक्टर को स्वस्थ वृद्धि सुविधा प्रदान करने के लिए निरंतर नई रणनीतियां अपना रही है। सिडबी लघु उद्योग सेक्टर के लिए नई पहलें करना तथा राजस्थान में नए क्रियाकलापों को जारी रखेगी।

विवरण

सिडबी द्वारा प्रदान की गई सहायता का कैटेगरी–वार ब्यौरा

(करोड़ रु. में)

कैटेगरी	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	मंजूरियां	संवितरण	मंजूरियां	संवितरण	मंजूरियां	संवितरण
1	2	3	4	5	6	7
पुनर्वित्त	6353.61	4138.17	8082.02	4404.03	6374.97	4144.44
बिल फाइनेंसिंग	1503.47	1313.73	880.49	778.63	782.39	711.26
स्रोत सहायता	1020.50	592.17	533.21	320.10	492.00	451.67
परियोजना फाइनेंसिंग	1321.40	868.33	1260.64	896.01	1276.18	550.74
इक्विटी सहायता	35.63	32.05	20.22	16.85	54.28	35.96
संवर्धनात्मक तथा विकासीय क्रियाकलाप	30.13	19.05	44.02	25.79	45.70	25.26
कुल	10264.74	6963.50	10820.60	6441.41	9025.52	5919.33

[अनुवाद]

प्रमुख पत्तनों पर कार्गो संभलाई और भंडारण सुविधाएं

1483. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख पत्तनों पर कार्गो संभलाई और भंडारण सुविधाएं अनुमानित जरूरत से कम रहीं;

(ख) क्या पत्तन उपकरणों का उपयोग बहुत कम हुआ और पत्तनों पर कोई समुचित रखरखाव संबंधी सुविधाएं नहीं थीं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी किन–किन पत्तनों की पहचान की गई जिनमें ये सुविधाएं नहीं थीं और इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या पट्टा अनुबंध के खराब प्रबंधन के कारण पत्तनों को घाटा हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान घाटा हुआ और पत्तन अधिकारियों द्वारा उठाए जा रहे घाटे को रोकने हेतु सरकार का विचार किस तरीके से प्रणाली को बेहतर बनाने का है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश गोयल) : (क) जी, नहीं।

(ख) सभी महापत्तनों पर पर्याप्त कार्गो हैंडलिंग और भंडारण सुविधाएं मौजूद हैं तथा कार्गो हैंडलिंग उपस्करों का कम उपयोग अनुरक्षण सुविधाओं के अभाव के कारण नहीं है बल्कि यह पत्तन प्रयोक्ताओं की सीमित मांग के कारण है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नई औषधियों को अनुमति

1484. श्री भीम दाहाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय नई औषधियों को अनुमति दिए जाने के संबंध में कितने आवेदन लंबित हैं;

(ख) उनके लंबन के क्या कारण हैं; और

(ग) इन आवेदनों को कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों के अंतर्गत अनुसूची–वाई के अनुसार नई औषध के आवेदनपत्रों का मूल्यांकन एक जटिल और सतत प्रक्रिया है और यह अणु/औषध की प्रकृति के अनुसार भिन्न–भिन्न होती है। अतः यह बात आवेदनपत्र के स्वरूप पर निर्भर करती है, अन्वेषणात्मक नई औषध (अर्थात् विश्व में कहीं पर भी मानव पर किसी औषध अणु का परीक्षण नहीं किया गया है) के अनुमोदन के लिए औसतन 5 वर्ष से अधिक का समय, कहीं पर पहले से ही अनुमोदित औषध, लेकिन इसके लिए पुष्ट नैदानिक परीक्षण की आवश्यकता होती है, के पहली बार अनुमोदन के लिए लगभग 1–3 वर्ष का समय और पहले से ही अनुमोदित औषधों के लिए बाद के आवेदनपत्रों के लिए लगभग 2–3 महीनों का समय लग सकता है। तथापि, यह औषध एवं प्रसाधन सामग्री नियमों की अनुसूची–वाई के उपबंधों के अनुसार सभी अपेक्षित आंकड़ों को प्रस्तुत करने के अधीन है।

सा.का.नि. सं.–900 (ड़) दिनांक 12 दिसम्बर, 2001 के तहत राजपत्रित अधिसूचना जारी होने से 30 जून, 2002 तक इस कार्यालय को विभिन्न श्रेणियों की नई औषधों के अनुमोदन के लिए अपेक्षित फीस के साथ 528 आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं जिसमें अन्वेषणात्मक नई औषधें (आई.एन.डी.) अनुमोदित नई औषधों, नई औषधों के जेनेटिक वर्सन, नई डोजेज फार्म और नई औषधों के संशोधित रिलीज इत्यादि शामिल हैं। इनमें से निम्नलिखित 70 मामलों का संतोषजनक नैदानिक परीक्षण/जैव समतुल्यता अध्ययन रिपोर्ट प्रयोगशाला परीक्षण रिपोर्ट आदि के आधार पर अनुमोदन कर दिया गया है–

1.	नई औषध आवेदन के मामले	9
2.	बल्क ड्रग के मामले	4
3.	बाद की नई औषध के आवेदन जेनेटिक के मामले	29
4.	संशोधित औषध रिलीज औषध योग	1
5.	निश्चित खुराक सम्मिश्रण के मामले	10
6.	नई डोजेज फार्म के मामले	16
7.	न्यू इंडीकेशन के मामले	1

शेष मामले मूल्यांकन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं जैसे नैदानिक परीक्षण और/अथवा जैव समतुल्यता अध्ययन, अथवा विषय विशेषज्ञ से परामर्श लेते हुए अथवा प्रयोगशाला परीक्षण अवस्था इत्यादि। जैसे ही प्रयोगशाला/आवेदक से संतोषजनक रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी, अनुमोदन दे दिया जाएगा।

एशियाई खेलों में भाग लेना

1485. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगामी एशियाई खेलों के दौरान भारत द्वारा किन–किन खेलों में भाग लिए जाने की संभावना है;

(ख) सरकार द्वारा उक्त खेलों की तैयारी करने हेतु क्या कार्यक्रम बनाए गए हैं;

(ग) क्या प्रशिक्षण हेतु विदेशों से प्रशिक्षकों को आमंत्रित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो खिलाड़ियों की तैयारी पर कितना व्यय किया जा रहा है और प्रशिक्षण कार्यक्रम के कितनी अवधि तक चलते रहने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) वर्तमान अनुमानों के अनुसार, भारतीय दल के लगभग 19–20 खेल विधाओं में भाग लेने की संभावना है। तथापि, खेल विधाओं संबंधी अंतिम निर्णय, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के पश्चात् तथा संबंधित राष्ट्रीय परिसंघों से परामर्श लेते हुए लिया जाएगा।

खिलाड़ियों द्वारा हासिल किए गए योग्यताप्रदायी स्तरों पर भी विचार किया जाएगा।

(ख) अगले एशियाई खेलों की तैयारी में राष्ट्रमंडल खेलों के लिए तैयारी भी शामिल है। यह तैयारियां एक दीर्घावधिक विकास योजना का ही अंग हैं। तदनुसार, अधिकांश खेल विधाओं के लिए, संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों के परामर्श से, एशियाई खेलों के वास्ते भारतीय दलों को तैयार करने संबंधी कार्रवाई योजना को पहले ही अंतिम रूप दिया जा चुका है। संभावित खिलाड़ियों को, भारतीय तथा विदेशी प्रशिक्षकों/विशेषज्ञों के मार्गदर्शन के अधीन, अपेक्षित खेल उपस्करों तथा वैज्ञानिक निवेशों के साथ विभिन्न केन्द्रों पर विशेषज्ञता–प्राप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) एशियाई खेलों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम सितंबर, 2002 तक जारी रहेगा और इस वर्ष के दौरान, एशियाई खेलों तक भारतीय टीमों की तैयारी पर तकरीबन 25 करोड़ रुपए का संभावित खर्च होगा।

[हिन्दी]

युवक कार्यक्रमों के अंतर्गत अनुदान

1486. प्रो. रासा सिंह रावत : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में युवक कार्यक्रमों और खेलों के अंतर्गत मद–वार कितनी धनराशि व्यय की गई है या अनुदान के रूप में दी गई है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा मंजूरी हेतु केन्द्र सरकार को कोई खेल संबंधी योजना सौंपी गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

अनुसंधान संस्थान

1487. श्री टी. गोविन्दन : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार के पास केरल के कोट्टायम में केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान (होम्योपैथी) के लिए एक भवन का निर्माण कराने के संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संस्थान के शुरू होने के बाद से अधिकारियों/दल ने उस स्थान का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वहां कोई अनुसंधान कार्य किया जा रहा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) संस्थान केरल सरकार के एक सरकारी भवन में स्थित है। नया भवन बनाने के लिए कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) और (घ) अधिकारियों द्वारा संस्थान की स्थापना से लेकर अब तक वहां के किए गए दौरों के ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, गत पांच वर्षों के दौरान परिषद् के निदेशक ने तीन बार संस्थान का दौरा किया तथा परिषद् की वैज्ञानिक सलाहकार समिति की एक बैठक भी वहां हुई। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय के अधिकारियों ने भी दो बार संस्थान का दौरा किया।

(ङ) और (च) संस्थान व्यवहारपरक विकारों, मिरगी और ऑस्टियो अर्थराइटिस के बारे में अनुसंधान अध्ययन कर रहा है। अब तक व्यवहारपरक विकारों के 5333, मिरगी के 581 और ऑस्टियो अर्थराइटिस के 254 मामलों का अध्ययन किया जा चुका है।

यूनानी सी.जी.एच.एस. औषधालय

1488. श्री अमर राय प्रधान : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में सी.जी.एच.एस. के यूनानी औषधालयों/यूनिटों में जाने वाले रोगियों की संख्या दिन-प्रतिदिन घट रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रोजाना कितने रोगी औषधालयों में गए;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इन औषधालयों/यूनिटों द्वारा आपूर्ति की जा रही दवाएं घटिया स्तर की हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन औषधालयों में दवाओं का स्तर सुधारने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत कुछ यूनानी औषधालयों/एककों में आने वाले रोगियों की संख्या में औसतन केवल नाममात्र की कमी/वृद्धि हुई है।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना यूनानी औषधालय/एककों में पिछले तीन वर्षों में प्रतिदिन आने वाले रोगियों का वर्षवार ब्यौरा निम्नलिखित है-

औषधालय/ एकक	वर्ष 1999	वर्ष 2000	वर्ष 2001
सरोजिनी नगर औषधालय	65	60	80
साउथ एवेन्यू एकक	32	24	28
दरियागंज	44	47	49
नारायणा विहार एकक	33	32	27

(घ) और (ङ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना लाभार्थियों को आपूर्ति की गई दवाओं का अनुमोदन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की निरीक्षण समिति करती है। निरीक्षण समिति का विधिवत गठन किया गया है और अच्छी गुणवत्ता वाली दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वरिष्ठ यूनानी फिजिशियन इसमें होते हैं।

[हिन्दी]

केन्द्रीय परियोजना

1489. श्री चन्द्रकांत खैरे :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्र सरकार द्वारा लागू की जा रही परियोजनाओं की हाल में समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार की एक-तिहाई परियोजनाएं अपने निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे चल रही हैं और करीब आधी परियोजनाओं की लागत कई गुना बढ़ गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) परियोजनाओं को समय से पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) परियोजनाओं का 1 अप्रैल, 2002 की स्थिति के अनुसार सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 20 करोड़ रु. और उससे अधिक लागत वाली 455 प्रबोधन किया जा रहा है। उनमें से 221 परियोजनाएं उनकी मूल लागत की तुलना में 69.4 प्रतिशत लागत वृद्धि की सूचना मिली है और 159 परियोजनाओं में उनकी मूल अनुमोदित समय-अनुसूची की तुलना 1 से 225 महीनों के विलंब की सूचना मिली है। लागत और समय वृद्धि को दर्शाते हुए उनका क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) लागत एवं समय वृद्धि के कारण परियोजना–दर–परियोजना भिन्न–भिन्न होते हैं। सामान्यतः समय वृद्धि के कारणों में भूमि अधिग्रहण में विलंब, ठेका प्रदान करने में विलंब, उपस्करों की आपूर्ति में विलंब, आधारी संरचना की कमी, कानून एवं व्यवस्था संबंधी समस्याएं और निधि संबंधी रुकावटें शामिल हैं। लागत वृद्धि के कारणों में विदेशी विनिमय और अन्य सांविधिक शुल्क की दर में परिवर्तन, भूमि अधिग्रहण की ऊंची लागत, परियोजना के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन और मूल परियोजना लागत में प्रारंभिक रूप से कम प्राक्कलन और सामान्य मुद्रा–स्फीति शामिल हैं।

(घ) समय वृद्धि और लागत वृद्धि को कम करने के आशय से परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं–

(1) रुकावटों को अभिज्ञात करने और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा परियोजनाओं की मासिक और त्रैमासिक समीक्षा;

(2) परियोजना प्राधिकारियों तथा प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा प्रगति की गहन आलोचनात्मक समीक्षा तथा भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास संबंधी मामले, तीव्र गति से वन निकासी, अधिसंरचनात्मक सुविधाओं जैसे पानी, विद्युत, कार्य स्थलों पर कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने इत्यादि के लिए राज्य सरकारों के साथ और उपस्करों की आपूर्ति में तेजी लाने के लिए उत्पादकों के साथ, विलंब को कम करने के लिए परामर्शदाताओं और अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ अनुवर्तन;

(3) अंतर–मंत्रालयी प्रकृति की समस्याओं के समाधान के लिए अंतर–मंत्रालयी समन्वय;

(4) प्रत्येक परियोजना के लिए परियोजना की अवधि के साथ–साथ नोडल अधिकारी की नियुक्ति;

(5) समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय में एक शक्ति प्रदत्त समिति की स्थापना करना;

(6) निधियों की आवश्यकता के अनुरूप परियोजना लागत का वार्षिक अद्यतनीकरण; और

(7) कार्यान्वयन की उन्नत अवस्था वाली परियोजनाओं के समय अनुसूची के अनुसार पूरा करने के लिए उपयुक्त निधियां उपलब्ध कराना।

विवरण

1.4.2002 तक परियोजना में उनकी मूल समय सीमा की तुलना में हुई समय/लागत वृद्धि

क्र.सं.	क्षेत्र	कुल लागत (करोड़ रु. में)				लागत वृद्धि वाली परियोजना				समय वृद्धि वाली परियोजना			
		परियोजना की संख्या	मूल लागत	प्रत्याशित लागत	लागत वृद्धि (%)	संख्या	मूल लागत	प्रत्याशित लागत	वृद्धि का (%)	संख्या	मूल लागत	प्रत्याशित लागत	माह का स्तर (संख्या)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	परमाणु ऊर्जा	7	21043.3	24356.3	15.7	1	3447.1	6760.0	96.1	3	184.1	184.1	21-81
2.	नागर विमानन	11	432.4	487.4	12.7	5	149.8	212.2	41.6	6	261.2	266.0	9-27
3.	कोयला	54	10035.8	10647.2	6.1	7	2597.5	3735.5	43.8	18	4841.6	5722.9	12-225
4.	उर्वरक	3	473.4	632.8	33.7	1	350.0	509.4	45.5	1	350.0	509.4	17-17
5.	सूचना एवं प्रसारण	4	168.4	215.8	28.2	1	34.2	81.6	138.9	4	168.4	215.8	36-165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6.	खान	3	2598.8	2598.8	0.0	0	0.0	0.0	0.0	2	2118.8	2118.8	6-30
7.	इस्पात	7	813.2	852.0	4.8	4	582.6	621.3	6.7	5	681.2	712.3	5-58
8.	पैट्रोलियम	44	35262.4	36915.3	4.7	6	10592.4	12620.7	19.1	12	3710.5	3349.4	1-20
9.	विद्युत	38	36251.7	54480.7	50.3	13	20883.4	39121.6	87.3	15	12170.7	29868.8	4-157
10.	स्वास्थ्य एवं परि. कल्याण	3	159.9	780.9	388.2	3	159.9	780.9	388.2	2	140.9	691.8	48-72
11.	रेलवे	205	28743.0	43674.8	51.9	148	21363.7	36434.0	70.5	50	8716.2	13516.7	2-156
12.	भूतल परिवहन	62	36369.9	38876.1	6.9	26	3250.6	5986.7	84.2	32	3490.9	5633.2	1-132
13.	दूरसंचार	6	259.9	259.9	0.0	0	0.0	0.0	0.0	3	122.2	122.2	12-72
14.	शहरी विकास	8	5186.8	9296.6	79.2	6	5130.1	9240.0	80.1	6	5076.8	9083.2	6-67
	कुल	455	177798.7	224075	26.0	221	68541.2	116103.9	69.4	159	42033.4	71994.6	

[अनुवाद]

प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को शामिल किया जाना

1490. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने रेफरल अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को सी.जी.एच.एस. की सूची में शामिल करने हेतु सी. जी.एच.एस. लाभार्थियों के लिए निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों का कोई सर्वेक्षण/निरीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में कितने निरीक्षण/सर्वेक्षण कराए गए हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान सी.जी.एच.एस. रेफरल अस्पतालों की सूची में शामिल किए जाने हेतु कितने अस्पताल/ नैदानिक केन्द्र ठीक पाए गए हैं;

(ङ) सी.जी.एच.एस. रेफरल अस्पतालों में शामिल किए जाने हेतु आंध्र प्रदेश के विभिन्न अस्पतालों से कितने प्रस्ताव/ अनुरोध लंबित पड़े हुए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिये जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां। निरीक्षण दलों के के. स. स्वा. योजना के अंतर्गत मान्यता के लिए आवेदन करने वाले सभी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों का निरीक्षण कर लिया है।

(ख) के.स.स्वा. योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों/ नैदानिक केन्द्रों को मान्यता देने से पहले पलंगों की संख्या सहित बहुत से घटकों और बुनियादी ढांचे/उपकरणों आदि को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) हैदराबाद सहित सभी के.स.स्वा. योजना वाले शहरों में निरीक्षण किया गया है। वहां 2001 में के.स.स्वा. योजना की सुविधाएं उपलब्ध थीं जब मान्यता के लिए निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों से आवेदन-पत्र आमंत्रित किए गए थे।

(घ) के.स.स्वा. योजना वाले विभिन्न शहरों में अब तक मान्यता के लिए अनुमोदित अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की संख्या को दर्शाने वाली एक सूची संलग्न विवरण–I पर दी गई है। के.स.स्वा. योजना पटना और के.स.स्वा. योजना रांची में प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने के आदेश जारी किए जा चुके हैं। के.स.स्वा.यो. द्वारा कवर किए गए शेष शहरों के संबंध में आदेश आवश्यक प्रशासनिक औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद यथासमय जारी किए जाएंगे।

(ङ) से (छ) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना हैदराबाद के अंतर्गत मान्यता के लिए आवेदन करने वाले 151 प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों में से 81 को मान्यता के लिए अनुमोदित कर दिया गया है। शेष 70 अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों के ब्यौरे, जिन्हें मान्यता प्रदान नहीं की गई है, संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना हैदराबाद के अंतर्गत प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों को मान्यता प्रदान करने के आदेश शीघ्र जारी कर दिए जाएंगे।

विवरण-I

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता के लिए अनुमोदित प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की संख्या

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना शहर	अस्पताल/नैदानिक केन्द्र
1	2	3
1.	त्रिवेन्द्रम	15
2.	रांची	07
3.	अहमदाबाद	07
4.	पटना	38
5.	इलाहाबाद	27
6.	लखनऊ	21
7.	मुम्बई	23
8.	मेरठ	39
9.	जबलपुर	47
10.	चेन्नई	46
11.	कानपुर	48
12.	हैदराबाद	81
13.	बंगलौर	55
14.	पुणे	67
15.	जयपुर	36
16.	दिल्ली	63

विवरण-II

हैदराबाद में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मान्यता के लिए स्वीकृत न किए गए प्राइवेट अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों की सूची

1. मीना हास्पिटल, सिकन्दराबाद
2. तपाड़िया डायग्नोस्टिक सेंटर, आर टी सी, एक्स, रोड
3. कलिंगा मेडिकल स्पेसियालिस्ट प्रा. लि., एस. सी. रोड
4. स्पेसिलिटी रैनेबैक्सी लि., पांजा गुट्टा
5. कुनाल इंस्टी. ऑफ मेडिकल स्पेसियलिटी प्रा.लि., एमएलए क्वार्टर्स लेन
6. श्री राघवेन्द्र हास्पिटल, कमला नगर
7. लक्ष्मी हैल्थ केअर हास्पिटल, वनस्थलीपुरम्
8. साई बाबा डेंटल केअर, संतोष नगर
9. जे.के. डायग्नोस्टिक एवं रिसर्च सेंटर, ढोलकपुर
10. प्रीति डायग्नोस्टिक सेंटर, मेहदीपटनम
11. उदय क्लिनिक आर्थोपैडिक सेंटर, चापेल रोड
12. तथा हास्पिटल, रंगा रेड्डी डिस्ट्रीक्ट
13. डेल्टा डायग्नोस्टिक सेंटर, आर बी आर काम्प्लेक्स
14. साई ज्योति आई इन्स्टी., वेस्ट मराडपल्ली

15. सी आर आर स्पेसियलिटी डायग्नोस्टिक सेंटर, न्यू मलकापेट
16. लक्ष्मी आयुर्वेद हास्पिटल, वनस्थलीपुरम
17. श्री कृष्णा साई डायग्नोस्टिक, अमीरपेट
18. संजीवनी सीटी स्कैन सर्विसेज प्रा.लि., सेबेस्टियन रोड
19. डा. पानिज डायग्नोस्टिक, रीटी वावली, रिंग रोड
20. काकातिय डायग्नोस्टिक एंड मेडिकल सेंटर, नारायणगुड्डा
21. रिलायन्स हास्पिटल, निजाम कालोनी
22. यूनीकेअर हास्पिटल्स, दुर्गाबाई देशमुख कालोनी
23. सबलोक हास्पिटल, अशोक नगर
24. नाइटइंगेल हास्पिटल, संतोष नगर
25. स्वरूप आई सेंटर, द्वारिकापुरी कालोनी
26. काबा हास्पिटल, टोली चौकी
27. सिकन्दराबाद नर्सिंग होम, वेस्ट मेराडपल्ली
28. सी सी श्राफ मेमोरियल हास्पिटल, बरकतपुर
29. सेंट्रल डायग्नोस्टिक एंड रिसर्च सेंटर, बेगम बाजार
30. डा. (मिसेज) उज्जवला बीडी एंड डा. दीपक बीडी डेंटल एंड आई, डोमलगुडा
31. ईश्वर लक्ष हास्पिटल, गांधी नगर
32. क्यूरिक डायग्नोस्टिक, हैदराबाद
33. सैदाबाद एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, सैदाबाद
34. एस डी डेंटर स्पेसियलिटी हास्पिटल, राज भवन रोड
35. बापूजी मेटरनिटी एंड नर्सिंग होम, नाचाराम
36. अन्नपूर्णा स्पेसियलिटी हास्पिटल ऑफ आयुर्वेद, श्री क्रुपा मार्केट, मलकापेट
37. डा. रंगा रेड्डी लायन्स आई हास्पिटल, सिकन्दराबाद
38. सत्य हास्पिटल, मलकापेट
39. छाला नर्सिंग होम, अमीरपेट
40. एस.एल. डायग्नोस्टिक प्रा.लि., नल्लाकुटा
41. साईनाथ हास्पिअल, दिलसुख नगर
42. श्री रामन्ना नर्सिंग होम, बंजारा हिल्स
43. मात्रिका हास्पिटल, सोमजीगुडा
44. मेडिकस डायग्नोस्टिक, दिलसुख नगर
45. विक्टर चांग हार्ट इंस्टी. एंड रिसर्च सेंटर, सोमजीगुडा
46. तनवीर हास्पिटल, कमलापुरी कालोनी
47. नागार्जुना हेल्थ केअर सेंटर, सेबेस्टीयन रोड
48. के.जी.एच. लरत फेमिली हास्पिटल, मलकापेट
49. श्री राघवेन्द्र हास्पिटल्स प्रा.लि., राजेन्द्र नगर
50. एमएम मल्टीस्पेसियलिटी हास्पिटल्स, मेहदीपटनम
51. श्री वेकेटश्वरा डायग्नोस्टिक प्रा.लि., सिकन्दराबाद
52. अपोलो रेडियोलाजी एंड लेब. सर्विसेज, आर टी सी एक्स रोड
53. तिसला डायग्नोस्टिक रिसर्च सेंटर प्रा.लि. पांजागुट्टा
54. एल.के. हास्पिटल प्रा.लि., मलकागिरी
55. अपूर्वा हास्पिटल, राम नगर
56. एसवीआर मल्टी स्पेसियलिटी हास्पिटल, अमीरपेट
57. सौम्य हास्पिटल्स, राम नगर
58. वूडलैंड हास्पिटल, बरकतपुर
59. सीडीआर हास्पिट, पांजा गुट्टा
60. नोवाकेअर डायग्नोस्टिक सर्विसेज, नारायणगुडा
61. एडीआरएम हास्पिटल, रामन्थपुर
62. पदमावती हास्पिटल, हिमायतनगर
63. श्री रामा कृष्णा हास्पिटल, कांचीगुडा

64. मैरी स्टोप्स नर्सिंग होम, तिलक नगर

65. किशन राव हास्पिटल, तिलक नगर

66. दीपा हास्पिटल, बेगम बाजार

67. पार्कलेन डायग्नोस्टिक सेंटर, अमीरपेट

68. धाम्स हास्पिटल, एम.जी. रोड

69. आजम हास्पिटल, हुसैन आलम

70. रेमेडी मल्टी स्पेसियलिटी हास्पिटल, बोलनगीर

एम.टी.एन.एल. द्वारा सेल्यूलर सेवा

1491. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एम.टी.एन.एल. ने अपनी सेल्यूलर फोन सेवा के आर्थिक लाभ संबंधी सूचना को व्यापक स्तर पर वितरित करने हेतु प्रयास किए हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और मुंबई में इस अभियान का क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या एम.टी.एन.एल. सेल्यूलर फोन सेवा में अपनी उपस्थिति बढ़ाने में सफल रहा है;

(घ) क्या एम.टी.एन.एल. इस क्षेत्र में अपनी सेवाओं की गुणवत्ता की ध्यानपूर्वक निगरानी कर रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ग) जी, हां। फरवरी, 2001 में सेल्यूलर मोबाइल सेवा शुरू होने के पश्चात् दिल्ली में उपभोक्ता संख्या 91,238 और मुम्बई में, 1,09,936 हो गई है।

(घ) और (ङ) सेवा की बेहतर गुणवत्ता हेतु नेटवर्क पर निरंतर निगरानी रखी जा रही है तथा उसका इष्टतम उपयोग किया जा रहा है। नेटवर्क कवरेज में सुधार हेतु बेस ट्रांसमिटिंग स्टेशन संस्थापित किए जा रहे हैं।

मलेरिया रोधी कार्यक्रम

1492. श्री जी. एस. बसवराज : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002–2003 हेतु मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत कितना आवंटन किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने पिछले वर्ष के मुकाबले वर्ष 2002–2003 के दौरान मलेरिया रोधी कार्यक्रम हेतु आवंटन राशि घटायी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि जैसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण करने वाली एजेंसियां मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रमों में भारत की सहायता कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के अंतर्गत 2001–02 के दौरान 225 करोड़ रुपए के प्रावधान के मुकाबले वर्ष 2002–03 के लिए बजट अनुमानों में 235 करोड़ रुपए का परिव्यय प्रदान किया गया है।

(घ) और (ङ) विश्व बैंक ने राष्ट्रीय मलेरिया रोधी कार्यक्रम के माध्यम से शुरू किए गए मलेरिया नियंत्रण संबंधी कार्यकलापों में रही कमी को पूरा करने के लिए 164.8 मिलियन अमरीकी डालर की धनराशि का ऋण दिया है। तदनुसार 100 भयानक मलेरियोन्मुखी और आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान राज्यों के प्रधानतः आदिवासी जिलों तथा इन राज्यों में मलेरिया की समस्या से ग्रस्त 19 कस्बों/शहरों को कवर करते हुए कर्नाटक, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल राज्यों में सितम्बर, 1997 से एक उन्नत मलेरिया नियंत्रण परियोजना कार्यान्वित की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, कार्यशालाओं/प्रशिक्षणों के आयोजन, प्रशिक्षण सामग्री को तैयार करने, मलेरिया पर अंतर्राज्यीय सीमा बैठकों का आयोजन करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन कंट्री बजट के अंतर्गत द्विवार्षिक 2002–03 के लिए 1,14,000 अमरीकी डालर की धनराशि निश्चित की गई है।

इस्पात का निर्यात

1493. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 और 2002–2003 (जून तक)

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र से इस्पात की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) वर्ष 2002–2003 में इस्पात की कितनी मात्रा का निर्यात किए जाने का अनुमान है;

(ग) क्या निर्यात मूल्य बहुत कम है और यह घाटा देने वाला है; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र से इस्पात निर्यात की लाभप्रदता का ब्यौरा क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) 2001–2002 तथा 2002–2003 (जून तक) के दौरान विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र से निर्यात किए गए इस्पात की मात्रा निम्नलिखित है–

वर्ष	मात्रा (एम टी)
2001–2002	227800
2002–2003 (जून, 2002 तक)	73324

(ख) वर्ष 2002–2003 में निर्यात किए जाने वाले इस्पात की मात्रा का अनुमान निम्नलिखित है–

वर्ष	मात्रा (एम टी)
2002–2003	1,70,000

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपरोक्त (ग) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

राज्यों को वित्तीय सहायता

1494. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सी. श्रीनिवासन :

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने राज्यों में क्रीड़ा स्थलों और स्टेडियमों के विकास हेतु केन्द्र सरकार से वित्तीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य–वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) जी, हां। खेल अवस्थापना के सृजन हेतु अनुदानों की योजना के अंतर्गत, पिछले तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु सहित अनेक राज्य सरकारों से 688 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इसमें से 285 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। शेष प्रस्तावों पर केन्द्रीय सहायता के लिए विचार नहीं किया जा सका क्योंकि इन प्रस्तावों में कमियां पाई गई थीं तथा राज्य सरकारों को उपयुक्त रूप से सूचित कर दिया गया था। प्राप्त प्रस्तावों तथा स्वीकृत केन्द्रीय सहायता का राज्य–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	1999-2000 से 2001-2002 तक		
		प्राप्त प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	21	18	870.53
2.	अरुणाचल प्रदेश	17	9	824.40
3.	असम	16	3	75.63
4.	बिहार	3	-	0.00
5.	गुजरात	2	1	60.00
6.	हरियाणा	27	4	171.90
7.	हिमाचल प्रदेश	28	16	1235.84
8.	जम्मू व कश्मीर	80	27	251.45

1	2	3	4	5
9.	कर्नाटक	30	10	469.03
10.	केरल	18	10	173.99
11.	मध्य प्रदेश	47	30	512.63
12.	महाराष्ट्र	55	15	558.95
13.	मणिपुर	26	8	167.59
14.	मिजोरम	33	14	228.75
15.	नागालैंड	68	32	360.81
16.	उड़ीसा	25	7	26.84
17.	पंजाब	30	24	1338.42
18.	राजस्थान	16	2	19.51
19.	तमिलनाडु	42	38	540.30
20.	त्रिपुरा	6	-	0.00
21.	उत्तर प्रदेश	29	9	187.88
22.	पश्चिम बंगाल	53	4	106.58
23.	दिल्ली	2	-	0.00
24.	छत्तीसगढ़	6	2	56.96
25.	उत्तरांचल	7	2	509.44
26.	झारखंड	1	-	0.00
	कुल	688	285	8747.43

बकाया राशि का भुगतान

1495. श्री सुबोध मोहिते : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग को 1994 से घरेलू डाक के संबंध में इंडियन एयर लाइंस को करोड़ों रुपए देने हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भुगतान के रोके रखने के क्या कारण हैं; और

(घ) बकाया राशि के कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) जी, नहीं। विवादित बकाए का मामला 1994 के बाद से संबंधित है, 1944 के बाद से नहीं।

(ख) से (घ) इंडियन एयरलाइन्स डाक विभाग के लिए घरेलू डाक लाता–ले जाता है। इंडियन एयरलाइन्स ने चूंकि डाक लाने–ले जाने की दरों में बार–बार और एकतरफा बढ़ोतरी की है, इसलिए विभाग ने यह मामला वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग को उनके हस्तक्षेप के लिए भेजा ताकि विभाग द्वारा इंडियन एयरलाइन्स को भुगतान की जाने वाली उचित दर तय की जा सके। इस बीच, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग की सलाह पर विभाग इंडियन एयरलाइन्स को अनंतिम दर पर भुगतान करता रहा। वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने अंततः 1994–95 से 1999–2000 तक के भुगतान के लिए दर तय कर दी और जनवरी 2002 में विभाग को इंडियन एयरलाइन्स को 24.90 करोड़ रुपए का भुगतान करने की सलाह दी। विभाग ने तदनुसार, फरवरी और मार्च 2002 में क्रमशः 20.00 करोड़ रुपए और 4.90 करोड़ रुपए की दो किश्तों में इस राशि का भुगतान कर दिया। इसके बाद से वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग द्वारा 2000–2001 और 2001–2002 की अवधि के लिए दरों को अंतिम रूप दिए जाने का मामला लंबित होने के कारण, बिलों का भुगतान अनंतिम दरों पर किया जा रहा है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों का विकास

1496. श्री रामदास आठवले : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि के अनुसार निर्यात में संगठित क्षेत्र की तुलना में लघु उद्योगों का हिस्सा कितना है;

(ख) देश में रोजगार के अवसरों के सृजन और परिसंपत्तियों के अर्जन में लघु उद्योगों का योगदान कितना है;

(ग) क्या लघु उद्योगों के विकास हेतु दीर्घावधि नीति तैयार की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) वित्तीय वर्ष 2000–01 के उपलब्ध नवीनतम डाटा के अनुसार देश के कुल निर्यातों में लघु उद्योग सेक्टर से निर्यातों का शेयर 34.5% था।

(ख) यह अनुमान लगाया गया है कि लघु उद्योग सेक्टर ने 18.56 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया तथा वर्ष 2000–01 के दौरान विनिर्माण सेक्टर के कुल उत्पादन में इसका लगभग 40% योगदान रहा।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा 30 अगस्त, 2000 को एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की ताकि लघु उद्योग सेक्टर का सुदृढ़ीकरण हो सके तथा इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाया जा सके जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ शामिल हैं क्रेडिट की सरल पहुंच, 25.00 लाख रु. तक के संयुक्त ऋण की बिना सम्पार्श्विकता के उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु पूंजीगत आर्थिक सहायता और सुधरी हुई बुनियादी संरचना।

[अनुवाद]

पूर्वी देशों से भू/जल मार्ग

1497. श्री सुनील खां :
श्री के. येरननायडू :

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पड़ोसी देशों से गुजरने वाले भू और जल मार्गों को बढ़ावा देने संबंधी कोई योजना शुरू होने वाली है;

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा जोड़े जाने वाले देशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप पूर्वोत्तर राज्यों में विशेषकर व्यापार और वाणिज्य में कितनी वृद्धि होगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार पूर्वी पड़ोसियों के साथ भूमि/जल मार्ग बढ़ाने पर कार्य करती रही है जिसमें बांग्लादेश और म्यामां शामिल है। बांग्लादेश के मामले में कोलकाता–ढाका बस सेवा, भारत और बांग्लादेश के गेड़े दरशाना, सिंहाबाद–रोहनपुर, पेतरापोल–बेनापोल, राधिकापुर–बिरोल और मोहिशाहोन–शहबाजपुर के बीच रेल संपर्क विद्यमान है। इसके अलावा भारत–बांग्लादेश भू–जल पारगमन और व्यापार प्रोटोकोल बांग्लादेश से होकर जलमार्ग से वस्तुओं की आवाजाही के लिए मार्ग उपलब्ध कराता है। अगरतला और ढाका के बीच बस सेवा और सियालदह और बंगबंधु सेतु ईस्ट के बीच यात्री रेल सेवा प्रारंभ करने के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

म्यामां के मामले में भारत ने म्यामां और भारत को जोड़ने वाले तामू–कलेवा–कलेम्यो के 160 कि.मी. के राजमार्ग के उन्नयन में सहायता की है। इस राजमार्ग के शुरू होने से ऊपरी मयामां में मोरेह तक सीमा पर व्यापार–स्थल मोरेह, (मणिपुर)–तामू (म्यामां) के क्षेत्र पहुंच योग्य हो जाते हैं। भारत बहु–मॉडल परियोजना कलादान जिसमें म्यामां में सित्तवे बंदरगाह का उन्नयन और म्यामां में म्यामां सीमा के बीच होकर मिजोरम को बंगाल की खाड़ी से जोड़ने के लिए कलादान नदी के साथ–साथ अंतरदेशीय जलमार्ग एवं राजमार्ग का विकास शामिल है, में भी शामिल है। फिलहाल, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

मोरेह (भारत) तामू–कलेवा–बगान (म्यामां) और माएसोत से कंचनबूरी (थाईलैंड) तक को मिलाने वाले एक त्रिपक्षीय राजमार्ग के विकास के बारे में परियोजना पर अप्रैल, 2002 में यांगोन में भारत, म्यामां और थाईलैंड के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान विचार–विमर्श किया गया था। 1411.2 कि.मी. के राजमार्ग के निर्माण की उप क्षेत्रीय परियोजना जब पूरी हो जाएगी तो इससे भारत को दक्षिण पूर्व एशिया में पहुंचने का छोटा मार्ग मिल जाएगा।

उपरोक्त सभी कदमों से इन देशों के साथ भारत के आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध सुधरने और पूर्वोत्तर राज्यों में पहुंच और संपर्क आसान होने की संभावना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र का बेहतर सामाजिक आर्थिक विकास भी होगा।

शिशु मृत्यु दर

1498. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत बाल शिखर सम्मेलन में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने वर्ष 2002 तक शिशु मृत्यु दर को घटाकर एक-तिहाई करने का लक्ष्य निर्धारित किया था लेकिन प्रति एक हजार जीवित बच्चों की शिशु मृत्यु दर को 80 से घटाकर 60 ही किया जा सका;

(ग) यदि हां, तो लक्ष्य प्राप्त न किए जा सकने के मुख्य कारण क्या हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस संबंध में एक कार्य योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ङ) 1990 में बच्चों के लिए हुए प्रथम विश्व सम्मेलन ने एक घोषणा पारित की थी जिसमें बच्चों की जीवन-रक्षा, बढ़ोतरी और विकास के लक्ष्य शामिल हैं। 8-10 मई, 2002 को न्यूयार्क में बच्चों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के विशेष अधिवेशन के लिए यूनिसेफ द्वारा विमोचित 'उन्नति-सांख्यिकीय समीक्षा' के अनुसार अधिकतर सूचकों के बारे में भारत में प्रगति की दर वैश्विक औसत की अपेक्षा अधिक रही है।

अद्यतन सूचना के अनुसार बच्चों की पोषणिक और स्वास्थ्य स्थिति में काफी सुधार हुआ है। गंभीर रूप में अल्पपोषण 1975 में 15 प्रतिशत से कम होकर 2001 में 6.4 प्रतिशत रह गया है। इसके अतिरिक्त, शिशु मृत्यु-दर 1951 की 146 से कम होकर 2000 में 68 रह गई है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 का उद्देश्य शिशु मृत्यु दर को और आगे कम करके वर्ष 2010 तक प्रति हजार जीवित जन्मों पर 30 से कम तक लाना है। शिशु मृत्यु-दर कम करने के लिए रोगप्रतिरक्षण, अनिवार्य नवजात परिचर्या, तीव्र श्वासनीय संक्रमणों के कारण मौतों की रोकथाम और अतिसार के कारण निर्जलीकरण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था और केवल रतनपान को बढ़ावा देना और उपयुक्त पूरक खाने-पिलाने संबंधी पद्धतियों की व्यवस्था की जा रही है।

[हिन्दी]

नये दंत चिकित्सा कालेजों के खोले जाने पर प्रतिबंध

1499. श्री चन्द्रनाथ सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रोफेसर और रीडरों की कमी के कारण अगले पांच वर्षों के दौरान नये दंत चिकित्सा कालेजों के खोले जाने पर प्रतिबंध लगाने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस स्थिति से निपटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) सरकार ने नए डेंटल कालेजों को खोलने पर रोक लगाने के बारे में अब तक कोई निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

रक्त का मूल्य

1500. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में रक्त का मूल्य बहुत अधिक है और एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसके मूल्यों में अन्तर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पूरे देश में रक्त के एक समान मूल्य हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) रक्त की बिक्री करने पर प्रतिबंध है और इसलिए रक्त के लिए किसी प्रभार का शुल्क नहीं लिया जाना चाहिए। वैसे, दान में दिए गए रक्त की

जांच करने और उसे संसाधित करने हेतु कुछ सेवा प्रभार लिया जाता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद ने रक्ताधान के लिए जारी करने से पहले इसकी जांच करने और इसे संसाधित करने के लिए सेवा प्रभारों की वसूली के लिए दिशा निर्देश तैयार किए हैं और ये दिशा निर्देश स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा परिपत्रित किए गए हैं। रक्त को संसाधित करने की लागत प्रति यूनिट 500/– रुपए होने का अनुमान लगाया गया है और लागत की वसूली निम्न प्रकार से की जाएगी–

(i) अपने अस्पतालों अथवा अन्य सरकारी अथवा स्वैच्छिक क्षेत्र के अस्पतालों में रोगियों को रक्त जारी करने वाले सरकारी और स्वैच्छिक रक्त बैंक प्रति यूनिट 250/– रुपए वसूल कर सकते हैं और शेष लागत के लिए राज सहायता दे सकते हैं। प्राइवेट नर्सिंग होमों/अस्पतालों को रक्त जारी करते समय ये बैंक प्रति यूनिट रक्त 500/– रुपए की पूरी संसाधन लागत वसूल सकते हैं।

(ii) प्राइवेट रक्त बैंक : प्राइवेट क्षेत्र के रक्त बैंक अधिकतम 500/– रुपए प्रति यूनिट तक सेवा प्रभार के लिए लागत वसूल कर सकते हैं।

[हिन्दी]

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र द्वारा सुपर कम्प्यूटर का विकास

1501. श्री दानवे रावसाहेब पाटील : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र ने किसी सुपर कम्प्यूटर का विकास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी) ने 86 नोड वाला 'अनुपम' नामक एक सुपर कम्प्यूटर विकसित किया है। इसकी सतत संगणना करने की गति 15 गीगा फ्लॉप्स है। इस समय देश में सबसे तेजी से काम करने वाला यही कम्प्यूटर है जो स्वदेशी रूप से विकसित किसी भी अन्य कम्प्यूटर की तुलना में 10–15 गुणा तेज गति से काम कर रहा है।

[अनुवाद]

न्यूजीलैंड द्वारा उत्प्रवास के नियमों का कठोर बनाया जाना

1502. श्री एन. एन. कृष्णदास : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूजीलैंड ने उत्प्रवास के नियमों को कठोर बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इससे नौकरी की तलाश करने वाले भारतीयों पर प्रभाव पड़ा है; और

(घ) यदि हां, तो इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां। न्यूजीलैंड की सरकार ने उत्प्रवासन नीति में उनके संबंध में एक लघु परिवर्तन की घोषणा की है, जो 'कार्य श्रेणी' के तहत न्यूजीलैंड में बसने के इच्छुक हैं और यह परिवर्तन सभी विदेशी राष्ट्रिकों पर लागू होता है।

(ख) सामान्य दक्षता श्रेणी के तहत न्यूजीलैंड में स्थायी निवास के लिए आवेदन करने वाले विदेशी राष्ट्रिकों के लिए 18 जून, 2002 से 25 अंकों की बजाय 28 अंक कुल पासमार्क अपेक्षित हैं।

(ग) इस परिवर्तन से वे प्रभावित नहीं हुए हैं जिनके पास अपनी योग्यता अथवा कार्य अनुभव के अनुरूप कुशल कार्य प्रस्ताव हैं।

(घ) चूंकि न्यूजीलैंड के उत्प्रवासन कानूनों में यह परिवर्तन किसी विशिष्ट देश के लिए नहीं है और सभी विदेशी राष्ट्रिकों पर लागू होता है, इसलिए इस मामले को न्यूजीलैंड की सरकार के साथ नहीं उठाया गया है।

[हिन्दी]

दूरभाष केन्द्रों का आधुनिकीकरण

1503. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में झारखंड और बिहार में कुछ दूरभाष केन्द्रों का आधुनिकीकरण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो ये दूरभाष केन्द्र कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या झारखंड और बिहार के अनेक दूरभाष केन्द्रों में एस.टी.डी. दूरभाष सेवा अनेक दिनों तक ठप्प पड़ी रहती है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) झारखंड और बिहार में दूरभाष सेवाओं को सुधारने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) जी, हां।

(ख) हाल ही में आधुनिकीकृत किए गए टेलीफोन एक्सचेंजों के नामों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) विश्वसनीय मीडिया की व्यवस्था न होने के कारण कुछ एक्सचेंजों में कभी-कभी एसटीडी टेलीफोन सेवाएं ठप्प हो ही जाती हैं। तथापि, उन्हें चालू करने के लिए तत्काल कार्रवाई की जाती है।

(ङ) सभी एक्सचेंजों को विश्वसनीय मीडिया प्रदान करने तथा बड़े पैमाने पर वायरलैस-इन-लोकल लूप (डब्ल्यू एलएल) तथा मोबाइल जैसी नई सेवाएं शुरू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

हाल ही में आधुनिकीकृत टेलीफोन एक्सचेंजों के नाम

झारखंड दूरसंचार सर्किल

क्र.सं.	एक्सचेंजों का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंजों के नाम
1	2	1	2
1.	लातेहर	2.	चित्रा
3.	एम.पी. राज	10.	हरीहरगंज
4.	राजमहल	11.	नागेरूतारी
5.	गोमो	12.	रेहला
6.	कठारा	13.	लोयाबाद
7.	मुग्मा	14.	देवघर
8.	इटकी	15.	नर्वापाहर
9.	भवनाथपुर	16.	खुंटी

बिहार दूरसंचार सर्किल

क्र.सं.	एक्सचेंजों का नाम	क्र.सं.	एक्सचेंजों के नाम
1	2	1	2
1.	गजराजगंज	16.	हार्पुर बोल्बा
2.	योगपत्ती	17.	अलौली
3.	बाघा	18.	बेगूसराय
4.	भागलपुर	19.	अदापुर
5.	शाहजदपुर	20.	चौरादानू
6.	समस्तीपुर	21.	रामगढ़वा
7.	दरभंगा	22.	लखौरा
8.	लहेरियासराय	23.	बरियापुर
9.	मझौलिया	24.	सूरजगढ़
10.	कोइलेश	25.	एम. चौकी
11.	जयनगर	26.	रामपुर
12.	चाकन्द	27.	हिल्सा
13.	गया	28.	चंडी
14.	महुआ	29.	बख्तियारपुर
15.	महनार	30.	बाढ़

1	2	1	2
31.	मसौढ़ी	36.	नसरीगौज
32.	मुसरीघरारी	37.	संजौली
33.	पूसा	38.	दावत
34.	मोरवा	39.	बोधगया
35.	विक्रमगंज	40.	चेहरकला

[अनुवाद]

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किए जाने वाले खर्च में कमी

1504. श्री बसुदेव आचार्य : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में किए जाने वाले खर्च में कमी करने से वर्ष 2008 तक 20 बिलियन डालर के संभावित कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का अनुमान है;

(ख) यदि हां, तो घरेलू बाजार में सूचना प्रौद्योगिकी की मांग को बढ़ाने हेतु सरकार की भावी योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित विकास हेतु और धनराशि खर्च करने का विचार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय संलग्न विवरण–I में दिए गए हैं।

(ग) जी, हां।

(घ) ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए सरकार द्वारा कई परियोजनाएं/योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं तथा कुछ नई योजनाएं शुरू की जा रही हैं। ब्यौरे संलग्न विवरण–II में दिए गए हैं।

विवरण-I

सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न उपाय

1. पूंजीगत वस्तु निर्यात संवर्धन (ईपीसीजी) योजना को तर्कसंगत बनाया गया है और 5% शुल्क पर इसे सभी क्षेत्रों में बिना किसी दोहरी सीमा के एक समान रूप से लागू किया गया है।

2. कारोबार से उपभोक्ता (बी2सी) ई–वाणिज्य को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सभी प्रत्यक्ष विदेशी पूंजीनिवेश के प्रस्तावों का अनुमोदन स्वतः मार्ग के अंतर्गत हैं।

3. इलेक्ट्रॉनिकी हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (ईएचटीपी) तथा सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी) योजनाएं अंतर मंत्रालयी स्थायी समिति (आईएमएससी) के एक ही स्थान पर कार्य करने के तंत्र के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यान्वित की जाती हैं।

4. ईएचटीपी/ईओयू/ईपीजेड इकाइयों द्वारा घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) में सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आई टीए–1) की वस्तुओं की आपूर्ति को निर्यात के प्रतिशत (एनएफईपी) के रूप में न्यूनतम शुद्ध विदेशी मुद्रा की आय तथा न्यूनतम निर्यात निष्पादन के रूप में गिना जाएगा बशर्ते वस्तुओं का विनिर्माण इकाई में किया जाता हो और मूल सीमाशुल्क की दर शून्य हो। अब प्रत्येक वर्ष के स्थान पर 5 वर्षों में सकारात्मक एनएफईपी हासिल किया जाना अपेक्षित है।

5. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इकाइयों तथा ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इकाइयों को निर्यात के लदान पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50% तक घरेलू शुल्क क्षेत्र (डीटीए) अभिगम की अनुमति दी गई है।

6. निर्यात उन्मुखी (ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी) योजनाओं के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक इकाइयों के लिए कम्प्यूटरों एवं कम्प्यूटर पेरिफरलों पर वृद्धिमान

मूल्यहास मानदंडों में बढ़ोत्तरी की गई। इनका मूल्यहास 3 वर्ष की अवधि में संपूर्ण सीमा के 90% तक होगा।

7. निर्यात के प्रयोजन से बाधा रहित विनिर्माण एवं कारोबार के लिए विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की जा रही है।

8. कम्प्यूटर पर 60% की दर से मूल्यहास की अनुमति है।

9. वर्ष 2002–03 के बजट में, सीमाशुल्क की उच्चतम दर को 35% से घटाकर 30% कर दिया गया है, कम्प्यूटर/प्रिंटरों की स्टेपर मोटर पर सीमा शुल्क को 5% से घटाकर 0%, फ्लॉपी डिस्क पर 15% से 10% तथा कम्प्यूटरों के प्रिंटरों में प्रयोग होने वाले इंक कार्ट्रिज, रिबन संयोजन, रिबन गिअर संयोजन, रिबन गिअर कैरिज पर सीमा शुल्क को 25% से 5% कर दिया गया है।

   - वर्ष 2002–03 के बजट में अर्द्धचालकों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 56 मदों पर सीमा शुल्क को 5% से 0%, इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली पूंजीगत वस्तुओं की 24 मदों पर 25–35% से 15%, इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग में काम आने वाले टूल्स, सांचों, डाइयों पर 25% से 15% और इलेक्ट्रॉनिक संघटक–पुर्जों के विनिर्माण में काम आने वाली कच्ची सामग्रियों की 46 मदों पर 25–35% से घटाकर 5% कर दिया गया है।

   - कम्प्यूटर और उपांत उपस्करों पर सीमा शुल्क 15% की दर से जारी है और सभी भंडारण युक्तियों, एकीकृत परिपथों, सूक्ष्म संसाधकों, डेटा प्रदर्श नलिकाओं तथा रंगीन मॉनीटरों के विक्षेपण संघटक–पुर्जों पर 0% की दर से जारी है। इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग की निर्दिष्ट कच्ची सामग्रियों (121 मदों) पर 5% की दर से रियायती सीमा शुल्क जारी है। विश्व व्यापार संगठन के सूचना प्रौद्योगिकी समझौते (आईटीए–1) की मदों पर सीमा शुल्क 15%, दूरसंचार के पुर्जों पर 5%, सेल्यूलर टेलीफोन सहित सचल हैंडसेटों के पुर्जों, संघटक–पुर्जों और सहायक उपकरणों पर सीमा शुल्क 0% की दर से जारी है।

10. वर्ष 2001–02 के बजट में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की कई संरचनाओं के स्थान पर 16% की एकल दर और विशिष्ट उत्पाद शुल्क (एसईडी) 16% की एकल दर लागू करते हुए इस ढांचे को तर्कसंगत बनाया गया है जो अब भी जारी है।

11. सूचना प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर को सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

12. 10 वर्ष तक की पुरानी पूंजीगत वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात किया जा सकता है।

13. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10ए तथा 10बी के तहत 2010 तक निर्यात लाभ पर निगमित आयकर के भुगतान से छूट दी गई है।

14. बाह्य वाणिज्यिक उधारियों (ईएसबी) पर ब्याज पर कर की छूट सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को भी दी गई है।

15. आयकर अधिनियम की धारा 80एचएचई में दी गई कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर की परिभाषा में डेटा संप्रेषण शामिल है।

16. धारा 80एचएचई के लाभ सहायक सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं को भी उपलब्ध हैं।

17. सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं आयकर अधिनियम की धारा 10ए, 10बी तथा 80एचएचई के तहत आयकर लाभ के पात्र हैं।

18. किसी उत्पाद की डीईपीबी दर समान रहेगी चाहे उसका निर्यात सीबीयू के रूप में किया गया हो या फिर पूर्ण संयोजित/अर्द्ध संयोजित रूप में किया गया हो।

19. लघु उद्योग, अति लघु उद्योग, कुटीर उद्योग, पूर्वोत्तर राज्यों/सिक्किम/जम्मू एवं कश्मीर स्थिति इकाइयों, लैटिन अमेरिका/सीआईएस/उप सहारा अफ्रीका को

निर्यात करने वाले निर्यातकर्ताओं और आईएसओ 9000 (शृंखला) रखने वाली इकाइयों के मामले में निर्यात गृह का दर्जा प्राप्त करने के लिए देहरी सीमा को 15 करोड़ रु. से घटाकर 5 करोड़ रु. कर दिया गया है। यह दर्जा प्राप्त इकाइयां निम्नलिखित नई/विशेष सुविधाएं प्राप्त करने की पात्र हैं :

- विदेशी मुद्रा अर्जनकर्ता के विदेशी मुद्रा (ईईएफसी) खाते में विदेशी मुद्रा की 100% धारिता।
- सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से बढ़ाकर 360 दिन किया जाना।

20. ईओयू/ईपीजेड/एसटीपी/ईएचटीपी इकाइयों द्वारा शुल्क मुक्त रूप से आयातित कम्प्यूटरों का दो वर्षों तक उपयोग करने के बाद मान्यता प्राप्त गैर-वाणिज्यिक शिक्षण संस्थानों, पंजीकृत धमार्थ अस्पतालों, सार्वजनिक पुस्तकालयों, सार्वजनिक रूप से वित्तपोषित अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठानों, आदि को दान में देने की अनुमति दी गई है।

21. किसी बाहरी दाता द्वारा सरकारी स्कूलों और किसी भी संगठन द्वारा गैर-व्यावसायिक आधार पर चलाए जा रहे मान्यता प्राप्त स्कूलों को दिए गए पुराने कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर उपान्त उपस्करों को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

22. उद्यम पूंजी उपक्रम, जिसमें सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को शामिल किया गया है, में इक्विटी शेयर के रूप में किए गए निदेश के फलस्वरूप किसी उद्यम पूंजी निधि अथवा उद्यम पूंजी कम्पनी से प्राप्त लाभांशों अथवा दीर्घकालीन पूंजीगत प्राप्तियों से आय को अब कुल आय की गणना करने के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा।

23. उद्यम पूंजी वित्तपोषण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, घरेलू तथा विदेशी दोनों ही उद्यम पूंजी निधियों के पंजीकरण तथा विनियमन के लिए सेबी को एकमात्र केन्द्रीय अभिकरण बनाया गया है।

24. उद्यम पूंजी निधि की संवितरित एवं असंवितरित आय पर कोई कर नहीं लगेगा। उद्यम पूंजी निधियों द्वारा वितरित आय पर कर केवल आय की प्रवृत्ति के अनुसार लागू दरों पर निवेशकर्ता को देना होगा। जिन उद्यम पूंजी उपक्रमों में उद्यम पूंजी निधियों ने आरंभिक निवेश किया था और बाद में भारत के किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में वह सूचीबद्ध हो जाने पर भी उनके शेयर के मामले में उद्यम पूंजी निधियां इस छूट की हकदार होंगी।

25. पोर्ट फोलियो निवेश नीति के अंतर्गत, विदेशी संस्थागत निदेशकों (एफआईआई) को किसी कम्पनी में साम्यापूंजी के कुल 25% तक निवेश की अनुमति दी गई है, जिसे अनुमोदन के आधार पर 40% तक बढ़ाया जा सकता है। वर्ष 2001-02 के बजट में इस सीमा को 40% से बढ़ाकर 49% कर दिया गया है।

26. धारा 80-।ए (आधारभूत सुविधा प्रास्थिति) के प्रावधानों के अंतर्गत करावकाश इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (आईएसपी) तथा ब्रॉडबैंड नेटर्क प्रदाताओं को भी उपलब्ध कराया गया है।

27. एडीआर/जीडीआर के लिए द्विमार्गी प्रतिमोच्यता की अनुमति दी गई है। क्षेत्रीय सीमा के अंतर्गत अब स्थानीय शेयरों को एडीआर/जीडीआर में पुनः परिवर्तित किया जा सकता है।

28. विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वर्ष 2002-03 के बजट की घोषणाओं में, नए औद्योगिक उपक्रमों अथवा वर्तमान औद्योगिक उपक्रम के बड़े पैमाने पर विस्तार के मामले में 31.3.2002 के बाद खरीदी गई तथा प्रतिष्ठापित मशीनरी अथवा संयंत्र की वास्तविक लागत के 15% की और कटौती की अनुमति देने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित संशोधन 1.4.2003 से प्रभावी होगा और तदनुसार निर्धारण वर्ष 2003-04 तथा उसके बाद के वर्षों में लागू होगा।

29. भारत में उद्योगों को पुनः स्थापित करने को प्रोत्साहित करने के लिए उन मामलों में संयंत्र तथा मशीनरी

का आयात किसी लाइसेंस के बिना करने की अनुमति दी जाएगी जहां ऐसे पुनःस्थापन संयंत्रों की मूल्यह्रासित कीमत 50 करोड़ रु. से अधिक हो।

30. जो भारतीय कम्पनियां विदेशों में पूंजीनिवेश करना चाहती हैं, वे अब तीन वर्ष की लाभप्रदता की शर्त के बिना स्वतः मार्ग से प्रतिवर्ष 100 मिलियन अमरीकी डालर तक का पूंजीनिवेश कर सकती हैं, जिसकी वर्तमान सीमा 50 मिलियन अमरीकी डालर है। (बजट 2002–03 की घोषणा)

31. बाजार खरीद के जरिए विदेशी संयुक्त उद्यमों में विदेशी पूंजीनिवेश करने वाली भारतीय कम्पनियां अब पूर्व अनुमति के बिना अपनी शुद्ध मालियत के 50% तक ऐसा कर सकती हैं। इस समय यह सीमा 25% है। (बजट 2002–03 की घोषणा)

32. अनुसंधान एवं विकास से संबंधित कार्यकलापों में और अधिक पूंजीनिवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, वैज्ञानिक, सामाजिक अथवा सांख्यिकीय शोध के प्रयोजन से किसी विश्वविद्यालय, कालेज या संस्थान या वैज्ञानिक शोध संघों को दी जाने वाली राशि पर 125% की भारित कटौती उपलब्ध है।

33. निर्यात/आयात की अनुमति में लगने वाले समय में कमी करने के प्रयोजन से, नागर विमानन मंत्रालय ने 24 घंटे की प्रतीक्षा अवधि को दूर करने के उद्देश्य से 'परिचित व्यवसायी' (नोन शिपर्स) योजना को अंतिम रूप दिया है।

34. मुम्बई, कोलकाता, चेन्नै, बंगलौर, हैदराबाद, दिल्ली तथा गोवा स्थित हवाई सामान परिसरों में कार्यदिवसों में दो पारियां तथा छुट्टी के दिनों में एक पारी की व्यवस्था लागू की गई है।

35. इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य के विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 तैयार किया गया है जिसमें साइबर सुरक्षा, साइबर अपराध और अन्य सूचना सुरक्षा से संबंधित विधायी पहलुओं का प्रावधान किया गया है।

विवरण-II

ग्रामीण क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के लिए इस समय चल रही परियोजनाएं

1. समाधान केन्द्र

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी ग्रामीण भारत तक ले जाने हेतु ग्रामीण सूचना केन्द्र (समाधान केन्द्र) के लिए वर्ष 1997–98 में एक परियोजना शुरू की। इस परियोजना के अंतर्गत तमिलनाडु के रामानाथपुरम जिले में क्षेत्र की जनसांख्यिकी, फसलों, पशुपालन और अन्य संबंधित विषयों का गहन अध्ययन करने के उपरांत एक ग्रामीण सूचना केन्द्र स्थापित किया गया। ग्रामीण जनता की सूचना संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कई पैकेजों का विकास किया गया। यह समाधान केन्द्र इस समय कार्यशील है और इसका व्यापक उपयोग किया जा रहा है। यह परियोजना पारिस्थितिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। इसकी कुल लागत 15.48 लाख रुपए है।

इस परियोजना की सफलता देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने तीन और प्रायोगिक परियोजनाएं शुरू की हैं–

(क) मध्य प्रदेश–राष्ट्रीय मानव अधिवास एवं पर्यावरण (एनसीएचएसई), भोपाल द्वारा 15.47 लाख रुपए की कुल लागत से कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का स्थल उज्जैन है।

(ख) मध्य प्रदेश–महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट द्वारा 17.64 लाख रुपए की कुल लागत से कार्यान्वित की जा रही है।

(ग) आंध्र प्रदेश–केन्द्रीय वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के एक संगठन भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईसीटी), हैदराबाद द्वारा 22.34 लाख रुपए की कुल लागत से कार्यान्वित की जा रही है।

2. कृषि में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग

कृषि कार्य में सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं -

(क) जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी), जबलपुर कुल 29.66 लाख रुपए की लागत से विभिन्न फसलों के लिए उपलब्ध कृषि प्रौद्योगिकियों के कार्यान्वयन के लिए मीडिया सॉफ्टवेयर कार्यान्वित कर रहा है।

(ख) चाय अनुसंधान संघ (टीआरए), भारतीय इलेक्ट्रॉनिकी अनुसंधान और विकास केन्द्र (ईआरएण्डडीसीआई), कोलकाता और केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी अनुसंधान संस्थान (सीरी), पिलानी कुल 357.69 लाख रुपए की लागत से मॉडल चाय फैक्टरी के आधुनिकीकरण और चाय संसाधन के एकीकृत स्वचालन के विकास को कार्यान्वित कर रहे हैं।

3. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) केन्द्र सरकार के विभागों, राज्य सरकारों, जिला प्रशासनों तथा देश में अन्य सरकारी निकायों को कम्प्यूटर आधारित सहयोग प्रदान कर रहा है। एनआईसी प्रयोक्ता विभागों की आवश्यकतानुसार हिन्दी तथा स्थानीय भाषाओं में सूचना प्रणाली का विकास कर रहा है तथा उसे कार्यान्वित कर रहा है। इस संबंध में अपेक्षित आवश्यक प्रौद्योगिकीय साधन एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका एक मुख्य उदाहरण भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण है जो विभिन्न राज्यों की स्थानीय भाषाओं में कार्यान्वित किया गया है।

4. मीडिया लैब एशिया

मीडिया लैब एशिया की स्थापना मुम्बई में सितम्बर, 2001 में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) तथा एमआईटी, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। इस परियोजना की मुख्य विशेषताएं अद्यतन तकनीकी जानकारी की तथा भावी प्रौद्योगिकियों का विकास करना तथा आम आदमी के लाभार्थ जिसमें ग्रामीण जनता शामिल है, इन प्रौद्योगिकियों को विशेष रूप से सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों (आईसीटी) को नियोजित करना है। इसका उद्देश्य जन सामान्य तक सूचना प्रौद्योगिकी को पहुंचाकर अंकीय विभाजन समाप्त करने में सहायता करना है और इस प्रकार उन्हें सशक्त बनाना है। इस कार्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा लघु उद्यमशीलता शामिल है। मीडिया लैब एशिया ग्रामीण स्तरीय परियोजनाओं के एक बड़े नेटवर्क के इर्द–गिर्द केन्द्रित है। मीडिया लैब एशिया की भूमिका आम जनता को लाभ पहुंचाने वाले नवीकरणों के आविष्कार, परिष्करण तथा प्रसार के लिए सुविधाएं उपलब्ध करना है। मीडिया लैब एशिया इन नवीकरणों को भारतीय गांवों तक पहुंचाने के लिए उद्योग, गैर सरकारी संगठनों तथा सरकार के साथ मिलकर कार्य कर रही है।

प्रथम वर्ष के आरंभिक चरण को भारत सरकार के 65.00 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय से अनुमोदित कर दिया गया है।

5. सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) परियोजना

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने सात पूर्वोत्तर राज्यों में स्थित 487 ब्लॉक मुख्यालयों तथा सिक्किम में सामुदायिक सूचना केन्द्र (सीआईसी) स्थापित करने की एक योजना शुरू की है ताकि इस क्षेत्र के सामाजिक–आर्थिक विकास को तीव्र करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को बढ़ावा दिया जा सके। यह योजना अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों में दो वर्षों के अंदर कार्यान्वित किए जाने की उम्मीद है।

(क) इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अंकीय विभाजन समाप्त करना तथा निचले स्तर पर संपर्क उपलब्ध कराना है विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों में जहां राष्ट्रीय विकास के लाभ समुदाय के पास नहीं पहुंचे हैं, खासतौर पर अपेक्षित स्तर तक महिलाओं और बच्चों तक क्योंकि वे हमेशा ही अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप सूचना पाने से वंचित रहे हैं।

(ख) सीआईसी परियोजना जो भारत सरकार की एक अग्रगामी योजना है जिसका उद्देश्य असुविधाजनक पहाड़ी इलाकों, दुर्गम और सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले समुदाय की आवश्यकताएं किफायती लागत से पूरी करना है।

(ग) राज्य सरकारों द्वारा चुने हुए स्थलों पर ब्लॉक मुख्यालयों में 30 सीआईसी स्थापित करनें की प्रायोगिक परियोजना पांच वर्ष की अवधि में अक्टूबर, 2000 में 15 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरी की गई।

(घ) प्रायोगिक परियोजना के अंतर्गत 30 सीआईसी की

कार्यप्रणाली के अनुभवों के आधार पर 241 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से (जिसमें 15 करोड़ रुपए की प्रायोगिक परियोजना की लागत शामिल है) मुख्य परियोजना शुरू की गई है।

(ङ) परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सूचना विज्ञान केन्द्र सेवा इन्कॉर्पोरेटिड (निक्सी) को अब तक 85.35 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

लघु उद्योगों में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का प्रवेश

1505. श्री टी. टी. वी. दिनाकरन : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां अचार, कॉयर आदि जैसे लघु एवं कुटीर उद्योगों के क्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं; और

(ख) देशी उद्योगों के हितों की रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) सरकार को समय-समय पर कुछ बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा आरक्षण नीति के उल्लंघन और अन्य कुटीर उद्योगों में प्रवेश करने के प्रयासों की भी सूचना प्राप्त होती रहती है। आरक्षण नीति के उल्लंघनकारियों के विरुद्ध, औद्योगिक (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने लघु क्षेत्र और कुटीर उद्योगों के सुदृढ़ीकरण और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को घरेलू एवं विश्वव्यापी दोनों तौर पर बढ़ाने के लिए उपायों की शृंखला तैयार की है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्रेडिट का सरल प्रवाह, विपणन सहायता, सुधरी हुई आधारभूत संरचना और प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण हेतु सहायता शामिल है।

[हिन्दी]

संघात केन्द्र

1506. डा. अशोक पटेल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सड़क दुर्घटना में घायल हुए व्यक्तियों का जीवन बचाने हेतु देश के संघात केन्द्रों को इंटरनेट के माध्यम से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में खोले गए संघात केन्द्र के साथ जोड़े जाने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में आमूल-चूल परिवर्तन

1507. श्रीमती रेणूका चौधरी :
श्री ज्योतिरादित्य मा. सिंधिया :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 84 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को पूरी तरह संतुष्ट न हो पाने के कारण विशेषकर आपातकालीन परिस्थितियों में चिकित्सा के लिए प्राइवेट चिकित्सकों के पास जाना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या लाभार्थियों की संतुष्टि मुख्यतः उपयुक्त स्तर की औषधियां, आपातकालीन आपरेशन के लिए आवश्यक समयोचित और शीघ्र चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(घ) क्या इस योजना को प्रभावी बनाने हेतु इसमें आमूल-चूल परिवर्तन करने के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के प्राधिकारियों को कोई निदेश जारी किए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

संयुक्त अमरीका-ब्रिटिश सैन्य निगरानी बल

1508. श्रीमती प्रभा राव : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 2002 में अमरीका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के दौरों के दौरान सरकार को भारत–पाकिस्तान सीमा पर संयुक्त अमरीका–ब्रिटिश सैन्य निगरानी बल का प्रस्ताव किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिना लाइसेंस वाले मिनरल वाटर संयंत्र

1509. श्री दिनेश चन्द्र यादव :
श्री रामजीवन सिंह :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में बिना लाइसेंस वाले मिनरल वाटर संयंत्र जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा बिना लाइसेंस वाले मिनरल वाटर संयंत्रों की पहचान करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार उनके द्वारा मिनरल/पैकेजबंद पेय जल बनाने वाले 50 एककों का सर्वेक्षण किया गया और इसका ब्यौरा इस प्रकार है–

दिल्ली नगर निगम द्वारा सर्वेक्षण किए गए कुल एकक	: 50
दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत दिल्ली नगर निगम से लाइसेंस प्राप्त एकक	: 5
दिल्ली नगर निगम द्वारा सील किए गए एकक	: 7
स्वयं विनिर्माताओं द्वारा बंद किए गए एकक	: 26
दिल्ली नगर निगम अधिनियम के अंतर्गत अभियोजित एकक	6
दिल्ली उच्च न्यायालय के रोक आदेश के अंतर्गत कार्यरत एकक	6

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिल्ली में पैकेजबंद पेयजल के निर्माण हेतु भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा 22 विनिर्माण एककों को लाइसेंस दिया गया है।

[हिन्दी]

परिवार कल्याण/टीकाकरण कार्यक्रम

1510. श्री जयभान सिंह पवैया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परिवार कल्याण और टीकाकरण कार्यक्रमों को सुचारु रूप से क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां उपर्युक्त कार्यक्रम सुचारु रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। देश में परिवार कल्याण और टीकाकरण कार्यक्रम सरल और कारगर ढंग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं। परिवार कल्याण कार्यक्रम 1952 में इसे अपनाए जाने से ही एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में जारी है और टीकाकरण कार्यक्रम परिवार कल्याण कार्यक्रम के प्रमुख घटकों में से एक है। व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम 1985–86 में शुरू किया गया था और इसका 1989–90 तक सभी जिलों तक एक चरणबद्ध ढंग से विस्तार किया गया है। सरकार ने विशेष रूप से कमजोर कार्यनिष्पादन वाले राज्यों को प्रतिरक्षण सुदृढ़ीकरण परियोजना, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य आउटरीच सेवाओं, योजना के जरिए और प्रतिरक्षण कार्यक्रम की कवरेज और गुणवत्ता में सुधार करने हेतु राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर सहायता प्रदान करके कवरेज में सुधार करने के कार्यकलाप शुरू किए हैं।

पल्स पोलियो कार्यक्रम ने देश में पोलियो के उन्मूलन के लिए प्रभावशाली प्रगति की है। सरकार ने हाल ही में देश के कुछ महानगरों और जिलों में हैपेटाइटिस बी टीकाकरण शुरू करने संबंधी एक प्रायोगिक परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

(घ) देश भर के लिए 'राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रमों' के अधीन उपलब्धियां काफी अधिक रही हैं। गोवा, नागालैंड, दिल्ली, केरल, पांडिचेरी, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और मिज़ोरम जैसे कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने वर्ष 2010 के लिए निर्धारित लक्ष्य पहले ही प्राप्त कर लिए हैं और मणिपुर, दमण व दीव, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश और लक्षद्वीप राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के नजदीक हैं। वैसे, अन्य राज्य मुख्य रूप से सामाजिक–आर्थिक संकेतकों में सुधार धीमी गति से होने के कारण पिछड़ रहे हैं।

(ङ) वर्तमान में औसत से नीचे के सामाजिक–जनांकिकी सूचकों वाले राज्यों में कार्यनिष्पादन को बढ़ाने और उसे गति प्रदान करने के लिए आठ राज्यों अर्थात् मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड के क्षेत्र विशिष्ट कार्यक्रम तैयार करने हेतु स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में एक शक्तिसम्पन्न कार्य–दल का गठन किया गया है।

[अनुवाद]

पत्तन न्यास का विकास

1511. श्री रामशेठ ठाकुर : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की देश में विशेषकर महाराष्ट्र में पत्तन न्यास के विकास की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ग) क्या सरकार के पास कार्गो संभलाई की प्रक्रिया में पत्तन न्यासों के कार्गो की जांच करने संबंधी कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कार्गो संभलाई और बड़े पत्तन न्यासों से अर्जित आय का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश गोयल) : (क) और (ख) पोत परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन महाराष्ट्र स्थित दो महापत्तनों सहित कुल 12 महापत्तन हैं। इन पत्तनों का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002–07) के दौरान आधुनिकीकरण करने, किफायती सेवाएं प्रदान करने, सेवा गुणता बढ़ाने, निगमीकरण के जरिए वाणिज्यीकरण करने और महापत्तनों में निजी क्षेत्र को और अधिक सहभागी बनाने संबंधी उपायों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए क्षमता बढ़ाने और उत्पादकता में सुधार लाने का प्रस्ताव है। वार्षिक योजना 2002–03 के तहत महापत्तनों के विकास के लिए 902.12 करोड़ रु. का परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसमें से 258.41 करोड़ रु. की राशि दो महापत्तनों अर्थात् महाराष्ट्र में जवाहर लाल नेहरू पत्तन ओर मुम्बई पत्तन के विकास के लिए है।

(ग) और (घ) पोत परिवहन मंत्रालय समय–समय पर महापत्तनों के कार्य–निष्पादन और उनके कार्गो हैंडलिंग प्रचालनों की समीक्षा करता है।

(ङ) 12 महापत्तनों से संबंधित सूचना का नीचे दी गई तालिका में उल्लेख किया गया है–

वर्ष	12 महापत्तनों में हैंडल किया गया कार्गो (मिलियन टन में)	कार्गो हैंडलिंग से होने वाली आय सहित 12 महापत्तनों में कुल सकल आय (करोड़ रु. में)
1999–2000	271.92	4080.36
2000–2001	281.10	4302.64

एचआईवी संक्रमण से ग्रसित नशाखोर

1512. श्री अधीर चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 26 जून, 2002 के 'द हिन्दू' में 'देहली टाप्स लिस्ट ऑफ एचआईवी इन्फेक्टेड ड्रग एडिक्टस' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) दिल्ली में एचआईवी संक्रमण से ग्रसित नशाखोरों की संख्या को बढ़ने से रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां।

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन प्रत्येक वर्ष अगस्त से अक्टूबर के दौरान संपूर्ण देश में निर्दिष्ट निगरानी स्थलों पर एच.आई.वी. प्रहरी निगरानी के वार्षिक दौर का आयोजन करता है, जिनमें इंजैक्टिंग ड्रग औषध उपयोगकर्ता (आई.डी.यू.) हेतु स्थल भी सम्मिलित हैं।

एच.आई.वी. के प्रहरी निगरानी के 2001 के दौर के दौरान, दिल्ली में एक इंजैक्टिंग ड्रग (औषध) उपयोगकर्ता स्थल पर इंजैक्टिंग औषध उपयोगकर्ताओं के मध्य 2.4% तक एच. आई.वी. की व्याप्तता की सूचना दी गई।

(ग) भारत में एच.आई.वी./एड्स के फैलाव की रोकथाम और नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने एक व्यापक कार्यक्रम की शुरूआत की है जो कि इस समय संपूर्ण देश में एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में निम्नलिखित घटकों के साथ कार्यान्वयनाधीन है–

- लक्षित जनसंख्या की पहचान कर, हमउम्र के व्यक्ति द्वारा परामर्श प्रदान कर, कंडोम को बढ़ावा देकर तथा यौन संचारित संक्रमणों का उपचार कर उच्च जोखिम वाले समूहों में एच. आई.वी. के फैलाव को कम करना। इंजैक्टिंग ड्रग उपयोगकर्ताओं के मामले में हानि कम करने के कार्यकलाप जैसे सुइयां बदलने के कार्यक्रम को प्रोत्साहन भी दिया जाता है।
- सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण तथा जागरूकता अभियान, स्वैच्छिक जांच एवं परामर्श की व्यवस्था, निरापद रक्ताधान सेवाओं एवं व्यावसायिक अरक्षितता की रोकथाम द्वारा आम लोगों के लिए निवारक कार्यकलाप।
- अवसरवादी संक्रमणों, गृह एवं समुदाय आधारित परिचर्या के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- राष्ट्रीय, राज्य तथा नगर निगम स्तरों पर प्रभावकारिता तथा तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय सततता को सुदृढ़ करना।
- सार्वजनिक, निजी एवं स्वैच्छिक क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देना।

[हिन्दी]

औषध विनिर्माण कंपनियों द्वारा चिकित्सकों को प्रोत्साहन

1513. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औषध विनिर्माण कंपनियां अपनी दवाओं को

बढ़ावा देने हेतु चिकित्सकों को अनेक प्रकार के प्रोत्साहन दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसकी जांच करने और इस पर नियंत्रण लगाने हेतु कठोर उपाय करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने अपने विनियमों अर्थात् भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (व्यावसायिक व्यवहार, शिष्टाचार और नीति–शास्त्र) विनियमन, 2002 में यह प्रावधान किया है कि :

"**6.4.1 एक चिकित्सक चिकित्सा**, शल्य–चिकित्सा अथवा अन्य उपचार के लिए किसी रोगी को भेजने की सिफारिश करने अथवा बुलाने के बदले किसी लाभ के रूप कोई उपहार, उपदान, कमीशन अथवा बोनस नहीं देगा, नहीं मांगेगा अथवा नहीं प्राप्त करेगा और न ही ऐसे मांगने अथवा प्राप्त करने की पेशकश करेगा। कोई भी चिकित्सक चिकित्सा, शल्य–चिकित्सा अथवा अन्य उपचार के लिए किसी फीस के बंटवारे, हस्तांतरण, सौंपे जाने, किसी किसी के अधीन काम करने, छूट देने, विभाजित अथवा प्रतिपूर्ति करने के काम में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में शामिल नहीं होगा अथवा उसमें भाग नहीं लेगा।

6.4.2 किसी चिकित्सक अथवा अन्य व्यक्ति द्वारा नैदानिक प्रयोजनों अथवा अन्य अध्ययन/कार्य के लिए नमूना अथवा सामग्री का मामला संदर्भित करने, संस्तुत करने अथवा अधिप्राप्ति करने के लिए भी पैरा 6.4.1 के प्रावधान समान शक्ति के साथ लागू होंगे। लेकिन इस खंड में निहित कुछ अर्हता प्राप्त व्यक्ति को अपने पर्यवेक्षण में चिकित्सा परिचर्या प्रदान करने के लिए वेतन का भुगतान करने से नहीं रोकेगा।"

उपर्युक्त विनियमों के अधीन अध्याय–8 में यह प्रावधान है कि इन विनियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले डाक्टरों को दंड दिया जा सकता है और उनके विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है। यदि परिषद के समक्ष विशेष शिकायतें लाई जाती हैं तो उन्हें उस संबंधित राज्य चिकित्सा परिषद को भेजा जाएगा जिसके साथ डाक्टर पंजीकृत हो अथवा जो सीधे भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद के साथ पंजीकृत हैं उनके विरुद्ध आवश्यक जांच के बाद परिषद की नैतिक समिति द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

मामलों की जांच

1514. श्री सुरेश चन्देल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोस्ट–ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, चंडीगढ़ में हुए घोटाले की जांच हेतु किसी सतर्कता समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका गठन कब किया गया;

(ग) सतर्कता समिति के गठन से होकर अब तक पी.जी.आई. ने कितने मामले उसके पास भेजे हैं; और

(घ) कितने मामलों की जांच की गई है और समिति के पास अभी कितने मामले लंबित हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ में कोई सतर्कता समिति नहीं है। वैसे, अक्टूबर, 1994 से संस्थान में एक सतर्कता कक्ष कार्य कर रहा है और विशिष्ट सतर्कता शिकायतों की जांच करता रहा है। पहली अप्रैल, 2001 को सतर्कता कक्ष में 21 मामले लंबित थे और वर्ष 2001–02 के दौरान 13 नए मामले प्राप्त हुए। कुल मिलाकर सतर्कता कक्ष ने वर्ष 2001–02 में 34 मामलों की जांच की और अपेक्षित जांच के बाद 19 मामलों की जांच पूरी कर ली गई। 19.7.2002 को 15 मामले लंबित थे।

[अनुवाद]

प्राइवेट अस्पतालों में इलाज

1515. श्री नरेश पुगलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों और पेंशन भोगियों के प्राइवेट अस्पतालों में विभिन्न रोगों का सीधे इलाज कराने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए अधिकृत प्राइवेट अस्पतालों के नाम क्या-क्या हैं;

(घ) क्या ये अस्पताल अग्रिम भुगतान हेतु दबाव न डालने और उनके बिलों को भुगतान हेतु सीधे सरकार के पास भेजने पर भी सहमत हो गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों (सेवारत तथा पेंशनर, दोनों) को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना/सरकारी अस्पताल/मुख्य चिकित्सा अधिकारी औषधालय प्रभारी तथा सेवारत कर्मचारियों के मामले में संबंधित कार्यालय/विभाग से तथा पेंशनर लाभार्थियों के मामले में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के औषधालयों के मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रभारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद उपचार विधि के संबंध में सिफारिश प्राप्त करके केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी अस्पतालों/नैदानिक केन्द्रों में सामान्य/विशिष्ट उपचार तथा नैदानिक प्रक्रियाओं का लाभ उठाने का विकल्प है।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी अस्तपतालों/नैदानिक केन्द्रों के नाम दिनांक 7.9.2001, 15.3.2002, 6.5.2002 तथ 14.5.2002 के स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय ज्ञापनों के तहत भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को पहले ही परिचालित कर दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) स्वास्थ्य विभाग के दिनांक 7.9.2001 के कार्यालय ज्ञापन के पैरा संख्या 10 और 11 में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को वे श्रेणियां दी गई हैं, जो पूर्वानुमति वाले मामलों और आपात स्थिति में (जैसा कि समझौता ज्ञापन में उल्लिखित है) जिसमें मान्यता-प्राप्त अस्पताल लाभार्थियों को दाखिले से मना नहीं करेंगे/पेशगी की मांग नहीं करेंगे। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के अंतर्गत मान्यता-प्राप्त निजी अस्पतालों में उपचार लेने के लिए क्रेडिट सुविधाएं प्राप्त करेंगे और वे अस्पताल प्रतिपूर्ति के लिए बिलों को जमा करवाएंगे जो सरकार की अनुमोदित दरों की उच्चतम सीमा के अध्यधीन होंगे।

[हिन्दी]

पंचायत संचार सेवा केन्द्र

1516. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में 'पंचायत संचार सेवा योजना' के माध्यम से बेहतर डाक सेवा उपलब्ध कराने हेतु कोई नीति बनाई गई है;

(ख) वर्तमान वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक देश में विशेषकर महाराष्ट्र में कितने संचार सेवा योजना केन्द्र खोले गए हैं और उनके कार्य निपटान का मूल्यांकन क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र विशेषकर अहमदनगर में पंचायत संचार सेवा योजना केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) जी, हां। समूचे देश में वर्ष 2002-2003 के दौरान ऐसे ग्राम पंचायत गांवों में, जिनमें डाकघर नहीं है, डाक काउंटर सुविधा प्रदान करने के लिए 1,500 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का लक्ष्य है। इन पंचायत संचार सेवा केन्द्रों का खोला जाना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने तथा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में तथा महाराष्ट्र में खोले गए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। ये सभी पंचायत संचार सेवा केन्द्र डाक-टिकटों तथा डाकलखेन सामग्री की बिक्री, पंजीकृत वस्तुओं की बुकिंग तथा डाक-प्रमाणपत्र प्रदान करने से संबंधित काउंटर सेवाएं प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। महाराष्ट्र सर्किल के लिए 150 पंचायत संचार सेवा केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित है। पंचायत संचार सेवा केन्द्रों का खोला जाना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने तथा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अहमदनगर के लिए अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान खोले गए पंचायत संचार सेवा केन्द्रों की संख्या

वर्ष	देश में	महाराष्ट्र में
1999–2000	482	62
2000–2001	1928	208
2001–2002	2042	150
2002–2003 (30.6.2002 तक)	शून्य	शून्य

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (सी.जी.एच.एस.) औषधालयों का औचक निरीक्षण

1517. डा. एस. वेणुगोपाल : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औषधियों की उपलब्धता तथा चिकित्सकों का समय पालन और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सी.जी.एच.एस. औषधालयों का औचक निरीक्षण कर रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में गत छः महीनों के दौरान कितने छापे मारे गए; और

(ग) सरकार ने दोषी चिकित्सकों और कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां।

(ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) निरीक्षण अधिकारियों की टिप्पणियां मुख्य रूप से चिकित्सा सामग्री भंडार डिपो से औषधों की आपूर्ति, कुछ मामलों में समय–पाबंदी के अभाव, स्थानीय कैमिस्टों द्वारा औषधों की आपूर्ति में विलंब करने और ब्रांड नाम की दवाओं/औषधों की वैकल्पिक दवाएं/औषधें देने, साफ–सफाई के अभाव, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा भवन के खराब रख–रखाव तथा कुछ मामलों में व्यवहार संबंधी चूकों से संबंधित है।

इन निरीक्षणों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, अनुशासन और समय–पाबंदी बनाए रखने, साफ–सफाई का समुचित पर्यवेक्षण करने, विनम्र और उपयुक्त व्यवहार करने, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सहयोग से भवनों का रख–रखाव करने के लिए स्थायी अनुदेश दोहराए गए हैं। चूक करने वाले डाक्टरों और स्टाफ से स्पष्टीकरण मांगे गए हैं। एक मामले में एक डाक्टर को औषधालय से स्थानांतरित कर दिया गया है।

विवरण

जनवरी, 2002 से जून, 2002 के दौरान किए गए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के निरीक्षणों का औषधालयवार ब्यौरा :

टास्क कोर्स द्वारा किए गए दिल्ली के केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों के निरीक्षण

17 जनवरी, 2002

सरोजिनी नगर मार्किट

चाणक्यपुरी डिस्पेंसरी

लोधी रोड डिस्पेंसरी

14 मई, 2002 से 27 मई, 2002 तक

पुष्प विहार

एम. बी. रोड

मयूर विहार

हरी नगर

यमुना विहार

लक्ष्मी नगर

पूसा रोड

न्यू राजिन्दर नगर

जनकपुरी (सी 4/ए)

साऊथ एवेन्यू

टेलीग्राफ लेन

कांस्टीट्यूशन हाऊस

11 जून, 2002 से 14 जून, 2002 तक

किदवई नगर

लक्ष्मीबाई नगर

सेवा नगर (पैथोलोजिकल लैबोरेटरी और होम्योपैथिक यूनिट सहित)

मोती बाग

नानक पुरा

नेताजी नगर

आर.के. पुरम सैक्टर 12 (होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक औषधालय सहित)

आर.के. पुरम–III

आर.के. पुरम–V

अपर निदेशक (केन्द्रीय जोन) द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के केन्द्रीय जोन में किए गए निरीक्षण

जनवरी, 2002

साऊथ एवेन्यू

फरवरी, 2002

प्रगति विहार

प्रेसिडेंट इस्टेट

लोधी रोड

केन्द्रीय सचिवालय

टेलीग्राफ लेन

कांस्टीट्यूशन हाऊस

अप्रैल, 2002

चाणक्यपुरी

गुड़गांव

चित्र गुप्त रोड

मिंटो रोड

पहाड़गंज

नौएडा

डा. जैड. एच. रोड

मई, 2002

फरीदाबाद

गाजियाबाद

गोल मार्किट

काली बाड़ी

काली बाड़ी (एच)

जून, 2002

साऊथ एवेन्यू

पंडारा रोड

नौएडा

कांस्टीट्यूशन हाऊस

अपर निदेशक (दक्षिण जोन) द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के साऊथ जोन में किए गए निरीक्षण

फरवरी, 2002

लाजपत नगर

एम.बी. रोड

एस.एन. मार्किट

आर.के. पुरम–VI

आर.के. पुरम–I

हौज खास

मार्च, 2002

नेताजी नगर

मोती बाग

आर.के. पुरम–V

आर.के. पुरम–III

अप्रैल, 2002

नानकपुरा

मालवीय नगर

लक्ष्मीबाई नगर

मई, 2002

सादिक नगर

एम.बी. रोड

जून, 2002

श्रीनिवासपुरी

श्रीनिवासपुरी

अपर निदेशक (उत्तरी जोन) द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के उत्तरी जोन में किए गए निरीक्षण

जनवरी, 2002

राजौरी गार्डन

ईस्ट पटेल नगर

फरवरी, 2002

नारायणा विहार

दिल्ली कैंट

जनकपुरी–II

तिलक नगर

जनकपुरी–II

पश्चिम विहार

सुन्दर विहार

पीतमपुरा

अशोक विहार

शकूरबस्ती

इन्द्र पुरी

करोल बाग

मार्च, 2002

न्यू राजेन्द्र नगर

जनकपुरी–I

जनकपुरी (आयुर्वेदिक)

हरीनगर

वेस्ट पटेल नगर

देवनगर

पालम कालोनी

देवनगर (होम्यो.)

रोहिणी

राजौरी गार्डन

अप्रैल, 2002

तिलकनगर

ईस्ट पटेल नगर

पालम कालोनी

न्यू राजेन्द्र नगर

मई, 2002

पुसा रोड

नारायणा विहार

पश्चिम विहार

दिल्ली कैंट

नांगल राया

राजौरी गार्डन

त्रिनगर

अशोक विहार

सुन्दर विहार

पश्चिम विहार

जून, 2002

जनकपुरी–II

तिलकनगर

पीतमपुरा

शकूरबस्ती

न्यू राजेन्द्र नगर

देवनगर

देवनगर (होम्यो.)

जनकपुरी–I

जनकपुरी (आयुर्वेदिक)

अपर निदेशक (पूर्वी जोन) द्वारा केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना दिल्ली के पूर्वी जोन में किए गए निरीक्षण

जनवरी, 2002

लक्ष्मीनगर

फरवरी, 2002

विवेक विहार

मयूर विहार

दरियागंज

चांदनी चौक

किंग्जवे कैंप

मार्च, 2002

विवेक विहार

शकूरबस्ती

यमुना विहार

अप्रैल, 2002

चांदनी चौक

किंग्जवे कैंप

मयूर विहार

मई, 2002

यमुना विहार

तिमारपुर

जून, 2002

लक्ष्मीनगर

[हिन्दी]

बिहार में डाकघर

1518. श्री राजो सिंह :

डा. मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में इस समय चालू डाकघरों की श्रेणी–वार संख्या कितनी है;

(ख) राज्य के कितने गांवों में अभी तक डाक सुविधाएं प्रदान नहीं की गई हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार नव विकसित क्षेत्रों में नये डाकघर खोलने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) बिहार में इस समय 31 हेड पोस्ट आफिस, 10 मुख्य डाकघर, 1019 उप डाकघर, 99 अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर और 7850 अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर काम कर रहे हैं।

(ख) डाक के रोजाना संग्रहण व वितरण और डाक–टिकटों एवं डाकलेखन सामग्री की बिक्री की डाक सुविधाएं राज्य के सभी गांवों में उपलब्ध हैं।

(ग) और (घ) नव विकसित क्षेत्रों में मांग के आधार पर नए डाकघर खोले जाते हैं। हालांकि यह निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यू.आई.पी.) में हेपेटाइटिस और चेचक के टीकों को शामिल किया जाना

1519. श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री वाई. वी. राव :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यू. आई.पी.) में हेपेटाइटिस ए, बी और सी तथा चेचक के टीकों को शामिल करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य–वार कौन–कौन से क्षेत्रों को शामिल किए जाने की संभावना है; और

(ग) इस कार्यक्रम का देश भर में कब तक विस्तार किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) वर्ष (2002–03) के दौरान 15 शहरों तथा वर्ष (2003–2004) के दौरान 32 जिलों की मलिनबस्तियों में व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस–बी वैक्सीन को शामिल करने के लिए प्रायोगिक परियोजना हेतु कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। शहरों तथा जिलों की सूची संलग्न विवरण में दी है। और अधिक शहरों में हेपेटाइटिस–बी टीकाकरण कार्यक्रम के विस्तार पर बाद में विचार किया जाएगा। इस व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हेपेटाइटिस ए एवं सी तथा छोटी माता (चिकेन पॉक्स) वैक्सीनों को शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

शहरों तथा जिलों की सूची

शहरों की सूची

क्र.सं.	नाम
1	2
1.	ग्रेटर मुम्बई
2.	कोलकाता
3.	चेन्नई
4.	दिल्ली
5.	हैदराबाद
6.	बंगलौर
7.	अहमदाबाद
8.	कानपुर
9.	पुणे
10.	लखनऊ
11.	बड़ोदरा
12.	जयपुर
13.	इंदौर
14.	पटना
15.	भोपाल

जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिला
1	2	3
1.	तमिलनाडु	1. मदुरै
		2. नीलगिरी
		3. विरूधनगर
		4. रामनाथपुरम
2.	केरल	5. अलपुझा
		6. एर्नाकुलम
		7. पाथमिथान
3.	कर्नाटक	8. कोदगू (कुर्ग)
		9. शिमोगा
		10. मैसूर

1	2	3
4.	आंध्र प्रदेश	11. चित्तौड़
		12. विजयनगर
5.	गोवा	13. गोवा
6.	महाराष्ट्र	14. रत्नागिरी
		15. चन्द्रपुर
		16. सतारा
7.	मध्य प्रदेश	17. बालाघाट
8.	उड़ीसा	18. सुन्दरगढ़
9.	पंजाब	19. रोपड़
		20. होशियारपुर
10.	हरियाणा	21. पंचकुला
		22. अम्बाला
11.	हिमाचल प्रदेश	23. हमीरपुर
		24. सोलन
12.	उत्तरांचल	25. नैनीताल
13.	पांडिचेरी	26. पांडिचेरी
14.	लक्षद्वीप	27. लक्षद्वीप
15.	असम	28. जोरहट
		29. सिबसागर
16.	जम्मू और कश्मीर	30. राजौरी
		31. उधमपुर
17.	गुजरात	32. सूरत

जैव-चिकित्सा अपशिष्ट पदार्थों का निपटान

1520. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में कई सरकारी/गैर-सरकारी अस्पतालों और नर्सिंग होमों के पास अपने जैव-चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान करने का कोई उचित तंत्र उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कौन-कौन से अस्पतालों/नर्सिंग होमों की पहचान की है; और

(ग) इस समस्या का समाधान करने के लिए कौन-कौन से सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड ने सूचित किया है कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 50 स्वास्थ्य परिचर्या प्रतिष्ठानों में एक सर्वेक्षण किया है जिनमें से 19 स्वास्थ्य परिचर्या प्रतिष्ठानों को अपशिष्ट का निपटान खराब और बहुत ही खराब स्थिति में करते हुए पाया गया है। दो साझी ट्रीटमेंट सुविधाएं दिल्ली में कार्य कर रही हैं जो स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों से ट्रीटमेंट के लिए अपशिष्ट एकत्र करते हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने दिल्ली में नई साझा ट्रीटमेंट सुविधा स्थापित करने के लिए एक निविदा भी आमंत्रित की है।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में भूमिगत केबल

1521. श्री रामरती बिन्द : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष (जून, 2002 तक) उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर, भदोही, वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़ जिलों के विभिन्न गांवों में दूरभाष सुविधाएं प्रदान करने के लिए बिछाई गई भूमिगत केबल की कुल लंबाई, मूल्य और प्रकार क्या था;

(ख) विभिन्न विभागों द्वारा उक्त जिलों में भूमिगत केबल बिछाने के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) पूर्वोत्तर भूमिगत केबल के माध्यम से प्रत्येक जिले में कितने दूरभाष केन्द्र प्रदान किए गए;

(घ) क्या यह सच है कि इन जिलों में उपभोक्ताओं

के दूरभाष कनैक्शन जारी किए जाने के बावजूद उन्हें दूरभाष कनैक्शन प्रदान नहीं किए गए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इन जिलों में शीघ्र दूरभाष सुविधा प्रदान करने के लिए क्या उपाय कर रही है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी.एन.एल.) द्वारा लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय कॉल (आई.एल.डी.) सेवाएं

1522. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी. एन.एल.) ने लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सेवा (आई.एल.डी.) आरंभ करने हेतु सरकार से अनुमति मांगी है;

(ख) क्या बी.एस.एन.एल. ने भी आई.एल.डी. के लिए आवेदन किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके आग्रहों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) लंबी दूरी की अंतर्राष्ट्रीय सेवा के लाइसेंस के लिए मैसर्स महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एम.टी. एन.एल.) और मैसर्स भारत संचार निगम लिमिटेड (बी.एस.एन. एल.) के आवेदनों की जांच की जा रही है।

दूरभाष केन्द्रों का विस्तार

1523. श्री प्रबोध पण्डा : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में इस समय जिले–वार कितने दूरभाष केन्द्र कार्यरत हैं और उनकी क्षमता कितनी है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार इस राज्य में नये दूरभाष केन्द्र स्थापित करने और मौजूदा दूरभाष केन्द्रों की क्षमता बढ़ाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के सभी जिला मुख्यालयों में सेल्यूलर फोन सेवा आरंभ करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इसे कब तक आरंभ कर दिया जाएगा?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) पश्चिम बंगाल में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान लगभग 3.10 लाख लाइनों की अतिरिक्त क्षमता के साथ मुख्य और विस्तारित एक्सचेंजों सहित लगभग 176 टेलीफोन एक्सचेंजों को चालू करने का प्रस्ताव है।

(घ) और (ङ) कोलकाता टेलीफोन जिला के क्षेत्राधिकार में आने वाले संपूर्ण क्षेत्र में पहले से ही सेल्यूलर फोन सेवा कार्य कर रही है। पश्चिम बंगाल के शेष जिलों में चालू वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में टेलीफोन सेवा उपलब्ध हो जाने की आशा है।

विवरण

30.6.2002 की स्थिति के अनुसार पश्चिम बंगाल में चालू टेलीफोन एक्सचेंजों की जिलावार संख्या और उनकी संबंधित क्षमता

क्र.सं.	जिला का नाम	एक्सचेंजों की संख्या	कुल क्षमता
1	2	3	4
1.	बर्दवान	173	224722
2.	मुर्शिदाबाद	90	84700
3.	बांकुरा	65	51220
4.	हावड़ा	59	169494
5.	हुगली	117	204598

1	2	3	4
6.	24 परगना (उत्तरी)	107	247852
7.	24 परगना (दक्षिणी)	96	149149
8.	कूचबिहार	33	38304
9.	जलपाईगुड़ी	51	55588
10.	मिदनापुर	164	146044
11.	नादिया	77	101142
12.	माल्दा	54	57476
13.	पुरुलिया	29	24104
14.	दिनाजपुर (उत्तरी)	45	47776
15.	दिनाजपुर (दक्षिणी)	30	35976
16.	दार्जिलिंग	79	108456
17.	बीरभूम	84	60220
18.	कलकत्ता	188	957922

[हिन्दी]

औषधियों की गुणवत्ता का परीक्षण करना

1524. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों की गुणवत्ता की जांच करने हेतु कोई प्रबंध किया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी औषधियों का परीक्षण किया गया और परीक्षण के दौरान कितनी नकली औषधियों का पता चला तथा ऐसी औषधियां कौन-कौन सी हैं और उनका निर्माण कौन-कौन सी कंपनियों ने किया है; और

(ग) सरकार ने इन कंपनियों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्रवाई की है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) जी, हां। औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के उपबंधों और उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत राज्य सरकारों को विनिर्मित और बाजार में बेची गई औषधों की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने की शक्ति दी गई है। राज्य औषध नियंत्रण अधिकारी यादृच्छिक रूप से विनिर्माताओं और व्यापारियों से नमूने लेते हैं तथा सरकारी प्रयोगशालाओं के माध्यम से उनकी गुणवत्ता का वैधीकरण करवाते हैं।

(ख) और (ग) राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकारियों से उपलब्ध आधारिक सूचना (फीडबैक) के अनुसार, 1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 के वर्षों के दौरान औषधों के क्रमशः 38936, 35570 और 36947 नमूनों की जांच की गई। औषधों, कैमिस्टों/विनिर्माताओं के नामों तथा उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उन औषधों, कैमिस्टों/विनिर्माताओं के नामों को दर्शाने वाला विवरण, जिनके विरुद्ध 1999-2000 और 2000-2001 की अवधि में औषध और प्रसाधन सामग्री नियम का उल्लंघन करते हुए मानक किस्म की औषधें न बेचने के लिए लाइसेंसिंग प्राधिकारियों द्वारा कार्रवाई की गई है

राज्य का नाम	कैमिस्ट का नाम	औषध एवं विनिर्माता का नाम	की गई कार्रवाई
1	2	3	4
कर्नाटक	1. (1) श्री काशीनाथ, प्रोप. और मै. शिवलीला मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, बागदल, जिला बीदर का अर्हक व्यक्ति	साइनोकोबाल्मीन इंजेक्शन आई पी बैच सं. 197102 मैसर्स ब्लेस्सन कैमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स, विजयवाड़ा, आंध प्रदेश	अभियोजन शुरू किया गया।

1	2	3	4
	2. (2) डा. के.के. चंडप्पा, मैनेजिंग डारेक्टर, और श्री के.एच. धनन्जय आई/सी ऑफ मै. विश्वभारती नर्सिंग होम, हनुमन्था नगर, बंगलौर	वैकटाजोल सस्पेंशन बैच सं. 21096 मै. लायोवक लैब, 26 जफरभोय इंड. एस्टेट, बम्बई–59 ट्रिपेन सस्पेंशन, बैच सं. सी टी 438, मै. आक्सफोर्ड लैब. निडामेन्यूर पोलिबियन सिरप बैच सं. एल आर 697, मै. ई. मार्क (आई) लि., डा. अन्नेश, बसंत रोड, वरली, बम्बई–18	अभियोजन शुरू किया गया।
गोवा	3. –	1. विटामिन बी–1, बी–6, बी–12 इंजे. कोबास्टन एम्पूल बैच सं. पास ॥ मै. स्मिथ स्टेनस्ट्रीट फार्मास्युटिकल लि., 618, कन्वेंट रोड, कोलकाता	अभियोजन शुरू किया गया।
	4. –	2. मैक्सीमल्टी मल्टीविटामिन सिरप 200 मि.ली. बैच सं. 22796, मै. ब्राइट ड्रग इंडस्ट्रीज लि., 45–ए, सैक्टर एफ, सांवर रोड, इंदौर–452003	अभियोजन शुरू किया गया।
	5. –	3. क्लोक्सासिलिन कैप्सूल (एम्पीसिलिन क्लोक्सासिलिनि कैप.) बैच सं. 1024 मै. ओशो फार्मा प्रा. लि. अहमदाबाद, गुजरात	अभियोजन शुरू किया गया।
आंध्र प्रदेश	6. मै. गणेश मेडिकल एजेंसीज तिरूपति और उसके पार्टनर और मै. ओमकार मेडिकल, विजयवाड़ा और उसके पार्टनर मै. ओमकार मेडिकल विजयवाड़ा और उसके पार्टनर और मै. गणेश मेडिकल एजेंसीज, तिरुपति मै. गणेश मेडिकल एजेंसीज, तिरुपति	मेथरजीन इंजेक्शन एम्पूल्स, बैच संख्या 70954 के मै. कोरटेन फार्मास्युटिकल्स, थाणे	31.12.2000 को आरोप पत्र दाखिल किया गया। अभियोजन का आदेश 30-08-2000 को दिया गया।

1	2	3	4
7.	(i) मै. साईराम मेडिकल एजेंसीज, हैदराबाद (ii) मै. श्रीरामअजन्या, मेडिकल एजेंसीज, नरसाराओपेट (iii) मै. विनायक मेडिकल एजेंसीज, ओन्गोले, (iv) मै. मारूति मेडिकल एंड फेंसी स्टोरीज, अद्दांकी	रेस्टेडाइन–500 मि.ग्रा. बैच सं. 5जे5271बी और 7जे5271बी मै. साइन्बायोटिक्स लि., बड़ोदा	16.5.2000 को आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	(v) मै. मेडि एड्स फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर, मलकपेटा, हैदराबाद		30.12.2000 को आरोप पत्र दाखिल किया गया।
8.	(i) मै. रेणुका मेडिकल कारपोरेशन, चिराला (ii) मै. श्री एंटरप्राइजेज, गुंटूर (iii) मै. सन राइस फार्मा गुंटूर (iv) मै. श्री बालाजी, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर्स, सिकन्दराबाद (v) मै. प्रसाद मेडिकल्स, चिराला (vi) मै. राम मेडिकल्स, तेनाली (vii) मै. विगनेश्वरा मेडिकल एजेंसीज, गुंटूर (viii) मै. च. गनाडिसेट्टी मेडिकल स्टोर्स, चिराला (ix) मै. श्री देवी डिस्ट्रब्यूटर्स, तेनाली	ओमेज कैपसूल्ज बैच सं. 20एम16939 मै. डा. रेड्डीस लेबोरेटरीज, हैदराबाद	अभियोजन आदेश जारी किया गया।
9.	(i) मै. साई राम मेडिकल एजेंसीज, इंदरबाग, हैदराबाद और 3 अन्य (ii) मै. साई सारथ फार्मा, विजयवाड़ा	फेक्सीन कैपसूल्ज 500 मि.ग्रा., बैच सं. यू558, मै. कैप्सूलेशन सर्विस लि. मुंबई द्वारा मै. ग्लैक्सो इंडिया लि.	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
10.	मै. श्रीनिवास मेडिकल एजेंसीज, तेनाली	प्रिमोलट–एन बैच सं. 1578बी सं. 1636 मै. जर्मन रेमेडिस, मुंबई	अभियोजन आदेश जारी किया गया।
	मै. श्रीवासावी फार्मा डिस्ट्रीब्यूटरस, हिन्दपुर और उसके पार्टनर (i) मै. श्री शिवशक्ति फार्मा, हैदराबाद (ii) मै. सिलीजन फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर, ओनगोले (iii) मै. राघवेन्द्रा मेडिकल एजेंसीज, विजयवाड़ा (iv) मै. हरी किरन मेडिकल एजेंसीज, नन्दयाल	–तदैव– –तदैव– –तदैव– तदैव–	

1	2	3	4
	(v) मै. भगवान मेडिकल्स, कुड्डपा (vi) मै. गिरीराज टैक्सटाइल्स, नई दिल्ली		
11.	मै. प्रवीण एजेंसीज, इंदरबाग, हैदराबाद	क्रोसिन गोलियां बैच सं. 9045, मै. स्मिथ कलाइन बीकेम एशिया प्रा.लि., मैसूर	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	मै. साई एजेंसीज, अफजलगंज, हैदराबाद	–तदैव–	अभियोजन आदेश जारी किया गया।
12.	श्री राकेश शर्मा जामबाग, हैदराबाद	डेपिन रिटार्ड गोलियां बैच सं. 7017, मै. केडिला हैल्थ केयर लि., अहमदाबाद	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
13.	(i) मै. भव्य मेडिकल एजेंसीज, ओनगोले (ii) मै. श्री रककृष्णा मेडिकल एजेंसीज, तेनाली (iii) मै. संजीवनी मेडिसिन्स, नरसरओपेट (iv) मै. साई मेड सिस्टमस, विशाखपटनम (v) मै. हरीका मेडिकल एजेंसीज, गुंटूर (vi) मै. आदिलक्ष्मी मेडिकल एजेंसीज, गुंटूर	एप्टोइन गोलियां बैच संख्या जे.सी. 147 मै. कारे मैब्स प्रा.लि., गोवा	अभियोजन आदेश जारी किया गया।
14.	मै. वेंकटेश्वरी मेडिकल सिडिकेट, भीमवरम	ग्रामोगिल सस्पेंशन बैच सं. एलओ 3895 मै. ओस्कर फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि., नई दिल्ली	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
15.	मै. वेंकटेश्वरा मेडिकल कारपोरेशन तनुकु एंड मै. नव ज्योती मेडिकल हाल तनुकु	ग्रामोगिल सस्पेंशन बैच सं. एलओ 3895 मै. ओस्कर फार्मास्युटिकल्स लि., नई दिल्ली	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
16.	मै. तेजा मेडिकल एजेंसीज, विजयवाड़ा	एमोक्सिसिलिन बैच सं. 009, मै. एस.पी. फार्मा, हैदराबाद	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
17.	मै. ओम श्री साई राम मेडिकल एजेंसीज, नरसराओपेट	माइकसिन इंजे. 500 एम जी बैच सं. 0105 पी8 मै. अरिस्टो फार्मास्युटिकल्स लि., मध्य प्रदेश	आरोप पत्र दाखिल किया गया।

1	2	3	4
18.	(i) विष्णु प्रिया मेडिकल कारपोरेशन, ओनगोले (ii) मै. वम्सी फार्मास्युटिकल्स, नरसराओपेट (iii) मै. शिवकामेश्वन मेडिकल एजेंसीज नरसराओपेट (iv) मै. विजया लक्ष्मी मेडिकल एजेंसीज, नरसराओपेट	बिडानयेन फोर्ट (आर) टैब, बैच सं. बीएफएम 238, मै. बिहले स्वयर लि., मुम्बई	अभियोजन आदेश जारी किया गया।
19.	मै. श्री मेडिकल एंड जनरल स्टोर, पश्चिम मर्रेडपल्ली, सिकन्दराबाद	जैनोसिन–200 टैबलेट्स, बैच सं. 28एम 16939, मै. रेनबेक्सी लेबोरेटीज लि., देवास, मध्य प्रदेश	अभियोजन आदेश जारी किया गया।
20.	मै. श्री मेडिकल एंड जनरल स्टोर पश्चिम मर्रेडपल्ली, सिकन्दराबाद	ओमेज कैप., बैच सं. 28 एम 16939, मै. डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लि., हैदराबाद	अभियोजन आदेश जारी किया गया।
	(i) मै. सुभाष फार्मा, हैदराबाद (ii) मै. बालाजी मेडिकल कारपोरेशन सिकन्दराबाद (iii) मै. सन राइस फार्मा, गुंटूर	ओमेज कैप. बैच सं. 28 एम 16939, मै. डा. रेड्डीज लेबोरेटरीज लि., हैदराबाद	अभियोजन आदेश जारी किया गया।
21.	मै. गुप्ता फार्मा डिस्ट्रब्यूटर, हैदराबाद	गेस्टिन टैब., बैच सं. टीपी101, मै. मार्टिन एंड हैरसी लेबोरेटरटीज लि., गुड़गांव, हरियाणा	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
22.	मै. श्री वेंकटेश्वरा मेडिकल एंड जनरल स्टोर मखतल, महबूबनगर और 2 पार्टनर	पनाकुर वेट पाउडर 25%, बैच सं. बीवी 077 एवं वीवीओ 148, मै. होस्चेस्ट राउसेलवेट प्रा.लि., मुम्बई	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	मै. प्रकाश मेडिकल एजेंसीज, नैल्लोर	मै. होस्चेस्ट राउसेलवेट प्रा.लि., मुम्बई	आरोप पत्र दाखिल किया गया
23.	मै. एस वी आर मेडिकल एजेंसीज, करीमनगर	डिक्लोमोल टैब, बैच सं. सी 0088 एवं सी 0568, मै. विन मेडिकयेर, मोदीपुरम	आरोप पत्र दाखिल किया गया।

1	2	3	4
	24. मै. एस वी आर मेडिकल एजेंसीज, करीमनगर	डिपिन रिटार्ड टैबलेट, बैच सं. 7017 मै. केडिला हैल्थ केयर लि., अहमदाबाद	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	25. मै. लक्ष्मी मेडिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स, विजयवाड़ा	टेट्रासाइक्लिन कैप. आई पी बैच सं. एचपी 020, मै. हिक्स फार्मा, विजयवाड़ा	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	26. मै. अहल्या मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, मछलीपटनम	हाइड्रोप्रेन पैराक्साइड यूएसपीवी सं. 003, मै. महावीर लेबोरेटरीज, हैदराबाद	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	27. मै. श्री सुब्बा गुरु योगेन्द्र बोटल्स एंड फार्मास्युटिकल्स, विजयवाड़ा	स्टेराइल वाटर फार इंजेक्शन, बैच सं. 221, मै. ए एम के फार्मास्युटिकल्स लेबोरेटरीज, कटक	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
	28. मै. लक्ष्मी वेंकटेरमणा मेडिकल एंड फेन्सी स्टोरस, नरसराओपेट	एम्पलीसीड 100 एम जी, बैच सं. एबी01, मै. ब्रुफिन लेबोरेटरीज, गुजरात	आरोप पत्र दाखिल किया गया।
हिमाचल प्रदेश	29. मै. ठाकुर मेडिकल स्टोर्स, पहाड़ मंडी, हिमाचल प्रदेश	आथ्थैलमिक सोल्नसिप्रोफलोक्सासिन यूएसबी सं. एमएसजे–7260, मै. संजीवनी परेन्टल्स नवी मुम्बई	अभियोजन शुरू किया गया।
	30. मै. अमन मेडिकल रटोर्स, बिलासुपर, हिमाचल प्रदेश	सिप्रेमैक्स सस्पेंशन, बैच सं. 28898, मै. टार्क फार्मास्युटिकल्स प्रा. लि., पटियाला, पंजाब	अभियोजन शुरू किया गया।
	31. मै. नोबल ट्रेडर्स, मंडी, हिमाचल प्रदेश	टैब. स्पास्गन, बैच सं. एस पी 981, मै. एक्शन लैब प्रा.लि., नसरेला, पंजाब	अभियोजन शुरू किया गया।
	32. मै. गुप्ता मेडिकल स्टोर, रवालसर, मंडी, हिमाचल प्रदेश	आई ड्राप्स डियूमाइसिटिन, बैच सं. 9803, मै. डुयफुल लैब प्रा.लि., जयपुर, राजस्थान	अभियोजन शुरू किया गया।

1	2	3	4
	33. मै. चौधरी मेडिकल स्टोर, गोहर मंडी, हिमाचल प्रदेश	सुवाप्न विडेक्सिल, बैच सं. इके 2858, मै. विवा लैब प्रा.लि., कलोल, मेहसाना, गुजरात	अभियोजन शुरू किया गया।
	34. मै. हिम मेडिकल स्टोर, मनाली, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	टैब थेमिबुदेल–800, बैच सं. 2859, मै थेमिस कैमिकल्स वापी, गुजरात	अभियोजन शुरू किया गया।
	35. मै. चौधरी मेडिकल स्टोर, कुल्लू, हिमाचल प्रदेश	आई/इयर ड्राप नेरमिक, बैच. सं. 9808, मै. किम फार्मा प्रा.लि., अम्बाला कैंट (हरियाणा)	अभियोजन शुरू किया गया।
हरियाणा	36. श्री सुनील कुमार, भिवानी	कोट्रिमोक्सासोल टैब., बैच सं. 3049, 7017, मै. मेडिक्योर, भिवानी	अभियोजन शुरू किया गया।
	37. श्री सुनील कुमार, भिवानी	सोडियम क्लारोइड एवं डेक्सरोज इंज. आईपी बैच सं. 4506, मै. इक्श ड्रग इंडिया, धार (मध्य प्रदेश)	अभियोजन शुरू किया गया।
	38. श्री प्रताप सिंह, हरियाणा मेडिकल स्टोर, मतलोदा, पानीपत	रिथ्रोमाइसिन स्टोलेट टेब. (आल्थोसिन), बैच सं. 89525, 99107, मै. पान फार्मा, गुजरात	अभियोजन शुरू किया गया।
	39. श्री प्रताप सिंह, हरियाणा मेडिकल स्टोर, मतलोदा, पानीपत	आक्सीटेट्रासाइक्लीन, बाइड्रोक्लोराइड कैप्सूल, बैच सं. 651, मै. बायोकेम लैब, नई दिल्ली	अभियोजन शुरू किया गया।
	40. श्री प्रताप सिंह, हरियाणा मेडिकल स्टोर, मतलोदा, पानीपत	आक्सीटेट्रासाइक्लिन कैप्सूल आईवी 250 एमपी बैच सं. एक्स–109, 109, मै. एक्सल फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि., थाणे (महाराष्ट्र)	अभियोजन शुरू किया गया।
	41. डा. जिले सिंह, हिसार	पीले रंग का लेप किया गया टैब लैबल नहीं लगाया गया।	अभियोजन शुरू किया गया।
दिल्ली	42. मै. राज मेडिकोस, भागीरथ पैलेस, दिल्ली	डेक्सामेथाजोन टैबलेट, आई पी बैच सं. 2798 मै. न्यूटेक लैबोरेटरीज, भिवाडी	अभियायेजन शुरू किया गया।

1	2	3	4
	43. मै. कमलदीप, भागीरथ पैलेस, दिल्ली	डोक्सामेथाजोन टैब आई.पी. बैच सं. डी–160, मै. क्रिस्टल फार्मास्युटिकल्स, अम्बाला	अभियोजन शुरू किया गया।
	44. मै रायल फार्मा, भागीरथ पैलेस	कैप. एम्पिसिलिन एंड क्लोक्सासिन (पोनेक्लोक्स) बेच सं. जी एक्स 01, मै. जिन फार्मा., दिल्ली	औषधि विनिर्माता को औषधि वापस लेने की अनुमति।
	45. मै. नरूला मेडिकोल, मदनगीर, नई दिल्ली	कोफिल एक्पेक्टोरेंट, बैच सं. 9865, मै. आई जे फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि., जौनापुर, नई दिल्ली	विनिर्माण अनुमति एक माह के लिए लंबित।
	46. मै. श्री मेडिकल स्टोर नवीन शाहदरा, दिल्ली	अल्टीनोल टैब., बैच सं. 32899, मै. अल्फा फार्मास्युटिकल्स, फरीदाबाद	डी सी, हरियाणा के द्वारा विनिर्माण अनुमति दो माह के लिए लंबित।
	47. मै. मॉडर्न एजेंसीज, भागीरथ पैलेस, दिल्ली	यूरोगन सिरफ (प्रोमेथाजीन एचसीएल सिरफ) बैच सं. एन 364, मै. यू.के. फार्मा, शाहदरा, दिल्ली	विनिर्माण अनुमति रद्द कर दी गई।
	48. मै. नवीन इंटरनेशनल पहाड़गंज, नई दिल्ली	इब्रूफेन टैब., बैच सं. 2215, मै. यूनीसूल प्रा.लि.,इंडस्ट्रियल एरिया, सोनीपत	अभियोजन शुरू किया गया।
	49. मै. अकाय एजेंसीज, भागीरथ पैलेस, दिल्ली	डी क्लोरेक्स आई–ईयर ड्राप्स, बैच सं. डीसी–577, मै. ग्लायनिन फार्मास्युटिकल्स, चंडीगढ़	डी सी चंडीगढ़ द्वारा विनिर्माण अनुमति वापस ली गई।
	50. मै. दुर्गा मेडिकल स्टोर, इंदरपुरी, नई दिल्ली	किमोरल फोर्ट टैबलेट, बैच नं. 82407, मै. इल्डर फार्मास्युटिकल्स लि., न्यू मुम्बई द्वारा विनिर्मित प्रतीत होती है।	अभियोजन शुरू किया गया।
	51. मै. मॉडर्न एजेंसीज, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली	जिंगिटोन गम पेंट, बैच नं. 82407, मै. बाली रिसर्च फार्मा, दिल्ली	विनिर्माता फर्म को चेतावनी दी गई।
	52. मै. सुपर बाजार, कनाट प्लेस, नई दिल्ली	पेरासिटामोल टेब (सेटासिन), बैच नं. एच 3549 मै. आलपीन इंडस्ट्रीज, नई दिल्ली	विनिर्माण अनुमति रद्द कर दी गई।

1	2	3	4
गुजरात	53. मै. जे.पी. इंटरप्राइजेस, अहमदाबाद	हिमोटिन क्रीम, बैच नं. 06, मै. हिन्दुस्तान मेडिसिन प्रोडक्ट, बरौनी	अभियोजन शुरू किया गया।
	54. मै. जे.पी. फार्मा., अहमदाबाद	हिमोटिन क्रीम, बैच नं. 06, मै. हिन्दुस्तान मेडिसिन प्रोडक्ट, बरौनी	–तदैव–
	55. मै. अशोक केमिस्ट, बदोदरा	मेटारैक्स टेब, बैच नं. एम–0503, मै. सलमान फार्मास्युटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड, वदोदरा	–तदैव–
	56. मै. भरोच मेडिकल एजेंसी, भरोच	हिमोटिन क्रीम, बैच नं. 04, मै. हिन्दुस्तान मेडिसिन प्रोडक्ट, बरौनी	–तदैव–
	57. मै. जे.पी. इंटरप्राइजेस, अहमदाबाद	हिमोटिन क्रीम, बैच नं. 04, मै. हिन्दुस्तान मेडिसिन प्रोडक्ट, बरौनी	–तदैव–
	58. मै. जे.पी. फार्मा., अहमदाबाद	हिमोटिन क्रीम, बैच नं. 04, मै. हिन्दुस्तान मेडिसिन प्रोडक्ट, बरौनी	–तदैव–
	59. मै. महावीर मेडिकल स्टोर, वस्मा, नवासरी	बोरिक एसिड आई.पी. बैच नं. 749 मै. रॉयल फार्मेसी, गनडवी, नवासरी	–तदैव–
	60. मै. मारूति मेडिकल कोरप., भावनगर	सी. माक्स सस्पेंशन, बैच नं. 749 मै. कलिफटन लैबोरेटेरिज प्रा.लि., वसई, जिला थाने	–तदैव–
	61. मै. पटेल ड्रग्स हाऊस, भावनगर	सी. माक्स सस्पेंशन, बैच नं. 749, मै. कलिफटन लेबेरेरिज, प्रा.लि., वसई, जिला थाने	–तदैव–

1	2	3	4
	62. मै. रामनाथ मेडिकल सप्लाई कम्पनी, अहमदाबाद	सी. माक्स सस्पेंशन, बैच नं. 749 मै. कलिफटन लैबोरेटेरिज प्रा.लि., वसई, जिला थाने	अभियोजन शुरू किया गया।
	63. मै. भारत मेडिकल सप्लाई कं., मुम्बई	सी. माक्स सस्पेंशन, बैच नं. 749 मै. कलिफटन लैबोरेटेरिज प्रा.लि., वसई, जिला थाने	–तदैव–
	64. मै. श्रीजी मेडिकल स्टोर, गोधरा, भावनगर	आक्सीटोसिन इंज. बी.पी. (वेट) बैच नं. 007 मै. ए के आर फार्मास्युटिकल्स, बरौनी	–तदैव–
	65. मै. जे.पी. इंटरप्राइजेस, अहमदाबाद	आक्सीटोसिन इंजे. बी.पी. (वेट) बैच नं. ओएम 223, मै. राठी लैबोरेटेरिज (हिन्दुस्तान) प्रा.लि., पटना	–तदैव–
	66 मै. वोरा मेडिकल, वयारा	इंफ्रामाईसिन आप्थालमिक आइंटमेंट बैच नं. 1 ई–1, मै. पिलको फार्मा. प्रा.लि., कानपुर	–तदैव–
	67. मै. पद्मावती फार्मा. सप्लाई, अहमदाबाद	आक्सीटोसिन इंज., बी.पी. (वेट) बैच नं. 0195, मै. राठी लैबोरेटेरिज (हिन्दुस्तान) प्रा.लि., पटना	–तदैव–
जम्मू और कश्मीर	68. मै. यूनिवर्सल ट्रेडिंग कोर्प. जामिया मस्जिद, श्रीनगर	एम्पीसिलीन इंजैक्शन, बैच नं. 1002, 1003, 1056, मै. बायोमेडिका इंट. थाडिया, पंजाब	–तदैव–
	69. मै. जावा इंटरप्राइजेस, श्रीनगर	रोल्ड बैंडेज, बैच नं. 12, मै. एशियन सर्जिकल्स डरोनिंग कोरप. कांथ, मुरादाबाद	–तदैव–
	70. मै. जहूर इंटरप्राइजेस, बारामूला	इब्यूलेक्स–एआर बैच नं. 635, रूबोजैसिक, बैच नं. 646, मार्फलू, बैच नं. 637, मै. सिगनिट लैब, प्रा.लि., 212 अगारनगर, लुधियाना	–तदैव–

1	2	3	4
	71. पुलवामा हॉस्पिटल	कम्पाउंड सोडियम लैक्टेट इंजैक्शन बैच नं. ई. 404013, ई. 404614, मै. कोर हैल्थकेयर, राजपुरा, गुजरात	अभियोजन शुरू किया गया।
	72. मै. एस.डी. हॉस्पिटल, कुपवाड़ा	अमाक्सिसाईलिन कैप्सूल, बैच नं. ए.एक्स. 601, मै. पाम फार्मास्युटिकल्स, ए–37/1, इंड. एरिया, सिकन्दराबाद, उत्तर प्रदेश	–तदैव–
	73. गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गांधी नगर, जम्मू	प्रोक्लोर्पेरेजिन टेबलेट, बैच नं. पीसीपी–018 टेबलेटस मै. एसोसिएटिड फार्मा. वर्क्स, कीर्ति नगर, नई दिल्ली	–तदैव–
	74. श्री मदन लाल, निवासी हीरानगर, जिला कठुआ	बिना लेबल के प्लास्टिक पात्र कोडिन फास्फेट और क्लोर्फेनिरामाईन मेलिएट	–तदैव–
	75. मै. शर्मा मेडिकल हाल, जोरियन, जम्मू	एनलजीन टेब., बैच नं. 2023, हिचम के पीछे मै. मेडिकर, भिवानी	अभियोजन चलाने के लिए मामले पर कार्–वाई की जा रही है।
पंजाब	76. व्यक्तिगत नाम नहीं बताया गया है	हिचम के पीछे मै. मेडिकयूरा, भिवानी	अभियोजन शुरू किया गया
	77. मै. जे.पी. हॉस्पिटल, होशियारपुर (पंजाब)	विनिर्माता का नाम नहीं बताया गया है	–तदैव–
	78. श्री तरनजीत सिंह, सुपुत्र पियारा सिंह और श्री सतिंदर सिंह, सुपुत्र श्री वसान सिंह, विलागर मिटा सूर्या, गुरदासपुर (पंजाब)	–तदैव–	–तदैव–
	79. व्यक्तिगत नाम नहीं बताया गया है	मै. गोल्ड स्टार फार्मास्युटिकल्स प्रा.लि., गांव डग्रू, । फिरोजपुर रोड, मोगा	–तदैव–
	80. डा. के.एन. शर्मा, सुपुत्र श्री सूरज भान, शर्मा नर्सिंग होम के मालिक, काकरवल चौक, धूरी जिला संगरूर	विनिर्माता का नाम नहीं बताया गया है	–तदैव–
	81. श्री रामगोपाल, सुपुत्र श्री हुकमचन्द, परो. गोपाल क्लिनिक पीएचसी धनूला के सामने, संगरूर	–तदैव–	–तदैव–

1	2	3	4
	82. व्यक्तिगत नाम नहीं बताया गया है	मै. वेनटेक्स फार्मास्यूटिक्लस (आई), पटियाला	अभियोजन शुरू किया गया।
	83. मै. दिल्ली मेडिकल स्टोर, दिलखुश मार्किट, जालंधर	विनिर्माता का नाम नहीं बताया गया है।	–तदैव–
	84. मै. देवेन्द्र मेडिकल हॉल, भगीची हेतराम, पटियाला	–तदैव–	तदैव–
	85. मै. श्याम पॉली क्लीनिक नर्सिंग होम, ट्रंक मार्किट, राजपुरा, पटियाला	–तदैव–	–तदैव–
	86. व्यक्तिगत नाम नहीं बताया गया है	मै. स्काईलसंस लैबस, प्रा.लि., रोहतक रोड, गोहाना (हरियाणा)	–तदैव–
	87. मै. अमन फार्मा. एजेंसी, पिंडी स्ट्रीट, लुधियाना	मै. हॉक्हेस्ट मॉरियन रूसल लि., मुम्बई	–तदैव–
	88. (i) गजिन्दर पाल सिंह सुपुत्र मुकुन्द लाल, पिंडी स्ट्रीट, लुधियाना (ii) मै. भाई जी ट्रेडर्स, भागीरथ प्लेस, दिल्ली	विनिर्माता का नाम नहीं बताया गया है	–तदैव–
	89. मै. पवित्र मेडिकल हॉल, जलालाबाद, फिरोजपुर	–तदैव–	–तदैव–
	90. व्यक्तिगत नाम नहीं बताया गया है	मै. मेफरो फार्मा., मोहाली, जिला रोपड़	–तदैव–
	91. श्री मोहम्मद रफीक सुपुत्र मोहम्मद सादिक निवासी गांव नेली, डाकखाना मनया कोट, राजौरी (जम्मू और कश्मीर)	विनिर्माता का नाम नहीं बताया गया है	–तदैव–
	92. श्री गुरुदर्शन सिंह सुपुत्र श्री गुरुदयाल सिंह, गांव पाहरा, गुरदासपुर	–तदैव–	तदैव–
	93. श्री सुरिन्दर सिंह सुपुत्र श्री निर्माण सिंह, प्रोप. मै. जगजीत मेडिकल स्टोर, न्यूशेरा माजा, जिला गुरदासपुर	विनिर्माता का नाम नहीं बताया गया है	अभियोजन शुरू किया गया।
	94. श्री गुरदयाल सिंह सुपुत्र श्री पूरन सिंह, गांव डाकखाना कनावला, जिला अमृतसर	विनिर्माता का नाम बतलाया नहीं गया	–तदैव–

1	2	3	4
	95. मै. मेहता मेडिकल स्टोर, कोटकपुरा, जिला फरीदकोट	(i) मै. अदीसन फार्मायुटिकल्स, फतेहगढ़ चूरियन रोड, अमृतसर (ii) मै. पंकज फार्मा., भटिंडा	अभियोजन शुरू किया गया।
उड़ीसा	96. मै. दयाल इंटरप्राइजेस, मंगलबाग, कटक	(i) मै. न्यू बंगाल ड्रग हाऊस, रामबारी घोष लेन, कटक (ii) मै. अपेक्स फार्मास्युटिकल्स, न्यू इंड. इस्टेट, जगतपुर, कटक	–तदैव–
राजस्थान	97.	हैलोजन टेबलेट, बैच नं. एच–079 डब्ल्यू.एच. फार्मास्युटिकल्स (प्रा.) लि. मालनपुर (मध्यप्रदेश)	अभियोजन शुरू किया गया।
	98.	हैंडलूम बैंडेज, बैच नं. 6069, 1088 मै. इंदिरा हथकरखा वस्त्र उत्पादक सहकारी समिति लि., जयपुर	अभियोजन शुरू किया गया।
	99. मै. भार्गव डिस्ट्रिब्यूटर, जयपुर एंड मै. राजमल विजयराज दांगी, श्री दुंगार	जेनटामाइसीन आई ड्रोप्स, बैच नं. 597, मै. आर.एस. फार्मास्युटिकल्स, जैतपुरा, जयपुर	अभियोजन शुरू किया गया।
	100. –	हैंडलूम बैंडेजिज, मै. मार्डन हैंडलूम प्रोड्यूसर को–आपेरेटिव सोसाइटी लि., जयपुर	अभियोजन शुरू किया गया।
	101. मै. सिमको रेमेडीस, दवा बाजार, इंदौर, मै. मेडीट्रेड एजेंसीज, दवा बाजार, इंदौर एंड मै. जैन ट्रेडर्स, मंगलपुरा, झलवारा	इंजेक्शन के लिए स्टीराइल वाटर आई.पी. बैच सं. डी.डब्ल्यू.–01, मै. स्टिोचिम लेबोरेट्रीज लि., गाजियाबाद	अभियोजन शुरू किया गया।
	102. मै. जय अम्बे मेडिकल्स, कोटा	अल्लूप्रोमट, बैच सं. टी–8020, मै. रेमेडीज फार्मास्युटिकल्स (1) लि. दिल्ली	अभियोजन शुरू किया गया।
	103. मै. न्यू अंगोला मेडिकल हाल, अजमेर	टेब. कोडीन सल्फेट, बैच सं. 923, मै. हिन्दुस्तान फार्मा, प्रा.लि., गुजरात	अभियोजन शुरू किया गया।

1	2	3	4
	104. मै. मेडी फार्मा, अलवर एंड मै. विक्टोरी फार्मास्युटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर, कोटा	ओक्यूबेट आई ड्रोप्स, बैच सं. ओ.बी.–385, मै. ग्लयानोर फार्मास्युटिकल्स, चंडीगढ़	अभियोजन शुरू किया गया।
	105. मै. जैन एजेंसी, जयपुर एंड मै. खत्री डिस्ट्रीब्यूटर, हिंडन सिटी	ओमेरेक्स कैप्सूल, बैच सं. 126, मै. गुजरात तुरसे लेबोरेट्री, मेहसाना	अभियोजन शुरू किया गया।
	106. मै. पारसनाथ मेडिकल कार्नर, बांसवाडा, मै. मनीश ड्रग डिस्ट्रीब्यूटर, बांसवाडा, मै. महेश्वरी मेडिकल एजेंसीज, रतलाम एंड मै. स्वास्तिक मेडिकल एजेंसीज, इंदौर	बोरेक्स ग्लाइसरिन, मै. होम फार्मेसी, इंदौर	अभियोजन शुरू किया गया।
	107. मै. गणपति मेडिकोज, वेवर एंड मै. हर्श मेडिकल्स, अजमेर	सेफटम कैप्सूल, बैच सं. एम 467, मै. हावेल कैप, इंडिया लि.,	अभियोजन शुरू किया गया।
	108. मै. आशीश मेडिकल एंड जनरल स्टोर परतापुर (बसवाडा)	डेक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन आई.पी. मै. देना फार्मा अंकलेश्वर	अभियोजन शुरू किया गया।
	109. मै. मित्तल डिस्ट्रीब्यूटर, बीकानेर	टेब. बेसीमोक्स कीड, बैच सं. आर 253 मै. गुजरात मेडिकल्स प्रा.लि., अहमदाबाद	अभियोजन शुरू किया गया.।
	110. मै. नैनानी मेडिका. कोटा एंड मै. जनता मेडिकल हाल, बुंदी	पैरासीटामोल ओरल सस्पेन बी.पी. बैच सं. के–112, मै. बुरोघ वेलकम (I) लि. मुंबई	अभियोजन शुरू किया गया।
	111. मै. इंडियन मेडिकल हाल, जयपुर एंड मै. नागपाल एजेंसीज, हनुमानगढ़	जीसपोर ड्राई पाउडर, बैच सं. डी पी–106, मै. कैमेन मेडिसिन प्रा.लि., मुंबई एंड मै. की–वेस्ट मेडीसिन्स प्रा.लि., मुंबई	अभियोजन शुरू किया गया।
	112. श्री भगवानदास राथी, भीमल, जालौर	इंज. ओक्सीटोसीन बी. वेट सी, बैच सं. एस पी–447, मै. सुनेजा फार्मास्युटिकल्स	अभियोजन शुरू किया गया।

1	2	3	4
	113. मै. सुरेन्द्र मेडिकल एजेंसीज, श्री गंगानगर एंड मै. जैश्री फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर, जयपुर	डेक्सामीथासोन सोडियम फास्फेट इंज. आईपी मै. पार्थ पेरेंटल्स	अभियोजन शुरू किया गया।
	114. मै. साराभाई केमिकल्स, जयपुर, मै. अनी फार्मा डिस्ट्रीब्यूटर, जयपुर एंड मै. जुबली मेडिकल स्टोर, जयपुर	बोवीराम बोलस वेट, बैच सं. एक्स 9 जी 111, मै. ट्रेफर फार्मास्युटिकल्स, नवसारी	अभियोजन शुरू किया गया।
केरल	115. मै. माइक्रोमेडिको टी.डी. रोड, एर्नाकुलम	पैरासीटामोल टेबलेट्स, बैच सं. 2074 मै. विक्रम लेबोरेट्रीज, मुजफ्फरनगर	मामला दर्ज किया गया है।
मिजोरम	116. लालबैकवेला मै. ओरिएंट मेडिको, बांगकान	जीपडील कफ सीरप, मै. मंदर फार्मा	अभियोजन शुरू किया गया।
	117. सी. डारकुंगा मै. न्यू फार्मेसी, न्यू मार्केट	जीपडील कफ सीरप मै. मंदर फार्मा	अभियोजन शुरू किया गया।
	118. लालमलस्वामी मै. एल.सी. ड्रग स्टोर, थम्पई	जीपडील कफ सीरप मै. मंदर फार्मा	अभियोजन शुरू किया गया।
असम	119. मै. अमर फार्मास्युटिकल्स, सिलापत्र, जिला लखीमपुर	एनालजीन टेबलेट, बैच सं. 015 मै. एम. मेडिसिन ट्रेडर्स प्रा.लि., मेरठ–2	सी जी एम के न्यायालय में न्यायाधीन।
	120. मै. सर्जिकल फार्मा, एस.सी. गोस्वामी रोड, गोवाहाटी	एनालजीन टेबलेट, बेच सं. 015 मै. एम. मेडिसिन ट्रेडर्स प्रा.लि., मेरठ–2	सी जी एम के न्यायालय में न्यायाधीन।
	121. नगांव के श्री ए.के. गोस्वामी (विक्रेता) से कब्जे में ली गई	क्यूनीन डीहाइड्रोक्लोराइड, बैच सं. 00170 मै. सेठ फार्मास्युटिकल्स (प्रा.) लि., कोलकाता	सी जी एम के न्यायालय में न्यायाधीन।
तमिलनाडु	122.	एम्पीसीलीन कैप्सूल, बैच सं. 18, 16, 17, 15, पैरासीटामोल कैप्सूल, बैच सं. 24, मै. शालोम मेडिसिन, श्री राम नगर, वेस्ट टनबराम, चेन्नई–45	फार्म 25 तथा 28 में लाइसेंसों का निरसन एवं अभियोजन शुरू किया गया।
	123.	एमोक्सीलीन कैप्सूल, बैच सं. 17, 15,	अभियोजन शुरू किया गया।

1	2	3	4
		पैरासीटामोल कैप्सूल, बैच सं. 24 डोक्सीसीलील कैप्सूल, बैच सं. 269, 215 एमोक्सीलीन कैप्सूल, बैच सं. वाई.टी. 9256 डेक्सामीथाजोन टेबलेट, बैच सं. 568, एमोक्सीलीन कैप्सूल, बैच सं. 679, ट्रीसीलीन 500, बैच सं. 1247, एम्पीसीलीन, बैच सं. 869, एमोक्सीलीन कैप्सूल, बैच सं. एम.एक्स. 976, मै. क्रिस्टल फार्मास्युटिकल्स, अम्बाला सिटी	
124.		जेनटामाइसीन, मै. मेडीक्रफ्ट्स, चेन्नई–8	लाइसेंस रद्द किया गया।
125.		कलोरोफीनेरामाइन, जेनटामाइसीन, डैक्सामीथाजोन मै. मेहता रेमेडीस, चेन्नई–8	लाइसेंस रद्द किया गया।
126.		जेनेटामाइसीन, मै. पोजिटिव फार्मा, चेन्नई–8	लाइसेंस रद्द किया गया।
127.		डेक्सामीथाजोन और जेनटामाइसीन मै. साऊर्थन कोरपोरेशन, चेन्नई–8	लाइसेंस रद्द किया गया।
128.		जेनटामाइसीन, मै. श्री देवी फार्मास्युटिकल्स, चेन्नई–8	लाइसेंस रद्द किया गया।
129. –		पाइरावीट सिरप, बैच .सं. पी 4, मै. बंटम ड्रग्स, 2/532, महात्मा स्ट्रीट, गोमाथीबुरम, मदुरै	अभियोजन शुरू किया गया, मामला दर्ज किया गया और 1000/– रुपए के कुल जुर्माने के साथ आई टी आर सी में समाप्त हुआ।

1	2	3	4
	130. –	डौक्सीसाइक्लीन, बैच सं. शून्य, मै. गणेश फार्मास्युटिकल्स नं. 7 आईलू बालूस्वामी अय्यर स्ट्रीट, साऊथ वेली स्ट्रीट, मदुरै	अभियोजन शुरू किया गया। न्यायिक दंडाधिकारी के माननीय न्यायालय में शिकायत दर्ज की गई
	131. –	एम्पीसीलीन कैप्सूल, बैच सं. 869 व एम एस 976, मै. क्रिस्टल फार्मास्युटिकल्स, अम्बाला सिटी	अभियोजन शुरू किया गया।
महाराष्ट्र	132. मै. महेश मेडिकल एजेंसीज, जलगोन	सनीपलेक्स फोर्ट, बैच सं. सी 8–32 मै. सन्नी ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि. सिलवासा	अभियोजन शुरू किया गया।
	133. मै. रमेश मेडिकल एंड सर्जिकल्स, जलगोन	के.डी. स्पिरीट, बैच सं. के.एस.–20/21 मै. काबरा ड्रग्स लि. इंदौर, म.प्र.	अभियोजन शुरू किया गया।
	134. मै. अन्नास मेडिकल सर्विसेज, सोलापुर एंड मै. मुल्टी सेल्स, इंदौर	के.डी. स्पिरीट, बैच सं. के एस–18 मै. ओरकल ड्रग्स इंदौर	अभियोजन शुरू किया गया।
	135. मै. मेट्रो एजेंसीज, गोल कालोनी, नासिक	डिस्पेन स्पिरीट, बैच सं. 88, मै. वाल्कान फार्मा इंदौर एम.पी.	अभियोजन शुरू किया गया।
	136. मै. शामीवाना फार्मास्युटिकल्स, सर्जिकल्स, गोला नं. 9, अंधेरी इंडस्ट्रियल स्टेट, वीरा देसाड्र रोड, अंधेरी (ईस्ट) मुम्बई–58	ओक्सीकोटीन इंज बी.पी. (वेट), बैच सं. 992 मै. सिंग फार्मास्युटिकल्स, जी.आई.डी.सी. उमरगान, गुजरात	अभियोजन दर्ज किया गया (औषधि गलत ब्रांड का है क्योंकि विनिर्माता फर्जी है)।
मध्य प्रदेश	137. मै. अशोका मेडिकल स्टोर्स, देवसर, सीधी	ईब्यूप्रोफीन टेबलेट आई.पी. बैच सं. आई.एन. 02	न्यायालय के समक्ष मामला दर्ज किया गया।
	138. मै. सूर्या मेडिकल एजेंसीज, जबलपुर	ईब्यूप्रोफीन टेबलेटस 200 मि.ग्रा., बैच सं. पी–110, क्लोरोफीनीकोल कैप्सूल, आई.पी. बैच सं. 30	न्यायालय के समक्ष मामला दर्ज किया गया।

1	2	3	4
	139. मै. कपिल इंटरप्राइजेस, सतना	सीफटम कैप्सूल, बैच सं. 837	न्यायालय के समक्ष मामला दर्ज किया गया।
उत्तर प्रदेश	140. जिला महिला अस्पताल, रायबरेली	ईब्यूप्रोफीन टेबलेट्स आई.पी. 400 मि.ग्रा. बैच सं. 129,63, मै. फ्लोरा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर	मै. फ्लोरा फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, कानपुर के विरुद्ध अभियोजन शुरू किया गया।
	141. मै. अमित केशरवानी, पुत्र श्री सीएल केशरवानी, 389, राजा बारा का हाता, मुट्ठीगंज, इलाहाबाद	10 मिली. घोल प्रति शीशी अलेबलीकृत, ओवल टेबलेट्स अलेवली कृत टेटनस एंटीटाक्सीन आई.पी. बैच नं. 065 मै. बायोलॉजिकल इवान्स लि. हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) सिनास्टेट टेबलेट, बैच नं. 788, मै. राउसेल इंडिया लिमिटेड, थाणे (एम.एस.) चिप्रोविन–500 टेबलेट्स, बैच सं 51247 मै. एलेम्बीक केमिकल्स वर्क्स क. लि., बड़ोदरा, गुजरात जेंटामाइसिन इंजेक्शन आई.पी. (10एम.एल.) बैच सं. एम.बी.ए. 5133, मै. बसीन ड्रग्स प्रा.लि., थाणे (महाराष्ट्र) क्लौराम्फेनिकॉल कैप्सूल आई. पी. बैच सं. सी.बी. 1058, मै. स्पाकेस लेबोरेटरीज प्रा.लि., मुजफ्फर नगर, ग्रामोनेज टेबलेट, बैच सं. एल–21695, मै. ऑस्कर हैल्थकेयर प्रा.लि. नई दिल्ली नॉरबैक्टिन 400 टेबलेट, बैच सं. डीओ 9596, मै. रैनबैक्सी लैब्स लि. देवास (मध्य प्रदेश) इथाम्बुटॉल टेबलेट आई.पी. बैच सं. 26089 मै. ल्यूपीन लेबोरेटरीज लि., मन्ददीप (म. प्रदेश) डेक्सामेथासोन टेबलेट आई.पी. बैच सं. 932 मै. एम.के. फार्मास्युटिकल्स, हापुड़	श्री अमित केशरवानी के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया।
	142. –	क्लोरेम्फेनेकॉल पाउडर कैप्सूल भरने हेतु मिलाया गया क्लोरेम्फेनीकॉल कैप्सूल बैच सं. सी.एफ.बी.–502, मै. एम. मेडिसिन ट्रेडर्स प्रा.लि., मेरठ	मै. एम. मेडिसिन्स ट्रेडर्स प्रा.लि. मेरठ के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया।

1	2	3	4
	143. अमरेश चन्द्र, पुत्र श्री महावीर प्रसाद, चौराहा कुन्दा, प्रतापगढ़ (औषधें इलाहाबाद में पकड़ी गईं)	सिनास्टेट टेबलेट, बैच नं. 788, मै. रसेल इंडिया लि., थाणे (महाराष्ट्र) चिप्रोवीन–500 टेबलेट्स, बैच सं. 51247 जेन्टामाइसिन इन्जेक्शन, आई.पी. (10 मि.ली.) बैच सं. एम.बी.ए. 5133, मै. बैसीन ड्रग्स प्रा.लि. थाणे (महाराष्ट्र) इटाम्बुटोल टेबलेट आई.पी. बैच सं. 26089, मै. लुपीन लेबोरेटरीज लि. मन्दीप (एम.पी.) ग्रामोनेज टेबलेट्स, बैच सं. एल. 21695 मै. ऑस्कर हेल्थकेयर प्रा.लि., नई दिल्ली नॉनर्बाक्टीन–400 टेबलेट्स, बैच सं. डी.ओ. 9596 मै. रेनबैक्सी लैब्स लि., देवास (मध्य प्रदेश) डेक्सामेथासोन टेबलेट आई.पी. बैच .सं. 932 मै. एम.के. फार्मास्युटिकल्स, हापुड़ वाइट लॉग टेबलेट इम्बोस्ड् विद यू.पी.जी. मार्क, अलेबलीकृत	अमरेश चन्द्र, पुत्र श्री महावीर प्रसाद चौराहा कुन्दा प्रतापगढ़ के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया।
	144. अनुप कुमार, पुत्र श्री शिव प्रसाद, 97, शाहगंज के नेता, इलाहाबाद	सिनास्टेट टेबलेट बैच सं. 788 मै. रसेल इंडिया लि. थाणे (महाराष्ट्र) चिप्रोवीन–500 टेबलेट्स, बैच सं. 51247 मै. एलेम्बीक कैमिकल वर्क्स, के.लि. बड़ोदरा (गुजरात) जेन्टामाइसिन इन्जेक्शन, प्रा.लि. (10 मि.) बैच सं. एमबीए 5133 मै. बसीन ड्रग्स प्रा.लि. थाणे (महाराष्ट्र) इटाम्बुटोल टेबलेट आई.पी. बैच सं. 26089 मै. ल्यूपीने लैबोरेटरीज लि. मन्दीदीप (एम.पी.) क्लोरेम्फीनीकॉल कैप्सूल आई.पी. बैच सं. सी.बी. 1058, मै. स्पैकेम लैबोरेटरीज प्रा.लि. मुजफ्फरनगर	अनुप कुमार पुत्र श्री शिवप्रसाद, 97 शाहगंज के नेता, इलाहाबाद के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया है।

1	2	3	4
		ग्रामोनेग टेबलेट्स, बैच सं. एल. 21695 मै. ऑक्सर हैल्थकेयर प्रा.लि., नई दिल्ली नॉरबान्टेन–400 टेबलेट, बैच सं. डी.ओ.–9596, मै. रैनबैक्सी लैब्स लि., देवास (एम.पी.) डेक्सामेथासोन टेबलेट आई.पी. बैच सं. 932, मै. एम. के. फार्मास्युटिकल्स, हापुड़	
145.	श्रीमती शान्ति कुमारी, पत्नी श्री टीसे कुमार 2/2, मीरापुर, अतरसुइया, इलाहाबाद	नॉरबैक्टीन–400 टेबलेट्स, बैच सं. डी.ओ. 9596 मै. रैनबैक्सी लैब, लि. देवास (एम.पी.)	श्रीमती शान्ति कुमारी पत्नी श्री टीसे कुमार 2/2 मीरापुर, अतर–सुइया, इलाहाबाद के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया।
146.	मै. स्टैंडर्ड ड्रग्स सेंटर, 8, रामबिहार बाजार, बीरहाना रोड, कानपुर	अल्ट्रोसीन–500, टेबलेट्स, बैच सं. 99164 मै. पान फार्मा जिला पंचमहल, गुजरात	श्री संजय रस्तोगी डीलर फर्म के मालिक के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया।
147.	–	डेकासोन टेबलेट्स, बैच सं. डी.सी.टी.–185, मै. इंडोकेम लेबोरेटरीज प्रा.लि., मेरठ	मै. इंडोकेम लेबोरेटरीज प्रा. लि., मेरठ के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया।
148.	श्री कैलाशनाथ गोयल, 4/11, कचरीघाट, टीले वाली गली, आगरा	इरिथ्रोमाइसीन इस्टोलेट टेबलेट्स आई.पी. बैच सं. 89160, मै. पान फार्मा जिला पंचमहल, गुजरात कोबेडेक्स फोर्ट कैप्सूल, बैच सं. एच. 3564 मै. ग्लैक्सो इंडिया लि., मुंबई जैन्टामाइसिन सल्फेट इंजेक्शन (10 मिली.) बैच सं. एम.एस.जे.–8330, मै. संजीवनी पैरेन्टरल्स लि., मुंबई डैक्सामेथासोन सोडियम फास्फेट इंजेक्शन आई.पी. बैच सं. 0274, मै. संजीवनी पैरेन्टरेल्स लि. मुंबई	श्री कैलाशनाथ गोयल, 4/11, कचरी घाट टीले वाली गली आगरा के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया।

1	2	3	4
		क्लारोमाइसेटीन पाल्मीटेट सस्पेंशन आई.पी. बैच सं. 055, मै. लेजर रिमेडिज प्रा.लि., पुणे	
149.	लोकेश दीक्षित, विजय कुमार पुणे, दुर्गाशंकर और पंकज दूबे, लखनऊ के निवासी	कोरेक्स कफ सिरप, बैच सं. 520–131110 मै. फिजर लि., नवी मुंबई	लोकेश दीक्षित, विजय कुमार दूबे, दुर्गा शंकर और पंकज दूबे, लखनऊ निवासी के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया।
150.	मै. कमलेश देवी, निवासी कुन्दरा, प्रतापगढ़	गरामोनेग टेबलेट, बैच सं. एल. 21695 मै. ऑस्कर हैल्थ केयर प्रा.लि., नई दिल्ली काम्बोटोल–800 टेबलेट, बैच सं. 26089 मै. ल्यूपीन लैबोरेटरीज लि. मन्दीदीप (मध्य प्रदेश) स्यानास्टेट टेबलेट्स, बैच सं. 788, मै. रसेल इंडिया लि. थाणे (महाराष्ट्र) बिना किसी लेबल का अज्ञात पीला पाउडर	मै. कमलेश देवी के विरुद्ध अभियोजन चलाया गया।
151.	मै. वैश मेडिकल स्टोर, अमेठी, सुल्तानपुर	एनाल्जीन टेबलेट आई.पी., बैच सं. 015 मै. एम. मेडिसिन टेबलेट्स प्रा.लि., मेरठ	मै. वैश मेडिकल स्टोर, अमेठी सुल्तान–पुर के विरुद्ध अभि–योजन चलाया गया।

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम. पी. एल. ए. डी. एस.) के अन्तर्गत योजनाओं के निष्पादन की समय सीमा

1525. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम. पी. एल. ए .डी. एस.) द्वारा सिफारिश की गयी योजनाओं के निष्पादन के लिए कोई समय सीमा तय की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जिलों में इन योजनाओं के निष्पादन में कोई विलंब हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) और (ख) कार्यों की प्रकृति में भिन्नता के करण संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एम.पी.एल.डी.एस.) के कार्यों को पूरा करने के लिए एक मानक समय सीमा तय करना संभव नहीं है। इसलिए जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए गए हैं

कि वे संबंधित कार्य की प्रकृति के अनुसार कार्य को विनिर्दिष्ट समय सीमा में करने हेतु कार्यकारी अभिकरणों के लिए एक समय सीमा तय करें।

(ग) और (घ) संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी कार्यों के निष्पादन की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिलाध्यक्षों को परामर्श दिया गया है कि वे संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों को भारत सरकार द्वारा निधियों के जारी होने की देय तिथि से पूर्व भी उनकी निधियों की पात्रता की सीमा तक, स्वीकृति प्रदान करें। राज्य सरकारों से संसद सदस्यों द्वारा अनुशंसित कार्यों के प्रस्तावों पर तत्काल कार्रवाई किए जाने और प्रस्ताव प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर प्रशासनिक और वित्तीय मंजूरी दिए जाने को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है।

डाक छंटाई प्रणाली

1526. श्री अब्दुल रशीद शाहीन : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीकृत डाक–छंटाई प्रणाली का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार का विचार कौन–कौन से महानगरों में इस प्रणाली को आरम्भ करने का है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) से (ग) केन्द्रीकृत डाक छंटाई प्रणाली नाम से कोई स्कीम/परियोजना नहीं है। इसके अलावा, कोई केन्द्रीकृत छंटाई प्रणाली भी नहीं है। परियात की मात्रा एवं परिवहन के आधारभूत ढांचे की उपलब्धता के आधार पर डाक की छंटाई एवं वितरण अलग–अलग केन्द्रों से किया जाता है।

[अनुवाद]

मधुमेह के रोगी

1527. श्री सी. के. जाफर शरीफ : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत में मधुमेह रोगियों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है और यह 30 मिलियन से भी ऊपर पहुंच गई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2025 के अंत तक यह संख्या 57 मिलियन तक पहुंचने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र सरकार ने क्या ठोस कदम उठाए हैं/उठा रही है;

(ग) क्या सरकार को अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन और इंटरनेशनल डायबिटीज फेडेरेशन, यूरोप से इस रोग के संबंध में अधिक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कुछ सिफारिश/सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अनुसार ऐसे जानपदिक रोग विज्ञानीय प्रमाण हैं जो मधुमेह की व्याप्तता में वृद्धि दर्शाते हैं, खासकर देश के शहरी क्षेत्रों में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में 57.2 मिलियन वयस्क मधुमेह से पीड़ित होंगे। लोगों की बढ़ती उम्र, अस्वास्थ्यकर आहार, और स्थूलता तथा सुस्त जीवन शैली जैसे विभिन्न कारक मधुमेह में वृद्धि हेतु जिम्मेवार बताए जाते हैं। इलेक्ट्रानिक प्रचार माध्यमों और स्वास्थ्य मेलों के प्रयोग के जरिए इस संबंध में जन जागरूकता बढ़ाई जा रही है। स्वास्थ्य परिचर्या व्यवसायिकों के लिए विषय परिचायक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् को भी राष्ट्रीय मधुमेह नियंत्रण कार्यक्रम की जिम्मेवारी सौंपी गई है।

(ग) से (ङ) कोई सूचना उपलब्ध नहीं।

निजी व्यक्तियों को पत्तन पट्टे पर देना

1528. श्री के. ई. कृष्णमूर्ति : क्या पोत परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न पत्तनों की कुछ भूमि को निजी व्यक्तियों को पट्टे पर देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश गोयल) : (क) से (ग) पत्तन न्यासों द्वारा पत्तन भूमि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 34 (1) में अन्तर्विष्ट उपबंध के अनुसार पट्टे पर दी जाती है। तथापि, सरकार ने इस विषय पर समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सरकार के दिनांक 15 फरवरी, 2000 के दिशा-निर्देशों के अनुसार पत्तन न्यासों को पत्तन संबंधी कार्य-कलापों के लिए 30 वर्ष की अवधि तक भूमि पट्टे पर देने की अनुमति दी गई है, परन्तु पत्तन न्यास द्वारा 30 वर्ष से अधिक अवधि के लिए कोई भी पट्टा केवल सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही दिया जाना चाहिए। इसी प्रकार पत्तन भूमि को गैर-पत्तन संबंधी कार्यकलापों के लिए पट्टे पर केवल सरकार के पूर्व अनुमोदन के बाद ही दिया जा सकता है। 30 वर्ष की समाप्ति के बाद पट्टे के नवीकरण की सरकार के अनुमोदन से पुनः स्वीकृति दी जा सकती है।

लघु उद्योगों को बढ़ावा देने में कठिनाइयां

1529. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन कमियों की पहचान कर ली है जो देश में लघु उद्योगों की मुख्य बाधाएं हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई कानून बनाया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ग) सरकार लघु उद्योग (एस.एस.आई.) सेक्टर की चिन्ताओं को दूर करने के लिए निरन्तर बल दे रही है, जो कि मुख्यतः विश्वव्यापारीकरण के प्रभाव क्रेडिट की उपलब्धता, श्रमिक विधि और कमजोर बुनियादी संरचना सहायता से सम्बद्ध है। सेक्टर के सुदृढ़ीकरण तथा दोनों घरेलू तथा विश्वव्यापी तौर पर इसकी प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देने की दृष्टि से सरकार ने एक व्यापार नीति पैकेज की घोषणा की है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ क्रेडिट की सरल पहुंच, विपणन सहायता, 25 लाख रु. तक का सम्पार्श्विकता मुक्त संयुक्त ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु पूंजीगत आर्थिक सहायता, सुधरी हुई बुनियादी संरचना तथा निरीक्षणों का यौक्तिकीकरण शामिल है।

(घ) और (ङ) सरकार को भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज (ए.एस.सी.आई.) हैदराबाद से लघु उद्यम विकास विधेयक, 2002 का प्रारूप प्राप्त हो गया है। प्रारूप का उद्देश्य लघु उद्योग (एस. एस. आई.) सेक्टर से सम्बद्ध क्रेडिट, विपणन, ट्रेड सुरक्षा, लेबर सम्बद्ध निरीक्षण इत्यादि चिन्ताओं को दूर करना है। ए.एस.सी.आई. हैदराबाद द्वारा तैयार किए गए प्रारूप विधेयक को राज्य/संघ शासित सरकारों सहित लघु उद्योग बोर्ड के सदस्यों से फीड-बैक हेतु 4 जुलाई, 2002 को हुई लघु उद्योग बोर्ड की 47वीं बैठक में प्रस्तुत कर दिया गया है।

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड

1530. श्री पी. एस. गढ़वी : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड (एन.एम.पी.बी.) का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के गठन का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोर्ड में कर्मचारियों की काफी कमी है जिसके कारण बोर्ड के दैनिक कार्यकलापों को चलाने में कठिनाई आ रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बोर्ड को पर्याप्त कर्मचारी-वर्ग प्रदान करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) बोर्ड का गठन 24 नवम्बर, 2000 को किया गया है।

(ख) विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के सचिवों, तकनीकी विशेषज्ञों, गैर सरकारी संगठन, व्यापार और उद्योग, कृषि, राज्य सरकारों तथा अन्य पणधारियों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री की अध्यक्षता में औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया है।

(ग) और (घ) विभिन्न मंत्रालयों और संगठनों के विशेषज्ञों से गठित पांच तकनीकी समितियां इस बोर्ड की सहायता करती हैं। मार्गदर्शन करने तथा सहायता देने के लिए एक स्थायी वित्त समिति भी है। इस बोर्ड को तकनीकी और प्रशासनिक जनशक्ति भी उपलब्ध कराई गई है। पदों के सर्जन संबंधी प्रस्ताव का उपक्रमण पहले से ही किया गया है।

अविकिरण इकाइयों का विकास

1531. श्री प्रवीण राष्ट्रपाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परमाणु ऊर्जा आयोग औद्योगिक उत्पादों को संक्रमण मुक्त करने के लिए अविकिरण इकाइयों का विकास कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ऐसे अविकिरण और औद्योगिक उपयोगों में सहायता प्रदान करने के लिए रेडियो–आइसोटोप का उत्पादन कर रहा है;

(घ) यदि हां, तो अगले तीन वर्षों के लिए औद्योगिक, कृषि और औषधीय वस्तुओं को संक्रमण मुक्त करने के लिए रेडियो आइसोटोप के स्वदेशी उत्पादन का कितना उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ङ) क्या इस स्वदेशी उत्पादन से विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने की कोई संभावना है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अगले तीन वर्षों के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। किरणन प्रौद्योगिकी का उपयोग औद्योगिक, चिकित्सीय तथा खाद्य उत्पादों को विसंक्रमणित करने के लिए किया जा रहा है।

(ख) यह विभाग चिकित्सीय उत्पादों के निर्जर्मीकरण के लिए एक संयंत्र (आइसोमेड) ट्राम्बे, मुंबई में और मसालों तथा अन्य उत्पादों का विकिरण की सहायता से संसाधन करने के लिए एक संयंत्र नवी मुंबई में चला रहा है जिसका स्वामित्व उसके पास है। एक आपक शुद्धिकरण संयंत्र (एस.एच.आर. आई.) बड़ौदा में स्थापित किया गया है। लेटेक्स के वल्कनीकरण हेतु रबड़ बोर्ड के लिए कोट्टायम, केरल में संयंत्र स्थापित किए गए हैं, और चिकित्सीय उत्पादों के निर्जर्मीकरण के लिए श्रीराम औद्योगिक अनुसंधान केन्द्र, दिल्ली और किदवई अर्बुदविज्ञान स्मारक संस्थान (के.एम.आई.ओ.), बंगलौर में एक–एक संयंत्र स्थापित किए गए हैं। अनुसंधान तथा विकास संबंधी प्रयोजनों के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी. आर.डी.ओ.) के लिए एक और संयंत्र जोधपुर में स्थापित किया गया है।

(ग) अनुसंधान तथा आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड (ब्रिट), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग के अधीन एक संघटक यूनिट है, ऐसी इकाइयों के सहायतार्थ कोबाल्ट–60 नामक रेडियो–आइसोटोप का उत्पादन कर रहा है।

(घ) इस समय ब्रिट प्रतिवर्ष 1.25 एम. सी. आई. कोबाल्ट–60 स्रोतों का उत्पादन कर सकता है। चालू योजनागत परियोजना के पूरा होने के बाद यह क्षमता बढ़कर सन् 2004 तक दुगुनी हो जाएगी।

(ङ) हालांकि ऐसी संभावनाएं हैं, तथापि हमारा मूल उद्देश्य घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करना है।

(च) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

पल्स पोलियो कार्यक्रम

1532. श्री भीम दाहाल : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ देश पल्स पोलियो कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारत को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इन देशों ने कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ग) पल्स पोलियो कार्यक्रम के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रत्येक राज्य को इसमें से कितनी धनराशि प्रदान की गयी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी हां, वर्ष 1999–00 से

2001–02 के दौरान पोलियो उन्मूलन कार्यकलापों के कार्यान्वयन हेतु विदेशों से प्राप्त हुई सहायता नीचे दर्शाई गई है :

(रुपये करोड़ों में)

विदेश का नाम	वर्ष			कुल
	1999–00	2000–01	2001–02	
यूनाइटिड किंगडम	136.59	143.96	136.76	417.31
जर्मनी	61.64	–	–	61.64
डेनमार्क	13.23	19.58	15.05	47.86
जापान	35.15	36.96	32.90	105.01
इटली	–	9.00	–	9.00

इस सहायता का एक भाग पी जाने वाली (ओरल) पोलियो वैक्सीन के क्रय पर खर्च किया गया है।

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान पल्स पोलियो कार्यक्रम के परिचालन व्यय अर्थात प्रचार, लोगों को जुटाने हेतु और परिवहन इत्यादि को पूरा करने हेतु उत्तर–पूर्वी राज्यों को प्रदान की गई नकद सहायता निम्न प्रकार है–

(रुपए करोड़ों में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1999–00	2000–01	2001–02
अरुणाचल प्रदेश	1.47	0.08	0.47
असम	5.28	3.27	3.09
मणिपुर	0.90	0.10	0.58
मेघालय	0.73	0.13	0.73
मिजोरम	0.40	0.04	0.22
नागालैंड	0.70	0.08	0.42
सिक्किम	0.37	0.02	0.14
त्रिपुरा	0.61	0.13	0.69

[हिन्दी]

राजस्थान में मूल्य संवर्धित सेवा

1533. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान दूरसंचार सर्किल में मूल्य संवर्धित सेवा आरंभ करने के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं;

(ख) राजस्थान में इस समय श्रेणी–वार कितने दूरभाष केन्द्र हैं;

(ग) राजस्थान में विभागीय और किराये के भवनों में अलग–अलग कितने दूरभाष केन्द्र कार्यरत हैं; और

(घ) राजस्थान दूरसंचार सर्किल में दूरभाष कनैक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची की स्थिति क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) राजस्थान में इन्टरनेट, इन्टेलीजेन्ट नेटवर्क, इन्टेग्रेटेड सर्विसेज डिजीटल नेटवर्क (आईएसडीएन), वारलैस–इन–लोकल लूप (डब्ल्यूएलएल) तथा डाटा नेटवर्क आई एन ई टी जैसी मूल्य वर्धित सेवाएं पहले से ही उपलब्ध हैं और चालू वर्ष के दौरान सेल्यूलर मोबाइल सेवाओं की योजना बनायी गई है।

(ख) इस समय राजस्थान में 2221 इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज हैं। श्रेणी–वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) विभागीय भवनों तथा किराये के भवनों में कार्यरत टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या क्रमशः 261 तथा 1960 है।

(घ) 1.7.2002 की स्थिति के अनुसार राजस्थान में नए टेलीफोन कनैक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की सं. 127062 है।

विवरण

राजस्थान में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंजों की श्रेणी–वार संख्या

प्रौद्योगिकी	एक्सचेंजों की संख्या
1	2
ओसीबी 283	22
ईडब्ल्यूएसडी	57
ई–10बी	23

1	2
सी–डॉट 256 पी आरएक्स	1362
सी–डॉट एसबीएम	590
सी–डॉट एमबीएम	136
डब्ल्यू एल एल	01
टीडीएमए–पीएमपी	30
जोड़	2221

(अनुवाद)

पुनर्संरचना संबंधी योजना

1534. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या इस्पात मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड में कर्मचारियों की संख्या में कटौती और एक महत्वपूर्ण साझेदार के पक्ष में इसका विनिवेश सहित इसकी प्रस्तावित पुनर्संरचना संबंधी योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो किन–किन इकाइयों का विनिवेश किए जाने का प्रस्ताव है और इसके परिणामस्वरूप कितनी धनराशि की उगाही होगी;

(ग) इस समय सेल में कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और इसमें कहां तक कटौती किए जाने का प्रस्ताव है और कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति संबंधी लाभ के भुगतान से इस पर क्या वित्तीय प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष सेल को कुल कितना नफा/नुकसान हुआ?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) एक नीतिपरक भागीदार के पक्ष में सेल का स्वत्वहरण करने की कोई योजना नहीं है, तथापि, सरकार द्वारा फरवरी, 2000 में मंजूर वित्तीय एवं कारोबार पुनर्संरचना पैकेज में अन्य बातों के साथ–साथ सेल की निम्नलिखित गैर–महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के स्वत्वहरण के अतिरिक्त श्रमशक्ति को युक्तिसंगत बनाना शामिल है :

– बोकारो, दुर्गापुर, राउरकेला और भिलाई इस्पात संयंत्रों के विद्युत संयंत्र

– भिलाई इस्पात संयंत्र का आक्सीजन संयंत्र–2

– सेलम इस्पात संयंत्र

– मिश्र इस्पात संयंत्र

– विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट

– राउरकेला इस्पात संयंत्र का उर्वरक संयंत्र

– इस्को का संयुक्त उद्यम में परिवर्तन जिसमें सेल द्वारा अल्प शेयरधारिता रखा जाना है।

उपरोक्त में से, राउरकेला इस्पात संयंत्र, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, बोकारो इस्पात संयंत्र और भिलाई इस्पात संयंत्र के निजी विद्युत संयंत्रों का पहले ही स्वत्वहरण किया जा चुका है और 777 करोड़ रुपए का पूंजीगत लाभ प्राप्त किया गया है। गैर–महत्वपूर्ण परिसंपतियों के स्वत्वहरण से प्राप्त की जाने वाली राशि का पता स्वत्वहरण का कार्य पूरा हो जाने के बाद ही लग पायेगा।

(ग) 30.6.2002 की स्थिति के अनुसार सेल की कुल जनशक्ति 1,45,953 थी और इसे मार्च, 2005 तक 1,00,000 के स्तर तक लाया जाएगा। स्वैच्छिक सेवा–निवृत्ति अथवा अधिवर्षिता के जरिए पृथक होने वाले लगभग 46,000 कर्मचारियों के सेवा–निवृत्ति लाभों का भुगतान करने के लिए लगभग 3230 करोड रुपए की आवश्यकता होगी।

(घ) पिछले तीन वर्षों में सेल का कुल लाभ/हानि(–) नीचे दी गई है;

विवरण	1999–00	2000–01	2001–02 (अनंतिम)
कर पूर्व निवल लाभ/हानि (–)	(–) 1720	(–) 729	(–) 1707

टेलीफोन कॉलों में रियायत

1535. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरसंचार विभाग ने रात्रि 9.00 बजे के बाद

किए जाने वाले टेलीफोन कॉलों के लिए तुलनात्मक रूप से दी जा रही रियायतों में कमी कर दी है;

(ख) यदि हां, तो रात्रि 9.00 बजे के बाद लम्बी दूरी की कॉलों के लिए दूरसंचार सुविधाओं के प्रयोग को प्रोत्साहन न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या रात्रि 9.00 बजे के बाद लम्बी दूरी की कॉल के लिए लाइनें काफी खाली रहती हैं;

(घ) यदि हां, तो रात्रि 9.00 बजे के बाद की गई कॉलों में रियायत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) बीएसएनएल और एमटीएनएल द्वारा रात्रि 8.00 बजे के बाद होने वाली सभी कॉलों का शुल्क समान दर से वसूल करने के क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (ङ) 14.1.2002 से एस टी डी दरों में काफी कटौती की गयी है जो 50 से 62 प्रतिशत के बीच है। 8 बजे रात से 9 बजे सुबह के बीच अव्यस्त समय के तीन रियायती स्लैबों को एक अव्यस्त स्लैब अर्थात 8 बजे रात से 9 बजे सुबह तक में विलय कर टैरिफ ढांचे को युक्तिसंगत और सरल बनाया गया है तथा व्यस्ततम समय 9 बजे सुबह से 8 बजे रात रखा गया है। इस तरह घटाए गए टैरिफ का लाभ संपूर्ण अव्यस्त अवधि के दौरान उपलब्ध है। 14.1.2002 से अव्यस्त अवधि की दरें 14.12001 से पूर्व विद्यमान अव्यस्त अवधि की दरों से कम हैं। परियात संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए लम्बी दूरी की कॉल करने की पर्याप्त क्षमता उपलब्ध है, जबकि कुछ अलग-थलग पड़े शेष स्थानों में इसे अपग्रेड किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को अधिक लाभ प्रदान कर इस व्यवस्था से लम्बी दूरी की क्षमता का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हुआ है।

अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों से वित्तीय सहायता

1536. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम की स्थिति क्या है;

(ख) चालू वर्ष के दौरान क्षयरोग के उन्मूलन के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ग) क्या विश्व बैंक विश्व स्वास्थ्य संगठन आदि जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तपोषण एजेंसियां क्षयरोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन एजेंसियों से प्राप्त वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) क्षयरोग के नियंत्रण के लिए 1962 से ही राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम चलाया जा रहा है लेकिन नए स्पूटम पॉजिटिव रोगियों के लिए 85 प्रतिशत रोगमुक्ति दर प्राप्त करने के उद्देश्य से और कम से कम 70 प्रतिशत ऐसे रोगियों की पहचान करने के लिए 1997 में, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था जिसे चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। इस संशोधित कार्यनीति के अधीन 480 मिलियन जनसंख्या पहले ही कवर की जा चुकी है। सन् 2004 तक 800 मिलियन जनसंख्या तथा 2005 तक सम्पूर्ण देश को कवर करने की बात सोची गई है। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वार्षिक रोग पहचान कर क्रमशः 135 प्रति लाख और 50 प्रति लाख के लक्ष्य के मुकाबने वर्तमान में 121 प्रति लाख है। सफलता दर 85 प्रतिशत के लक्ष्य के मुकाबले 84 प्रतिशत है।

(ख) राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष के लिए राज्य-वार आवंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा सलंग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम विश्व बैंक परियोजना के अधीन देश में चरणबद्ध ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है। अन्तरराष्ट्रीय विकास विभाग और डैनिश अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेन्सी क्रमशः आन्ध्र प्रदेश तथा उड़ीसा राज्य में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहयोग कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

(घ) प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत करने के आधार पर एजेन्सी से वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। पहले भारत सरकार के धन में से व्यय किया जाना होता है और फिर दाता एजेन्सी से इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त करनी होती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान उपर्युक्त तीन एजेंसियों से प्रतिपूर्ति के रूप में प्राप्त राशि निम्नलिखित है :

(रुपए करोड़ में)

एजेन्सी	1999–2000	2000–01	2001–02
विश्व बैंक	5.50	85.28	50.52
अन्तरराष्ट्रीय विकास	–	–	0.9058
डैनिश अन्तरराष्ट्रीय विकास एजेन्सी	–	–	1.1726

विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवंटन
1	2	3
1.	अंडमान निकोबार	2.23
2.	बिहार	697.27
3.	चंडीगढ़	9.54
4.	छत्तीसगढ़	183.56
5.	दादरा और नगर हवेली	1.48
6.	दमन और द्वीप	1.48
7.	दिल्ली	146.24
8.	गोवा	13.78
9.	गुजरात	536.22
10.	हरियाणा	179.76
11.	हिमाचल प्रदेश	64.64
12.	जम्मू और कश्मीर	95.28
13.	झारखंड	233.91
14.	कर्नाटक	534.01
15.	केरल	336.99
16.	लक्षद्वीप	1.06
17.	मध्य प्रदेश	592.09
18.	महाराष्ट्र	1025.81
19.	पांडिचेरी	9.96
20.	पंजाब	227.65
21.	राजस्थान	598.74
22.	तमिलनाडु	658.09
23.	उत्तर प्रदेश	1586.38
24.	उत्तरांचल	67.21
25.	पश्चिम बंगाल	849.90
	कुल (क)	8653.28
	आन्ध्र प्रदेश	1050
	उड़ीसा	450
	कुल (ख)	1500
1.	अरुणाचल प्रदेश	15.00
2.	असम	391.77
3.	मणिपुर	30.77
4.	मेघालय	31 74
5.	मिजोरम	11.82
6.	नागालैंड	25.64
7.	सिक्किम	6.41
8.	त्रिपुरा	33.57
	कुल (ग)	546.72
	कुल	10700.00

नोट : 800 लाख रुपए मुख्यालयों के लिए हैं।

मेडिकल के छात्रों के लिए बांड मनी

1537. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार मेडिकल के उन छात्रों के लिए बॉन्ड मनी की शर्तों को समाप्त करने का

है जो अन्य मेडिकल संस्थानों/कालेजों में स्थानांतरित होना चाहते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) न तो केन्द्रीय सरकार ने और न ही भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नें उन चिकित्सा छात्रों, जो अन्य चिकित्सा संस्थानों/कालेजों में स्थानांतरण का विकल्प चुनते हैं, हेतु अनुबन्ध राशि के भुगतान की कोई शर्त निर्धारित की है।

पुरूलिया में हथियार गिराए जाने संबंधी मामले के मुख्य अभियुक्त का प्रत्यर्पण

1538. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की डेनमार्क के साथ प्रत्यर्पण संधि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डेनिश प्राधिकारियों ने पुरूलिया में हथियार गिराए जाने संबंधी मामले के मुख्य अभियुक्त के प्रत्यर्पण के लिए भारत के अनुरोध को ठुकरा दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या डेनमार्क ने पुरूलिया में हथियार गिराए जाने संबंधी मामले के मुख्य अभियुक्त पर उस देश के कानून के मुताबिक अभियोग चलाने का कोई आश्वासन नहीं दिया है, और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में डेनमार्क द्वारा बताए गए कारण क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) डेनमार्क के प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि डेनमार्क के प्रत्यर्पण कानून के अनुसार वे मुख्य अभियुक्त डेनमार्क के नागरिक नील्स क्रिश्चन निल्सेन (उर्फ किम डेवी) को प्रत्यर्पित नहीं कर पायेंगे।

(ङ) और (च) डेनमार्क के प्राधिकारियों ने कहा है कि नील्स निल्सेन के विरुद्ध मामले के सम्पूर्ण ब्यौरे उन्हें भेजे जा सकते हैं ताकि इस बात की जांच की जा सके कि क्या डेनमार्क में इस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। सक्षम भारतीय प्राधिकारियों को इसकी सूचना दी गयी है।

एम.बी.बी.एस. के पाठ्यक्रम में बदलाव

1539. श्री सुबोध मोहिते : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एम.बी.बी.एस. के पाठ्यक्रम में भारतीय चिकित्सा पद्धति के कुछ पाठ्यक्रमों को शामिल करने के लिए उसमें बदलाव लाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) भारत सरकार ने भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद से एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम करने वाले छात्रों को भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के बारे में सुग्राही बनाने के लिए एम.बी.बी.एस. के पाठ्यक्रम की विषय–सूची में आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्धी और योग के आधारभूत सिद्धांतों और धारणाओं को सम्मिलित करने पर विचार करने का आग्रह किया है। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने इस संबंध में अपनी अनुशंसाओं को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है क्योंकि वे अभी मेडिकल कालेजों के डीनों, प्रधानाचार्यों और सभी राज्यों के चिकित्सा शिक्षा निदेशकों से परामर्श कर रहे हैं।

सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर रोक

1540. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो (सी.बी.आई.) ने गत

वर्ष भ्रष्टाचार–निवारण–अधिनियम के अन्तर्गत 1,115 राजपत्रित अधिकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए हैं और उन पर कुल 1.85 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) वर्ष 2001 के दौरान, केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो ने 1,115 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए हैं। इनमें से, 976 राजपत्रित अधिकारियों के विरुद्ध मामले, भ्रष्टाचार–निवारण–अधिनियम के अनुसार और शेष अधिकारियों के विरुद्ध मामले, भारतीय दंड–संहिता की विभिन्न धाराओं के अनुसार दर्ज किए गए। पिछले वर्ष, कुल 1.85 करोड़ रुपए का जुर्माना किया गया।

(ख) सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार–निरोधी नीति निर्धारित करने और उपर्युक्त नीति के प्रभावी कार्यान्वयन जैसे भ्रष्टाचार रोकने के कई क़दम उठाए गए। और अधिक पारदर्शिता–खुलापन लाना और भ्रष्टाचार खत्म करना सुनिश्चित करने की दृष्टि से, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में उनकी क्रियाविधियों और योजनाओं से संबंधित जानकारी मुहैया करवाने हेतु सूचना–सुविधा–काउंटर स्थापित किए गए हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता से, सतर्कता से सम्बद्ध काम–काज देख रहे विभाग के सचिव, अपने–अपने विभाग में सत्यनिष्ठा और ईमानदारी सुनिश्चित करने के भी जिम्मेदार बनाए गए हैं।

थाईलैंड के साथ प्रत्यर्पण संधि

1541. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और थाईलैंड एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर करने का विचार कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर कब तक हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) भारत और थाईलैण्ड ने प्रस्तावित प्रत्यर्पण संधि के मसौदों का आदान–प्रदान किया है।

(ग) मामला प्रारंभिक स्तर पर है।

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शन

1542. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने के वर्तमान नियम क्या हैं;

(ख) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अब तक झारखण्ड और बिहार में टेलीफोन कनेक्शन के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ग) उक्त अवधि के दौरान वास्तविक रूप से कितने उपभोक्ताओं को टेलीफोन कनेक्शन दिए गए और कितने आवेदनकर्ता प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(घ) प्रतीक्षारत आवेदनकर्ताओं को कब तक टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) मौजूदा नियमों के अनुसार टेलीफोन विशेष श्रेणी के अंतर्गत पंजीकरण की तारीख के हिसाब से प्रदान किये जाते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करने के लिए कोई अलग से मानदंड निर्धारित नहीं किये जाते हैं।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन क्रमिक रूप से 31 मार्च, 2003 तक प्रदान कर दिये जाने की संभावना है बशर्ते की सामग्री उपलब्ध हो।

विवरण

सर्किल का नाम	टेलीफोन कनेक्शन के पंजीकरण के लिए प्राप्त आवेदन–पत्र			उन उपभोक्ताओं की संख्या जिन्हें टेलीफोन कनेक्शन प्रदान कर दिये गये हैं			प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या		
	2000–2001*	2001–2002	1.4.2002 से 30.6.2002 तक	2000–2001*	2001–2002	1.4.2002 से 30.6.2002 तक	2000–2001*	2001–2002	1.4.2002 से 30.6.2002 तक
बिहार	241957	207121	42377	264396	216882	28539	83757	72996	86834
झारखंड	(झारखंड सहित)	59340	17089	(झारखंड सहित)	68804	6735	(झारखंड सहित)	3858	14212

*बिहार और झारखंड पहले में एक ही सर्किल थे।

दूरभाष केन्द्र के भवनों का निर्माण

1543. श्री रामदास आठवले : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा निर्मित दूरभाष केन्द्र के भवनों का राज्य–वार और स्थान–वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस पर वर्ष–वार/भवन–वार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) दिल्ली में इस समय दूरभाष केन्द्रों के निर्माणाधीन भवनों का ब्यौरा क्या है;

(घ) इन पर कितनी/धनराशि खर्च हुई; और

(ङ) इनके निर्माण कार्य के कब तक पूरे होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) से (ङ) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

क्र.सं.	निर्माणाधीन दूरभाष केन्द्र भवन	खर्च की गई राशि	पूरा होने की संभावित तिथि
1.	दूरभाष केन्द्र भवन, सरिता विहार	शून्य	दिसम्बर 2003
2.	दूरभाष केन्द्र भवन, मिन्टो रोड	3.85 करोड़	दिसंबर, 2004
3.	दूरभाष केन्द्र भवन, यमुना विहार	1.57 करोड़	दिसंबर 2002

[अनुवाद]

परमाणु ऊर्जा संयंत्र

1544. श्री वाई. वी. राव :

डा. (श्रीमती) सी. सुगुणा कुमारी :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र कितने हैं और इनमें से प्रत्येक की क्षमता कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन संयंत्रों से कुल कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी औसत क्षमता हासिल हुई?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) इस समय देश में 14 परमाणु विद्युत रिएक्टर हैं।

(ख) और (ग) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान प्रत्येक संयंत्र की क्षमता, कुल उत्पादित बिजली (मिलियन यूनिटों में) और प्रत्येक संयंत्र द्वारा और हासिल किए गए क्षमता गुणकों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

क्र.सं.	संयंत्र	यूनिट संख्या	मेगावाट क्षमता	1999–2000		2000–2001		2001–2002	
				कुल उत्पादन	क्षमता गुणक (प्रतिशत)	कुल उत्पादन	क्षमता गुणक (प्रतिशत)	कुल उत्पादन	क्षमता गुणक (प्रतिशत)
1	तारापुर परमाणु बिजलीघर	1	160	941	67	1289	92	1188	85
2	तारापुर परमाणु बिजलीघर	2	160	1214	87	1119	80	1314	94
3	मद्रास परमाणु बिजलीघर	1	170	1042	70	1128	76	1265	85
4	मद्रास परमाणु बिजलीघर	2	170	1189	80	1387	93	980	85
5	राजस्थान परमाणु बिजलीघर	2	200	1405	80	1600	91	1498	86
6	नरोरा परमाणु बिजलीघर	1	220	1602	83	1556	81	1765	92
7	नरोरा परमाणु बिजलीघर	2	220	1529	79	1488	77	1570	81
8	ककरापार परमाणु बिजलीघर	1	220	1645	85	1831	95	1717	89
9	ककरापार परमाणु बिजलीघर	2	220	1750	91	1663	86	1854	96
10	कैगा परमाणु बिजलीघर	1$	220			578	74	1456	76
11	कैगा परमाणु बिजलीघर	2*	220	128		1322	69	1543	80
12	राजस्थान परमाणु बिजलीघर	3**	220	15		1462	84	1434	74
13	राजस्थान परमाणु बिजलीघर	4$$	220			273	46	1615	84
14	राजस्थान परमाणु बिजलीघर	1@	100	934	71	517	39	282	21

टिप्पणी : $ वाणिज्यिक रूप से परिचालन 16.11.2000 से शुरू किया।

– वाणिज्यिक रूप से परिचालन 16.3.2000 से शुरू किया।

** वाणिज्यिक रूप से परिचालन 1.6.2000 से शुरू किया। वर्ष 1999–2000 में उत्पादित 15 मिलियन यूनिट विद्युत स्थिर विद्युत थी।

$$ वाणिज्यिक रूप से परिचालन 23.12.2000 से शुरु किया।

@ राजस्थान परमाणु बिजलीघर–1 (100 मेगावाट) का स्वामित्व परमाणु ऊर्जा विभाग के पास है और इसे विभाग की ओर से न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड परिचालित करता रहा है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम

1545. श्रीमती प्रभा राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा के लिए हाल ही में राज्य स्वास्थ्य सचिवों का सम्मेलन बुलाया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) परिवार नियोजन कार्यक्रम की गति को तेज करने के लिए इस सम्मेलन में क्या उपाय सुझाए गए;

(घ) परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाने के लिए लोगों को शिक्षित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कारगर कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ङ) क्या इस कार्यक्रम को और कारगर बनाने के लिए राज्य सरकारों को कोई विशेष सहायता दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। परिवार कल्याण कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए 22 और 23 मई, 2002 को परिवार कल्याण के प्रभारी राज्य सचिवों का सम्मेलन बुलाया गया था। सम्मेलन के दौरान राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना (एन. एम.बी.एस.), प्रसव–पूर्व नैदानिक तकनीकें (विनियमन और दुरुपयोग का निवारण) अधिनियम–1994, प्रजनक व बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, बंध्याकरण हेतु मुआवजा आदि के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई।

(ग) सभी प्रतिभागियों से यह अनुरोध किया गया था कि वे स्थाई (टर्मिनल) तथा बच्चों में अन्तर रखने के (स्पेसिंग) तरीकों तथा प्रजनक व बाल स्वास्थ्य परिचर्या सहित गर्भनिरोधन हेतु सेवाओं की पहुंच (आऊटरीच) को बढ़ाएं ताकि उर्वरता, मातृ तथा शिशु मृत्युदर में कमी लाई जा सके।

(घ) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम की सूचना, शिक्षा व संचार घटक मूलतया परिवार कल्याण और प्रजनक स्वास्थ्य परिचर्या सेवा की रेंज की मांग को बढ़ाने के लिए है। तदनुसार सूचना शिक्षा और संचार कार्यकलापों में विशेषकर न्यून कार्य निष्पादन वाले जिलों में स्थानीय विशिष्ट जन प्रचार तरीकों और आवश्यकता पर आधारित अन्तर्व्यैक्तिक योजनाओं, जिन लोगों तक परम्परागत जन प्रचार माध्यमों द्वारा पहुंचा नहीं जा सका। ऐसे विभिन्न वर्गों के लिए निम्नतम स्तर पर संचार, क्षेत्र विशिष्ट नीतियां विकसित करने के लिए जिला साक्षरता समिति (जिला साक्षरता समिति जो साक्षरता अभियान कार्यक्रम की प्रभारी हो) आदि के एक विवेकपूर्ण मिश्रण के जरिए जागरूकता फैलाने पर ध्यान केन्द्रित है।

(ङ) और (च) राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम एक केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में जारी है। पिछले पांच वर्षों में परिवार कल्याण अवसंरचना यूनिटों के रख–रखाव औषधियों की आपूर्ति, गर्भनिरोधकों और मातृ एवं बाल स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्यों को दी गई सहायता 1998–99 में 2489 करोड़ रुपये से 2002–03 में 4930 करोड़ रुपये लगभग दो गुनी हो गई है। अधिक जनसंख्या वाले परन्तु कम कार्य निष्पादन वाले राज्यों– उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड को और अधिक ध्यान केन्द्रित हेतु एक शक्तिसम्पन्न कार्यवाही दल का गठन किया गया है।

'सेल' द्वारा इस्पात बेचा जाना

1546. श्री सुनील खां : क्या **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 'सेल' द्वारा वर्षवार कितना इस्पात बेचा गया; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान 'सेल' को हुए नफा/नुकसान की वर्षवार स्थिति क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान सेल द्वारा (मिश्र एवं विशेष इस्पात संयंत्रों सहित) विक्रय इस्पात की बिक्री की मात्रा निम्नलिखित है :

(हजार टन)

1999–00	2000–01	2001–02
9365	9035	9466

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान सेल की लाभ/हानि (–) की स्थिति निम्नलिखित है :

(करोड़ रुपए)

1990–00	2000–01	2001–02
(–) 1720	(–) 729	(–) 1707

[हिन्दी]

डाक और तार घरों का खोला जाना

1547. श्री कैलाश मेघवाल : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में इस समय कार्यरत डाकघरों की श्रेणीवार संख्या कितनी है;

(ख) इन डाकघरों के कार्यों की गुणवत्ता/कार्य–निष्पादन और इनके आधुनिकीकरण के संबंध में क्या प्रयास किए गए;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 2002–2003 के दौरान राजस्थान के दूरस्थ क्षेत्रों में नए डाक और तार घरों को खोले जाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) राजस्थान में इस समय 55 मुख्य डाकघर, 1396 उप डाकघर, 101 अतिरिक्त विभागीय उप डाकघर और 8882 शाखा डाकघर काम कर रहे हैं।

(ख) कार्य की गुणवत्ता/उत्पादकता के संबंध में किए गए प्रयासों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। राजस्थान सर्किल में कंप्यूटर आधारित बहुउद्देशीय काउंटर मशीनों के माध्यम से अब तक 86 डाकघरों को आधुनिक बनाया गया है।

(ग) और (घ) यद्यपि, राजस्थान में किसी क्षेत्र को दूरदराज के क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, तथापि वर्ष 2002–2003 के लिए राजस्थान सर्किल को 20 नए डाकघर खोलने का लक्ष्य आवंटित किया गया है। हालांकि, नए डाकघर खोलना निर्धारित मानदंडों के पूरा होने और अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

तारघरों के संबंध में जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

डाक विभाग में कार्य की गुणवत्ता/उत्पादकता में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण

1. **डाक अदालत** : यह अवधारणा 1990 में पहले सर्किल स्तर पर तिमाही आधार पर शुरू की थी, जिसे अब मंडल स्तर तक बढ़ा दिया गया है। इसमें जनता कि शिकायतों को मौके पर ही निपटाने की व्यवस्था है।

2. **ग्राहक सेवा केंद्र** : विभाग में जन शिकायत निपटान प्रणाली को युक्तिसंगत और ग्राहकोन्मुख बनाने के लिए देशभर के मंडल मुख्यालयों में कंप्यूटरीकृत ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित किए गए हैं। 2001–2002 की स्थिति के अनुसार इस समय एसे 230 केंद्र हैं।

3. **सूचना व सुविधा केंद्र** : महत्वपूर्ण डाकघरों के पूछताछ काउंटरों को अब सूचना व सुविधा केंद्र (आई.एफ.सी.) का नाम दिया गया है। पूछताछ काउंटरों की अपनी वर्तमान भूमिका निभाने के अलावा, ये सूचना व सुविधा केंद्र अब शिकायत दर्ज करने की सुविधा भी उपलब्ध कराएंगे।

4. **नागरिक अधिकारपत्र** : जन सेवाओं को ग्राहकोनुकूल बनाने के लिए डाक विभाग ने हाल ही में नागरिक अधिकारपत्र जारी किया है। यह अधिकारपत्र सेवाओं में सुधार लाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की अभिव्यक्ति है ताकि उन्हें अधिक कार्यकुशल और उत्तरदायी बनाया जा सके और साथ ही यह विभाग को अपने ग्राहकों के नजदीक लाने का प्रयास भी है।

5. **जन शिकायत कक्ष** : डाक भवन स्थित 'जन शिकायत कक्ष' का उद्घाटन माननीय संचार मंत्री द्वारा 12–7–2001 को हुआ था। यह कक्ष सूचना प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं। फैक्स सुविधा चौबीसों घंटे उपलब्ध है।

6. विभाग ने अपनी वेबसाइट एचटीटीपी:/डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू. इंडियापोस्ट.ओआरजी/एडमिनलॉगइन.एचटीएमएल पर 10–12–01 से शिकायतें प्राप्त करनी शुरू कर दी हैं।

ढांचागत विकास के लिए धनराशि

1548. श्री अनन्त नायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ढांचागत विकास के लिए राज्यों को धनराशि प्रदान करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) वर्ष 2002–03 के दौरान ढांचागत विकास के लिए राज्यों को राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) विद्युत और सड़क क्षेत्रक के लिए राज्यों को निधियां आवंटन करने के लिए निर्धारित मानदंड नीचे दिए गए हैं :

1. विद्युत क्षेत्रक :

विद्युत क्षेत्रक के विकास के लिए निधियों का आवंटन राज्य सरकार द्वारा राज्य की वार्षिक योजना में से अपनी क्षेत्रकीय प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। सामान्य केन्द्रीय सहायता (एन.सी.ए.) के अलावा, राज्य अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए.सी.ए.) में से भी अपने–अपने हिस्से प्राप्त करते हैं, जो त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) का एक घटक है। ए.पी.डी.पी. स्कीम के अंतर्गत आवंटन राज्यवार ऊर्जा खपत और राज्यों को केन्द्रीय योजना आवंटन के आधार पर किया जाता है।

2. सड़क क्षेत्रक :

परिवहन क्षेत्रक के अंतर्गत, सड़कों के विकास के लिए राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की जाती हैं जो प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी.एम.जी.एस.वाई) और केन्द्रीय सड़क निधि (सी.आर.एफ.) स्कीम दोनों के अंतर्गत आधारिक संरचना का हिस्सा होता है। पी.एम.जी.एस.वाई को केन्द्र प्रायोजित स्कीम के रूप में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्रचालित किया जाता है। सी.आर.एफ. राज्य क्षेत्र के अन्तर्गत सड़क निर्माण कार्य को कराने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता है। आवंटन के विस्तृत मानदंड निम्नलिखित हैं :

पी.एम.जी.एस.वाई के अंतर्गत, 75% निधियां राज्य में असम्बद्ध गांवों की संख्या के आधार पर आवंटित की जाती हैं तथा 25% निधियां सम्बद्ध गांवों के आधार पर आवंटित की जाती हैं।

सी.आर.एफ. के अंतर्गत, 60% निधियां ईंधन उपभोग के आधार पर आवंटित की जाती हैं तथा 40% निधियां क्षेत्र के आधार पर आवंटित की जाती हैं।

(ख) विद्युत क्षेत्रक :

वार्षिक योजना 2002–03 के लिए त्वरित विद्युत विकास कार्यक्रम (ए.पी.डी.पी.) के अंतर्गत निधियों का आवंटन 3500.23 करोड़ रुपये है। राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण–I में दिया गया है।

3. सड़क क्षेत्रक :

वर्ष 2002–03 के लिए पी.एम.जी.एस.वाई. और सी.आर.एफ. के अंतर्गत राज्यवार आवंटन संलग्न विवरण–II में दिया गया है।

विवरण-I

एपीडीपी के अंतर्गत राज्यवार आवंटन

क्र.सं.	राज्य	वित्तीय वर्ष 2002–03 में एपीडीपी निधियों का आवंटन (करोड़ रुपए)
1	2	3
क. विशेष श्रेणी राज्य		
	उत्तर	
1.	हिमाचल प्रदेश	पूर्वोत्तर राज्य के लिए 350.00 करोड़ रुपए के अंतर्गत शामिल
2.	जम्मू और कश्मीर	
3.	उत्तरांचल	129.62
	पूर्वोत्तर और सिक्किम	
4.	अरुणाचल प्रदेश	
5.	असम	
6.	मणिपुर	
7.	मेघालय	

1	2	3
8.	मिजोरम	350.00
9.	नागालैण्ड	(एल.एस.)
10.	सिक्किम	
11.	त्रिपुरा	
	उप जोड़ (क)	479.62
ख. गैर विशेष श्रेणी राज्य		
	उत्तर	
12.	दिल्ली	105.51
13.	हरियाणा	95.90
14.	पंजाब	124.52
15.	राजस्थान	164.06
16.	उत्तर प्रदेश	302.44
	पूर्व	
17.	बिहार	138.13
18.	झारखंड	109.05
19.	उड़ीसा	151.77
20.	पश्चिम बंगाल	211.84
	पश्चिम	
21.	गुजरात	192.05
22.	गोवा	15.69
23.	मध्य प्रदेश	148.16
24.	छत्तीसगढ़	98.77
25.	महाराष्ट्र	337.05
	दक्षिण	
26.	आन्ध्र प्रदेश	273.46
27.	कर्नाटक	208.36
28.	केरल	119.49
29.	पांडिचेरी	
30.	तमिलनाडु	224.81
	उप जोड़ (ख)	3020.61
	कुल (क+ख)	3500.23

विवरण-II

ग्रामीण सड़कों और सी.आर.एफ. के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार आवंटन

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पी.एम.जी.एस.वाई. 2002-03	सी.आर.एफ. 2002-03
1	2	3	4
1	आन्ध्र प्रदेश	190.00	81.45
2	बिहार	150.00	33.90
3	छत्तीसगढ़	87.00	17.28
4	दिल्ली	5.00	27.07
5	गोवा	5.00	4.09
6	गुजरात	50.00	68.13
7	हरियाणा	20.00	35.75
8	हिमाचल प्रदेश	60.00	10.75
9	जम्मू और कश्मीर	20.00	31.05
10	झारखंड	110.00	11.25
11	कर्नाटक	95.00	58.13
12	केरल	20.00	27.71
13	मध्य प्रदेश	213.00	66.59
14	महाराष्ट्र	130.00	101.41
15	उड़ीसा	175.00	29.82

1	2	3	4
16	पंजाब	25.00	40.43
17	राजस्थान	130.00	76.71
18	तमिलनाडु	80.00	67.22
19	उत्तर प्रदेश	315.00	96.43
20	उत्तरांचल	60.00	7.59
21	पश्चिम बंगाल	135.00	36.88
22	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	10.00	1.83
23	दादरा और नगर हवेली	5.00	1.07
24	दमन व दीव	5.00	0.76
25	लक्षद्वीप	5.00	0.05
26	पांडिचेरी	5.00	2.19
	पूर्वोत्तर राज्य		
27	अरुणाचल प्रदेश	35.00	10.86
28	असम	75.00	15.40
29	छत्तीसगढ़		2.21
30	मणिपुर	40.00	3.24
31	मेघालय	35.00	4.29
32	मिजोरम	20.00	2.96
33	नागालैण्ड	20.00	2.47
34	सिक्किम	20.00	1.01
35	त्रिपुरा	25.00	1.93
	कुल	2375.00	980.00

*इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 125 करोड़ रुपए अभी आवंटित किए जाने हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन

1549. श्री नरेश पुगलिया : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 2002 के प्रारंभ में बार्सिलोना में अंतर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस सम्मेलन में किन-किन देशों ने भाग लिया और उसमें किन-किन लोगों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया;

(घ) उस सम्मेलन में मुख्य रूप से किन-किन बिन्दुओं पर विचार किया गया;

(ङ) क्या एड्स के फैलाव को नियंत्रित करने/इस पर रोक लगाने के लिए कोई सिफारिशें की गई हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) जी, हां। चौदहवें अन्तर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन का आयोजन 7-12 जुलाई, 2002 को यू.एन. एड्स, विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूनिसेफ के सहयोग से अन्तर्राष्ट्रीय एड्स सोसायटी द्वारा किया गया था। यह सम्मेलन विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन था और यह एच.आई.वी./एड्स पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें विश्व भर से 15,000 से भी अधिक प्रमुख वैज्ञानिक, सामुदायिक नेता, एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त लोग और नीति विशेषज्ञ एकत्र हुए। इस सम्मेलन में सार्वभौमिक एच.आई.वी./एड्स महामारी के सभी पहलुओं, विज्ञान से लेकर अर्थशास्त्र, मानवाधिकार और सामुदायिक अनुक्रियाओं पर चर्चा की गई।

(ग) इस सम्मेलन में विश्व के सभी पांच क्षेत्रों नामतः यूरोप, उत्तरी अमेरिका, लैटिन अमेरिका/कैरिबियन, एशिया प्रशान्त तथा अफ्रीका के देशों ने भाग लिया। अलग-अलग सभी देशों की सूची अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के प्रतिनिधियों के नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) उस सम्मेलन में जिन प्रमुख बिन्दुओं पर चर्चा की गई, वे थे :

- एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त लोगों तक रिट्रोवायरल उपचार सहित परिचर्या तथा उपचार पहुंचाना;

- वायरल गतिविज्ञान को समझने में हुई प्रगतियां;
- एच.आई.वी. वैक्सीन तथा सूक्ष्म जीवनाशियों के अनुसंधान तथा विकास में हुई प्रगतियां;
- मां से बच्चे में होने वाले संचरण का निवारण;
- एच.आई.वी. की व्याप्तता, इसकी घटनाओं और मृत्युदर का आकलन;
- महिलाओं तथा बच्चों पर एच.आई.वी./एड्स का प्रभाव;
- एच.आई.वी. निवारण कार्यक्रम तथा हस्तक्षेप कार्य–नीतियों हेतु विधिक तथा नैतिक ढांचा तथा हानि न्यूनीकरण और स्वैच्छिक परामर्श व जांच;

(ङ) और (च) उस सम्मेलन में दिए गए सुझाव इस प्रकार थे :

- एच.आई.वी./एड्स निवारण तथा नियंत्रण के लिए और अधिक प्रतिबद्धता तथा प्रयासों की आवश्यकता है;
- एच.आई.वी./एड्स के सभी पहलुओं पर वैज्ञानिकों, राजनीतिज्ञों, एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त लोगों, गैर–सरकारी संगठनों, धार्मिक नेताओं, व्यापारियों तथा प्रचार–माध्यमों को मिलकर ध्यान देना चाहिए।
- परिचर्या तथा उपचार की पहुंच एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त सभी लोगों तक होनी चाहिए;
- एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त लोगों तथा अन्य कमजोर वर्गों को और अधिक महत्व तथा सम्मान देना;
- एच.आई.वी. वैक्सीन के अनुसंधान तथा विकास पर जोरदार ढंग से कार्रवाई की जानी चाहिए; और
- प्रभावशाली निवारक प्रयास, जिनमें शिक्षा, सूचना, सेवाएं और सामाजिक पर्यावरण ढांचागत परिवर्तन बड़े पैमाने पर शामिल हों।

(छ) भारत सरकार ने पहले ही व्यापक राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया है जिसमें निम्नलिखित प्रमुख घटक शामिल हैं :

- लक्षित जनसंख्या की पहचान करके उच्च खतरे वाले समूहों में एच.आई.वी. के फैलाव को कम करना और समकक्ष (पीयर) परामर्श देना, कन्डोम को बढ़ावा देना, यौन संचारित संक्रमणों आदि के लिए उपचार प्रदान करना।
- सूचना शिक्षा व संचार तथा जागरूकता अभियान, स्वैच्छिक जांच तथा परामर्श की व्यवस्था, निरापद रक्त आधान सेवाओं और व्यावसायिक एक्सपोजर के निवारण के जरिए आम लोगों के लिए निवारक उपचार व्यवस्था।
- अवसरवादी संक्रमणों हेतु वित्तीय सहायता देना और एच.आई.वी./एड्स से ग्रस्त लोगों के लिए गृह तथा समुदाय आधारित परिचर्या।
- राष्ट्रीय, राज्य तथा नगर स्तरों पर प्रभावकारिता और तकनीकी, प्रबंधकीय, वित्तीय सहायता को सुदृढ़ करना।
- सार्वजनिक निजी तथा स्वैच्छिक क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना।

विवरण

नाको/यू.एन.एड्स–चौदहवें अन्तर्राष्ट्रीय एड्स सम्मेलन, बार्सिलोना, स्पेन 7–12, जुलाई, 2002 में भाग लेने वालों की सूची

भारत सरकार के प्रतिनिधिगण :

1. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
2. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक
3. सुश्री मिनाक्षी दत्ता घोष
   परियोजना निदेशक, नाको
4. श्री उदय कुमार वर्मा,
   निदेशक, एन.एल.आई.
5. श्री राज किशोर मिश्रा
   संयुक्त सचिव व महानिदेशक, एन.वाई.के.एस.
6. श्री छत्तर सिंह
   संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री कार्यालय
7. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री के ओ.एस.डी.

संसद सदस्य :

1. श्री ऑस्कर फर्नान्डीस
   संसद सदस्य
2. श्री सत्यजीत गायकवाड़
   संसद सदस्य
3. श्री किरीट सौमेया
   संसद सदस्य
4. श्री राजीव रंजन सिंह
   संसद सदस्य
5. श्रीमती माया सिंह
   संसद सदस्य
6. श्री कपिल सिब्बल
   संसद सदस्य

राज्यों के प्रतिनिधि :

1. श्री जनार्दन रेड्डी
   स्वास्थ्य मंत्री, आन्ध्र प्रदेश
2. श्री एस. सेमालाई
   स्वास्थ्य मंत्री, तमिलनाडु
3. श्री चालटोन लिन अमो
   स्वास्थ्य मंत्री, मणिपुर
4. डा. ए. के. वालिया
   स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली
5. डा. दिनेश कुमार सारंगी
   स्वास्थ्य मंत्री, झारखंड
6. श्री मनमोहन सिंह
   मुख्य सचिव (स्वास्थ्य), महाराष्ट्र
7. श्री प्रमेश चन्द्रा
   मुख्य सचिव (स्वास्थ्य), राजस्थान
8. श्रीमती रंजना चोपड़ा
   परियोजना निदेशक, एस.ए.सी.एस.
9. श्री एन.सी. राय
   परियोजना निदेशक, दिल्ली एस.ए.सी.एस.
10. श्री जी.वी. कृष्णा राय
    परियोजना निदेशक, कर्नाटक एस.ए.सी.एस.
11. डा. डी. एम. सक्सैना
    परियोजना निदेशक, गुजरात एस.ए.सी.एस.
12. डा. रोथंगलिना
    परियोजना निदेशक, मिजोरम एस.ए.सी.एस.
13. डा. लक्ष्मीनारायण कोडीडेला
    विशेष अधिकारी, सी.एम.ओ., आन्ध्र प्रदेश
14. डा. आर.सी. गांधी
    परियोजना निदेशक, तमिलनाडु, एस.ए.सी.एस.
15. डा. अलका गोगेट
    परियोजना निदेशक, मुम्बई, डी.ए.सी.एस.
16. सुश्री गुप्ता
    गैर सरकारी संगठन सलाहकार, पंजाब, एस.ए.सी.एस.
17. सुश्री सोनल मेहता
    गुजरात, एस.ए.सी.एस.
18. सुश्री मेरिटी कोरा
    गोवा, एस.ए.सी.एस.

गैर सरकारी संगठन :

1. डा. ई.मौ. रफीक
   आई.एस.एच. प्रोजेक्ट ऑफ आई.एम.ए. मुन्नार, टाटा टी लिमि., मुन्नार
2. डा. प्रतीक कुमार बनर्जी
   न्यू अलीपोर प्रोजेक्ट डेवेलपमेंट सोसायटी, कोलकाता
3. सुश्री वैशाली एम. अजमेरा
   विकास ज्योत ट्रस्ट, बडौदा
4. तपन कुमार चन्द्रा धूले
   एस.जी.पी.जी., आई.एम.एस., लखनऊ
5. मि. हुईड्राम सुशीलकुमार सिंह
   लाईफलाइन फाउंडेशन, इम्फाल

6. मि. सुनील मुनन चेरुप्रमबिल
प्राकृतिक सोहाड्रान, चेन्नई

7. मि. जोन सुन्दर सिंह
पी.डब्ल्यू.डी.एस., मरथनडोम

8. मि. वरूस्हली देशमुख
हमसफर ट्रस्ट, मुम्बई

9. मै. मोनिका मेहन्दीरत्ता दृष्टिकोण
नई दिल्ली

10. मि. साहब आलम
शरण सोसायटी फॉर सर्विस टू अर्बन पुवरटी, नई दिल्ली

11. मि. सतीश चन्द्रण
पेरेन्टर्स फोरम, केरल

12. मि. के. आई. जैकब
सेंट पॉलज ट्रस्ट, स्मालकोट, आ.प्र.

13. मि. जाफर इनामदार
गांव कम्यूनिटी फॉर पाजिटिव पीपल, जी.सी.पी.+, गोवा

14. मि. ईलांगो रामचन्द्र
के.एन.पी.+, बंगलौर

15. मिस. डेजी डेविड
टी.एन.पी.+, चैन्नई

16. मि. नामोझी
एस.आई.ए.ए.पी. चैन्नई

17. डा. मिनी जैकब
एम.जी.आर. मेडिकल यूनिवर्सिटी, चैन्नई

18. मिस सारिता शंकरन
सी.सी.डी.टी., मुम्बई

19. डा. एस.डी. पटवर्धन
बेलएयर सानाटोरियम, पंचगानी

20. मि. विवेक आनन्द
हमसफर ट्रस्ट, मुम्बई

21. मिस ए. डेजी रानी
ए.आर.डी., मदुरई

22. मि. ए. शंकर
एमपावर, टुटीकोरिन

23. मिस श्यामला अशोक
एस.एफ.डी.आर.टी., पांडिचेरी

24. मि. लीलाबन्ता सिंह
आई.एन.पी.+, चैन्नई

25. डा. पी. मनोरमा
सी.एच.ई.एस.एस.एस., चैन्नई

व्यक्तिगत

1. डा. अरूण रामचन्द्र बम्ने
जन स्वास्थ्य विभाग, मुम्बई नगरपालिका

2. डा. नवीन विग, सहायक प्रोफेसर
चिकित्सा विभाग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

3. सुश्री जया श्रीधर
मीडिया फाउन्डेशन, चेन्नई

4. श्री सच्चिदानन्द
सीनियर कापीराइटर, टाइम्स आफ इंडिया, पटना

5. प्रशान्त मिश्रा,
दैनिक जागरण

6. श्री अशोक परमार
विकास आयुक्त, कारगिल, जम्मू व कश्मीर

7. डा. अवधेश गुप्ता
परियोजना उप–निदेशक, राजस्थान, एस.ए.सी.एस.

8. डा. जाजाशेखरन
इंस्टीट्यूट ऑफ थोरासिक मेडिसिन, चैन्नई

9. डा. मनोहरन
इंस्टीट्यूट ऑफ थोरासिक मेडिसिन, चैन्नई

10. डा. अरोड़ा
आई.एन.सी.एल.ई.एन., अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

11. डा. वैधनाथान
ए.वी.ई.आर.टी., मुम्बई

12. मिस अल्पना केलकर
ए.वी.ई.आर.टी., मुम्बई

13. मि. अरविन्द कुमार
ए.पी.ए.सी., चैन्नई

14. डा. लक्ष्मीबाई
ए.पी.ए.सी., चैन्नई

15. मि. प्रतीक कुमार,
डी.डी. (आई.ई.सी.), नाको*[हिन्दी]*

[हिन्दी]

टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

1550. श्री दिलीपकुमार मनसुखलाल गांधी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि महाराष्ट्र में विशेषकर अहमद नगर में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची बहुत लम्बी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी दूरभाष केन्द्र-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रतीक्षा सूची को निपटाने और उस जिले में पहले से विद्यमान दूरभाष केन्द्रों का विस्तार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) 30.6.2002 के अनुसार महाराष्ट्र में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा-सूची में 194511 आवेदन तथा अहमद नगर में 25129 आवेदन दर्ज हैं।

(ख) और (ग) भारत संचार निगम लिमिटेड ने महाराष्ट्र के लिए 375600 स्विचन क्षमता तथा 300000 सीधी एक्सचेंज लाइनों की बनाई है, जिसमें से 22232 स्विचन क्षमता तथा 28000 सीधी एक्सचेंज लाइनों की योजना अहमद नगर के लिए बनाई गई है। अहमद नगर की एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

30.6.2002 के अनुसार अहमद नगर में एक्सचेंज-वार प्रतीक्षा सूची

क्र.सं.	एक्सचेंज	कुल प्रतीक्षा सूची
1	2	3
1.	अहमद नगर अक्षय	0
2.	अहमद नगर भिंगर	0
3.	अहमद नगर सावेदी	0
4.	आद गांव	8
5.	अधल गांव	106
6.	अगद गांव	0
7.	अहमद नगर शहर	0
8.	अहमद नगर शहर	0
9.	अजनुज	117
10.	अकलापुर	24
11.	आकोली	96
12.	आकोली (पी.टी.डी.)	63
13.	अकोलनेर	16
14.	अलकुटी	182
15.	अंबेजाल गांव	48
16.	अमरापुर	101
17.	ए.एन.आर. मिड़क	0
18.	अरन गांव	57
19.	अरन गांव (ए.एन.आर.)	26
20.	अशोक नगर	95
21.	अश्वि	329
22.	अस्त गांव	172

1	2	3
23.	बाबुर्दी	151
24.	बाबुर्दी बेंद	4
25.	बालम टकली	12
26.	बाराभाबली	31
27.	बारादारी	113
28.	बारा गांव नंदुर	18
29.	बेलापुर बदगी	51
30.	बेलापुर (टी)	14
31.	बेलापिंपल गांव	177
32.	बेलवांडी	179
33.	भेल गांव	68
34.	भेल गांव एन.एस.ए.	48
35.	भेलवानी	117
36.	भंबोरा	156
37.	भनाशिवरा	233
38.	भंदरादारा	25
39.	भटकुड गांव	147
40.	भटोडी परगांव	111
41.	भरेदापुर	12
42.	भोसी	42
43.	बोधे गांव	3
44.	बोटा	76
45.	ब्रह्मनी	97
46.	ब्राह्मनवाडा	88
47.	चंदा	245
48.	चंदनपुरी	129
49.	चांदे बीके	36
50.	चांदे कसारे	72
51.	चांदे गांव	4
52.	छापड गांव	56
53.	छापड गांव (के.जे.टी.)	23
54.	छास	9
55.	छास ए.के.एल.	21
56.	छासनाली	99
57.	छिछोंडिपाटिल	113
58.	छिकाली	63
59.	छिकाली (एस.जी.एम.)	51
60.	छिकाल थानवाड	48
61.	छिलावाडी	14
62.	छिंच शिराल	110
63.	छिंचोली गुराव	
64.	छिंचोली के.एल.एच.आर.	87
65.	छिंचोलीकलदाता	8
66.	छिंचपुर (आई.जे.डी.ई.)	62
67.	छिंचपुर (पी.एन.जी.एल.)	21
68.	छिंचपुर (एस.जी.एम.)	32
69.	छिताली जल गांव	76
70.	छोमभुट	105
71.	दाघ बी.के.	4
72.	दाघ (के.एच.)	109
73.	दाहेगांव (बी.)	79
74.	दहीफाल	52
75.	दहीगांव (साकेत)	0

1	2	3
76.	दहीगांवनी	41
77.	दरोदी	22
78.	देदगांव	19
79.	देहरी	10
80.	देवगांव	94
81.	देवलाली प्रावरा	250
82.	देवला गांव	158
83.	देवलगांव सिधी	4
84.	धमोरी	70
85.	धन्दारफाल	148
86.	धवलगांव	155
87.	धवलपुरी	48
88.	धोरजलगांव	84
89.	धोत्रा	47
90.	दिघोल	3
91.	दिगरस (एम.पी.के.वी.)	25
92.	दोंगार गांव	39
93.	दुरगांव	50
94.	फकराबाद	2
95.	फट्याबाद	22
96.	गणेशनगर	101
97.	गणेशवाडी	43
98.	गेवराई	190
99.	धरगांव (एस.जी.एम.)	93
100.	धरगांव (एस.आई.जी.)	237
101.	धोडे गांव	220
102.	घोघरगांव	113
103.	घोटन	30
104.	गोगालगांव	62
105.	गोगालगांव (लोनी)	0
106.	गोलेगांव	15
107.	गोरेगांव	152
108.	गुंडेगांव	21
109.	हलगांव	77
110.	हंगेवादी	232
111.	हसनपुर	0
112.	हटगांव	80
113.	हिंगनगांव	54
114.	हिंगानी दुमला	104
115.	हिरद गांव	80
116.	जलालपुर	72
117.	जल्का	195
118.	जमगांव	156
119.	जमखेद	101
120.	जवाले (जे.एम.डी.)	11
121.	जवाले (के.)	129
122.	जवाले (पी.आर.आर.)	201
123.	जवाल्के	57
124.	जेवूर	151
125.	जोहरापुर	23
126.	जोरवे	127
127.	कलास	18

1	2	3
128.	कमरगांव	23
129.	कनहुर (पठार)	193
130.	कनोली	66
131.	करजगांव	120
132.	करंजी	121
133.	करेगांव	21
134.	करजत	242
135.	करजुले हर्या	61
136.	करवाडी	28
137.	कसार (पी.)	79
138.	कश्ती	40
139.	कोदगांव	75
140.	कोदगांव (नगर)	62
141.	केदगांव	0
142.	केली रूमानवाडी	2
143.	केलवाड	54
144.	खडंबे	92
145.	खमगांव	8
146.	खंडेराई वाडी	46
147.	खंडगांव	30
148.	खंडगांव (एस.आई.जी.)	100
149.	खरदगांव	76
150.	खरक्षा	44
151.	खरवांडी (के.)	182
152.	खेड	149
153.	खेडले परमानंद	58
154.	खिरडी	8
155.	खिरविरे	2
156.	खुदसरगांव	66
157.	खुपटी	51
158.	कोहाने	6
159.	कोहोकाडी	66
160.	कोलगांव	295
161.	कोलहार बी.के.	19
162.	केलपेवाडी	82
163.	कोभांली	111
164.	केधांवाड	66
165.	कोपरागांव शहर	46
166.	कोरडगांव	147
167.	कोरहाले	45
168.	कोठे (बी.के.)	70
169.	कोठे कमलेश्वर	36
170.	कोटुल	56
171.	कुकाना	362
172.	कुलधारन	17
173.	कुभांरी	104
174.	कुरान	73
175.	लाख	10
176.	लिंगदेव	48
177.	लोहारे	22
178.	लोहगांव	10
179.	लोहगांव (एन.एस.ए.)	103
180.	लोनी	5
181.	लोनी मावला	55

1	2	3
182.	लोनी व्यंकनाथ	158
183.	माघी	67
184.	माही (जलगांव)	28
185.	माका	103
186.	मलडाड	24
187.	मालेवाडी	45
188.	मालवाडगांव	94
189.	मामडापुर	45
190.	मांडवगन	83
191.	मांडवेखुर्द	40
192.	मानिकडोडी	85
193.	मन्जारी	40
194.	मनोरी	116
195.	मवेशी	16
196.	महिशगांव	113
197.	मिराजगांव	63
198.	मीरी	126
199.	मोगरास	93
200.	मोहोज (बी.के.)	42
201.	मोहोटा	26
202.	मुलानगर	35
203.	मुंगी	37
204.	नानज	47
205.	नान्दुर	11
206.	नान्दुर (के.माल)	30
207.	नारायणगांव	102
208.	नारायणवाड़ी	61
209.	नौर	38
210.	नयगांव	103
211.	नेवासा शहर	1
212.	नेवासा फाटा	270
213.	निघहोज	168
214.	निमाज	18
215.	निंभावी	144
216.	निंभेरे	20
217.	निमगांव (बी.के.)	113
218.	निमगांव घाना	0
219.	निमगांव (जे.)	36
220.	निमगांव (के)	63
221.	निमगांव (खालू)	184
222.	निमगांव गंगार्ड	20
223.	निमोन	52
224.	पाचेगांव	40
225.	पदाली आले	76
226.	पदाली रणगांव	53
227.	पाढ़ेगांव	166
228.	पाढ़ेगांव (एन.)	72
229.	पगोरी पिम गांव	71
230.	पलशी	209
231.	पलवे	84
232.	पन्धारीपूल	147
233.	परगांव–सुदरिक	254

1	2	3
234.	पारनेर	146
235.	पाटेवाड़ी	46
236.	पठरडी शहर	42
237.	पटोडा	20
238.	पेडगांव	21
239.	पिम जी.एन. निकर्विडा	10
240.	पिपंल गांव (एम.)	7
241.	पिपंल गांव (आर.)	70
242.	पिपंरने	152
243.	पिपंल गांव वाघा	3
244.	पिपंरी शाहाली	30
245.	पिपंरी–निर्मल	18
246.	पोहेगांव	80
247.	परावरासंगम	51
248.	पुनटांबा	69
249.	रहाटा	55
250.	रहुरी शहर	20
251.	राजापुर	73
252.	राजूर	31
253.	राजूरी	25
254.	रालेगन महसोबा	5
255.	रालेगन सिद्धी	54
256.	रामपुर वाडी	40
257.	रजंनगांव	67
258.	रजंनगांव (डी.)	51
259.	रशीन	37
260.	रवंडे	27
261.	रूहमबोडी	96
262.	रूई–छत्तीसी	82
263.	सादतपुर	11
264.	साकट	1
265.	साके गांव	98
266.	साकुर	192
267.	शमशेरपुर	108
268.	सन्डवे	14
269.	संगमनेर शहर	419
270.	संगमनेर आद्यौगिक	40
271.	संकरपुर	82
272.	सनवतसर	75
273.	सरोला कासर	18
274.	सरोला पथार	59
275.	सतराल सोनगांव	30
276.	सावली विहीर	94
277.	शहरटकाली	97
278.	शानी शिन पुर	78
279.	शेन्डी	116
280.	शेवगांव शहर	51
281.	शिन्दे	29
282.	शिंगोरी (एस.जी.ए.)	16
283.	शिरसगांव	6
284.	शिरडी	66
285.	श्री गोंडा शहर	97

1	2	3
286.	श्री गोंडा (एफ.)	38
287.	श्री रामपुर शहर	12
288.	श्री रामपुर (एम.आई.डी.सी.)	8
289.	सोनई	149
290.	सोनेगांव	33
291.	सूपा	132
292.	सूरेगांव	29
293.	तहराबाद	29
294.	टकाली	126
295.	टकाली लोनार	58
296.	टकाली (ढोक)	136
297.	टकाली (के.डी.डब्ल्यू)	145
298.	टकाली भान	218
299.	टकाली काजी	65
300.	टकाली मनूर	73
301.	टकाली मियां	9
302.	तालेगांव दीघे	49
303.	तलवडी	50
304.	तमभेरे	125
305.	तीसगांव	4
306.	तेलकुडगांव	48
307.	तीसगांव	146
308.	उक्कडगांव	274
309.	उंबरे	33
310.	उन्दीरगांव	48
311.	वम्बोरी	39
312.	बन्कुटे	39
313.	वीरगांव	239
314.	वीसापुर	57
315.	वडाला (बी.)	235
316.	बडगांव लंडगा	31
317.	वडगव पान	248
318.	वडगांव सावतल	30
319.	वडगांव टन्डाली	1
320.	वडजिरे	306
321.	वघोली	46
322.	वकाडी	105
323.	वाल्की	32
324.	वालुंज	44
325.	वागंदारी	132
326.	वारी	156
327.	वारखेड़	94
328.	येली	56
329.	येलपाने	152
330.	येसगांव	94
	जोड़	25129

कुष्ठ रोगी

1551. श्री राजो सिंह : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष (जून 2002 तक) के दौरान कुष्ठ रोग के कितने मामले प्रकाश में आये हैं;

(ख) देश में इस समय कुष्ठ रोग के उपचार के लिए

कितने अस्पताल हैं और वर्ष 2001–2002 के दौरान कितने अस्पताल खोले गए;

(ग) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान इन अस्पतालों को कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई;

(घ) वर्ष 2000–2001 और 2001–2002 के दौरान इन अस्पतालों को कितनी विदेशी सहायता प्राप्त हुई;

(ङ) क्या इन अस्पतालों ने उक्तावधि के दौरान विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा कुष्ठ निवारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) देश में कुष्ठ के उपचार के लिए बहु औषध थिरेपी सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उप स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला स्तर पर सभी अन्य जनरल अस्पतालों के जरिए प्रदान की जा रही है। उपर्युक्त के अलावा, 5 केन्द्रीय सरकारी कुष्ठ संस्थान अर्थात् केन्द्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, चेंगलपट्टु, तमिलनाडु तथा रायपुर (छत्तीसगढ़), अस्का (उड़ीसा) और गौरीपुर (पश्चिम बंगाल) स्थित क्षेत्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान तथा जालमा (आगरा) भी कुष्ठ का उपचार प्रदान कर रहे हैं। वर्ष 2001–2002 के दौरान देश में कोई विशिष्ट कुष्ठ अस्पताल स्थापित नहीं किया गया है।

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को वर्ष 2000–01 और 2001–02 के दौरान कुष्ठ अस्पताल खोलने के लिए कोई निधियां प्रदान नहीं की गई हैं।

(घ) (ख) के अधीन उल्लिखित संस्थानों द्वारा कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं की गई है।

(ङ) उपर्युक्त अस्पतालों ने उक्त अवधि के दौरान विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है।

(च) यह प्रश्न नहीं उठता।

(छ) राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक शत–प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। ब्यौरा इस प्रकार है :

विश्व बैंक की सहायता से 1993–94 में राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का पहला चरण शुरू किया गया और 1995–96 तक सभी जिलों को बहु औषध थिरेपी के अन्तर्गत कवर किया गया। व्याप्तता दर जो प्रथम चरण के शुरू में प्रति 10,000 पर 24 से अधिक थी, मार्च 2002 में घट कर प्रति 10,000 पर 4.2 रह गई।

विश्व बैंक की सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम का तीन वर्षों का दूसरा चरण कुष्ठ उन्मूलन हेतु अर्थात् मार्च, 2004 तक राष्ट्रीय स्तर पर 1/10,000 जनसंख्या से कम की व्याप्तता दर हासिल करने के लक्ष्य के साथ 2001–2002 में शुरू किया गया।

इस परियोजना के मुख्य संघटक निम्नलिखित हैं :

(i) राज्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यान्वयन, मानीटरिंग एवं वित्तीय प्रबंधन की पूर्ण जिम्मेवारी के साथ विकेन्द्रीकरण । इस उद्देश्य के, लिए राज्यों में राज्य एवं जिला कुष्ठ सोसाइटियां बनाई गई हैं।

(ii) कुष्ठ सेवाओं की अपेक्षाकृत अधिक पहुंच के लिए सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं के साथ कुष्ठ सेवाओं का एकीकरण।

(iii) विगत वित्तीय वर्ष के दौरान, छिपे हुए रोगियों का पता लगाने के लिए तीसरा आशोधित कुष्ठ उन्मूलन अभियान चलाया गया और चौथा अभियान वर्तमान वर्ष में शुरू किया जाएगा।

(iv) गहन सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण के जरिए कुष्ठ के तथ्यों के बारे में जन जागरूकता पैदा करना।

(v) कुष्ठ के क्षेत्र में सामान्य स्वास्थ्य परिचर्या के सभी स्टाफ को प्रशिक्षित करना।

(vi) अशक्तता परिचर्या एवं निवारण।

(vii) कुष्ठ उन्मूलन के लिए क्रमशः विशेष कार्य परियोजनाएं तथा कठिन/दुर्गम/अल्पसेवित ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के लिए कुष्ठ उन्मूलन अभियान।

विवरण

राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम
रोगी की पहचान करने के संबंध में उपलब्धियां
(पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान
राज्यवार एवं वर्षवार)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पता लगाए गए रोगी			
		1999-00	2000-01	2001-02	2002-03
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	49692	58122	51183	6023
2	अरुणाचल प्रदेश	180	128	119	अनुपलब्ध
3	असम	3154	1929	2464	अनुपलब्ध
4	बिहार	166877	98732	120005	9839
5	गोवा	293	394	337	38
6	गुजरात	11758	12913	10949	1687
7	हरियाणा	679	917	766	अनुपलब्ध
8	हिमाचल प्रदेश	480	330	263	44
9	जम्मू व कश्मीर	423	707	645	25
10	कर्नाटक	18511	15830	18761	2274
11	केरल	3697	3209	2420	449
12	मध्य प्रदेश	44949	18407	18345	2311
13	महाराष्ट्र	47659	35491	46371	4130
14	मणिपुर	207	206	160	अनुपलब्ध
15	मेघालय	76	59	48	अनुपलब्ध
16	मिजोरम	31	21	24	8
17	नागालैंड	68	63	73	5
18	उड़ीसा	53963	38133	45065	4887
19	पंजाब	1273	1496	1401	145
20	राजस्थान	2689	2003	2012	अनुपलब्ध
21	सिक्किम	24	46	73	9
22	तमिलनाडु	30152	33204	32251	1400
23	त्रिपुरा	119	98	102	अनुपलब्ध
24	उत्तर प्रदेश	106231	80443	110989	5832
25	पश्चिम बंगाल	52888	34619	46214	अनुपलब्ध
26	अं. व निकोबार द्वीप समूह	62	108	67	अनुपलब्ध
27	चंडीगढ़	301	339	333	22
28	दादरा व नगर हवेली	273	217	331	36
29	दमन व दीव	37	29	44	अनुपलब्ध
30	दिल्ली	2870	6346	5324	अनुपलब्ध
31	लक्षद्वीप	0	22	7	अनुपलब्ध
32	पांडिचेरी	452	530	462	16
33	झारखण्ड	0	34531	45143	अनुपलब्ध
34	छत्तीसगढ़	0	20805	27470	2323
35	उत्तरांचल	0	1829	2537	403
	कुल	600068	502256	592758	41906

*राज्यों से प्राप्त रिपार्टों के अनुसार 5/2002 तक पहचान किए गए रोगी।

[अनुवाद]

डाक जीवन बीमा योजना

1552. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मौजूदा डाक जीवन बीमा योजना के विस्तारण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा योजनाओं को बेचने के लिए शिक्षित युवकों को लगाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) मौजूदा डाक जीवन बीमा योजनाओं के विस्तार की कोई योजना नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा योजनाओं की बिक्री के लिए शिक्षित युवाओं को नियुक्त करने की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

निजी सेल्यूलर आपरेटर

1553. श्री ए. नरेन्द्र : क्या संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजी सेल्यूलर आपरेटरों का ब्यौरा क्या है और इस समय राज्य–वार उनमें से प्रत्येक आपरेटर पर कितनी धनराशि बकाया है;

(ख) यह राशि राज्य–वार कितने समय से राज्यों के विरुद्ध बकाया है;

(ग) सरकार द्वारा बकाया राशि को वसूलने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या किसी आपरेटर पर बकाया राशि को माफ किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) सरकार द्वारा नोटिस भेजकर, बैंक गारंटी भुना कर और लाइसेंस समाप्त कर के लाइसेंस शुल्क की बकाया राशि की वसूली के लिए उपाय किए गए हैं।

जहां तक स्पेक्ट्रम प्रभारों से संबंधित बकाया राशि का संबंध है यह निर्णय लिया गया है कि ऐसी चूककर्त्ता कम्पनियों के लिए आवृत्तियों का काई नया आवंटन या नए स्थलों के लिए एस.ए.सी.एफ.ए. क्लीयरेंस जारी नहीं किया जाएगा। विलम्बित भुगतान के लिए 1.4.2002 से ब्याज की लैवी के संबंध में दंड शुल्क का प्रावधान भी किया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सेल्यूलर आपरेटरों के बकाया लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम प्रभारों का ब्यौरा

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	लाइसेंसधारक	सेवा क्षेत्र	बकाया राशि (ओ./एस.)				
			लाइसेंस शुल्क	बकाया राशि (माह/वर्ष)	स्पेक्ट्रम प्रभार	बकाया राशि (माह/वर्ष)	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	मै. कोशिका	उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	40.84	12/98	13.40	01/97	54.24
		उत्तर प्रदेश (पूर्व)	166.31	06/98	6.79	01/97	173.10
		बिहार	33.77	02/99	10.45	01/97	44.22
		उड़ीसा	49.15	12/98	2.65	01/97	51.80

1	2	3	4	5	6	7	8
2	मै. बिरला एटी एंड टी	गुजरात	4.93**	04/02	—	—	4.93
		महाराष्ट्र	7.81**	04/02	—	—	7.81
		आंध्र प्रदेश	7.20**	04/02	—	—	7.20
		मध्य प्रदेश	—	—	0.95	04/02	0.95
3	मै. बी.पी.एल. सेल्यूलर	केरल	1.18**	04/02	10.40	01/99	11.58
		महाराष्ट्र	4.58**	04/02	13.45	01/99	18.03
		तमिलनाडु	2.99**	04/02	14.29	01/99	17.28
4	मै. बी.पी.एल. मोबाइल	मुंबई	12.85**	04/02	30.60	01/99	43.44
5	मै. एयरसेल डिजिलिंक	उत्तर प्रदेश (पूर्व)	—	—	8.07	01/99	8.07
		राजस्थान	—	—	6.10	01/99	6.10
		हरियाणा	—	—	7.03	01/99	7.03
6	मै. स्पाइस	पंजाब	—	—	3.84	04/02	3.84
		कनार्टक	—	—	5.15	04/02	5.15
7	मै. एस्कोटेल	केरल	—	—	1.55	04/02	1.55
		उत्तर प्रदेश (पश्चिम)	—	—	2.06	04/02	2.06
		हरियाणा	—		0.21	04/02	0.21
8	मै. एच. मैक्स	मुंबई	—	—	0.91	06/02	0.91
9	मै. उषा मार्टिन	कोलकाता	—	—	0.27	06/02	0.27
10	मै. हैक्साकॉम	राजस्थान	—	—	5.71	01/99	5.71

**ये 30.6.2002 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए लगभग वतर्मान देय राशि (लाइसेंसधारी के स्वआकलन के आधार पर) है।

टिप्पणी : बकाया देय राशि देय मूल राशियां ही हैं और ब्याज वास्तविक भुगतान की तारीख तक संदेय है।

भारतीय दल की अमेरिका यात्रा

1554. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय विशेषज्ञ दल ने हाल ही में वाशिंगटन की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो उस दल में कौन–कौन सदस्य थे और इस यात्रा का प्रयोजन क्या था;

(ग) क्या इस दल ने अमेरीकी अधिकारियों के साथ कोई विचार–विमर्श किया; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) राजनयिक, प्रतिरक्षा और विधि प्रवर्तन अधिकारियों के एक अंतर–मंत्रालय दल ने आतंकवाद–विरोधी भारत–अमरीका संयुक्त कार्यदल की पांचवीं बैठक के लिए 10 से 12 जुलाई, 2002 तक वाशिंगटन डी.सी. की यात्री की।

(घ) आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और आतंकवादी संगठनों का प्रभाव समाप्त करने की अपने–अपने राष्ट्रों की वचनबद्धता की पुष्टि करते हुए, दोनों पक्ष आतंकवाद को समाप्त करने में सहयोग को और सघन करने पर सहमत हुए जिसमें आतंकविरोधी प्रशिक्षण के क्षेत्रों में सहयोग और कई क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रम, आसूचनाओं के आदान–प्रदान को सुदृढ़ करना कार्यवाहियों का समन्वयन और जांच–संबंधी सहयोग को गहन करना, आतंकवाद को रोकने से सम्बद्ध प्रौद्योगिकी और उपस्करों के आदान–प्रदान में सहयोग का संवर्द्धन और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् संकल्प। 373 के पूर्ण और प्रभावकारी कार्यन्वयन के लिए मिलकर कार्य करना जो आतंकवाद के विरुद्ध सतत सार्वभौमिक कार्यवाही के लिए एक व्यापक और अनिवार्य आधार संरचना प्रदान करता है, क्षेत्रों के माध्यम से की गई सहयोगात्मक कार्रवाई शामिल है।

अनुशासनिक मामले में कार्यवाही को पूरा करना

1555. श्रीमती राजकुमारी रत्ना सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार ने अनुशासनिक मामले में कार्यवाही पूरी करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे मामलों में कोई समय–सीमा निर्धारित करने का है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (घ) अनुशासनिक मामले में कार्यवाही पूरी किए जाने की कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की गई है हालांकि अनुशासनिक कार्यवाही से संबद्ध कुछ मदों पर कर कार्रवाई किए जाने की कुछ समय–सीमा निर्धारित की गई है। इस बारे में जारी किए गए अनुदेशों से युक्त, दिनांक 02.05.1985 के अ.शा. पत्र संख्या 134/2/83–ए.वी.डी.–I की एक प्रतिलिपि विवरण के रूप में संलग्न है जिसमें इस मसले में कुछ समय–सीमा निर्धारित की गई है।

विवरण

गोपनीय

सचिव

भारत–सरकार,
कार्मिक, और प्रशासनिक सुधार–विभाग,
नई दिल्ली।

अ.शा.पत्र.सं.–134/2/83–ए.वी.डी.–I दिनांक 2.5.1985

प्रिय श्री

सरकार, मौजूदा नियमों के ढांचे के अन्तर्गत अनुशासनिक मामलों का शीघ्रता से निबटाया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से उठाए जा सकने वाले विभिन्न कदमों पर विचार करती आ रही है। जैसा कि आप समझेंगे, अनुशासनिक मामलों के निबटाए जाने में विलम्ब होना न तो सरकार के हित में होता है और न ही सरकारी कर्मचारी के हितों में। अनुशासनिक मामले निबटाए जाने में अत्यधिक और अनावश्यक विलम्ब होने से सरकारी कर्मचारी का मनोबल भी प्रभावित होता है। यह तय किया गया है कि अनुशासनिक मामले सत्वरता से और शीघ्रता से निबटाया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से निम्नलिखित उपाय किए जाएं :

(i) जिन मामलों में आरोपों की केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो द्वारा जांच–पड़ताल की जाए और जांच रिपोर्ट पर कार्रवाई करने की दृष्टि से केन्द्रीय सतर्कता–आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित हो, उन मामलों में संबंधित विभाग, जांच–रिपार्ट मिलने के एक महीने के भीतर अपनी टिप्पणियां केन्द्रीय सतर्कता–आयोग को भेज दे। केन्द्रीय सतर्कता–आयोग की सलाह से असहमति होने की स्थिति में, मसला केवल एक बार केन्द्रीय सतर्कता–आयोग को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने हेतु भेज

दिया जाए (यह हमारी जानकारी में आया है कि कभी–कभी, विभाग, केन्द्रीय सतर्कता–आयोग को अपनी सलाह पर विचार करने हेतु मसला एक से अधिक बार भेजते हैं। ऐसा मसला, केन्द्रीय सतर्कता–आयोग को पुनर्विचार हेतु एक बार में ही भेजा जाए)।

(ii) केन्द्रीय अन्वेषण–ब्यूरो द्वारा अन्वेषित मामलों और अन्य मामलों में, आरोप–पत्र, केन्द्रीय सतर्कता–आयोग की सलाह मिलने के एक महीने के भीतर जारी कर दिया जाए। यदि इस समय–सीमा और मद संख्या (1) में दर्शाई गई समय–सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए तो विभाग, आरोप–पत्र, केन्द्रीय सतर्कता–आयोग से परामर्श करने में लगने वाले समय सहित, कोई जांच–रिपोर्ट मिलने के तीन महीने के भीतर जारी कर सकते हैं।

(iii) जिन मामलों में केन्द्रीय सतर्कता–आयोग से परामर्श किया जाना अपेक्षित नहीं हो, उनमें आरोप–पत्र, जांच–रिपोर्ट मिलने के दो महीने के भीतर जारी कर दिया जाए। जिन मामलों में कोई प्रारम्भिक जांच–रिपोर्ट नहीं हो, उनमें, आरोप–पत्र, मसले के बारे में निर्णय लिए जाने के एक महीने के भीतर जारी कर दिया जाए।

(iv) किसी अनुशासनिक मामले का पूरा दारोमदार, ठीक तरह से तैयार किए गए आरोप–पत्र पर ही होता है। अतः आरोप–पत्र बिल्कुल सटीक, स्पष्ट और जांच के दौरान अथवा अन्यथा उजागर हुए तथ्यों और मामले से संबद्ध कदाचार पर आधारित हो। आरोप–पत्र तैयार करते समय यह सुनिश्चित किया जाए कि आरोप–पत्र में कोई संगत तथ्य छूट नहीं जाए और उसके साथ–साथ कोई भी असंगत बात या साक्ष्य आरोप–पत्र में शामिल नहीं हो।

(v) आरोप–पत्र के उत्तर में लिखित बयान प्रस्तुत करने से पहले सरकारी कर्मचारी को दस्तावेज देखने में कम समय लगने देने की दृष्टि से, जिन मामलों में संभव हो, उनमें सरकारी कर्मचारी को आरोप–पत्र के साथ–साथ संबंधित दस्तावेजों और अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से बुलाए गए साक्षियों के बयानों की प्रतिलिपियां मुहैया करवा दी जाएं।

(vi) जिन मामलों में इस समय जांच–अधिकारी और प्रस्तोता अधिकारी की नियुक्ति लंबित चल रही है, उन सभी मामलों में ऐसी नियुक्ति एक महीने के भीतर ही कर दी जाए; उन अन्य सभी मामलों में सरकारी कर्मचारी द्वारा अपने ऊपर लगाए गए आरोप अस्वीकार करते हुए अपने बचाव में प्रस्तुत किया गया लिखित बयान मिल जाने के तुरन्त बाद ही जांच–अधिकारी और प्रस्तोता अधिकारी नियुक्त कर दिए जाएं, जिनमें ऐसा किया जाना आवश्यक हो।

(vii) जिन मामलों में बहुत से लोगों से मौखिक जांच–पड़ताल की जानी लम्बित हो उनमें संबंधित विभाग, अनुशासनिक अधिकारी द्वारा निश्चित की जाने वाली विनिर्दिष्ट समय–सीमा के भीतर मौखिक जांच–पड़ताल पूरी करने के लिए कुछ अधिकारियों को पूर्णकालिक आधार पर उद्दिष्ट करे। उपर्युक्त समय–सीमा, आरोपों का स्वरूप और उनसे संबद्ध साक्ष्य ध्यान में रखते हुए, एक प्रशासनिक अनुदेश के रूप में दर्शाई जाए। इसी तरह जिन मामलों में अंशकालिक जांच–अधिकारी नियुक्त किए जाएं, उनमें अनुशासनिक प्राधिकारी, आरोपों का स्वरूप और उनसे संबद्ध साक्ष्य ध्यान में रखते हुए जांच पूरी किए जाने की समय–सीमा एक प्रशासनिक अनुदेश के रूप में विनिर्दिष्ट करें।

(viii) जांच–अधिकारी की रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने सहित, मौखिक जांच, सामान्यतः जांच–अधिकारी की नियुक्ति किए जाने की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाए। प्रारम्भिक जांच में, आरम्भ में, आरोपित अधिकारी और प्रस्तोता अधिकारी की पहली बार पेश होने की अपेक्षा करते हुए जांच अधिकारी, नियमित सुनवाई करने से पहले सूचीबद्ध दस्तावेज देखने, बचाव–पक्ष के दस्तावेजों, और बचाव–पक्ष के साक्ष्यों की सूची प्रस्तुत किए जाने और बचाव–पक्ष के दस्तावेज देखने का एक निश्चित समयबद्ध कार्यक्रम तय कर लें। नियमित सुनवाई शुरू कर दिए जाने के बाद, वह दिन–प्रतिदिन के आधार

पर तब तक की जाती रहे जब तक कि पूरी नहीं हो जाए और यह सुनवाई सारहीन कारणों से आस्थगित नहीं की जाए।

(ix) जिन मामलों में अपेक्षित हो, उनमें, केन्द्रीय सतर्कता–आयोग की सलाह सहित, जांच–अधिकारी की रिपोर्ट मिल जाने के बाद, संघ–लोक–सेवा–आयोग से परामर्श किए जाने की अपेक्षा से युक्त मामलों के सिवाय, अन्य सभी मामलों में अंतिम निर्णय, संबंधित विभागों द्वारा दो महीने की अवधि के भीतर ले लिया जाए। जिन मामलों में केन्द्रीय सतर्कता–आयोग से अपनी सलाह पर पुनर्विचार किए जाने का अनुरोध किया जाना हो, उनमें ऐसा इस चरण की कार्यवाही के समय, एक बार ही किया जाए। ऐसे जिन मामलों में संघ–लोक–सेवा–आयोग से परामर्श किया जाना हो, उनमें अंतिम निर्णय, उपर्युक्त आयोग की सलाह मिल जाने के एक महीने के भीतर ले लिया जाए।

(x) सांविधिक नियमों में, अनुशासनिक कार्यवाही के कुछ चरण पूरे किए जाने की कुछ समय–सीमा निर्धारित की गई है अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी से इस बारे में समय–सीमा विनिर्दिष्ट करने की अपेक्षा की गई है। इस समय–सीमा का कड़ाई से पालन किया जाए। यदि कभी इस बारे में कुछ समय बढ़ाया जाए तो ऐसा अनुशासनिक कार्यवाही शीघ्रता से पूरी किए जाने की आवश्यकता और कभी–कभी सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपनाई जाने वाली टालमटोल की युक्तियां हतोत्साहित करने की दृष्टि से किया जाए।

2. यह उल्लेखनीय है कि अनुशासनिक कार्यवाही में कम विलम्ब होने देने की दृष्टि से सांविधिक नियमों में अपेक्षित संशोधन संस्तुत करने हेतु अधिकारियों का एक दल गठित किया जाए। इसी दौरान, कृपया इस समय मौजूद नियमों के ढांचे के अंतर्गत, अनुशासनिक कार्यवाही शीघ्रता से निबटाया जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित अनुदेशों का अनुपालन करें। कृपया ये अनुदेश अपने प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सभी कार्यालयों/संगठनों के ध्यान में ला दें।

आपका,

ह/–

(के. रामानुजम)

मानसरोवर तीर्थयात्रियों को सुविधाएं उपलब्ध कराना

1556. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का हज यात्रियों की तरह कैलास मानसरोवर की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को भी सुविधाएं और किराए में छूट देने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) उत्तरांचल के पिथौरागढ़ जिले में लिपुलेख पास से पारम्परिक मार्ग के साथ–साथ कैलास मानसरोवर यात्रा विदेश मंत्रालय द्वारा समन्वित की जाती है और केन्द्रीय और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों की सहायता से आयोजित की जाती है।

भारत की ओर कुमाऊं मडल विकास निगम (के.एम.वी.एन.) यात्रियों के लिए खाने और ठहरने की व्यवस्था करता है। यात्रियों द्वारा किए गए व्यय के एवज में आंशिक रूप से पूर्ति के लिए विदेश मंत्रालय कुमाऊं मंडल विकास निगम को प्रति यात्री 3250 रुपए उपलब्ध कराता हैं। सरकार, लिपुलेख पास तक मुक्त चिकित्सा जांच और सहायता तथा सुरक्षा एवं संरक्षा; यात्रा की अवधि में बीमा और संचार सेवा उपलब्ध कराती है। यात्रियों के प्रत्येक दल के साथ एक सम्पर्क अधिकारी होता है। दिल्ली सरकार, यात्रा पर जाते और वापिस आने पर यात्रियों को 4–5 दिनों के लिए अशोक यात्री निवास में मुफ्त आवास उपलब्ध कराती है।

सरकार, यात्रियों की सुविधाओं के सुधार और उन्नयन के लिए लगातार प्रयासरत है।

[अनुवाद]

लघु उद्योग इकाइयां

1557. श्री अजय सिंह चौटाला : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में देश में राज्यवार कुल कितनी लघु उद्योग इकाइयां हैं;

(ख) इन इकाइयों में इस समय राज्यवार कुल कितने कर्मचारी काम कर हैं;

(ग) इन कर्मचारियों की राज्यवार न्यूनतम मजदूरी कितनी है;

(घ) आज की तारीख में सकल घरेलू उत्पाद में इन इकाइयों का राज्य–वार अशंदान कितना है; और

(ङ) सरकार का इन यूनिटों का विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) देश में मार्च, 2002 के अंत तक लघु औद्योगिक इकाइयों, पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों, की कुल संख्या अनुमानित रूप से 34.42 लाख है। इसमें 27.31 लाख पंजीकृत इकाइयां भी शामिल हैं। इकाइयों की संख्या पर राज्यवार डाटा, केवल पंजीकृत इकाइयों हेतु तैयार किया जाता है, जो संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) मार्च 2002 के अंत तक लघु औद्योगिक इकाइयों द्वारा सृजित कुल रोजगार अनुमानित रूप से 192.23 लाख है। राज्यवार ब्यौरा केन्द्रीय रूप से तैयार नहीं किया जाता है।

(ग) इन कर्मचारियों के न्यूनतम भत्तों पर सूचना केन्द्रीय रूप से तैयार नहीं की जाती है।

(घ) 2000–01 में सकल घरेलू उत्पाद (1993–94 मूल्य) में इन इकाइयों का योगदान 6.75 प्रतिशत है। राज्यवार बयौरा केन्द्रीय रूप से तैयार नहीं किया जाता है।

(ङ) सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश भर में लघु उद्योगों को प्रेरित करने और संवर्धित करने हेतु कई योजनाएं/कार्यक्रम आरंभ किए हैं। इनमें एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आई.आई.डी.), प्रधानमंत्री की रोजगार योजना (पी.एम. आर.वाई.), ग्रामीण औद्योगिकीकरण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एन.पी. आर.आई.) और उद्यमिता विकास आदि शामिल हैं। एकीकृत आधारभूत संरचना विकास योजना, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 50% आरक्षण सहित देश के सभी क्षेत्रों को कवर करती है। योजना का लक्ष्य आधारभूत संरचना सुविधाओं जैसे, विकसित स्थलों, विद्युत वितरण नेटवर्क, जल, दूर संचार, जलनिकास और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, सड़कें, बैंक कच्चा माल, भंडारण और विपणन निर्गम केन्द्र, सामान्य सेवा सुविधाएं और प्रौद्योगिकी बैंक अप सेवाओं का सृजन और विकास करना है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को स्व–रोजगार की स्थापना हेतु बैंक वित्त प्रदान किया जाता है। लघु उद्योग सेवा संस्थानों (एस.आई.एस.आई.) द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु विशेष उद्यमिता विकास कार्यक्रम (एन.पी.आर.आई.) का उद्देश्य, ग्रामीण औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देने हेतु प्रत्येक वर्ष 100 ग्रामीण कलस्टरों की स्थापना करना है।

इसके अतिरिक्त, केन्द्र सरकार ने लघु उद्योगों के संवर्द्धन और विकास हेतु 30 अगस्त, 2002 को एक व्यापक नीति पैकेज की भी घोषणा की है, जिसमें बढ़ी हुई राजकोषीय एवं वित्तिय सहायता, बेहतर आधारभूत संस्थान और विपणन सुविधाएं, और प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण हेतु सहायता जैसे प्रोत्साहन शामिल हैं।

विवरण

लघु उद्योग इकाइयों (सीडो) की संख्या, जिन्हें राज्य/संघ शासित क्षेत्र, उद्योग निदेशालय द्वारा, मार्च 2002 के अंत तक स्थायी पंजीकरण प्रदान किया गया है, को दर्शाता ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	जम्मू एवं कश्मीर	32245
2.	हिमाचल प्रदेश	17740
3.	पंजाब	155197
4.	चंडीगढ़	3102
5.	उत्तरांचल	34920
6.	हरियाणा	55409

1	2	3
7.	दिल्ली	19804
8.	राजस्थान	90366
9.	उत्तर प्रदेश	389013
10.	बिहार	92095
11.	सिक्किम	342
12.	अरुणाचल प्रदेश	653
13.	नागालैंड	1643
14.	मणिपुर	5975
15.	मिजोरम	4911
16.	त्रिपुरा	2127
17.	मेघालय	3029
18.	असम	26358
19.	पश्चिम बंगाल	153670
20.	झारखंड	41089
21.	उड़ीसा	23264
22.	छत्तीसगढ़	72883
23.	मध्य प्रदेश	220100
24.	गुजरात	194435
25.	दमन एवं द्वीव	1874
26.	दादरा एवं नगर हवेली	1317
27.	महाराष्ट्र	150996
28.	आन्ध्र प्रदेश	131685
29.	कर्नाटक	178330
30.	गोवा	6389
31.	लक्षद्वीप	82
32.	केरल	238431
33.	तमिलनाडु	375262
34.	पांडिचेरी	5152
35.	अंडमान एवं निकोबार	1284
	अखिल भारतीय जोड़	2731170

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थी

1558. श्री चन्द्रकान्त खैरे : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आयुर्वेदिक, होमियोपैथिक, यूनानी और सिद्ध चिकित्सा पद्धतियों के अन्तर्गत अनुमानतः कितने लाभार्थी हैं और केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना की इन पद्धतियों के कितने औषधालय हैं;

(ख) क्या सरकार ने उक्त पद्धति के तहत घरेलू औषधि बाजार का सर्वेक्षण किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन पद्धतियों में प्रयोग में आने वाले चिकित्सकीय पादपों का निर्यात किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो किन-किन देशों को इन पादपों का निर्यात किया जा रहा है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) देश में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अधीन आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी और सिद्ध पद्धतियों के अन्तर्गत 47,96,843 लाभार्थी हैं।

देश में इन पद्धतियों के अधीन केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालयों/एककों की कुल संख्या इस प्रकार है :

1. आयुर्वेदिक	–	31
2. होम्योपैथिक	–	34
3. यूनानी	–	9
4. सिद्ध	–	2

(ख) और (ग) जी, नहीं। वैसे, अनुसंधान, योजना और कार्य केन्द्र, नई दिल्ली के माध्यम से चुनिंदा औषधालय पादपों की मांग संबंधी एक सर्वेक्षण किया गया है।

(घ) और (ङ) जी, हां। इन पद्धतियों से संबद्ध विभिन्न औषधीय पादपों का विश्व के अनेक देशों को निर्यात किया जाता है जो उनकी मांग पर निर्भर करता है। कुछ मुख्य देश, जिनको निर्यात किया जाता है, वे हैं--संयुक्त राज्य अमरीका, यू. के. जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, आस्ट्रेलिया, अर्जेनटाइना, जापान, कोरिया आदि। विभिन्न देशों को किए जाने वाले औषधीय पादपों के निर्यात संबंधी ब्यौरेवार सूचना वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय, कोलकाता, वाणिज्य मंत्रालय द्वारा उनके मंथली स्टेटिस्टिक्स ऑफ द फॉरेनट्रेड ऑफ इंडिया, नामक मासिक प्रकाशन में प्रकाशित किए जाते हैं।

[अनुवाद]

दूरभाष केन्द्र

1559. श्री भीम दाहाल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष पूर्वोत्तर राज्यों जिनमें सिक्किम शामिल है, में राज्यवार कितने दूरभाष केन्द्रों का विस्तार किया गया है और उनका आधुनिकीकरण किया गया है;

(ख) क्या वर्ष 2002-2003 के दौरान इन राज्यों में और दूरभाष केन्द्रों को आधुनिक बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में जिन दूरभाष केन्द्रों का विस्तार और आधुनिकीकरण किया गया है उनकी राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के सभी दूरभाष केन्द्रों का अब आधुनिकीकरण डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचैंजों के रूप में आधुनिकीकरण किया जा चुका है।

विवरण

सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के उन दूरभाष केंद्रों की सूची जिनका विस्तार और आधुनिकीकरण किया गया है

राज्य	उन दूरभाष केंद्रों की संख्या जिनका विस्तार किया गया			उन दूरभाष केंद्रों की संख्या जिनका आधुनिकीकरण किया गया		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002	1999-2000	2000-2001	2001-2002
असम	153	171	250	12	20	1
मेघालय	18	16	20	0	0	0
त्रिपुरा	26	15	33	0	0	0
मिजोरम	24	14	15	0	0	0
अरुणाचल प्रदेश	6	7	7	0	0	0
मणिपुर	6	7	5	0	0	0
नागालैंड	6	6	5	0	0	0
सिक्किम	6	9	10	0	0	0

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना हेतु धनराशि

1560. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001–2002 के दौरान प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेयजल) के तहत प्रत्येक राज्य विशेषकर कर्नाटक को कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ख) उक्त वर्ष के दौरान राज्यों को राज्यवार किए गए आवंटन में से कुल कितनी धनराशि जारी की गई?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) वर्ष 2001–2002 के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी.एम.जी. वाई.) के लिए अतिरिक्त सहायता (ए.सी.ए.) और ग्रामीण पेयजल के लिए तदनुसार आवंटन और जारी ध्यानराशि का राज्यवार (कर्नाटक सहित) कुल आवंटन दर्शानेवाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

पीएमजीवाई हेतु धनराशि

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य	पीएमजीवाई के लिए कुल आवंटन 2001-02	पीएमजीवाई के अन्तर्गत ग्रामीण पेयजल	
			आवंटन 2001-02	जारी धनराशि 2001-02
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	15911.00	2841.20	2841.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	6817.00	1315.00	1315.00
3.	असम	20112.00	3051.00	3051.00
4.	बिहार	24579.00	2457.90	1228.50
5.	छत्तीसगढ़	3517.00	881.20	440.60
6.	गोवा	87.00	29.85	29.85
7.	गुजरात@	7256.00	3265.20	3265.20
8.	हरियाणा	1879.00	471.20	471.20
9.	हिमाचल प्रदेश@	7908.00	3650.00	3650.00
10.	जम्मू एवं कश्मीर	19217.00	7167.00	7167.00
11.	झारखंड	7592.00	759.20	379.60
12.	कर्नाटक	8415.00	1127.00	1127.00
13.	केरल	7737.00	3426.00	3426.00
14.	मध्य प्रदेश	9225.00	1460.62	1460.62
15.	महाराष्ट्र	11103.00	3105.07	1552.58
16.	मणिपुर	5439.00	1473.15	736.57
17.	मेघालय	4546.00	954.60	954.60
18.	मिजोरम	5041.00	1500.00	1500.00
19.	नागालैंड	4526.00	1923.60	1923.60
20.	उड़ीसा	11038.00	2003.80	2003.80
21.	पंजाब	4525.00	1000.50	1000.50
22.	राजस्थान@	10797.00	1620.00	1620.00
23.	सिक्किम	3798.00	978.00	978.00
24.	तमिलनाडु	11736.00	1500.00	1500.00
25.	त्रिपुरा	7084.00	920.79	920.79
26.	उत्तरांचल	3907.00	781.40	781.40
27.	उत्तर प्रदेश	37671.00	7534.00	7534.00
28.	पश्चिम बंगाल	18796.00	5403.00	5403.00
	कुल	280259.00	62600.28	58261.61

@ग्रामीण आवास के लिए गुजरात को 10.00 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि जारी की गई। पोषाहार के लिए राजस्थान को 11.35 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता राशि जारी की गई। पोषाहार के लिए हिमाचल प्रदेश को 4.3971 करोड रुपये की बकाया राशि जारी की गई।

प्रधान मंत्री ग्रामोदय योज़ना के अन्तर्गत उपर्युक्त अतिरिक्त सहायता राशि सहित राज्यों को कुल 246952.19 लाख रुपये की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता निर्मुक्त की गई।

आनुवंशिक रूप से संशोधित औषधियां

1561. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के औषध महानियंत्रक ने आनुवंशिक रूप से संशोधित औषधों के लाइसेंस देने पर रोक लगाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्य सरकारों को इस मामले में अनुदेश जारी कर दिए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो राज्य सरकारों को जारी किए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्य सरकारों की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (घ) जी, नहीं। औषध महानियंत्रक (भारत) ने आनुवंशिक रूप से आशोधित औषधों की लाइसेंसिंग पर प्रतिबन्ध नहीं लगाए हैं।

लाइसेंस पोस्टल एजेंसी योजना में आमूल परिवर्तन

1562. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाइसेंस पोस्टल एजेन्सी योजना में आमूल परिवर्तन और इसके पुनरुद्धार संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इससे देश में डाक प्रणाली में किस सीमा तक सुधार होने की संभावना है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) से (ग) जी, हां। एक संशोधित योजना की जांच की जा रही है। इसके ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

ई.सी.आई.एल. द्वारा तैयार सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम

1563. श्री सुबोध मोहिते : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलैक्ट्रानिक कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड अपनी सेवाओं में विस्तार कर सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध सेवाओं के क्षेत्र में पाठ्यक्रम चला रहा है और सेवाएं प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ई.सी.आई.एल. द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया गया है कि वह निजी क्षेत्र का मुकाबला कर सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) जी, हां। इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल), जो कि इस विभाग का एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, ने सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध विभिन्न क्षेत्रों में विद्यार्थियों और निगमित निकायों को प्रशिक्षण देने के लिए एक प्रभाग की स्थापना की है। कारपोरेशन का विचार सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवा उद्योग के काल सेंटर सर्विस प्रतिनिधियों के लिए एक पाठ्यक्रम आयोजित करने का है।

ईसीआईएल के अन्य कार्यरत प्रभाग, विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी समर्थ सेवाएं जैसे कि मार्किट यार्ड एपलीकेशन्स, बस पास जारी करना और अन्य ई–सेवा सेवाएं जैसे कि राशन कार्ड जारी करना आदि, क्रियान्वित कर रहे हैं। ये प्रभाग संबंधित एजेंसियों को जहां जरूरत हो, विशिष्ट ग्राहक अभिमुखी प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। ईसीआईएल में सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण प्रभाग को शुरू करने के दोहरे उद्देश्य हैं :

(i) कारपोरेशन की सूचना प्रौद्योगिकी आधारित विभिन्न परियोजनाओं और कार्यक्रमों को चलाने के लिए आवश्यक कुशल जनशक्ति तैयार करना और (ii) विद्यार्थियों एवं निगमित निकायों को सामान्य प्रयोजन तथा विशेष प्रयोजन का प्रशिक्षण प्रदान करना। निजी क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थानों से प्रतिस्पर्धा सामान्य

प्रयोजन वाले क्षेत्रों में होगी। कम्पनी द्वारा चलाई जा रही विभिन्न आधुनिकतम परियोजनाओं के कारण ईसीआईएल वास्तविक दुनिया की परियोजनाओं के आधार पर अपने प्रशिक्षार्थियों को ठोस व्यावहारिक अनुभव प्रदान करने की दृष्टि से बेहतर स्थिति में है। इससे निश्चित तौर पर विद्यार्थियों की वास्तविक मूल क्षमता में बढ़ोत्तरी होती है और इस तरह से ईसीआईएल की प्रतिस्पर्धा क्षमता दूसरे प्रशिक्षण संस्थानों की तुलना में अधिक होगी। ईसीआईएल यह प्रशिक्षण अपने स्वयं के प्रशिक्षण केन्द्रों के माध्यम से और इस प्रयोजनार्थ लाइसेंस प्राप्त विभिन्न कम्पनियों के माध्यम से प्रदान करता है। पाठ्यक्रम को अंतिम रूप ईसीआईएल द्वारा दिया जाता है। ईसीआईटीआईएसओ–9001 प्रमाणित है और इसे डीओईएसीसी से डीओईएसीसी के सभी पाठ्यक्रमों नामतः ओ, ए, बी, सी (फाउंडेशन, डिप्लोमा, एमसीए, बी.टैक एंड एम. टैक) पाठ्यक्रमों को आयोजित करने के लिए भी मान्यता दी गई है।

(ङ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में नेहरू युवक केन्द्र

1564. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **युवक कार्यक्रम और खेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में कितने नेहरू युवक केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) सरकार उनके कार्यकलापों की किस प्रकार विवेचना करती है;

(ग) क्या जिन उद्देश्यों के लिए इन केन्द्रों की स्थापना की गई थी, वे हासिल कर लिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षो के दौरान प्रतिवर्ष राजस्थान में इन नेहरू युवक केन्द्रों पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) राजस्थान में 30 नेहरू केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ख) इन सभी केन्द्रों में मासिक, तिमाही तथा वार्षिक प्रगति रिपोर्टों की एक सुस्थापित प्रक्रिया तथा साथ ही साथ वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जाने के माध्यम से आवधिक निगरानी रखी जाती है और मूल्यांकन किया जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान, राजस्थान में इन केन्द्रों पर प्रतिवर्ष खर्च की गई धनराशि के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 1990–2000 से 2001–2002 के दौरान राजस्थान राज्य में खर्च की गई धनराशि के ब्यौरे

क्र.सं.	केन्द्र	1999–2000	2000–01	2001–02
1	2	3	4	5
1.	अजमेर	426612.00	423306.00	797194.00
2.	बांसवाड़ा	406076.00	419263.00	649042.00
3.	बाड़मेर	594390.00	708899.00	790990.00
4.	भरतपुर	531754.00	531243.00	1615898.00
5.	भीलवाड़	363767.00	407179.00	721570.00
6.	बीकानेर	306034.00	355385.00	716422.00
7.	चित्तौड़गढ़	484745.00	416964.00	465514.00
8.	बूंदी	356686.00	308864.00	676906.00
9.	चुरू	599092.00	427363.00	424774.00
10.	डूंगरपुर	339718.00	399602.00	398350.00
11.	जयपुर	749208.00	618461.00	1651348.00
12.	जैसलमेर	545093.00	485324.00	647986.00
13.	जोधपुर	592511.00	462374.00	525610.00
14.	जालोर	2043367.00	312534.00	417670.00

1	2	3	4	5
15.	सवाई माधोपुर	416160.00	482267.00	656974.00
16.	सिरोही	315012.00	338371.00	493666.00
17.	टोंक	590398.00	576554.00	718054.00
18.	उदयपुर	3839485.00	341700.00	477766.00
19.	अलवर	490745.00	556910.00	670474.00
20.	कोटा	297306.00	320940.00	446230.00
21.	पाली	366374.00	392268.00	517990.00
22.	धौलपुर	462223.00	383246.00	482926.00
23.	नागौर	539457.00	495207.00	665434.00
24.	सीकर	365805.00	310962.00	1555994.00
25.	झुन्झुनू	425201.00	412892.00	438538.00
26.	झालावाड़	173372.00	322918.00	1458626.00
27.	श्रीगंगानगर	399401.00	353068.00	718054.00
28.	राजसमंद	214505.00	252785.00	388366.00
29.	बारन	176075.00	356618.00	633070.00
30.	दौसा	489529.00	460720.00	538450.00

[अनुवाद]

स्वास्थ्य सेवाओं हेतु आवेदन

1565. श्री वाई. वी. राव : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का मात्र एक प्रतिशत ही खर्च कर रही है;

(ख) यदि हां, तो वह इसकी तुलना विकसित और विकासशील देशों के साथ कैसे करेगी;

(ग) क्या लोगों की, विशेषकर गरीब वर्ग के लोगों की स्वास्थ्य सेवा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जन स्वास्थ्य संबंधी खर्च पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवंटन में वृद्धि करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) देश में 1998–1999 में जनस्वास्थ्य निवेश सकल घरेलू उत्पाद का 0.9 प्रतिशत है। कुछ विकसित और विकासशील देशों के सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में जनस्वास्थ्य व्यय को दर्शाने वाला एक विवरण उपाबंधित है।

(ग) से (ङ) सरकार प्रमुख बीमारियों पर नियंत्रण के लिए विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों की सहायतार्थ विभिन्न विपक्षी और बहुपक्षी अभिकरणों से वाह्य सहायता जुटाकर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संसाधनों में वृद्धि करने हेतु हर प्रयास करती आ रही है। हाल ही में सरकार द्वारा घोषित की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति–2002 में 2010 तक स्वास्थ्य क्षेत्र के व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद का 6 प्रतिशत करने की बात सोची गई है जिसमें जनस्वास्थ्य निवेश के रूप में दिया गया योगदान 2 प्रतिशत है।

विवरण

कुछ विकसित और विकासशील देशों के सकल घरेलू उत्पाद (1997 के आस–पास) के प्रतिशत के रूप में जनस्वास्थ्य व्यय

क्र.सं.	देश का नाम	जनस्वास्थ्य व्यय सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत रूप में
1	2	3
1.	जर्मनी	8.1
2.	फ्रांस	7.5
3.	कनाडा	6.2
4.	संयुक्त राज्य अमरीका	6.0
5.	जापान	5.7
6.	यू. के.	5.6

1	2	3
7.	आस्ट्रेलिया	5.6
8.	बंग्लादेश	2.3
9.	थाईलैंड	1.9
10.	श्रीलंका	1.4
11.	मलेशिया	1.4
12.	नेपाल	1.0
13.	भारत	0.7
14.	चीन	0.7
15.	इण्डोनेशिया	0.6

स्रोत : विश्व स्वास्थ्य रिपोर्ट 2000–स्वास्थ्य पद्धतियां : निष्पादन में सुधार लाना।

महाराष्ट्र हेतु वार्षिक योजना

1566. श्रीमती प्रभा राव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 2002–2003 के लिए महाराष्ट्र की वार्षिक योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेयजल, विद्युत आदि के लिए धन की आवश्यकता को कहां तक ध्यान में रखा गया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां।

(ख) वार्षिक योजना 2002–03 के लिए परिव्यय 11562 करोड़ रुपये है।

(ग) पेयजल, विद्युत आदि के लिए परिव्ययों के आवंटन का निर्धारण नहीं किया गया है।

इन्डोर स्टेडियम

1567. श्री जी. पुट्टास्वामी गौड़ा : क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हसन, कर्नाटक में इन्डोर स्टेडियम के निर्माण की लगातार मांग की जा रही है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय में इस संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर हासन, कर्नाटक में एक इन्डोर स्टेडियम श्रेणी–1 के निर्माण के प्रस्ताव को 60.00 लाख रु. की स्वीकार्य केन्द्रीय सहायता के साथ दिनांक 21.12.2000 को अनुमोदित कर दिया गया था।

इस्पात उद्योग का पुनरुद्धार

1568. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया एसोचैम ने सरकार को इस्पात उद्योग के पुनरुद्धार हेतु पांच–सूत्री कार्यक्रम सुझाया है, यथा परियोजना वित्तपोषण और कार्यशील पूंजी निधि में कमी, कच्चे माल की समय पर उपलब्धता, कम भीड़–भाड़ वाले संयंत्र में रियायती शुल्क, बिजली की खपत इत्यादि; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी) : (क) और (ख) जी, हां। एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री आफ इंडिया (एसोचम) से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और फिलहाल यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

भारतीय मूल के लोग संबंधी समिति

1569. श्री नरेश पुगलिया : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय मूल के लोगों द्वारा विदेशों में सामना की जा रही समस्याओं की जांच करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उस समिति के निदेश पद क्या है;

(घ) क्या उक्त समिति ने अब तक सरकार को कोई रिपोर्ट सौंपी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय डायसपोरा पर डा. एल. एम. सिंघवी, संसद सदस्य की अध्यक्षता में अगस्त 2000 में एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई थी। श्री आर. एलण् भाटिया, संसद सदस्य और पूर्व विदेश राज्य मंत्री, श्री जे. आर. हीरामथ भारतीय विदेश सेवा (सेवानिवृत) और श्री बालेश्वर अग्रवाल, महासचिव, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद, नई दिल्ली और श्री जे. सी. शर्मा, तत्कालीन अपर सचिव (एन.आर.आई. एवं पी. वी.) एवं वर्तमान में सचिव (पी.सी.डी.) विदेश मंत्रालय इसके सदस्य सचिव, इस समिति के अन्य सदस्य थे।

(ग) समिति के विचारार्थ विषय विवरण के रूप में संलग्न है।

(घ) समिति ने दिसम्बर 2001 में सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।

(ङ) समिति ने अन्य बातों के साथ–साथ

(i) प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाने (ii) प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कारों की शुरूआत (iii) भारतीय मूल के व्यक्ति (पी आई ओ) कार्ड योजना का संशोधन करने की सिफारिशें कीं। इन सभी तीन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

समिति की अन्य मुख्य सिफारिशों में कुछ देशों में रह रहे भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्रदान करना, भारतीय डायसपोरा को उनके भारत के साथ सम्पर्क को बढ़ाने के उद्देश्य से उन्हे संस्कृति, आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, मीडिया, पर्यटन, विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी, मानव कल्याण आदि के क्षेत्र में संलिप्त करना शामिल है। उन्होंने हवाई अड्डों पर सुविधाओं और समुद्रपार भारतीय मजदूरों की समस्याओं को सुनने के तरीकों में सुधार आदि की भी सिफारिश की है। फिलहाल ये सिफारिशें सरकार के जांचाधीन हैं।

विवरण

भारतीय डायसपोरा से संबद्ध उच्च–स्तरीय समिति के विचारार्थ विषय

1. भारत और उनके आवास के देशों में उन पर लागू संवैधानिक प्रावधानों, कानूनों और नियमों के संदर्भ में भारतीय मूल के लोगों और अनिवासी भारतीयों की स्थिति की समीक्षा।

2. भारतीय डायसपोरा की विशेषताओं, आकांक्षाओं, धारणाओं, आवश्यकताओं, क्षमताओं और कमजोरियों तथा भारत से उनकी अपेक्षाओं का अध्ययन।

3. भारत के आर्थिक और सामाजिक और प्रौद्योगिक विकास में भारतीय मूल के लोगों और अनिवासी भारतीयों की भूमिका का अध्ययन।

4. भारतीय मूल के लोगों की यात्रा और उनके प्रवास की भारत में वर्तमान व्यवस्था की जांच करना और इन क्षेत्रों में अनिवासी भारतीयों को पेश आ रही समस्याओं का समाधान करने की सिफारिश करना।

5. क्षेत्र अथवा भारतीय मूल के लोगों और अनिवासी भारतीयों के बीच आपसी लाभकारी सम्बन्ध बनाने हेतु व्यापक परन्तु लचीली नीतिगत रूपरेखा और विशिष्ट योजनाओं की सिफारिश करना एवं भारत के साथ और भारत के आर्थिक विकास में भागीदारी के लिए उनकी अन्योन्यक्रिया को सुविधाजनक बनाना।

वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में मरे भारतीयों के परिवारजनों को अमरीका द्वारा मुआवजा

1570. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने 11 सितम्बर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में मरे भारतीयों के परिवारजनों को मुआवजा दिया है या देने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उमर अब्दुल्ला) : (क) जी, हां।

(ख) अमरीका के न्याय विभाग ने "11 सितम्बर के पीड़ितों के लिए मुआवजा निधि" की स्थापना की है जो उन व्यक्तियों को मुआवजा देता है जो शारीरिक रूप से घायल हुए थे अथवा उन व्यक्तियों के परिवारों तथा आश्रितों को जो 11 सितम्बर, 2001 के आतंकवादी हमलों के फलस्वरूप मर गए थे। न्यूयार्क स्थित भारत के प्रधान कौंसलावास ने आवेदन पत्र (100 पृष्ठ से अधिक) की एक प्रति इस घटना से प्रभावित प्रत्येक राष्ट्रिक को भेजी है। आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख 31 दिसम्बर, 2003 है।

लघु उद्योगों में रोजगार की कमी

1571. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि लघु उद्योगों, यथा माचिस बनाना, बीड़ी इत्यादि में रोज़गार की कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ग) इन क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा कौन से वैकल्पिक रोज़गार की व्यवस्था की गई है;

(घ) क्या इन क्षेत्रों के लिए सरकार द्वारा कोई वैकल्पिक नीति भी बनाई जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) लघु उद्योग (एस.एस.आई.) में कुल मिलाकर रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। लघु उद्योग में रोजगार के अवसर अनुमानतः वर्ष 1999–2000 में जोकि 178.50 लाख था, वह वर्ष 2000–01 में बढ़कर 185.64 लाख हो गए हैं, तथा आगे वह वर्ष 2001–02 में 192.23 लाख हो गए हैं। विशिष्ट उद्योग–वार डाटा और विशेषतौर से माचिस तथा बीड़ी बनाने जोकि अधिकतर कॉटेज में स्थित हैं तथा वे अपंजीकृत यूनिटों के रूप में कार्य करते हैं, उनका अनुरक्षण केन्द्रीय तौर पर नहीं किया जाता है। सरकार द्वारा लघु उद्योग सेक्टर के सर्वेक्षण किए हैं, तथापि वे केवल पंजीकृत यूनिटों के संबंध में हैं।

(ग) से (ङ) लघु उद्योगों का संवर्धन और विकास जोकि बड़े पैमाने पर रोज़गार के अवसर सृजित करता है सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। 30 अगस्त, 2000 को माननीय प्रधानमंत्री ने लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास हेतु एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की है। नीति पैकेज बढ़ी हुई वित्तीय तथा क्रेडिट सहायता, बेहतर बुनियादी संरचना तथा विपणन सुविधाएं और प्रोद्यौगिकी उन्नयन हेतु प्रोत्साहन से युक्त है तथा यह माचिस बनाने, बीड़ी बनाने इत्यादि सहित सभी लघु उद्योगों पर लागू है।

युवाओं को पीसीओ का आवंटन

1572. श्री ए. नरेन्द्र : क्या **संचार और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में बेरोजगार युवकों को प्राथमिकता के आधार पर पीसीओ का आवंटन करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में जारी निर्देशों के उल्लंघन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। वर्तमान नीति के अनुसार 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के बेरोजगार युवकों सहित आवेदकों को किसी शैक्षिक योग्यता की पाबंदी लगाए बिना तकनीकी व्यवहार्यता और वाणिज्यिक औपचारिकताएं पूरी होने के अध्यधीन पीसीओ का उदारतापूर्वक आवंटन किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

श्रीलंका के प्रधान मंत्री का दौरा

1573. श्री सुशील कुमार शिंदे : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून 2002 के दौरान श्रीलंका के प्रधान मंत्री भारत दौरे पर आए थे;

(ख) यदि हां, तो उनके साथ हुई वार्ता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसका परिणाम क्या रहा?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) श्रीलंका के प्रधान मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने 8–12 जून, 2002 के बीच भारत की यात्रा की। प्रधान मंत्री और विदेश मंत्री के बीच सार्थक चर्चा हुई। इन चर्चाओं में दोनों देशों द्वारा आपसी विश्वास और समझ के आधार पर घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने की उच्च प्राथमिकता परिलक्षित हुई।

भारत सरकार ने श्रीलंका की एकता, प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता और शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए निपटाने के माध्यम से ऐसी स्थायी शांति स्थापित करने की वचनबद्धता को दोहराया जो श्रीलंका समाज के सभी वर्गों की उचित आकांक्षाओं की पूर्ति करे।

दोनों पक्ष इस बात के लिए सहमत थे कि विश्वव्यापी आतंकवाद शांति और सुरक्षा के लिए खतरा, बुराई और विश्वभर पर छाई विपत्ति है। वे सहमत थे कि आतंकवादी कार्यवाही को राजनैतिक, नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा अन्य आधारों पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

दोनों प्रधान मंत्रियों ने मुक्त व्यापार समझौते के कार्यान्वयन में हुई प्रगति की सराहना की।

दोनों प्रधान मंत्रियों ने श्रीलंका को गेहूं की आपूर्ति के लिए द्विपक्षीय समझौते के कार्यान्वयन में हुई प्रगति के प्रति संतोष व्यक्त किया।

भारत ने श्रीलंका को पहले से दिए 100 मिलियन अमेरिकी डालर की ऋण रेखा की शर्तों में ढील देने की सहमति व्यक्त की।

दोनों प्रधान मंत्रियों ने महसूस किया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और सिलोन पैट्रोलियम कारपोरेशन के बीच हुए समझौते ज्ञापन के माध्यम से इंडियन ऑयल कारपोरेशन श्रीलंका की नव निगमित रियायत के द्वारा श्रीलंका में खुदरा व्यापार करेगा और त्रिंकोमाली ऑयल टैंकों का प्रबंधन करेगा।

सहस्राब्दि से दोनों देशों को बांधने वाले घनिष्ठ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक बंधनों को दृष्टिगत रखते हुए दोनों देशों के बीच भूमिपुल पर व्यवहार्यता अध्ययन के कार्य को आरंम्भ करने के लिए भी दोनों पक्ष सहमत थे।

पूरी कृत्रिम दन्तावली के लिए प्रतिपूर्ति

1574. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की परिधि में नहीं आने वाले क्षेत्रों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए भी पूरी कृत्रिम दन्तावली/एक जबड़े की प्रतिपूर्ति लागू होती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा कवर न किए गए क्षेत्रों में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए पूरी कृत्रिम दंतावली/जबड़े की कीमत की प्रतिपूर्ति का लाभ लागू करने हेतु एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

सिफारिशों का कार्यान्वयन

1575. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1997 में सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय नौवहन नीति समिति द्वारा कितनी सिफारिशें की गईं;

(ख) सिफारिशों की जांच करने के लिए गठित अधिकृत

समिति द्वारा इनमें से कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया गया;

(ग) अब तक सरकार द्वारा स्वीकृत की गई और क्रियान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या अवमूल्यन दरों में वृद्धि भारतीय नाविकों को कर छूट देने और निगमित कर के बदले टनभार कर लागू करने से संबंधित सिफारिशें अभी भी कार्यान्वयन के लिए लंबित पड़ी हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश गोयल) : (क) से (ग) राष्ट्रीय नौवहन नीति समिति ने कुल 31 सिफारिशें कीं और इन सिफारिशों पर विचार करने के लिए दिनांक 13 अगस्त, 1997 को सचिव (ज.भू.प.) की अध्यक्षता में एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया। अधिकार प्राप्त समिति ने राष्ट्रीय नौवहन नीति समिति द्वारा की गई 26 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। अधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्वीकार की गई 26 सिफारिशों में से 19 सिफारिशों पर निर्णय ले लिया गया है। वित्त मंत्रालय बाकी सिफारिशों के पक्ष में नहीं है, इसलिए उन पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। सरकार द्वारा स्वीकार की गई मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं

(i) आयकर अधिनियम की धारा 33 ए सी का पुनः स्थापन।

(ii) ई सी बी मापदंड में छूट/ई सी बी अनुमोदन पद्धति का संशोधन भी दिनांक 1.4.2000 से लागू कर दिया गया है।

(iii) दिनांक 1.4.2001 से अवमूल्यन दर को 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करना।

(घ) से (च) अवमूल्यन दर को 40 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने की सिफारिश की बजाय 20 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तक करने संबंधी सिफारिश को स्वीकार किया गया था। भारतीय नाविकों को राहत देने से संबंधित सिफारिश अधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्वीकार नहीं की गयी थी। तथापि, सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ दल ने निगमित कर के बदले टनभार कर को लागू करने की एवं भारतीय नाविकों को कर राहत देने की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों को स्वीकार करने संबंधी कार्रवाई पहले ही आरंभ कर दी गयी है। कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। तथापि, जितना जल्दी हो सके, निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा।

टेलीफोन अदालतें

1576. श्री भीम दाहाल :
श्री मानसिंह पटेल :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों के प्रत्येक जिले में किन तिथियों को "टेलीफोन अदालतें" आयोजित की गयीं;

(ख) गत दो वर्षों के दौरान जिले-वार कितने मामले प्राप्त हुए;

(ग) इसमें से जिले-वार कितने मामले निपटाए, गए; और

(घ) टेलीफोन उपभोक्ताओं को दी गयी राहत का ब्यौरा क्या है और टेलीफोन अदालतें आयोजित करने की प्रक्रिया क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम और भारतीय नर्स परिषद अधिनियम के प्रावधानों में परिवर्तन

1577. श्री जी. एस. बसवराज : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में बड़े परिवर्तनों/प्रगति को ध्यान में रख कर चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों और अर्ध-चिकित्सीय कर्मचारियों और नियुक्ति के लिए न्यूनतम सांविधिक मानदण्डों को लागू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम और भारतीय नर्स परिषद अधिनियम के प्रावधानों में परिवर्तन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद ने भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के अधीन विभिन्न विनियम बनाए हैं जिनमें चिकित्सा संस्थाओं में अध्यापकों की नियुक्ति और उनकी तैनाती के लिए न्यूनतम अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद इन विनियमों की समय-समय पर समीक्षा करती है ताकि चिकित्सा परिचर्या के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के साथ कदम मिलाकर चला जा सके। केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से आवश्यक संशोधन, यदि कोई हो तो, किए जाते हैं। इसी प्रकार, फार्मेसी और नर्सिंग विषयों को क्रमशः फार्मेसी अधिनियम, 1948, आर भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अधीन फार्मेसी और नर्सिंग परिषद द्वारा किया जाता है। अन्य पैरा मेडिकल विषयों के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर अभी तक कोई विनियामक परिषद नहीं है।

सौर ऊर्जा चालित फोन

1578. श्री आनन्दराव विठोबा अडसुल : क्या **संचार और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश के कुछ गांवों में सौर ऊर्जा चालित फोन उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अन्य राज्यों के भी इस प्रकार के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) जी, हां। आंध्र प्रदेश में बुनियादी टेलीफोन सेवा प्रदाताओं के बारे में बताया गया है कि उन्होंने 11203 अदद सौर ऊर्जा चालित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन (वीपीटी) प्रदान कर दिये हैं।

(ग) और (घ) जी, हां। भारत संचार निगम लिमिटेड की बिहार झारखंड, उत्तरांचल, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन सुविधा रहित गांवों को सौर उर्जा चालित ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन प्रदान करने की योजना है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कोटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र

1579. प्रो. रासासिंह रावत : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोटा स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र में बार-बार रुकावट आने के क्या कारण हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन ऊर्जा संयंत्रों को कितनी बार बंद करना पड़ा?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) और (ख) राजस्थान स्थित चार परमाणु विद्युत रिएक्टर यूनिटों में से तीन यूनिट नामतः परमाणु बिजलीघर-2 (200 मेगावाट), राजस्थान परमाणु बिजलीघर-3 (220 मेगावाट) और राजस्थान परमाणु बिजलीघर-4 (220 मेगावाट), को न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एन पी सी आई एल) वाणिज्यिक आधार पर चला रहा है, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान इन यूनिटों का कार्य-निष्पादन अच्छा रहा है। इन्होंने समग्र उच्च उपलब्धता गुणक दर्ज किया है (वह प्रतिशत समय जब ये यूनिट ग्रिड से जुड़े रहे और काम करते रहे) जैसाकि नीचे दिया गया है :

यूनिट	उपलब्धता गुणक प्रतिशतता
1	2
राजस्थान परमाणु बिजलीघर-2 (01.4.1999 से 31.3.2002तक)	87 प्रतिशत

1	2
राजस्थान परमाणु बिजलीघर–3 (1.6.2000 से 31.3.2002 तक)	82 प्रतिशत
राजस्थान परमाणु बिजलीघर–4 (23.12.2000 से 31.3.2002 तक)	76 प्रतिशत

ऊपर निर्दिष्ट अवधि के दौरान, उपर्युक्त यूनिटों का परिचालन औसतन जितनी बार बंद करना पड़ा उसकी संख्या प्रतिमाह लगभग एक है और उसका कारण नियोजित रख–रखाव कार्य से ग्रिड की अस्थिरता और उपस्करों/प्रणालियों के कारण यूनिटों को मजबूरन बंद करना था जोकि सभी संयंत्रों के मामले में सामान्य बात है। राजस्थान परमाणु बिजलीघर–3 और राजस्थान परमाणु बिजलीघर–4 ,हालांकि वर्ष 2000 से वाणिज्यिक रूप से परिचालन शुरू करने के बाद, विद्युत परिचालन के स्थिर बनाने की प्रक्रिया से गुजर रहे थे, फिर भी उपर्युक्त अच्छा कार्य–निष्पादन हासिल किया गया। न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (एन.पी.सी.आई.एल.) इन यूनिटों के कार्य–निष्पादन को और बेहतर करने की आशा करता है।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर–1, जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग (डी.ए.ई) के स्वामित्व वाला और एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा परिचालित देश का पहला दावित भारी पानी रिएक्टर (पी. एच.डब्ल्यू.आर.) है, को इसके नियामक लाइसेंस की समाप्ति पर 30.4.2002 से बंद कर दिया गया है। इसके बारे में सुरक्षा बढ़ाने की दृष्टि से सेवाकालीन निरीक्षण और मूल्यांकन, जिसमें सम्भाव्य शीतलक चैनलों का सामूहिक रूप बदला जाना शामिल है, संबंधी कार्य जारी है। एन.पी.सी.आई.एल. द्वारा किए जा रहे इस मूल्यांकन के आधार पर, और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा इसकी पुनरीक्षा करने और अनुमति देने के बाद ही इस यूनिट के और आगे सतत परिचालन की संभावना पैदा होगी।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

1580. श्रीमती प्रभा राव :
श्री रामचन्द्र पासवान :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री पी. डी. एलानगोवन :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कई राज्य राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का पूरी तरह से उल्लंघन करते हुए जनसंख्या नियंत्रण के कठोर तरीकों को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वर्तमान जनसंख्या नियंत्रण नीति में आमूल परिवर्तन लाने पर सक्रियता से विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) और (ख) फरवरी, 2002 में अपनाई गई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के क्रम में सभी राज्यों को राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की भावना और नीति (एप्रोच) के अनुरूप कार्य नीतियां और कार्यक्रम बनाने को कहा गया है। तदनुसार राज्यों से यह सुनिशिचत करने का अनुरोध किया गया है कि सूचित स्वीकृति और लोगों की भागीदारी के माध्यम से जनसंख्या स्थितिकरण प्राप्त किया जाए।

(ग) और (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

आधारभूत ढांचा संबंधी परियोजनाएं

1581. श्री विलास मुत्तेमवार : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की आधारभूत ढांचे संबंधी 34 परियोजनाओं पर बड़ी धनराशि खर्च करने के बाद या तो उन्हें छोड़ दिया गया है या रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है, और इन परियोजनाओं पर आगे कार्य रोकने के राज्यवार क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा परित्यक्त परियोजनाओं पर पुनः

कार्य आरम्भ करने और लागत वृद्धि से बचने और निर्धारित समय के भीतर कार्य पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है?

प्रधान मंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : (क) से (ग) और 31 मार्च, 2002 तक 32 परियोजनाएं ऐसी हैं, जो 1020.79 करोड़ रुपये व्यय के पश्चात भी, विभिन्न कारणों से प्रगति करने में असफल रही हैं। इन परियोजनाओं को बंद कर दिया गया/छोड़ दिया गया/अन्य परियोजनाओं के साथ विलय कर दिया गया/मांग की कमी एवं अन्य कारणों से रोक दिया गया है। इन परियोजनाओं का अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। समय एवं लागत वृद्धि के नियंत्रण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) सभी परियोजनाओं के लिए माईलस्टोन प्रबोधन अपनाया जाना (माईलस्टोन पर्ट चार्टों से लिए जाते हैं) ।

(2) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों तथा उनकी सहायक संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित सभी परियोजनाओं की त्रैमासिक निष्पादन समीक्षा।

(3) कार्यान्वयन के मार्ग में आई कठिनाइयों, जिसमें संविदात्मक अवरोध भी शामिल हैं, को दूर करने के लिए मंत्रालय/विभाग के सचिव की अध्यक्षता में शाक्ति प्रदत्त समितियों द्वारा विभागीय परियोजनाओं की समीक्षा।

(4) सभी मंत्रालयों द्वारा अवरोधों का सामना करने वाली परियोजनाओं के कार्य स्थल का दौरा।

(5) अन्तरमंत्रालयी समस्याओं के समाधान के लिए सचिवों की स्थायी समिति द्वारा अभिज्ञात परियोजनाओं की विशेष समीक्षा।

विवरण

31.3.2002 तक बंद/छोड़ी गई परियोजनाओं की सूची

क्र.सं.	परियोजना (जिला/राज्य)	क्षमता	सरकार के अनुमोदन की तिथि मूल (संशो.)	प्रारंभ करने की तिथि		लागत		संचयी व्यय	कारण
				मूल (संशो.)	प्रत्याशित	अनुमोदित मूल (संशो.)	प्रत्याशित		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्षेत्र : कोयला									
	एसईसीएल								
1.	शीतल धारा यूजी सलहोल म.प्र.	0.51 एमटीवाई	1995/05	2001/03	2001/03	48.22	48.22	26.52	कुरजा परियोजना के साथ विलयन एवं छोड़ देने के कारण
2.	कपिल धारा यूजी आगरा साहडोल म.प्र.	0.51 एमटीवाई	1998/3	2003/03	2004/03	47.31	47.31	2.81	परियोजना को छोड़ देने के कारण
	एच जैड एल								
3.	वमनिया कलान लीड जिंक एम राजस्थान		1985/09	1995/03	अनुपलब्ध	36.44	47	2	अव्यवहारिता के कारण छोड़ दी गई

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
क्षेत्र पैट्रो रसायन									
	आईपीसीएल								
4.	एडवांस इंजीनियरिंग प्लास्टिक जेबी बड़ोदा गुजरात		1992/05	1995/05	अनुपलब्ध	21.12	25.12	—	आईपीसीएल के निजीकरण
क्षेत्र पैट्रोलियम									
	बीपीसीएल								
5.	सीडीयू का हीट इंटीग्रेसन मुंबई महाराष्ट्र		1993/03	1995/04	अनुपलब्ध	35	35	—	छोड़ दी गई/ परियोजनाओं की वैकल्पिक निम्न लागत पर पूर्ण किए जाने के कारण
आईओसी									
6.	हल्दिया बज–बज पाइप–लाइन मिदनापुर पं. बंगाल	1.1 एमएमटीपीए	1991/07	1994/03	अनुलब्ध	31.06	44	1.93	नई हल्दिया बज–बज पाइप–लाइन को एक वैकल्पिक निम्न लागत पर रूपांकित करने के कारण
7.	पानीपत तमवाल का आवर्धन–जे.ए.के. हरियाणा		1999/01	2001/05	अनुपलब्ध	68.52	68.52	0.69	छोड़ देने के कारण
8.	गुजरात रिफाईनरी रेसीडयू अपग्रेड गुजरात रिफाईनरी		1999/10	2003/01	अनुपलब्ध	4392	4392	107.45	मांग प्रतिबंध के कारण बंद
9.	आ.की निम्न लागत रीवैम्प, बड़ोदरा गुजरात		1998/11	2001/1	अनुपलब्ध	96.93	96.93	0.77	उपरोक्त

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	आव. सलया–मथुरा कायल गु./रा./उ.प्र.	26 एमएमटीपीए	2000/08	2002/09	अनुपलब्ध	1734	–	27.61	निम्न लागत पर विकल्प उपलब्ध होने के कारण
	ओएनजीसीएल								
11.	जीरो फलोरिंग परि. गंधार गुजरात		1998/11	2001/07	2001/07	80.3	80.03	4.92	गंधार आईओआर विकास परियोजना के साथ विलय
क्षेत्र : विद्युत									
	पीजीसीआईएल								
12.	दुलहस्ती पारे. लाइन जम्मू एवं कश्मीर	630 सीकेएम	1987/10	1992/07	अनुपलब्ध	166.57	772.83	41.08	अन्य पारेषण प्रणाली द्वारा प्रति–स्थापित किया जाना
क्षेत्र : भारी उद्योग									
	सीमेंट								
13.	येरागुंतला विस्तार (सीसीआई) आ.प्र.	10–00 एलके. टन	1981/04 1987/10 1989/03	1986/09 1989/10 1991/04	अनुपलब्ध अनुपलब्ध अनुपलब्ध	75.72 191.25 191.25	307	58.91	दिया गया
14.	बगासी बेस न्यूज प्रिंट मुरादाबाद उ.प्र.		1989/10	1993/10	अनुपलब्ध	414.46	622.3	6.91	वही
क्षेत्र : भूतल परिवहन									
	पत्तन								
15.	रीसैस डीआरईडीजी जीगरखाली पश्चिम बंगाल		1990/04	1991/09	अनुपलब्ध	43.29	66.91	15.73	कार्य को ठेके पर कराने के लिए निर्णय में परिवर्तन
16.	5क/6क कार्गो नि. एम पोज. मूरमूगोवा गोवा		1999/08	2001/12	2001/12	250	250	—	निजी क्षेत्र को स्थानांतरित
क्षेत्र : दूरसंचार									
	डाट								
17.	ई 10 बीएक्स एवं टीई बिल्डिंग, श्रीनगर, जे. एवं के.	12 के लाइनें	1989/04	1991/12	अनुपलब्ध	22.07	22.07	—	छोड़ दी गई

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.	इंस आफ ई 10 बीएक्स. आर.टी. नगर, बंगलौर कर्नाटक	9 के	1992/06	1995/03	अनुपलब्ध	28.86	28.86	0.03	नई तकनीक के साथ 20 केवी नई परियोजना का प्रतिस्थापित करना
19.	ई 10 आफ एक्स पुणे पुणे, महाराष्ट्र	8 के	1992/06	1994/03	अनुपलब्ध	25.7	25.7	—	औद्योगिकी विनिमय के साथ प्रतिस्थापन
20.	ई 10 बी एक्स. बजाजनगर जयपुर राजस्थान	8 के	1991/05	1992/03	1996/09	23.7	23.7	4.73	योजना में परिवर्तन
21.	एक्स. आफ सिमनस इलै. एक्स. विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश	10 के	1994/01	1994/09	अनुपलब्ध	20.72	20.72	—	पट्टे पर उपस्कर प्रापण पूर्ण
22.	एक्स. आफ सिमनस इलै. फरीदाबाद, हरियाणा	10 के	1994/01	1994/09	अनुपलब्ध	21.23	—	—	पट्टे पर उपस्कर प्रापण पूर्ण
23.	एक्स. आफ सिमनस इलै. विजाग, आंध्र प्रदेश	10 के	1994/03	1994/09	अनुपलब्ध	20.91	20.91	—	पट्टे पर उपस्कर प्रापण पूर्ण
24.	एक्स. आफ सिमनस इलै. जालंधर, पंजाब	10 के	1993/12	1994/09	अनुपलब्ध	20.86	20.86	—	पट्टे पर उपस्कर प्रापण पूर्ण
25.	एक्स. आफ सिमनस इलै. मेरठ, उ.प्र.	10 के	1994/01	1994/09	अनुपलब्ध	20.57	20.57	–	पट्टे पर उपस्कर प्रापण पूर्ण
26.	एक्स आफ फिजूतस एक्स, चंडीगढ़, पंजाब	15 के	1994/12	1996/03	अनुपलब्ध	29.8	29.8	–	पट्टे पर उपस्कर प्रापण पूर्ण
	वीएसएनएल								
27.	इनमरसेट–पी मुंबई, महा.		1995/11	2000/09 2000/12	2003/01	546	546	550.44	यू एस में टेलिकाम हाइवे कंपनी का समापन
28.	नई दिल्ली–देहरादून मेगा. सिस्टम दिल्ली/यू. पी.	5670 सीकेटीएस	1996/11	1998/03 1999/07	2001/12	30.34	30.34	21.57	छोड़ दी गई एवं निजीकरण

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29.	इनस एमजीटी सेंटर मुंबई, महा.		1996/11	1999/01 2000/05	2000/05	40	40	–	छोड़ दी गई
30.	सेफ केबल सिस्टम कोची, केरल		1999/12	2001/12	2002/03	231	231	144.74	निजीकरण
	क्षेत्र : शहरी विकास								
	यूडी								
31.	सी/ओ टाईप–5 6 क्वार्टर, नई दिल्ली दिल्ली	v–98 vi–28	1995/12	1997/12	अनुपलब्ध	26	26	–	ठप्प कर दी गई
32.	जनरल पूल आवासीय क्वा. मुंबई, महा.	संख्या 1016	1985/08 1995/05	1989/09	अनुपलब्ध	29.5 62.75	62.75	1.95	ठप्प कर दी गई

संकेत :

एसईसीएल	साउथ ईस्टर्न कोल फिल्डस लि.	ओएनजीसीएल	ओयल एण्ड नैचुरल गैस कोपरेशन लि.
एचजेडएल	हिन्दुस्तान जिंक लि.	पीजीआईसीएल	पावर ग्रेड काप. आफ इंडिया लि.
आईपीसीएल	इंडियन पैट्रो. कैमिकल्स कां. लि.	सीसीआई	सिमेंट का. आफ इण्डिया
जेवी	संयुक्त उद्यम	डीओटी	दूरसंचार विभाग
बीपीसीएल	भारत पैट्रोलियम का. लि.	वीएसएनएल	विदेश संचार निगम लि.
आईओसी	इंडियन ऑयल का.	यूडी	शहरी विकास

हैपेटाइटिस बी. का संक्रमण

1582. श्री नरेश पुगलिया :
श्री पी. डी. एलानगोवन :
श्री मोइनुल हसन :
श्री एस. अजय कुमार :
डा. रामचन्द्र डोम :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में हैपेटाइटिस बी. का संक्रमण चिन्ताजनक दर से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई आंकड़ा है कि हैपेटाइटिस बी. ने जनसंख्या को कितना प्रभावित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) इस बीमारी के और बढ़ने से रोकने के लिए सरकार द्वारा कौन से ठोस कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान इस बीमारी से मुकाबला करने के लिए कितनी राशि का राज्यवार आवंटन किया गया है;

(च) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई विदेशी सहायता भी मांगी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. राजा) : (क) से (ग) अध्ययन बताते हैं कि लगभग 3 से 5 प्रतिशत जनसंख्या हैपेटाइटिस–बी विषाणु से प्रभावित है। राज्यवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) सरकार ने निम्नलिखित उपाय किए हैं :

- रक्त बैंकों में रक्त की अनिवार्य जांच।
- राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन सुरक्षित यौनाचार को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम ।
- प्रत्येक इंजेक्शन के लिए अलग निर्जीवाणुकृत सिरिंज और सुई का इस्तेमाल करने हेतु स्वास्थ्य प्राधिकारियों को अनुदेश जारी किए गए हैं।
- केन्द्रीय सरकार के अस्पतालों के उच्चजोखिम वाले कार्मिकों को प्रतिरोधक किया जाएगा। राज्य सरकारों को ऐसे ही उपाय करने की सलाह दी गई है।

(ङ) से (छ) इस वर्ष व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम में हैपेटाइटिस–बी वैक्सीन शुरू करने की एक प्रायोगिक परियोजना आरम्भ की गई है। इस प्रायोगिक परियोजना को अगले दो वर्षों में 15 शहरों की मलिन बस्तियों और 32 जिलों में ग्लोबल एलायन्स फॉर वैक्सीन एण्ड इम्युनाइजेशन से प्राप्त वस्तुगत सहायता से कार्यान्वित किया जाएगा। वस्तुगत सहायता, जिसमें हैपेटाइटिस–बी वैक्सीन, आटोडाइजेबल सिरिंजें और सेफ्टी बाक्स शामिल हैं, को देखते हुए राज्यों को कोई निधियां आवंटित नहीं की गई हैं।

दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

1583. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार का दूरसंचार क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवेश की सीमा को वर्तमान 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुमित्रा महाजन) : (क) और (ख) सरकार की वर्तमान प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) नीति के अनुसार, दूरसंचार के विभिन्न उप क्षेत्रों में एफडीआई सीमा में 49 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक का अंतर होता हैं। दूरसंचार उपस्कर विनिर्माण, दूरसंचार सेवाओं जैसे इंटरनेट (गेटवे रहित) अवसंरचना प्रदाता (आईपी–I) ई–मेल, वॉयस मेल आई टी सक्षम सेवाओं के मामले में कोई एफडीआई सीमा नहीं है। 74 प्रतिशत की एफडीआई सीमा, इंटरनेट (गेटवे सहित), छोर–से–छोर तक वैंडविड्थ प्रदान करने वाले अवसंरचना प्रदाताओं (आईपी–I) और रेडियो पेजिंग सेवा के मामले में लागू है और 49 प्रतिशत की एफडीआई सीमा बुनियादी, सेल्यूलर मोबाइल, वी–सेट, राष्ट्रीय लंबी दूरी, अंतर्राष्ट्रीय लंबी दूरी और ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्यूनिकेशन्स सेवाओं के मामले में लागू है। सरकार द्वारा दूरसंचार सेक्टर में एफडीआई सीमा की पुनरीक्षा समय–समय पर की जाती है जो निवेश की आवश्यकता, सुरक्षा आदि पहलुओं पर निर्भर करती है और इस तरह की पुनरीक्षा के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाने के बाद इसे अधिसूचित किया जाता है।

पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों का विकास

1584. श्री ए. ब्रह्मनैया : क्या **लघु उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के पर्वतीय क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास के लिए कार्यान्वित किए गए नए संशोधित कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए एक विशेष योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2001–2002 के दौरान इस प्रकार की योजनाएं किन क्षेत्रों में लागू की गईं; और

(ङ) लघु उद्योगों के विकास के लिए पर्वतीय और पिछड़े क्षेत्रों पर बल देने हेतु वर्ष 2002–2003 के लिए क्या योजना है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) से (ङ) सरकार लघु उद्योगों के विकास एवं संवर्धन हेतु देश में, जिसमें पहाड़ी और पिछड़े क्षेत्र शामिल हैं, विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही हैं, नामतः एकीकृत आधारभूत संरचना विकास योजना, उद्यमिता, प्रबंधकीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, लघु उद्योग सेवा संस्थानों, औजार कक्षों, प्रक्रिया–सह–उत्पाद विकास

केन्द्रों आदि के माध्यम से तकनीकी कुशलता विकास कार्यक्रम। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा 30.8.2002 को लघु क्षेत्र के संवर्धन हेतु एक व्यापक नीति पैकेज की घोषणा की गई, जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ बढ़ी हुई राजकोषीय एवं वित्तीय सहायता, सुधरी हुई आधारभूत संरचना, विपणन सुविधाएं और प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण शामिल हैं। एक क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड का भी सृजन किया गया है जो लघु उद्योग इकाइयों को 25.00 लाख रु. तक बैंक ऋण हेतु बिना समपार्श्विकता के गारंटी प्रदान करता है। लघु इकाइयों द्वारा विशिष्ट क्षेत्रों/उपक्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण की परियोजनाओं पर 12 प्रतिशत बैक एंडिड कैपिटल सब्सिडी प्रदान करने के लिए एक योजना का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है। जबकी लघु उद्योगों का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों का विषय है, तथापि केन्द्र सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रयासों में सहयोग और अनुपूरण करती है। पहाड़ी एवं पिछड़े क्षेत्रों में लघु उद्योगों के विकास हेतु कोई भी योजना विशिष्ट रूप से नहीं है और सभी विद्यमान/चल रही योजनाएं और कार्यक्रम देश में समान रूप से कार्यान्वित किए जाते हैं।

सरकारी क्षेत्र का निजीकरण

1585. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोत परिवहन संबंधी कार्य दल ने सिफारिश की है कि दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों का निजीकरण किया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्य दल ने टिप्पणी की है कि सरकारी क्षेत्र के शिपयार्डों में प्रयुक्त तकनीक निम्न स्तर की है;

(घ) यदि हां, तो क्या बिक्री हेतु प्रस्ताव करने से पहले शिपयार्डों को सुधारने के लिए कोई प्रयास किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश गोयल) : (क) और (ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पोत निर्माण और पोत मरम्मत उद्योग संबंधी कार्य दल ने अन्य टिप्पणियों के साथ–साथ यह टिप्पणी भी की है कि शिपयार्डों को प्रतिस्पर्धात्मक बनाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों के पास संवृद्धि और विस्तार के लिए वित्त जुटाने की परिवर्तनशीलता होगी।

(ग) कार्य दल ने विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों के बारे में उल्लेख नहीं किया है बल्कि एक सामान्य टिप्पणी की है; प्रौद्योगिकी का स्तर जितना उच्च होता है, प्रतिलाभ भी उतने ही बेहतर होते हैं। जब प्रौद्योगिकी निम्न स्तर की होती है तो जब तक प्रणाली और उत्पाद का मानकीकरण नहीं किया जाता और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर मेहनत नहीं करता, तब तक उद्योग के लिए लाभ प्राप्त होना बहुत कठिन होता है।

(घ) और (ङ) सरकार इस उद्योग की व्यवहार्यता और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए पोत निर्माण और पोत मरम्मत सुविधाओं के नवीकरण, प्रतिस्थान और संवर्धन के लिए योजना सहायता उपलब्ध कराने, समुद्रगामी जलयानों के निर्माण के लिए सब्सिडी देने आदि जैसे विभिन्न उपाय करती रही है परन्तु अपर्याप्त क्रयादेश, कम उत्पादकता, अपर्याप्त प्रौद्योगिकीय उन्नयन आदि सहित विभिन्न कारक उद्योग के पुनरुत्थान के मार्ग में बाधा बन कर खड़े हैं। कार्यदल की रिपोर्ट को योजना आयोग को भेज दिया गया है। अंतिम रूप से निर्धारित योजना दस्तावेज अभी प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार सभी गैर–अनुकूल सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयां स्वतः ही विनिवेश आयोग के पास चली गई हैं जिसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित मामले सौंप दिए गए हैं।

[हिन्दी]

सॉफ्टवेयर निर्यात

1586. श्री वाई. जी. महाजन :
श्री रामसिंह कस्वां :

क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्ष 2002–2003 के लिए सॉफ्टवेयर निर्यात का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष की प्रथम तिमाही में सॉफ्टवेयर निर्यात के लक्ष्य की उपलब्धि किस सीमा तक हासिल की गई?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) और (ख) सूचना प्रौद्योगिकी पर गठित दसवीं पंचवर्षीय योजना कार्यदल के अनुसार वर्ष 2002–03 के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए निर्धारित लक्ष्य 54,000 करोड़ रुपए है। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान सॉफ्टवेयर निर्यात 9,900 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है।

विदेश में भारतीय विद्यालय

1587. श्री पी. सी. थामस : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीयों द्वारा विद्यालय खोलने की अनुमति देने के लिए निर्धारित प्रक्रिया क्या है;

(ख) क्या इन विद्यालयों पर भारतीय दूतावासों/मिशनों का नियंत्रण है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार की खाड़ी देशों में भारतीय विद्यालय खोलने की अनुमति देने की कोई योजना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मस्कट में नया भारतीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव इस समय किस चरण में है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, भारतीयों को विदेशों में स्कूल खोलने देने की अनुमति से संबद्ध कोई निर्धारित प्रक्रिया नहीं है। विदेशों में स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया हर देश में उसके स्थानीय नियमों और विनियमों के अनुसार भिन्न–भिन्न होती है।

(ख) और (ग) विदेश स्थित भारतीय राजदूतावासों/मिशनों की भूमिका सलाहकार की होती है और कुछ मामलों में स्थानीय नियमों में निर्दिष्ट होती है। हमारे मिशन सामान्यतया ऐसे स्कूलों पर कोई प्रतिदिन नियंत्रण नहीं रखते।

(घ) से (च) मस्कट में नया भारतीय स्कूल खोलने के प्रस्ताव के अतिरिक्त, खाड़ी क्षेत्र में भारतीय स्कूल खोलने के किसी अन्य प्रस्ताव के विषय में सरकार को जानकारी नहीं है। ओमान सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में मस्कट स्थित सीब/अल हेल क्षेत्र में भारतीय स्कूल, मस्कट की एक शाखा खोलने को अनुमोदन दिया है। स्कूल आंरभ करने का कार्य हो रहा है।

वस्तुओं की चोरी होने पर मुआवजा

1588. श्री रामजी मांझी : क्या **संचार और सूचना प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वस्तुओं की चोरी होने पर गत तीन वर्षों के दौरान मुआवजे के रूप में 36 लाख रुपए से अधिक राशि का भुगतान किया गया;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले, और

(घ) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजय पासवान) : (क) जी, हां। पंजीकृत डाकमदों की चोरी/प्रतिस्थापन/अंतर्वस्तुओं की चोरी के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित राशि मुआवजे के रूप में दी गई :

वर्ष	मुआवजे के रूप में भुगतान की गई राशि
1998–1999	12,88,912.00 रु.
1999–2000	11,13,137.00 रु.
2000–2001	12,01,025.00 रु.

(ख) ऐसी शिकायतों की तुरंत जांच की जाती है तथा जो उत्तरदायी पाए जाते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) जांच के फलस्वरूप दोषी कर्मचारियों को अन्य दण्ड देने के अतिरिक्त, उनसे 9,64,625.00 रु. भी वसूल किए गए हैं।

वर्ष	दण्डित कर्मचारियों की संख्या	वसूल की गई राशि
1999–2000	151	4,36,334.00 रु.
2000–2001	110	5,28,191.00 रु.

(घ) विभाग द्वारा ऐसी अनियमिताओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(i) प्रलाचन की दृष्टि से संवेदनशील माने जाने वाले डाकघरों/स्थानों में आकस्मिक जांच करने के लिए विभाग ने जांच दल गठित किए हैं।

(ii) संवेदनशील पदों पर कर्मचारियों की आवधिक रूप से बदली की जाती है तथा ऐसे कर्मचारियों को संवेदनशील पदों पर नहीं लगाया जाता जिनकी निष्ठा संदेहास्पद होती है।

(iii) विभिन्न सेवाओं की निरंतर मानीटरिंग के लिए अपनाए जाने वाले उपायों के एक भाग के रूप में आवधिक विशेष अभियान चलाए जाते हैं। इन अभियानों से प्रणालीगत अवरोधों की पहचान होती है।

(iv) डाकमदों की चोरी से संबंधित शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त निदेश दिए गए हैं।

बुनियादी ढांचा संबंधी विकास

1589. श्री वी. वेत्रिसेलवन : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान मार्च 2002 तक बुनियादी ढांचा संबंधी विकास के क्षेत्र में की गई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में मंदी, यदि कोई हो, के क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार ने भविष्य में बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) विद्युत परिवहन तथा संचार के संबंध में बुनियादी ढांचा संबंधी विकास की प्रगति नीचे दी गई है :

वर्ष	विद्युत	दूर संचार			परिवहन					
		सीधे दूरभाष केन्द्र लाइन (डेल)			रेलवे		सड़क	बंदरगाह	नागर विमानन	
	अतिरिक्त क्षमता (मेगावाट)	पीएसयू द्वारा (लाख लाइनें)	पीवीटी बेसिक टेलीफोनी द्वारा (लाख लाइनें)	पीवीटी मोबाइल टेलीफोनी (लाख लाइनें)	भाड़ा निवल टन कि.मी. (बिलियन कि.मी.)	सवारी केएस (बिलियन)	राष्ट्रीय राजमार्ग (लम्बाई कि.मी. में)#	मुख्य बंदरगाहों पर संभाला गया यातायात (मिलियन टन)	एअर इंडिया (राजस्व टन कि.मी.)	इंडियन एअर लाइन्स (राजस्व टन कि.मी.)
1999-2000	4507.50	49.18	1.28	6.80	305.20	431.4	52010	271.92	1456.5	740.2
2000-01	3775.66	59.25	1.25	17.00	312.40	457.7	57737	281.09	1501.4	777.3
2001-02	3115.25	52.63	3.27	20.00	323.00	473.4	58112	291.10	1617.8	754.0

#वर्ष के अन्त में संचयी दूरी।

(ख) **1. विद्युत क्षेत्रक**

क्षमता बढ़ाने में धीमी प्रगति के मुख्य कारण थे : भुगतान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रबंधों के अभाव में निजी क्षेत्र की परियोजनाओं को प्राप्त करने में असमर्थता, भूमि अधिग्रहण तथा पर्यावरण निकासी में देरी, ईंधन लिंकेजेज के अनसुलझे मुद्दे अनुबंधीय समस्याएं, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन समस्याएं और कानून व्यवस्था की समस्याएं।

2. दूरसंचार

2001–02 के दौरान पीएसयू द्वारा सीधे दूरभाष केन्द्र लाइन (डेल) की उपलब्धि में कमी के कारण इस प्रकार रहे हैं :

(i) सेल्यूलर सेवा के आने से तथा टेलीफोन उपभोक्ताओं द्वारा अनिवार्य रूप से आयकर विवरणी भरने के कारण वीएसएनएल में बहुत बड़ी संख्या में दूरभाषों को कटवा देना।

(ii) वीएसएनएल द्वारा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवा को शुरू करने में देरी।

(ग) किए गए निम्नलिखित उपायों से आशा की जाती है कि बुनियादी ढांचे को प्रोत्साहन मिलेगा।

1. विद्युत क्षेत्रक

राज्य विद्युत उपयोगिताओं की वित्तीय हालत को सुधारने के लिए निजी निवेश को आकर्षित करने के कदम उठाए जाने के बावजूद विद्युत क्षेत्रक में सार्वजनिक क्षेत्र के निधिकरण को बढ़ाया जा रहा है।

2. दूरसंचार

नई दूरभाष नीति, 1999 के अनुसार, यह परिकल्पित किया गया है कि 7 की टेलीडेंसिटी 2005 तक तथा 15 की 2010 तक प्राप्त कर ली जाएगी। कुछ नीति उपायों, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों में नेटवर्क को बढ़ाने में तेजी लाने सहित देश में अनुसंधान और विकास (आर एण्ड डी) को सुदृढ़ करने के लिए भी परिकलिपत किया गया है।

3. परिवहन क्षेत्रक

परिवहन क्षेत्रक में दी मुख्य परियोजनाएं नामतः राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) तथा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) प्रगति पर हैं।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्रों का विकास

1590. श्री हरिभाई चौधरी : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास हेतु कोई योजना चलाई जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकारों को कितना धन प्रदान किया गया है?

लघु उद्योग मंत्रालय की राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे) : (क) जी, हां। सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाले सभी राज्यों नामतः अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल और पश्चिम बंगाल में प्रचालन में है।

(ख) कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सीमा के पास स्थित दूरवर्ती और अगम्य क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा करना है। वे स्कीमें जो ऐसी समस्याओं जैसे अनिवार्य आवश्यकताओं की व्यवस्था से संबंधित अपर्याप्ताएं, सामाजिक आधारिक संरचना को सुदृढ़ करना, सड़क नेटवर्क में अन्तरालों को पूरा करना, आदि का समाधान करती हैं, इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की जा सकती हैं। रोजगार सृजन, उत्पादनोन्मुखी कार्यकलाप और स्कीमें जो सामाजिक क्षेत्रक में महत्वपूर्ण इनपुट मुहैया कराती हैं, पर बल दिया जाना है। राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग समिति कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली स्कीमों का निर्धारण करती है।

(ग) पिछले 3 वर्षों के दौरान राज्य सरकार को जारी की गई विशेष केन्द्रीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

(करोड़ रुपये में जारी धनराशि)

राज्य	1999-2000	2000-01	2001-02
1	2	3	4
1. अरुणाचल प्रदेश	13.00	6.75	13.51
2. असम	7.20	3.74	7.48
3. बिहार	7.00	3.64	0.00
4. गुजरात	9.87	10.26	0.00

1	2	3	4
5. हिमाचल प्रदेश	4.00	8.16	19.31
6. जम्मू और कश्मीर	33.52	39.65	34.85
7. मणिपुर	4.00	4.16	4.16
8. मेघालय	4.52	4.70	5.36
9. मिजोरम	8.00	12.32	16.08
10. नागालैंड	4.00	4.16	4.16
11. पंजाब	9.70	14.08	10.08
12. राजस्थान	37.17	30.32	30.32
13. सिक्किम	5.50	4.63	5.72
14. त्रिपुरा	12.47	12.96	12.96
15. उत्तरांचल	0.00	4.16	2.08
16. उत्तर प्रदेश	12.00	8.32	8.32
17. पश्चिम बंगाल	38.05	37.99	19.78
कुल	210.00	210.00	194.17

[अनुवाद]

बकाया धनराशि की वसूली

1591. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या **पोत परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भारतीय नौवहन निगम को भारी बकाया धनराशि का भुगतान किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत वर्ष भारतीय नौवहन निगम द्वारा कुल कितनी धनराशि की वसूली की गई और आज की स्थिति के अनुसार कुल कितनी बकाया धनराशि है; और

(घ) सरकार द्वारा इस बकाया धनराशि की शीघ्रताशीघ्र वसूली हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पोत परिवहन मंत्री (श्री वेदप्रकाश गोयल) : (क) और (ख) जी, हां। 31 मार्च, 2002 तक 295.67 करोड़ रु. की बकाया धनराशि का भुगतान सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा किया जाना था।

(ग) भारतीय नौवहन निगम ने गत वर्ष के दौरान 56.30 करोड़ रु. की धनराशि की वसूली की तथा साथ ही 1.4.2002 से आज तक 166.26 करोड़ रु की धनराशि वसूल की गई। आज की स्थिति के अनुसार 129.41 करोड़ रु. की धनराशि अभी भी बकाया है।

(घ) पोत परिवहन मंत्रालय समय-समय पर पैट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से यह अनुरोध करता रहा है कि वह तेल कंपनियों को, भारतीय नौवहन निगम की बकाया धनराशि चुकाने का आदेश दे।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कल, 25 जुलाई, 2002 को पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 25 जुलाई, 2002/ 3 श्रावण, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थागित हुई।

© 2002 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (नौवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली–110006 द्वारा मुद्रित।